(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 17

सोमवार,

22 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष । श्री जोगेश्वर गर्ग ।

नर्मदा एवं माही नदी जल समझौता

699. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के बीच नर्मदा एवं माही नदियों के पानी को लेकर समझौते हुए थे ? यदि हां, तो उन समझौतों की मुख्य शर्तें क्या थीं ? समझौतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों नदियों के पानी का कुछ हिस्सा जालोर जिले को सिंचाई के लिए मिलने वाला था किन्तु अभी तक नहीं मिला है ?

(3) जालोर जिले को उपरोक्त नदियों का पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत से:—

(1) जी हां, नर्मदा नदी के जल का समझौता गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्यों में 22-7-72 एवं 12-7-74 को हुआ था जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1997 में अन्तिम आदेश तथा निर्णय पारित किये हैं जिससे चारों राज्य बाध्य हैं ।

माही नदी के पानी का समझौता गुजरात एवं राजस्थान में 1966 में हुआ

(श्री कैलाश मेघवाल)

था इन समझौतों की शर्तें तथा प्रतियां परिशिष्ट 1 से 6 पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं, नर्मदा जल सम्बन्धी निर्माण कार्य हो रहे हैं जिनके पूर्ण होने पर राजस्थान को जल प्राप्ति होगी।

माही जल समझौते की क्रियान्विति में गतिरोध है जिसे दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) नर्मदा नहर का निर्माण गुजरात में वर्ष 1999 तक पूर्ण होने पर राजस्थान को नर्मदा का जल जालोर जिले में उपलब्ध होगा।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, नर्मदा नदी का पानी, नर्मदा बांध का पानी जालोर और बाड़मेर की सीमाओं में पहुंचे, इस समझौते को लागू करवाने की दृष्टि से जो प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है, पिछले दिनों अखबारों में भी आया था, उस सबके लिए तो मैं आपके माध्यम से सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा। नर्मदा नहर का निर्माण हो रहा है और आपने, माननीय मंत्रीजी, बताया कि 1999 तक नहर पूर्ण होने पर पानी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह तब तक हो जाए इससे आगे नहीं बढ़े। मैं मुख्य रूप से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माही समझौते की तरफ, जिसके अन्तर्गत गुजरात की सीमा में कडाना बांध का निर्माण हुआ। उस बांध के निर्माण के समय जो शर्त रखी गयी थी उसका एक वाक्य पढ़ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। जब गुजरात के माही जल द्वारा सिंचाई क्षेत्र नर्मदा परियोजना पर अंतरण कर लिया जाएगा तब बांध के जल का एक भाग राजस्थान को उपयोग हेतु छोड़ा जाएगा। इसके लिए राजस्थान गुजरात सरकार को बांध की लागत का आनुपातिक हिस्सा देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद और बड़ोदा के बीच में, यह मेरे हाथ में एक नक्शा है जिसमें बताया गया है कि खेड़ा जिले का कुछ हिस्सा कडाना से जाने वाले पानी से अभी माही से सिंचित हो रहा है। वहां नर्मदा से सिंचित होना प्रस्तावित है। बहुत निकट भविष्य में वह नर्मदा से सिंचित होना प्रारम्भ हो जाएगा। उस समय हमारा क्लेम बनता है और नेचुरल ग्रेविटी देखें तो नक्शे में साफ साफ बताया गया है कि वहां से सरप्लस होने वाला पानी कडाना से चलने वाला जालोर और बाड़मेर जिले के सिवाय कहीं जा नहीं सकता। तो मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, सरकार से, पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप नर्मदा समझौते को लागू करवाने में गतिरोध दूर करने के प्रयास कर रहे हैं क्या उसी तरह उतने ही जल के साथ माही समझौते की तरफ भी लगे हुए हैं? यदि उसमें भी हम इसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं तो कृपया बताने का कष्ट करें कि क्या क्या

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

प्रयास आपने किये हैं ताकि जालौर जिले को इसका पानी मिल सके ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने सही रूप से एक सवाल उठाया है। हमारा जो समझौता हुआ माही के पानी का और कडाना के पानी का, समझौता यह था कि गुजरात का जो खैराड़ का क्षेत्र है, जो कमाण्ड एरिया है उस एरिया को नर्मदा से पानी पहुंचे और माही का और कडाना का पानी गुजरात काम में ले रहा है उस पानी को राजस्थान में पहुंचाया जाएगा और राजस्थान उसका उपयोग करेगा। इस समझौते की पालना में गुजरात आनाकानी कर रहा है और उस आनाकानी के आधार पर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले की क्रियान्विति फैथफुली की जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का निश्चय किया है। इस निश्चय की पृष्ठभूमि में सारा प्रकरण ला डिपार्टमेंट से वैट करवाया जा रहा है। मैं माननीय विधायक को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार अपने हिस्से का पानी सभी कानूनी गुत्थियों को पार करते हुए लेकर रहेगी और जो पानी आपके जालौर तक पहुंचने की स्थिति बनती है उस स्थिति को प्राप्त करने में सफल रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सरदार सरोवर बांध की जो हाइट है वह 436 फीट की गयी है। हाइट कम करने का समझौता अभी हुआ है चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स के अन्दर। इससे राजस्थान के पानी का हिस्सा कितना कम हो जाएगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो सवाल उठाया है, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 16-7-96 को प्रधान मंत्रीजी की अध्यक्षता में, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसला लिया गया है वह फैसला यह लिया गया है कि वर्तमान में बांध को 436 फीट तक बनाया जाए और उसकी जो हाईड्रोलाजी और डिजाइन है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाए और उसके बाद पानी की उपलब्धि देखते हुए 5 साल बाद इसको वापिस रिव्यू किया जाए। इस सारी स्थिति में राजस्थान के पानी में किसी तरह की हानि होने की कोई गुंजाइश नहीं बन रही है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 436 फीट ही इसकी हाइट रहती है तब तो पानी कम मिलेगा ना राजस्थान को ?

श्री कैलाश मेघवाल : सवाल राजस्थान को कम मिलने का है ही नहीं। राजस्थान का पानी तो पहले के फैसलों से फिक्स्ड है जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है। खैराड़ में 436 फीट की हाइट का यह पानी, गुजरात का जो हिस्सा हमारे पानी से सिंचित हो रहा है वहां पहुंच जाएगा और यह वहां पहुंचने के बाद हमारे हिस्से का पानी हमको मिलेगा। यह है पोजीशन।

Page No. 4

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पानी की भराव क्षमता कम होगी तो पानी तो कम मिलेगा ही। दूसरी बात, आपने कहा कि उसके डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया गया है लेकिन 5 साल बाद रिव्यू करेंगे और अगर रिव्यू में यही स्थिति बनती है और 436 फीट ही रखा गया तो पानी कम मिलेगा निश्चित रूप से।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी हाइट कितनी रहे और कितनी नहीं रहे से, हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा सम्बन्ध इतना ही है कि हमारे पानी मे जो गुजरात का खेराड़ एरिया सिंचित हो रहा है उसमें उस बांध से पानी पहुंच जाएगा और उसके बाद हमारा पानी फ्री हो जाएगा। इसलिए अपने को किसी तरह की हानि होने की गुंजाइश नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जब भराव क्षमता ही नहीं रहेगी तो पानी मिलेगा कैसे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, जो खेड़ा से अभी पानी मिलना है माही से कडाना डैम से, अगर सरदार सरोवर की हाइट 436 फीट रहती है और जितना एरिया कडाना से सिंचित होता है उतना अगर बांध की हाइट कम होने से सिंचित नहीं हुआ तो क्या गुजरात सरकार अपने इलाके को पानी नहीं देकर भी हमारे को देगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : वही तो मैं बता रहा हूं कि गुजरात से जो हमारा समझौता है उसको ही डिस्प्यूट में डाल दिया इसलिए अपने को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट से इसकी क्रियान्विति ही हम लागू करवाना चाहते हैं। अब आपका जो सवाल है कि 436 फीट की हाइट का जो बांध बनता है और इसमें जो पानी की अवेलेबिलिटी होगी उस अवेलेबिलिटी में से गुजरात के उस हिस्से, जिसमें पानी नहीं पहुंचेगा, में तब क्या स्थिति बनेगी ? तो तब की तब देखेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो अभी देखने का है। सब कन्टूर्स तो आपके पास हैं।

उपमुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें आप पूरा सुन लीजिए। दो बांध हैं। एक सरदार सरोवर है और एक कडाना है। कडाना में माही का पानी है और सरदार सरोवर में नर्मदा का पानी है तो नर्मदा जल के मामले में हमने अपने हिस्से का क्लेम छोड़ दिया इस आधार पर कि हमको कडाना से पानी मिल जाएगा। तब उनको नर्मदा से पानी मिल जाएगा यह झगड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश का है। इसलिए यदि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कम भी हुई तो उसका असर कडाना में नहीं पड़ेगा। मैं समझ गया आपकी बात। जिस क्षेत्र में अभी कडाना से सिंचाई हो रही है उस क्षेत्र में नर्मदा का जल पहुंचेगा तब हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। आप यही तो कहना चाह रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मान लो, नहीं पहुंचा तो क्या होगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एड करना चाहूंगा। दो स्थितियां हैं एक स्थिति तो है कि नर्मदा में अपना हिस्सा है वह हिस्सा 0.5 मिलियन एकड़ फीट तय है और उसी हिस्से के आधार पर वह अपना हिस्सा तय है। उसका इस विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जो माही और कडाना का पानी गुजरात काम में ले रहा है वह अलग विवाद है। अभी जो नर्मदा का पानी है उसमें अपना हिस्सा 0.5 मिलियन एकड़ फीट तय है और उस हिस्से को प्राप्त करने के लिए अपनी नहर गुजरात में बनना प्रारम्भ हो गयी है जो 1999 तक जालोर की सीमा तक आ जाएगी और हमने राजस्थान में भी प्राथमिक तौर से अपना सारा सर्वे करवाकर अपना नहरी जाल भी कंस्ट्रक्ट करना चालू किया है। अपनी पूरी नहर बनने में तो 2004 तक काम होगा लेकिन 2004 से पहले भी क्योंकि बोर्डर पर जब यह पानी पहुंच जाएगा जिससे हमारी डिस्ट्रिब्यूटरीज, जो दूसरी बनेंगी, के माध्यम से हम इस पानी को 1999 के बाद काम में लेने की स्थिति में रहेंगे। यह पोजीशन है। 0.5 मिलियन एकड़ फीट है वह पानी तो अपना नर्मदा में तय है। यह जो झगड़ा है गुजरात वाला, यह कडाना और माही के पानी का है। वह झगड़ा अलग है। दो अलग स्थितियां हैं इसमें। इसलिए वह पानी अपना निश्चित है, वह तो आएगा ही और उसी की वजह से अपना हिस्सा भी अब नहर बन रही है गुजरात के बोर्डर पर और गुजरात के बोर्डर के बाद राजस्थान में जालोर के हिस्से में भी हमने सर्वे कराकर नहर बनाना चालू कर दिया है और 1999 तक पानी आते ही हम अपनी डिस्ट्रिब्यूटरी से दे देंगे क्योंकि हमारा अपना काम जो राजस्थान के हिस्से का है वह 2004 तक पूरा होगा। तो वह एक अलग मसला है और यह अलग मसला है। जो 1966, 1972 और 1979 के माही और कडाना के एग्रीमेंट थे उन एग्रीमेंट में गुजरात अभी आनाकानी कर रहा है इसलिए उनकी क्रियान्विति के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। यह पोजीशन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब सरदार सरोवर की हाइट प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मीटिंग में मुख्य मंत्रियों के सामने यह तय की गयी है कि 436 फीट रहेगी और पांच साल के बाद में इसको रिव्यू किया जा सकता है और रिव्यू करने की स्थिति में अपने डैम की हाइट को कम भी किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में क्या हमें नुकसान नहीं होगा ? यह सब बातें क्यों स्वीकार की जा रही हैं ? यह सब बातें उस मीटिंग में क्यों स्वीकार की जा रही है कि पांच साल के बाद में डैम की हाइट को रिव्यू करने पर कम भी किया जा सकता है।

श्री कैलाश मेघवाल : इस बांध की 436 फीट हाइट रहे तो भी, 455 फीट रहे तो भी और मैक्सिमम वाटर लेवल रहे तब भी अपना हिस्सा तय है और वह हिस्सा तो गुजरात सरकार नर्मदा से अपने

Page No. 6

6

(श्री कैलाश मेघवाल)

को देने को बाध्य है। चाहे बांध की हाइट कुछ भी बने, इससे अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चाहे कम करें या ज्यादा करें अपना हिस्सा तय है। बाबूलाल जी। वह हो गयी। चाहे ऊंचा करो या नीचा करो आपका हिस्सा तय है। बिराजें आप।

श्री मगराज चौधरी : इसमें एक प्रश्न यह था कि प्रधान मंत्री के साथ चार प्रांतों के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में हमारे मुख्य मंत्री ने इस प्रकार का समझौता क्यों स्वीकार किया है कि पांच साल के बाद में सरदार सरोवर की हाइट को रिव्यू किये जाने पर कम भी किये जाने की स्थिति हो सकती है? इस प्रकार की बात क्यों स्वीकार की गयी है?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री बाबूलाल जी।

विधान सभा क्षेत्र डग एवं नगरपालिका भवानी मण्डी की उचित मूल्य की दुकानें

700. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डग की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं भवानी मण्डी नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड में कुल कितनी राशन वितरण की दुकानें निर्धारित हैं? वर्तमान में दुकानें किन-किन व्यक्तियों के नाम से चल रही हैं?

(2) उक्त आवंटित दुकानों का कब आवंटन किया गया?

(3) प्रत्येक दुकान द्वारा प्रदान की जाने वाली राशन सामग्री का कोटा कितना-कितना है एवं लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) विधान सभा क्षेत्र डग की 48 पंचायतों में 74 दुकानें एवं भवानी मण्डी नगरपालिका क्षेत्र में 19 दुकानें, इस प्रकार कुल 93 दुकानें निर्धारित हैं। वर्तमान में जिन-जिन व्यक्तियों के नाम से दुकानें कार्यरत हैं, की सूची संलग्न है।

(2) आवंटन कब किया गया, का विवरण प्रश्न के भाग एक के साथ संलग्न सूची में अंकित है।

(3) राशन सामग्री का कोटा जितना-जितना आवंटन किया गया एवं लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रश्न के भाग एक के साथ संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं। क्या

(श्री बाबूलाल वर्मा)

राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति है या ऐसे कोई निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत जो कंट्रोल की दुकानें आवंटित की जाती हैं उनका आवंटन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्थानीय लोगों को ही देने की प्राथमिकता रखी गयी है? यदि हां, तो इन 74 ग्राम पंचायतों में जो दुकानें स्थित हैं इनमें ऐसी कितनी दुकानें हैं जो कि वहां के स्थानीय लोगों को आवंटित की गयी हैं? पहला सवाल मेरा यह है।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राथमिकता का सवाल है, निश्चित तौर पर यही है कि उस पंचायत का रहने वाला आदमी हो उस वार्ड का रहने वाला हो। यह एक मोटे तौर पर तय है। अगर वहां का आदमी उपलब्ध नहीं होता है तो निश्चित तौर पर दूसरी जगह के आदमी को दी जा सकती है। जहां तक माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से बाहर के लोगों को दी गयी, मेरी सूचना के मुताबिक नहीं है। अगर सदस्य को ध्यान होगा तो उसकी मैं जांच करवा लूंगा और अगर इस किस्म के केसेज हैं और उससे हमारा सिस्टम प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर उनको हटाकर दूसरे को दे दी जायेगी।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है कि कितनी दुकानें ऐसी हैं, जो लोकल को आवंटित की गयी हैं, और कितनी नहीं की गयी हैं? एक छोटा सा सवाल है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मेरे यहां भी ऐसी दुकानें हैं, हमारे यहां चोमेहला सटेग है और कम से कम आसपास की 7–8 ग्राम पंचायतों की दुकानें उन्होंने ले रखी हैं। नतीजा यह है कि गांव में रहने वाले आदमी को केरोसिन तक नहीं मिल पाता है। तो ऐसी दुकानों की क्या, माननीय मंत्री महोदय, जांच करवाएंगे और जांच करवाएंगे तो कितने टाइम में?

दूसरा सवाल यह है कि इस विधान सभा क्षेत्र में जितनी दुकानें हैं उसमें गेहूं, शक्कर, तेल का जो वितरण किया जाता है, इस वितरण के निरीक्षण करने के राज्य सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं कि इसका वितरण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जांच करने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रावधान किये हैं? यदि ऐसे प्रावधान हैं तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने में इस क्षेत्र में कब-कब निरीक्षण किया गया और क्या निरीक्षण किया गया? यह दो सवाल हैं।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाहर के लोगों को देने का सवाल है, यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य से यही निवेदन कर रहा हूं कि जो उनके पास सूचना है, मुझे उपलब्ध करवा दें, मैं इसकी जांच करवा लूंगा और एक महीने के अन्दर अन्दर इसकी जांच करवा कर, आपको भी इसमें शामिल कर लूंगा, पूरी जानकारी करूंगा।

दूसरा, इसमें उन्होंने जो वितरण के बारे में पूछा है, तो गेहूं की डिमांड पिछले

(डा. रामप्रताप)

महीने, डेढ़ महीने में बढ़ी है अकाल की स्थिति की वजह से और गेहूं एक्सपोर्ट किया गया उसकी वजह से। पहले जो गेहूं का आबंटन किया जाता था, झालावाड़ जिले की तहसीलवाइज मेरे पास सूचना है, उसमें गेहूं कहीं नाममात्र का उठाया गया है। पिछले महीने से एकदम इसकी डिमाण्ड आई है उसके अनुरूप हमने केन्द्र सरकार से भी गेहूं मांगा है और उस हिसाब से गेहूं की कमी नहीं रहने दी जाएगी। दूसरा, जो चीनी है वह 400 ग्राम के हिसाब से वितरण की जाती है।

जांच का जहां तक मुद्दा है, निश्चित तौर पर एन्फोर्समेंट स्टाफ को यह हिदायत है कि वह महीने में जा करके जांच करे। मैं खुद भी चाहूंगा कि जहां-जहां ट्राइबल एरिया है, विशेष तौर से जहां अकाल की स्थिति है, वहां अगले महीने में जा करके इन सारे तथ्यों की जांच करवा लूंगा।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल है। मैं संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, बिराजें आप। नोट अलाउड। बिराजें आप। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : प्रश्न का जवाब तो नहीं आया। किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी दुकानें दी गयीं?

श्री अध्यक्ष : वह सब आ गया है। वह संतुष्ट हैं। आप बिराजें। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि

701. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं जिला प्रमुख के चुनाव कब हुए थे एवं इनको क्या-क्या अधिकार प्रदान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों के विकास हेतु किसी भी प्रकार का प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को नहीं दे सकते? यदि हां, तो क्यों? क्या उन पर विचार कर स्वीकृति दी जाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला प्रमुख अपने अधीनस्थ पंचायत समितियों की अनियमितताओं पर अंकुश लगा सकते हैं? यदि हां, तो किस प्रकार?

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : (1) जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 20. 1. 95 को कराए गये थे। सदस्यों के चुनाव होने के बाद जिला

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

परिषदों में प्रमुख के चुनाव दो चरणों में क्रमशः दिनांक 13-2-95 एवं 14-2-95 को तथा पंचायत समितियों में प्रधानों के चुनाव दो चरणों में क्रमशः दिनांक 15-2-95 एवं 16-2-95 को राज्य सरकार द्वारा करवाए गये थे।

पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रमुख तथा प्रधानों को जो अधिकार, कृत्य और कर्तव्य प्रदत्त किये हुए हैं उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु किसी भी प्रकार का प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सीधे ही देने का अधिकार नहीं है। ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा हेतु ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर गठित गवर्निंग कौन्सिल में प्रमुख सदस्य के रूप में मनोनीत है। यदि सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो प्रमुख के मार्फत दे सकते हैं, जिस पर गवर्निंग कौन्सिल में विचार किया जा सकता है।

(3) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 35 (1) (क) के अन्तर्गत प्रमुख जिला परिषद को पंचायत समिति के क्रियाकलापों के निर्धारण में उसे समर्थ बनाने और उनके कार्यक्रमों और समस्याओं का अध्ययन करने की दृष्टि से जिले में खण्डों का निरीक्षण करना, प्रधानों तथा विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश देना एवं पंचायत समिति में लिए गये कार्यों और अनुरक्षित अभिलेखों का उसकी साधारण कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर सकेगा तथा ऐसे निरीक्षण और क्रियाकलापों की रिपोर्ट में पाई गयी त्रुटियों के प्रति निर्देश दे सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वैसे तो चुनावों को 18 महीने हो गये, पंचायती राज की दुर्गति जितनी इन 18 महीनों में हुई है, कभी भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इसके बाद मैं, मंत्रीजी, आपसे एक यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि जब आपने डायरेक्टर्स और जिला परिषद के सदस्यों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया तो यह चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूर्व में सरपंच, पंच, ये ही पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते थे। इसी तरह इन जिला परिषद के अन्दर प्रधान हैं, वे ही कर लेते हैं। खैर, यह चुनाव तो आपने करा दिये और हो भी गये। अब डायरेक्टर्स को और पंचायत समिति के सदस्य हैं जिनको अधिकार है स्थायी समिति का। स्थायी समिति में रहकर पंचायत समिति को सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से चला सकें, वह तो उनको अधिकार है। आज मैं आपको गंगापुर पंचायत समिति का

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

उदाहरण बताऊं, वहां पर स्थायी समिति के चुनाव तो हो गये लेकिन आज तक उनके अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ । क्या 18 महीने में चुनाव भी नहीं करवा सकते ? यह प्रश्न सिर्फ गंगापुर का ही नहीं है, ऐसी कई पंचायत समितियां हैं जहां पर इनके चुनाव नहीं हुए । तो अध्यक्षों के चुनाव, स्थायी समितियों के चुनाव क्या आप कराएंगे ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है, आपने यह कह दिया कि गवर्निंग कौंसिल के अन्दर जो जिला प्रमुख होता है वह प्रस्ताव दे सकता है । तो प्रक्रिया तो यह है कि गांव की ग्राम सभा के अन्दर सरपंच प्रस्ताव लेगा कि हमारे गांव के अन्दर कौनसे काम करवाने हैं । फिर उसके बाद पंचायत समिति की आम सभा होगी उसके अन्तर्गत उन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में प्रधान पंचायत समिति उन प्रस्तावों को लेकर गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में जाते हैं । लेकिन उसका उलटा हो रहा है । सरपंच ग्राम सभा की मीटिंग के अन्दर प्रस्ताव लेते हैं और प्रधान पंचायत समिति में उन प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं करते हैं । प्रधान अपने आप ही जिन-जिन का प्रस्ताव भेजते हैं उनको तो पास कर देते हैं, बाकी को रद्दी की टोकरी में पटक देते हैं । तो, मंत्री महोदय, यह तो इस तरह की प्रक्रिया है । क्या आप डी. आर. डी. ए. को यह निर्देश देंगे कि अगर डायरेक्टर्स, जिला परिषद का सदस्य सीधे ही प्रमुख को अगर प्रस्ताव भेजे तो जो प्रक्रिया आपने अपना रखी है, उसके विपरीत आप उनको लेंगे । अगर यह आपके अण्डर में नहीं है तो विशिष्ट योजना संगठन मंत्रीजी के अण्डर में होगा, तो क्या वे निर्देश देंगे इस बात का, जिससे कि कम से कम........

श्री परसादी लाल मीणा : अलग प्रश्न है ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अलग से प्रश्न नहीं है, बीच में नहीं टोकें । प्रश्न अलग से नहीं है । (व्यवधान) मेरा तीसरा प्रश्न मेन है, आपने बता दिया कि जिला प्रमुख सिर्फ पंचायत समिति को निर्देश ही दे सकता है तो क्या फायदा जिला प्रमुख को बनाने का ? कितनी अनियमितताएं पंचायत समितियों में हो रही हैं, तो क्या जिला परिषद को देखने का अधिकार नहीं है ? मैं आपको छोटा-सा उदाहरण बताऊं कि अभी गंगापुर पंचायत समिति में 41 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं । पहली बात तो यह है कि राज्य सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि रीति-नीति के अनुसार ही स्थानान्तरण करें और तबादलों पर आपने रोक लगा रखी है । तो जो 41 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं, उसमें वे अध्यापक हैं जिनको दो-दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, उनके स्थानान्तरण कर दिये । उन्होंने जिला परिषद के प्रमुख से निवेदन किया तो प्रमुख ने हाथ ऊंचे कर दिये कि मेरे हाथ में कुछ अधिकार नहीं है । तो क्या इसी तरह से पंचायत समिति या जिला परिषद चलाना चाहते हैं ?

आखिर में एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, क्या आपने पंचायत समिति को यह अधिकार दे रखा है कि राज्य

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

सरकार की बगैर अनुमति के जो विकास अधिकारी है उसको रिलीव कर दे, उसका स्थानान्तरण कर दे? यदि आपने यह अधिकार दे रखा है तब तो बात दूसरी है क्योंकि एक-एक नहीं, दो-दो बी. डी. ओ. को पंचायत समिति अपने आप ही रिलीव कर देती है। एक स्थिति तो यह बन गयी कि सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर छह-छह विकास अधिकारी को पंचायत प्रधान ने रिलीव कर दिया। अगर आपने यह अधिकार दे रखे हैं तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने यह अधिकार नहीं दे रखे हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पंचायत समिति ने किस आधार पर विकास अधिकारी को रिलीव कर दिया? यह आप बताने की कृपा करें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल उठाए हैं, कुछ सवालों में आपस में अन्तर्विरोध है। पहली चीज तो आपने कहा कि पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के चुनाव आपने क्यों करवाए? मेरा व्यक्तिगत रूप से अभी भी यह मानना है कि राजस्थान में हमारी पुरानी मान्यता बिलकुल ठीक थी लेकिन चूंकि यह संवैधानिक प्रावधान था दिल्ली से, इसलिए हमको वह चुनाव कराने पड़े।

जहां तक कमेटी के चुनाव का मामला है, स्पष्ट रूप से एक्ट में प्रावधान है कि हर साल कमेटी के चुनाव होंगे और वह चुनाव इतने समय तक प्रधान कराएगा। वह नहीं कराएगा तो विकास अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। वह नहीं कराएगा तो सी. ई. ओ. की जिम्मेदारी होगी। जहां तक कानूनी प्रश्न है, हमने सारी स्थिति स्पष्ट कर रखी है। अब कहीं पर कानून की पालना नहीं होती है तो उसके तरीके हैं, उसकी रेमेडी प्राप्त करने के तरीके हैं। उचित फोरम पर आप उसको उचित तरीके से उठाइये, शिकायत करिये, या जो भी हो सकता है, कानूनी रूप से आप काम करिये। तो जहां तक कानूनी, वैधानिक प्रश्न है, वह बिलकुल स्पष्ट है।

तीसरा, आपने प्रस्ताव की बात की। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं यह जो व्यवस्था हुई है, ग्राम पंचायत को हमने एक्जीक्यूटिव बोडी बनाया। हमारी मैन बोडी है ग्राम पंचायत और वह भी चुनी हुई है। उसके पंच, सरपंच भी चुने हुए हैं। उसके बाद पचायत समिति का चुना हुआ सदस्य और पैदा कर दिया। उसके बाद जिला परिषद का चुना हुआ सदस्य और पैदा हो गया और माननीय विधायक भी चुने हुए हैं। तो जहां तक विकास का प्रश्न है या प्रस्ताव लेने का है, ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेती है ग्राम सभा से, उसके बाद पंचायत समिति को प्रस्ताव भेजती है। मान लो, पंचायत समिति नहीं रखें तो माननीय सदस्य गवर्निंग कौंसिल के सदस्य हैं, वे वहां पर अपने-अपने प्रस्ताव रखते हैं, उठाते हैं, इफेक्टिव हैं और मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, अपने-अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को प्रमुखता से वे गवर्निंग कौंसिल में रखते हैं

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

और अपने क्षेत्र का विकास करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय........

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया कि विधायक रखते हैं, विधायक गवर्निंग कौंसिल का मैम्बर है। मैं इसीलिए तो निवेदन कर रहा हूं, आपकी पंचायत समिति के प्रधान वहां जाकर यह कहते हैं कि इन विधायकों को प्रस्ताव देने का कोई अधिकार नहीं है। आज विधायक करते हैं, यह तो है ही नहीं कि विधायक नहीं करते हैं........

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विधायक काम कर लेंगे तो.......(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : लेकिन वहां तो यह कहते हैं कि........(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैंने एक निवेदन किया था कि क्या विकास अधिकारी को रिलीव करने का प्रधान, पंचायत समिति को अधिकार है ? अगर आपने अधिकार दे रखा है....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपने टीचर्स के ट्रांसफर की बात की। एक तरफ तो हमारे माननीय सदस्य सदन में यह मांग करते हैं कि इन चुनी संस्थाओं को अधिकार दीजिए। मैंने केवल जून के माह में, एक माह में यह अधिकार दिया कि आप चाहे जिसका ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें मुझे कई जगह से शिकायत प्राप्त हुई कि इस तरह से ट्रांसफर हो गये, यह हो गया। हमने ट्रांसफर्स के लिए कुछ गाइडलाइन्स दे रखी हैं, अगर उसका कहीं उल्लंघन हुआ हो तो माननीय सदस्य शिकायत करें, मैं उसकी जांच भी करवाऊंगा और कार्यवाही भी करूंगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा बी. डी. ओ. को रिलीव करने का। नियमों में यह कहीं भी प्रावधान नहीं है और मेरा यह मानना है, यदि हम इन संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक ट्रैक पर नहीं चला जा सकता। चुने हुए जन प्रतिनिधि और सरकारी मशीनरी, ये दो टायर हैं, हमको दोनों टायर से चलना पड़ेगा इसलिए हमने कहीं भी किसी भी प्रधान को यह अधिकार नहीं दिया कि वह जब चाहे रिलीव कर दे, जब चाहे जिसको ले ले। ऐसी शिकायतें कुछ जगह से प्राप्त हुई हैं, हमने उनको सख्ती से रोका है, निर्देश दिये हैं, कार्यवाहियां भी की हैं। इसलिए ऐसा कहीं नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : गंगापुर पंचायत समिति का विकास अधिकारी था, शिड्यूल्ड कास्ट का था, आपने उसको रिलीव कर दिया और उठाकर जिला प्रमुख के पास भेज दिया। फिर आपने क्या किया उसके अन्दर ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आपने कहीं गंगा-

(श्री अध्यक्ष)

पुर का नाम तो लिया नहीं, प्रश्न में उसका नाम है नहीं कहीं। भरतसिंह जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उनकी नालेज में है अच्छी तरह से इसलिए माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं। उन्होंने तबादला किया, फिर उसको हटाकर दूसरी जगह लगा दिया, फिर तीसरे को लगा दिया। मंत्री महोदय की जानकारी में है इसलिए इनसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब सभी चीजें तो ध्यान में रह नहीं सकती क्योंकि इसमें यह तो नहीं पूछा कि आपने फलानी जगह का किया या नहीं किया। माननीय भरतसिंह जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं तो प्रधान के अधिकारों के बारे में जानकारी चाहता हूं प्रधान को अधिकार है क्या? आपने कह दिया कि नहीं है। नहीं है तो फिर उन्होंने कैसे कर दिया? फिर आपने क्या एक्शन लिया? यह जानना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : भरत सिंह जी।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की इस बात के लिए मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि पहले की जो व्यवस्था थी वह इससे बेटर थी और इस व्यवस्था में कठिनाई आ रही है। मेरा आपसे प्रश्न है, कुछ व्यवस्था कानून के तहत आपने प्रोवाइड की है कि हर माह पंचायत समिति की बैठक और जिला परिषद की बैठक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और जब पंचायत समिति की बैठक माहवार नहीं हुई, जिला परिषद की बैठक तीन माह में होनी चाहिए, वह छह माह तक नहीं हो तो उस सम्बन्ध में आपका विभाग क्या कार्यवाही करता है? और आपकी व्यवस्था जो पहले से लड़खड़ा रही है, उसमें और परेशानी हुई है। जिला परिषद का प्रमुख डी. आर. डी. ए. की मीटिंग में जाता है। अगर वह प्रमुख डी. आर. डी. ए. की एक मीटिंग चूक जाता है तो उसकी जो भूमिका है, विधायक तो अपनी बात रखते हैं, उस सम्बन्ध में आप अपने स्तर से क्या कार्यवाही करेंगे, उस पर आप प्रकाश डालिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक्ट में, रूल्स में स्पष्ट प्रावधान है कि कब-कब कितने कितने समय बाद किस किस संस्था की बैठक होगी। कई बार उन बैठकों में रूल्स का वायोलेशन होता है, समय पर नहीं बुला पाते। हमने सी. ई. ओज. को यह इंस्ट्रक्शंस दिये हैं कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए और यदि कोई जनप्रतिनिधि इसका पालन नहीं करता है तो कानून के अन्तर्गत जो भी प्रावधान है, आप कार्यवाही करिये। विभाग कार्यवाही करता है जहां जहां से मुझे शिकायतें प्राप्त होती हैं। आप शिकायत विभाग को

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

भेजिये, मुझे भेजिये, जहां जहां इस तरह की बैठकें नियमित रूप से नहीं बुलाते हैं, विभाग उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा ।

श्री भरत सिंह : कहीं कार्यवाही करी है क्या आपने, मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : बिलकुल । हमने कई जगह । क्योंकि प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है, मैं आथेंटिक रूप से इस समय नहीं बता सकता क्योंकि हाउस है, कोई भी बात मैं कहूं तो आथेंटिक रूप से कहूं, पर्टीकुलर कोई केस तो ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी है एकाध जगह ऐसा हुआ था तो हमने उसी को ध्यान में रख कर, यह पहली बार गलती हुई है, हमने यह निर्देश दिये कि आपने यह गलती की है, इसको समय पर बुलाइये, नहीं देंगे तो आगे के लिए आपके खिलाफ इस सम्बन्ध में कार्यवाही होगी । इस तरह के हमने इंस्ट्रक्शंस दिये हैं ।

श्री भरत सिंह : आप महीने की महीने मंगवा लें, आपको मालूम पड़ जाएगी स्थिति ।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न कर रहा हूं मैं ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पहले....

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या आपकी जानकारी में ऐसा आया है कि जिला प्रमुख मीटिंग बुलाना चाहता है और सी. ई. ओ. उसको मना कर देता है कि आपको अधिकार नहीं है मीटिंग बुलाने का ? कोई ऐसा आपकी जानकारी में है ? अगर है तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आपकी जानकारी में होनी चाहिए । टौंक जिला परिषद् के अन्दर यह बात की गयी कि आपको अधिकार नहीं है और हम सरकार से इजाजत लेंगे । सरकार के पास इजाजत के लिए उन्होंने पत्र भेजा है आपको और फिर आप कहते हो कि आपकी जानकारी नहीं है । अगर नहीं है तो फिर आप कैसे मंत्री हो ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अलग से सवाल पूछ लीजिये ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सवाल यही है कि आपको जानकारी है या नहीं, अगर है तो आपने फिर क्या कार्यवाही की है इसमें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें । जिन्होंने अनुमति ली उनको तो बोलने दीजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरे तो सीधे तीन प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न ।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक ही करूंगा, साहब। पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि जिला परिषद, यह डायरेक्टर हैं या सदस्य हैं और पंचायत समिति के डायरेक्टर हैं या सदस्य हैं, यह तो आप स्पष्ट करें। एक बात तो यह है।

श्री अध्यक्ष : धनखड़ साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा मेरा इसी में सवाल है, साहब, कि हमारी जिला परिषद में जिला प्रमुख बैठ रही हैं जन-प्रतिनिधि और वहीं सी.ई.ओ. बैठता है। जिला प्रमुख की बात को सी.ई.ओ. नहीं मान रहा है। रोजाना झगड़े हो रहे हैं, अशांति फैल रही है। आपके पास भी शिकायतें आई हैं। क्या उनके बारे में कोई जांच कर रहे हैं आप? कुछ कार्यवाही करेंगे? जिला प्रमुख की बात वह नहीं मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : धनखड़ साहब।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जब पहली बार क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से शिड्यूल्ड कास्ट्स को, शिडयूल्ड ट्राइब्स को, ओ. बी. सी. को, महिलाओं को पंचायत संस्थाओं में हर स्तर के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया और एक बड़ी फौज खड़ी कर दी, अब आप कहते हो कि कानून वर्केबल नहीं है, तो यदि यह कानून वर्केबल नहीं है, आपने इस कानून में सुधार के लिए क्या कोई कार्यवाही की? क्या आप उन लोगों, जिनकी फौज खड़ी हो गई है, जो बिलकुल काम नहीं कर रहे है, जो पूर्ण रूप से हताश हैं, को राहत देने के लिए कानून में कोई बदलाव की बात करते हैं? अध्यक्षजी, इस कानून के जो अच्छे पहलू हैं उनको तो यह सरकार बिलकुल नजरंदाज कर रही है और जहां कुछ अड़चनें आ रही हैं वहां कहते हैं कि यह तो केन्द्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून का एक बहुत अच्छा पहलू है कि आप एक सांसद की हैसियत से या विधायक के तरीके से एक पंचायत संस्था के पदाधिकारी को डिसक्वालिफाई कर सकते हो, उसको रिमूव नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है। पर आपने, मंत्रीजी, वह तलवार अब भी उन पर लटका रखी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में जो कानून की भावना है उसके अनुरूप जो अच्छी चीज आपको लगती है उसके बारे में तो कुछ न कुछ काम कीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अब एक ही प्रश्न।

श्री जगदीप धनखड़ : अंतिम बात, माननीय अध्यक्षजी, इन संस्थाओं में जिला प्रमुख को तो आप पन्द्रह सौ रुपये देते हैं और नगर परिषद के अध्यक्ष को पांच हजार रुपये मिलते हैं। पंचायत व्यवस्था को, ग्रामीण स्थिति को आप पूर्ण रूप से कमजोर और पंगु बनाने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो ग्रामीण वर्ग के आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष : म्यूनिसिपिलिटी को पांच हजार कहां है?

श्री जगदीप धनखड़ : पांच हजार, नगर

(श्री जगदीप धनखड़)

निगम के अध्यक्ष को। आपके उदयपुर के नगर निगम के अध्यक्ष को पांच हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं और वहां के जिला प्रमुख को, जहां इतने ज्यादा गांव हैं, पन्द्रह सौ रुपये मिलते हैं। उसको यदि जयपुर आना पड़े तो इजाजत लेनी पड़ती है, उस अध्यक्ष को नहीं लेनी पड़ती। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था आपने कर रखी है, आप ग्रामीण वर्ग के आदमी हैं, प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आप एल.एल.एम. हैं, आप अनुभवी हैं, कृपा करके do something about it.

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। जवाब आने दें अब।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो वकालत है, यहां पर उसके ज्ञान का प्रदर्शन किया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप भी तो एलऐल.एम. हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इसीलिए मैंने बताया है, इसीलिए मैंने कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक तो उनका प्रदर्शन देखा, अब आपका दिखाइये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले कहा है कि पंचायत समिति सदस्य और सरपंच, आज यह व्यवस्था करने से उनके बीच में ऐक कंफ्लिक्ट खड़ा हो गया। पंचायत समिति का सदस्य कहता है कि मैं दो पंचायतों पर चुना हुआ हूं, यह सरपंच एक पंचायत का है, मुझे भी पंचायत की बैठक में....

एक माननीय सदस्य . ढाई पंचायत।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : ढाई पंचायत, दो पंचायत, तीन पंचायत, मैं तो इससे बड़ा हूं मुझे भी यहां पर बैठने का अधिकार है। वह कहता है यह जो काम होते हैं यह मेरे द्वारा भी हों, इस चैक पर मेरे भी साइन जिला परिषद का सदस्य कहता है, चैक पर मेरे भी साइन हों। अब वह चैक एक और दस्तखत इतने लोगों के। अब वह चैक कहां उनके साइन झेल पाए, प्राब्लम यह हो गयी और बैंक वाले जगह भी साइन के लिए थोड़ी सी देते हैं। उसके बाद फिर बी.डी.ओ. विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी और ग्रुप सचिव, यह और प्राब्लम यह आ रही है इसलिए मैंने कहा कि,

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके भी साइन होते हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इसीलिए चैक पर आप दस्तखत करते हैं क्या, मंत्रीजी ? प्राब्लम चैक पर साइन करने वाली नहीं है, आप इसको गम्भीरता से लीजिये।

श्री अध्यक्ष : पूरा सुनें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : कहां चैक के दस्तखतों की बात....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप बिराजें, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे पास इस तरह की मांग आई है,

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

इस तरह के सुझाव आए हैं इस तरह की बातें आई हैं, डे टू डे यह पंचायत समिति के सदस्य कहते हैं कि पंचायत समिति की बैठक के अलावा हम क्या हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने गम्भीरतापूर्वक यह विचार किया कि किस तरह से विकास के इस तरह के कार्य में यह सब जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं पंच से लेकर ऊपर तक, इनका किस तरह से उपयोग किया जाये । इसके लिए जो हम नये रूल्स बना रहे हैं उनमें हम इस तरह की कुछ चीजें आइडेन्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो हजार तक आपके रूल्स भी बन जाएंगे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : नहीं ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बारबार यहां खड़े होकर कह देते हैं कि हम रूल्स बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बात तो सुनें ।

श्री हरजीराम बुरडक : ढाई साल के पीरियड में कार्य संचालन रूल्स तक नहीं बना सके बाकी सारे नियमों की तो बात छोड़ो । अभी तक यह तय नहीं कर पाए कि मीटिंग कैसे होगी । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या रूल्स बना रहे हैं....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय यह नियम तक ही नहीं बने हैं । आप नियम नहीं बना सके ।...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : कार्य संचालन नियम ही नहीं बने ।

श्री अध्यक्ष : आप सुनें ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अब बीच में रूल्स को लेकर खड़े हो गये । सवाल है क्या रूल्स से सम्बन्धित ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बात सुनें पहले ।

श्री रतनलाल ताम्बी : एलएल.एम हैं, रूल्स ऐसे बनाएंगे क्या । अभी सौ-पचास तो अमेण्डमेंट हो सकते हैं, सोच-समझ कर बना रहे हैं... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : फालतू बात करते हैं यहां पर । (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : जो कमी आप महसूस करते हैं उनके बारे में तो आप रूल्स बनाइये । वह जो को आर्डिनेशन की कमी देखते हैं उसके बारे में आपको कोई अमेण्डमेंट लाना हो तो वह ले आइए । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : शायद आपको यह याद होगा, पिछली बार भी यह प्रश्न आया था तो आपने यह फरमाया था कि रूल्स ला रहे हैं । पिछले सत्र में पिछली साल यह बात कही गयी थी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे को शंका इस बात की हो रही है, आप जोर से नहीं बोले, आपका पान बाहर आ जाएगा ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रूल्स बना नहीं रहे हैं, उसकी वजह से यह सारा आपस में झगड़ा चल रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, विधान सभा की एक कमेटी बना दी जाए जो तुरंत तय करे कि इन जिला परिषदों के और पंचायत समितियों के सदस्यों को क्या अधिकार नियमों में दिये जा सकते हैं, मैं कहता हूं, सात दिन में इस प्रकार की घोषणा कर दी जाएगी जो उनको अधिकार मिल जाऐंगे। मंत्रीजी, नियम भी बनाइए और उनको अधिकार भी दीजिए।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें पहले।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्यों को मालूम है, यह किशन गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस तरह की बात कर रहे हैं, कई जिलों में स्थिति यह आ गयी कि पंचायत समिति और सरपंच, पंचायत के बीच में कंफ्लिक्ट चालू हो गये। तो इसलिए.. (व्यवधान)... अब आप, प्लीज, एक मिनट सुनिये। लिसन मी। आप सुनिये तो सही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप निर्णय नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह डायरेक्टर है या मैम्बर हैं, यह मैम्बर है। कहीं डी.आर. कहीं सी.आर. वह प्रयोग में लेने लग गये लेकिन कानून की दृष्टि से यह सब सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूं इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या कुछ हो सकता है, माननीय सदस्यों को मालूम है, यह रूल्स की बात कर रहे हैं, यह जो रूल्स बनेंगे, अब एक्ट तो छोटा था (व्यवधान) रूल्स, अब आप सुनिये, मैं बता रहा हूं फिनिश नहीं कर रहा हूं मैं। उसके बीच में ? कब बनाएगें....

श्री हरजीराम बुरडक : कार्य संचालन नियम तक नहीं बनाए, अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि रूल्स कब तक बना देगें ?

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनिये पहले (व्यवधान) श्रीमती मीनाजी अग्रवाल। नैक्स्ट प्रश्न।

श्री हरजीराम बुरडक : बात है क्या ? बात यही है कि इन्होंने नियम नहीं बनाए इसीलिए सारी अव्यवस्था हो रही है। अगर नियम बना देते तो कोई अव्यवस्था नहीं होती।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय एक मिनट मुझे निवेदन करना है...

श्री अध्यक्ष : मंत्री का जवाब तो आप सुन नहीं रहे हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं सुनना चाहते हैं मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं। जवाब दिलवाइये आप, सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : बाद में बात कर लेना। बिराजिए।

श्री रामस्वरुप मीणा : आप सुनाइए, हम सुनेंगे आपकी बात को लेकिन आप सुनाइए हमको। स्पष्ट करो। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप जवाब देने दीजिये मंत्री जी को। आप अवसर दीजिए मंत्री जी को। जवाब सुनना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य कह रहे है कि क्या सुनना है, क्या सुनना है। फिर आगे चलें।

एक माननीय सदस्य : सुनेंगे, साहब, ध्यान से सुनेंगे।

श्री नाथूसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने सरपंच से लेकर प्रमुख, माननीय विधायक और जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है और सरकारी मशीनरी के अधिकारी है उन सबको बुलवाया जो भी पंचायत राज से सम्बंधित ज्ञान रखते हैं। हमने कोशिश की, हो सकता है आप में से कई लोग छूट गये हों जिनको नहीं बुलाया हो लेकिन हमने जो भी लोग इसमें रुचि रखते है जिनको जानकारी है उनको बुलवाया। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम है, बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या कमला जी को मालूम है, कई लोगों को हमने बुलाया है और हमने... (व्यवधान) अब आप फिर नहीं सुनेंगे। मेरे को बोलने नहीं देते। आपकी बात बोलूंगा अब।

श्री अध्यक्ष : आपकी आदत नहीं है सुनने की। आपकी सुन लो बस। बुरड़क साहब के तो तय है कि इनकी सुन लो दूसरे की नहीं सुनेंगे ये।

श्री नाथूसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, नये एक्ट में लगभग 15 या 18 रूल्स तो ऐसे थे जो आज की स्थिति में काम ही नहीं आ रहे थे और उनमें करीब 33 के आस-पास ऐसे थे जिनमें हमको कुछ अमेण्डमेंट करने थे और कुछ नये बनाने थे अलग से सेक्शन वाइज एज प्रेस्क्राइब्ड मैनर या एक गिवन डायरेक्शंस बाई दी गवर्नमेंट। इस तरह की कई चीजें थीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह खुशी है कि हमने उस पर इनसे बहुत चर्चा करके उन में कंफिलक्ट नहीं हो, फुल प्रूफ सिस्टम कैसा हो, पहले कहीं फर्जी पट्टे दिये जाते थे उनकी रोकथाम कैसे की जाये, कहीं लीकेज होता था उसकी रोकथाम कैसे की जाये, इनकी ज्यादा से ज्यादा, मैक्जिमम एनर्जी का उपयोग कैसे किया जाय, इन सब चीजों पर विचार-विमर्श करके कई चीजें नयी जोड़ी है, कइयों को हटाया है, कइयों को अमेण्ड किया है और मुझे यह कहते हुए खुशी है सदन में कि सारे नियम बनकर तैयार हो गये हैं लेकिन इनका ड्राफ्ट इंग्लिश में हुआ है क्योंकि लॉ बनाने में माननीय सदस्य जानते हैं हमको कठिनाई होती है। हमने इंग्लिश में ड्राफ्ट किया है, तैयार है। अब केवल इतना काम बचा है कि उनका हम ट्रांसलेशन हिन्दी में कराकर कैबिनेट में ले जाकर उनको जारी कर दें। इतना ही काम है। इंग्लिश में बनकर हमारे पास आज की डेट में तैयार हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हिन्दी हम करते हैं आप दीजिए हमको।

श्री अध्यक्ष : आप हिन्दी की हिन्दी मत करो। आप बिराजिये अब।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आपका सहयोग अवश्य लेंगे। आपकी विद्वता का सहयोग। अध्यक्ष महोदय, विभाग कोशिश कर रहा है इसमें लगातार। इसमें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने का पहले हमको इंतजार था। उन्होंने कुछ रिकमडेशंस की हैं उनको भी इसमें डालना जरूरी था। यह जो हमने अलग-अलग जानकारी की, इनको ले करके, इन सब को सम्मिलित करना जरूरी था इसलिये इसमें डिले हुआ। मैं यह मानता हूं कि डिले हुआ है लेकिन उसके कारण डिले हुआ है और अब बन-कर तैयार है। धन्यवाद।

श्री जगदीप धनखड़ : रूल्स कब तक जारी कर देंगे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : ट्रांसलेशन होते ही जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीनाजी। अब नहीं। नो, नॉट अलाउड। नहीं, दूसरा प्रश्न आने दीजिये अब। मीनाजी अग्र-वाल। यह कृपया समाप्त करें। अब कोई अंकित नहीं हो कोई बोलें तो।

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है बिराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री हरजीराम बुरडक : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मीना जी। बिराजिये आप। आ जाए वो रूल्स देख लेना बाद में।

एक माननीय सदस्य : ×××

पावर लूम प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर

702. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अलवर में पावरलूम प्रशिक्षण केन्द्र हेतु कोई भवन किराये पर लिया हुआ है ? यदि हां, तो कितने रुपये मासिक पर ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में भवन किराये पर लेने के लिए किराये का निर्धारण कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त भवन एवं वर्तमान भवन के मासिक किराये में कितना अन्तर है ? यदि वर्तमान भवन का अधिक किराया है तो इसके क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान भवन के विरुद्ध किसी ने कोर्ट से स्टे आर्डर लिया हुआ

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

है ? यदि हां, तो क्या यहां प्रशिक्षण केन्द्र चलाना उचित है ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) जी, हां। भवन 7000 रुपये मासिक किराये पर है।

(2) जी, हां। पूर्व भवन का किराया 5700 रुपये प्रतिमाह था व वर्तमान भवन 7000 रुपये प्रतिमाह अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराये में जो भी कम हो, की शर्त पर लिया गया है। पूर्व एवं वर्तमान भवन के किराये में अधिकतम 1300 रुपये मासिक का अन्तर है। पूर्व भवन का क्षेत्रफल 2127 वर्ग फीट था तथा वर्तमान भवन का क्षेत्रफल 3414 वर्ग फीट है, इस प्रकार वर्तमान भवन का क्षेत्रफल 1287 वर्गफीट ज्यादा है।

(3) निद्वा द्वारा उक्त भवन में दिनांक 18-10-95 से कार्य शुरू कर दिया गया था जबकि माननीय सिविल न्यायाधीश अलवर ने दिनांक 14-11-95 को यथा-स्थिति के आदेश दिये थे।

(4) इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो भवन में जमीन इन्होंने ज्यादा ली, पहले जमीन इनकी 2127 फीट थी, अब 3414 फीट है, अन्तर 1287 फीट का है। पहले 2127 फीट जमीन से काम चल रहा था तो आज जमीन ज्यादा लेने का क्या कारण था ? दूसरा इसमें प्रश्न यह है कि 5,700 रुपये में पहले भवन लिया था, अब 7000 रुपये में भवन लिया है और इसका पी. डब्ल्यू. डी. से असेसमेंट भी नहीं कराया गया है जबकि हमारे यहां कानून है कि कोई भी भवन लिया जायेगा सरकार द्वारा तो पहले असेसमेंट करवाएंगे किराये की बिल्डिंग की देखभाल के लिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। पहले पौने तीन रुपये का एक फीट था और अब एक रुपये का एक फीट एक्स्ट्रा लिया है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : इन्होंने असेसमेंट नहीं कराया। मेरा प्रश्न यह है कि यह 1300 रुपये हर महीने सरकार को नुकसान हो रहा है असेसमेंट नहीं कराने के कारण। पहले कम जमीन में काम चल रहा था अब ज्यादा ली गयी है। दूसरा प्रश्न मेरा एक और है, इन्होंने जवाब दिया कि 18-10-95 को कार्य शुरू कर दिया गया है, यह तारीख गलत है। मेरे पास अदालत में जो ओथ कमिश्नर है उसका 14-11-95 का नोट है। इन्होंने 14-11-95 में लिखा हुआ है कि इनकी मशीन पैक की हुई लकड़ी की पेटी में पड़ी हुई है, एंगल वगैरह पड़ी हुई है।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

रजिस्टर मांगा छात्रावास का तो छात्रों का रजिस्टर उनके यहां नहीं था। काम किस तरह चालू हुआ यह मेरी समझ में नहीं आया। काम इसमें चालू नहीं है। इन्होंने लिखा है कि 14-11-95 को स्टे मिल गया जबकि स्टे 9-11-95 को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट बिलकुल गलत दे रहे हैं। मैं आपसे यह मांग करना चाहती हूं और मंत्री जी से निवेदन करना भी चाहती हूं कि इसकी पूरी अच्छी तरह जांच करायें और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्यवाही करें।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अलवर में और बिल्डिंग नहीं है क्या? यही एक बिल्डिंग है बार-बार घुमा फिराकर वहीं आस-पास क्षेत्र में ही एक दीवार से भिड़ी हुई बिल्डिंग ली जाती है? इस बात की निश्चित जांच करवाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, There is no question of any ambiguity. यह कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट का है क्या?

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम सवाल है कि जब स्टे 9-11-95 को मिल गया तो 27-11-96 तक यह प्रशिक्षण कैसे दिया गया? यह इस साल की रिपोर्ट है उद्योग विभाग की, इसमें देखिये, इन्होंने....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये न, यह तो छोटा-सा प्रश्न है इसमें क्यों समय जाया करना चाह रही हैं आप?

श्रीमती मीना अग्रवाल : सरकार ने अदालत को धोखा दिया है। अदालत का स्टे नहीं माना इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अब सुन ली आपकी बात। बिराजिये आप। There is no ambiguity.

श्रीमती मीना अग्रवाल : यह अदालत को भी धोखा दे रहे हैं अधिकारी लोग और आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, सरकार को भी धोखा दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं इस बात पर सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। इसमें कोई प्रश्न नहीं है ऐसा पूछने जैसा। आप कृपया समय खराब नहीं करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही बात कहनी है....

श्री अध्यक्ष : नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ....माननीय सदस्या ने जो-जो सवाल उठाए है उनकी जांच कराने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो कहती हैं कि कोर्ट का फैसला बाद का है और पहले का है तो जांच कराने में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आपने देखा नहीं कुछ भी। आप बिराजें। मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14-11-95 की जो

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कमिश्नर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक स्कूल नहीं चल रहा है तब आपका यह कहना कि 27-11-95 से स्कूल में स्टूडेन्ट्स कर थे और ट्रेनिंग ले रहे थे, गलत है। इसके अलावा मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह प्रिमाइसेज 5700/— पर अवेलेबल थी और इसमें रेन्टेड प्रिमाइसेज में कोई डेमेजेज नहीं हुआ था तो फिर 1300 रुपये ज्यादा देने का क्या औचित्य था ?

श्री अध्यक्ष : आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई इन्टरनेशनल प्रश्न है। माननीय बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : डाकुमेंट है।

श्री अध्यक्ष : क्या डाकूमेंट है ? क्यों समय खराब करते हो ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिला सदस्य ने कोई बात उठायी है उसकी जांच होनी चाहिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : नहीं तो इस तरह भ्रष्टाचारी बन्द नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारी बन्द नहीं होगी आप इसकी निष्पक्ष जांच करायें। मैंने मन्त्री जी को पहले भी कहा है और आज फिर मैं निवेदन करना चाहती हूं सदन में।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मन्त्रीजी की बात तो सुन लो पहले। बिराजिये आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, निट्रा के आदेशों पर जो पहले मकान 5,700 रुपये में लिया था वो किसी कुलभूषण अग्रवाल का था उस मकान के दूसरे हिस्से में समाज कल्याण बोर्ड की स्कूल चल रहा था वह मकान गिर गया, कुछ बच्चे मर गये और उस मकान के ठोसपन में शंका पैदा हो गयी। जब उधर का मकान गिर गया तो इधर का मकान भी गिरने की सम्भावना पैदा हो गयी। इसलिए जो 5,700 में लिया था उस आदेश को रद्द कर दिया गया कि वह मकान सेफ नहीं है और इसलिए दूसरे मकान की विज्ञप्ति जारी की गयी। दूसरा मकान हमें जो मिला है धर्मपाल अग्रवाल का, उसका किराया वगैरह मैंने बता दिया। क्योंकि वह मकान सेफ नहीं था इसलिए दूसरा मकान लेना लाजिमी था।

जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है यह ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी निट्रा के मार्फत होती है। यह उन्हीं का लिखा हुआ है कि इसमें नीचे के अफसरों का कोई लेन देन नहीं है। ट्रेनिंग वो ही चलाते हैं वहां और कोई चलाने वाले नहीं हैं। उन्होंने 18-10-95 को ट्रेनिंग शुरू कर दी और स्टे आर्डर, यथास्थिति का जो आदेश है जैसा आप बता रहे हैं कि वह 9.11 का है तो वह बाद का आदेश है। तो उस समय भी आदेश में यथास्थिति रखो। 18-10-95 को जो ट्रेनिंग चल रही थी, यथास्थिति के मुताबिक वह चल रही है।

जहां तक इसके किराये का प्रश्न है इस किराये की पर्सेंटेज यह है कि नये भवन का क्षेत्रफल तो है 60.5 प्रतिशत ज्यादा और किराया है केवल 22.8 प्रतिशत। वह भी हमने कम ही लिया है उसमें। ज्यादा नहीं है

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर इसका पी डब्ल्यू. डी. सर्वे करके जो तय कर देगी। सात हजार और पी. डब्ल्यू. डी. जो तय करती है उसमें जो भी कम होगा वह किराया लिया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब माननीय सदस्या को शायद इसलिए आपत्ति है कि वह मकान शायद उन्हीं का था जो हमने नहीं लिया था, जो गिर गया था बाकी इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री जुबेर खान जी

श्रीमती मीना अग्रवाल : जो इन्होंने आरोप लगाया है.... (व्यवधान) जवाब तो दूंगी। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। नही, मैं नही बैठूंगी। जवाब दूंगी इस बात का.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी): जिसमें माननीय सदस्य की खुद की रुचि हो, सदन के प्रांगण में ऐसे प्रश्न नहीं लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आरोप लगाया है कि वह भवन गिरा है और जो पहले लिया है उससे कम से कम डेढ़ सौ फीट की दूरी पर है आज जो लिया है वह भी मेरा ही भवन है, मेरे देवर का है, उसी बिल्डिंग से मिला हुआ है। क्या अलवर में कोई दूसरा भवन नहीं है जो उसी भवन को लिया? वह भवन भी गिर सकता है और बच्चे मर सकते हैं। ऐसे भवन को फिर से लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : पहले जो भवन लिया है उससे डेढ़ सौ फीट की दूरी पर है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सदन देवर-भाभी के झगड़ें में नहीं उलझने वाला है (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : क्या मजबूरी है? अधिकारी को बचा रहे हैं हमारे मंत्री जी। माननीय मंत्रीजी अधिकारी को बचा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाभी करे अपील और देवर बने वकील। इसमें हमारा झगड़ा नहीं है। बिराजें आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : नहीं, आप इस बात को देखिये कि उन्होंने यह आरोप लगाया ....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : गुलाबसिंह शक्तावत।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भाभी का तो रिफ्यूज कर दिया और देवर का ले लिया किराये पर।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे को जवाब दिलवाइये। 200 फीट की दूरी पर भवन गिरा है।

श्री अध्यक्ष : हां, दे दिया, जवाब दे दिया। अब आप संतुष्ट नहीं हो सारा सदन संतुष्ट है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मेरे को जवाब दिलवाइये मन्त्रीजी से ।

श्री अध्यक्ष : संतुष्ट है, सारा सदन । बिराजें आप ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : गलत रिपोर्ट आई है उनके पास ।

श्री अध्यक्ष : मैंने नेक्स्ट प्रश्न बोल लिया है । मीना जी का कोई अंकित नहीं हो ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : हां, दिलवा दिया, बिराजें आप । समाप्त, चलिये आप ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : अब आप समय जाया नहीं करें माननीय । कृपा करके बिराजें ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, दूसरे प्रश्न लेने दें आप ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : दे दिया जवाब । आप सतुष्ट नहीं हो । यह जरुरी नहीं है कि आप संतुष्ट हों । सारा सदन संतुष्ट है । बैठ जाइये आप ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप । नया प्रश्न आ गया । बिराजें आप । कोई अंकित नहीं हो । देवर भाभी के झगडे यहां नहीं हैं । श्री जुबेर खान ।

प्रश्न संख्या 703

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत ।

भिण्डर एवं कानोड़ (उदयपुर) की जलप्रदाय योजना

704. **श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (बल्लभनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भिण्डर एवं कानोड़ नगरपालिका क्षेत्र की जलप्रदाय योजना कब प्रारम्भ हुई ? क्या उस वर्ष इन क्षेत्रों की जनसंख्या को आधार मानकर मुख्य सड़कों एवं गलियों में पाइप लाइन बिछाई गयी थी ?

(2) क्या सरकार इन क्षेत्रों में वर्ष 1995-96 में बढ़ती जनसंख्या, नई बस्तियों का निर्माण एवं कस्बों में सम्मिलित मजदूरों की आबादी को ध्यान में रखते हुए जल वितरण व्यवस्था पुरानी लाइनों से कराने को पर्याप्त मानती है ?

(3) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र की बस्तियों में समुचित जल वितरण व्यवस्था हेतु पाइप लाइन बदलने एवं नई पाइप लाइन

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हेतु फिल्टर प्लांट नहीं है जिससे जनता को अशुद्ध पानी मिलता है ? क्षेत्र की जनता को पीने का शुद्ध जल मुहैया कराने हेतु वहां पर फिल्टर प्लांट कब तक लगा दिया जाऐगा ?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) संदर्भित नगरपालिका क्षेत्रों की जलप्रदाय योजनाएं वर्ष 1963-64 में प्रारम्भ हुई थीं तथा इन क्षेत्रों की जनसंख्या को आधार मानकर मुख्य सड़कों एवं गलियों में पाइप लाइनें बिछाई गयी थीं ।

(2) जी, नहीं । वर्तमान जनसंख्या हेतु प्रदाय की जा रही मात्रा अपर्याप्त है ।

(3) जी, हां । इन दोनों नगरपालिका क्षेत्रों में समुचित पेयजल वितरण व्यवस्था हेतु पाइप लाइनें बदलने, नई पाइप लाइनें डालने एवं स्रोत संवर्धन हेतु प्रावधान पुनर्गठित योजनाओं के प्रस्तावों में सम्मिलित किये गये हैं, जिन्हें धन उपलब्धतानुसार क्रियान्वित करना प्रस्तावित है ।

(4) भिण्डर में वर्तमान में प्रेशर फिल्टर के माध्यम से पेयजल वितरित किया जा रहा है परन्तु कानोड़ में फिल्टर प्लांट स्थापित नहीं है । पुनर्गठित योजना में फिल्टर प्लांट का प्रावधान लिया गया है, जिसकी स्थापना का कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रश्न के भाग तीन में आपने कहा है कि पुनर्गठित योजना में इसको सम्मिलित तो किया गया है लेकिन धन उपलब्धतानुसार क्रियान्वित करना प्रस्तावित है । माननीय मंत्री जी, वर्ष 1996-97 के बजट में जिन 35 कस्बों में पुनर्गठित योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित है और उसमें धन का भी प्रावधान है, उस योजना में इन दोनों कस्बों को सम्मिलित किया गया है फिर यह धन की उपलब्धता का प्रश्न कहां से पैदा हो गया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, आप क्या चाहते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसी वर्ष से शुरू कीजिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर देते हैं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दोनों योजनाओं का काम इसी वर्ष से शुरू कीजिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर देते हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कर देते हैं, मिठाई भिजवा दीजिए ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब 1996-97 में बजट प्रोविजन आलरेडी है.......

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनिये, आप एक मिनट ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तो धन की उपलब्धता का प्रश्न नहीं आना चाहिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट सुन लें आप।

श्री अध्यक्ष : आपका तो इसी सत्र में होना चाहिए।

श्री हरिशंकर भामड़ा : बजट तो पास होने दो आज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बजट तो आज पास हो जाएगा। बजट में कहां दिक्कत हो रही है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं निवेदन करता हूं। वैसे तो यह योजना आपके कार्यकाल में ही बनी हुई है सन् 1964-65 की।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस वक्त तो पापूलेशन कम थी, अब पापूलेशन बढ़ गयी। म्यूनिसिपैलिटी की सीमा बढ़ गयी, जल स्रोत सूख गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह आपत्ति थोड़े ही कर रहा हूं। मैं तो बल्कि आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आप योजना तो लाए। यह पहले थी ही नहीं। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। जनसंख्या की वृद्धि की बात भी आपने की है, इसको भी मानता हूं कि वृद्धि ज्यादा है। इसलिए मैंने यह कहा कि योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु पुनर्गठित योजना की पुरानी रकम ब्याज की, पाइप लाइन को बदलने, पाइप लाइन विस्तार, नवीन नलकूपों का निर्माण, पुराने पम्पसैटों को बदलने एवं फिल्टर प्लांट के निर्माण का प्रावधान लिया है जिसका क्रियान्वयन इसी वर्ष प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह नहीं लिखा आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड और देखिए। यह तो मेरा स्टेटमेंट है, लिखा नहीं है इसमें। अलग से बोल रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 23-4-96 द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए 60 लाख का प्रावधान कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : धन्यवाद उसके लिए तो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी ठहरिये। यह तो भिण्डर के लिए। कानोड़ के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका विशेष ख्याल रखा जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी तरह जैसे 60 लाख का भिण्डर के लिए है, कानोड़ के लिए 45 लाख का प्रावधान किया हुआ है और यह काम चालू कर देंगे इस वर्ष में आपका।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसमें एक ही दिक्कत है।

Page No. 28

(28)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब तो मिठाई खिला दीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मिठाई खिलाऊंगा न। आपको बुला कर के इसका शुभारम्भ भी करवा दूंगा। ऐसी क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : आज ही हो जाना चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ये इतना बड़ा काम करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भिण्डर में सबसे ज्यादा दिक्कत है जल-स्त्रोत की, इसलिए सबसे पहले जल स्त्रोत का पता लगाना चाहिए और उसकी व्यवस्था सबसे पहले की जानी चाहिए। आज भी जो मात्रा निर्धारित है उस मात्रा के आधार पर कस्बे में पानी वितरित नहीं किया जा रहा है इसलिए जल स्त्रोत ढूंढा जाए। पास में एनीकट फेमिन के बने हुए हैं उनका सर्वेक्षण कराया जाए और उनसे पानी लाने का प्रयास किया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपको जानकारी है कि आपके यहां एनीकट बने हुए हैं। नगर में दो एनीकट अलग-अलग हैं। तो सिंचाई विभाग से भी हमने पूछा, एक एनीकट की क्षमता तो बढ़ाने के लिए अनुमति दे दी, एक जो भिण्डर का है, शायद भिण्डर का ही है, इसकी अनुमति नहीं दे पाए। वह कहते हैं कि संभव नहीं है

(12.00)

और आपने यह स्वीकार किया है कि उसकी भराव क्षमता नहीं बढ़ सकती है। आप क्योंकि वहां बिराजते हैं तो सुझाव दें कि पानी की उपलब्धता कहां से की जा सकती है। आपके सुझाव के अनुसार अगर पानी उपलब्ध है तो निश्चित रूप से वहां से ले आयेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भिण्डर के पास और एनीकट बने हुए हैं उनका सर्वेक्षण कराया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा : करा लेते हैं। मैं आज्ञा दे दूंगा अधिकारियों को, आप जरा बता दीजिए उन्हें।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, नैक्स्ट मेरा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक सवाल तो पूछ लेता इस मामले में।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, यह तो भिण्डर-कानोड़ की बात है।

श्री रतनलाल ताम्बी : भिण्डर-कानोड़ के सवाल के सन्दर्भ में है।

श्री अध्यक्ष : मात्र उदयपुर जिला है अभी तक तो, भीलवाड़ा बहुत दूर है। चित्तौड़ बीच में आता है। बिराजें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : भिण्डर भीलवाड़ा एक ही राशि के हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

तिजारा (अलवर) की मस्जिदें

703. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा (अलवर) के कस्बा तिजारा में वक्फ बोर्ड की मस्जिदें स्थित हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि मस्जिद पुरानी तहसील वाली कस्बा तिजारा की मरम्मत के लिये वक्फ बोर्ड कार्यालय, जयपुर द्वारा कुछ राशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी एवं कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मस्जिद में वक्फ बोर्ड द्वारा किसी इमाम को भी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो किसे ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मस्जिद के स्वरूप एवं राजस्व रिकार्ड को लेकर कोई विवाद नहीं है ? यदि हां, तो उपरोक्त मस्जिद के वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त इमाम द्वारा नमाज क्यों अदा नहीं कराई जाती है ?

(5) क्या सरकार अथवा जिला प्रशासन को उपरोक्त मस्जिद में नमाज अदा करने पर कोई आपत्ति है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) वक्फ विभाग द्वारा उपरोक्त आपत्ति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां । सूची संलग्न है ।

(2) जी, नहीं । केवल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद पुरानी तहसील वाली (कस्बा) तिजारा की मरम्मत के लिए श्री ईसा रहीस जी, सदर वक्फ कमेटी तिजारा को दिनांक 26-4-95 को इजाजत दी थी ।

(3) जी, हां । कस्बा तिजारा में तहसील वाली मस्जिद में श्री मोहम्मद उमर को पेशइमाम आरजी तौर पर वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है ।

(4) तहसील तिजारा ने कस्बा तिजारा के वार्ड नम्बर 19, मोहल्ला काजीवाड़ा में यह भवन पुरानी कचहरी के नाम से स्थित है । पुराना रिकार्ड बही खालसा में सम्पूर्ण भवन "पुरानी कचहरी" के नाम से दर्ज है । इस बही में कथित मस्जिद का कोई अलग से अंकन नहीं है । मस्जिद के स्वरूप एवं दिशा के बारे में एवं राजस्व रेकार्ड को लेकर स्थिति स्पष्ट है । गत वर्ष जुलाई, 95 से नवम्बर, 95 के मध्य इस स्थान पर नमाज अदा करने के प्रयासों के कारण दो पक्षों में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा इस स्थान पर यथास्थिति कायम की हुई है । सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये सर्वसम्मत समाधान के प्रयास जारी है ।

(राज्य मंत्री, वक्फ)

(5) जी, हां। उत्तर क्रमांक 4 के अनुसार है।

(6) वक्फ विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई किन्तु वक्फ बोर्ड से प्राप्त सूचना के सन्दर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, वक्फ, अलवर के अनुसार एक शिष्ट मण्डल ने डा. अनीस के नेतृत्व में जिला कलक्टर, अलवर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार तिजारा से मिलकर इस संबंध में आपत्ति की है। उत्तर क्रमांक 4 के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में प्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

659. **श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में सरकार ने प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश हेतु प्रवासी भारतीय व व्यापारिक घरानों को आमन्त्रित कर किस-किस उद्योग में कितनी-कितनी विदेशी पूंजी का निवेश करवाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों एवं व्यापारिक घरानों को पूंजी निवेश हेतु आमंत्रित नहीं किया जाता है अपितु स्वागत किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर अप्रवासी भारतीय व्यापारिक घरानों द्वारा वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में प्रदेश में उद्योग वार विदेशी पूंजी निवेश सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट—"क" सदन की मेज पर रख दिया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामों की अधिग्रहित कृषि भूमि

660. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम पनियाला, मोरधा, मलपुरा, केशवाना गुर्जर, गोनेड़ा, खेड़की मुक्कड़ कालूहेड़ा की उपजाऊ कृषि भूमि एवं सिंचित भूमि रीको को दी गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में काफी बजड़ एवं कम उपजाऊ भूमि पड़ी है ? यदि हां, तो क्या उनके बदले सिंचित एवं उपजाऊ जमीन को परिवर्तित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा रीको को

(उद्योग मंत्री)

ग्राम मलपुरा की 11.53 हैक्टेयर निजी खातेदारी बारानी किस्म की भूमि तथा ग्राम केशवाना गुर्जर की 178.42 हैक्टेयर राजकीय भूमि नियमानुसार मुग्रावजे एवं प्रीमियम राशि का नकद भुगतान किये जाने पर दी गई है।

ग्राम पनियावाला की 42.53 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि जिसमें 3.23 हैक्टेयर सिंचित भूमि है, ग्राम मोरधा की 4.18 हैक्टेयर बारानी भूमि तथा ग्राम केशवाना गूर्जर की 33.31 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि जिसमें 2.87 हैक्टेयर सिंचित भूमि है, रीको द्वारा अवाप्ति हेतु प्रस्तावित की जा रही हैं।

शेष ग्रामों की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है और न ही वर्तमान में विचाराधीन हैं। गांवों के पृथक-पृथक विवरण की सूची "क, ख, ग, घ, ङ, च" सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी, नहीं। ग्राम केशवाना गूर्जर एवं मलपुरा की सिवाय चक बंजड़ जमीने ही अवाप्त/आबंटित की गई है। ग्राम पनियावाला, मोरधा एवं केशवाना गूर्जर की अवाप्ति हेतु रीको द्वारा प्रस्तावित 80.02 हैक्टेयर भूमि में मात्र 6.1 हैक्टेयर सिंचित भूमि हैं जिसको अवाप्ति-अधीन भूमि के मध्य में स्थित होने से परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर की रोजगार प्रशिक्षण समितियां

661. **श्रीमती मोना अग्रवाल** (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में वर्ष 1995-96 में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था एवं कितने प्रार्थियों को प्रशिक्षण किन-किन संस्थाओं द्वारा दिलाया गया ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु किन-किन संस्थाओं ने आवेदन किया था एवं किन-किन का चयन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का चयन किसके द्वारा किया गया ? चयन समिति की राय व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर द्वारा जिला मुख्यालय पर कौन-कौन सी समितियां गठित की हुई हैं, उनके सदस्यों का चयन किस आधार पर किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या गठित की जानेवाली समिति की प्रशिक्षण आदि की सूचना गत दो साल में समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई ? यदि हां, तो प्रकाशित सूचना समाचार पत्र के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्ष 1995-96 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराने हेतु शिक्षित बेरोजगार युवकों के लक्ष्य निम्नानुसार थे :—

क्र.सं.	नाम कार्यालय	लक्ष्य सं.
1.	जिला उद्योग केन्द्र, अलवर	450
2.	जिला उद्योग केन्द्र, भिवाडी (अलवर)	95

उपरोक्त लक्ष्य के विरुद्ध जिला उद्योग केन्द्र, अलवर द्वारा 422 युवाओं को एवं जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी द्वारा 80 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया। इन युवाओं को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की सूचना निम्नानुसार है :-

जिला उद्योग केन्द्र, अलवर

क्र.सं.	नाम संस्था	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
1.	नेहरू युवा केन्द्र, अलवर	144
2.	राजकोन, अलवर	91
3.	माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि, राजगढ़	86
4.	इण्डियन-इण्स्टियूट फोर रूरल डवलपमेंट, जयपुर	101

जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी (अलवर)

1.	मै. तकनीकी एवं प्रबन्ध संस्थान विजयनगर, अलवर	80

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निम्न संस्थाओं ने आवेदन किया था :—

जिला उद्योग केन्द्र, अलवर

1. नेहरू युवा केन्द्र, अलवर,
2. राजकोन, अलवर
3. माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधि राजगढ़
4. इंडियन इन्स्टीट्यूट फोर रूरल डवलपमेंट जयपुर

जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी (अलवर)

5. मै. तकनिकी एवं प्रबन्ध संस्थान, विजय नगर, अलवर

उपरोक्त पांचों ही संस्थाओं का चयन किया गया।

(3) प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का अनुमोदन जिला स्तरीय स्थायी समिति द्वारा किया गया। समिति के निम्न सदस्य है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, अलवर अध्यक्ष
2. अति. कलक्टर (विकास) अलवर सदस्य
3. अग्रणी बैंक अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, अलवर सदस्य

(उद्योग मंत्री)

4. समाज कल्याण अधिकारी, अलवर — सदस्य

5. सहायक निदेशक, रोजगार, अलवर — सदस्य

6. अलवर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड. के प्रतिनिधि — सदस्य

7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अलवर — सदस्य सचिव

प्रशिक्षण कार्य की अधिकता एवं आवेदक संस्थाओं के पूर्व के अनुभव को देखते हुए उपरोक्त चारों संस्थाओं का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी (अलवर)

प्रशिक्षण हेतु संस्था का चयन निदेशालय उद्योग विभाग, राज जयपुर के अनुमोदन के पश्चात् किया गया।

(4) जी, नहीं। अलवर जिला मुख्यालय पर इस नाम का कोई केन्द्र कार्यरत नहीं है। यह अवश्य है कि उद्योग विभाग द्वारा सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र खोले गये हैं तथा निदेशालय एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये समितियां गठित की गई है परन्तु स्वयं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कोई स्थायी समिति गठित नहीं की गई है।

(5) समितियों के गठन एवं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना आमतौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जाती है।

औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि

662. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में अलवर जिले के कौन-कौन से गांवों की जमीनों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु रीको, अन्य कम्पनियों व संस्थाओं ने अवाप्त या खरीदा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि के मुआवजे की दर, कीमत या रिवार्ड की राशि कितनी तय की गई? उसके निर्धारण के आधार क्या रहे और अब तक कितने लोगों को कितनी राशि वितरित की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस समय रीको द्वारा किन-किन गांवों की जमीन अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है? क्या इसके लिए निर्वाचित ग्राम पंचायतों से पूर्वानुमति ली गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में अलवर जिले के जिन गांवों की जमीनों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवाप्त किया गया है उन गांवों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(उद्योग मंत्री)

(2) उक्त भूमि में से अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे की दर, मुआवजे की राशि एवं जितने लोगों को राशि वितरित की गई है उनकी संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में उल्लेख कर दिया गया है। मुआवजे की राशि का निर्धारण संबंधित तहसील/जिले की पंजीयन दर तथा आपसी समझौता वार्ता के आधार पर तय की जाती है।

(3) रीको द्वारा जिन गांवों की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है उनका विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है। भूमि की अवाप्ति के लिए ग्राम पंचायतों की पूर्वानुमति लिये जाने का भूमि अर्जन अधिनियम में प्रावधान नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर निगम कोटा द्वारा सामान की खरीद प्रकरण

663. **श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक कोटा नगर निगम में कपिल एन्टरप्राइजेज द्वारा किस-किस प्रकार का कितना-कितना सामान कितनी-कितनी राशि का सप्लाई किया गया तथा कितनी-कितनी राशि का इसे भुगतान किया गया ?

(2) क्या उक्त फर्म इस अवधि में बिक्री कर विभाग से पंजीकृत थी ?

(3) क्या यह सही है कि जनवरी, 1996 में भी इसी फर्म द्वारा निगम में सामान सप्लाई किया गया था ? यदि हां, तो किस किस्म का और क्या सप्लाई किये गये सामान का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किये गये सामान में अनियमितताएं पाये जाने पर प्रशासन द्वारा एक समिति का गठन कर जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जांच रिपोर्ट में किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मैसर्स कपिल एण्टरप्राइजेज कोटा के द्वारा वर्ष 1993-94 एवं वर्ष 1995-96 में कोई माल सप्लाई नहीं किया गया था। वर्ष 1994-95 में 1,79,623.00 रुपये का निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सामान जैसे रेत, चूना, पट्टी व ईंटे आदि सप्लाई किया गया व इस राशि का भुगतान कर दिया गया।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) जी, हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी, हां। दोषी माना जाने पर नगर निगम के श्री घनश्याम मुन्शी को निलंबित कर दिया गया है। जांच पुलिस विभाग द्वारा तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा भी की जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका लाडनूं का कार्यालय भवन निर्माण प्रकरण

664. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका लाडनूं ने अपना कार्यालय भवन कब बनाया तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) इस भवन का तख्मीना किस अधिकारी ने कब बनाया तथा इसको तकनीकी स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा कब दी गयी ? तकनिकी स्वीकृति की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) इस भवन निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति किसके द्वारा कब दी गई ? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भवन पर खर्च की गई राशि कहां से किस प्रकार प्राप्त हुई तथा बजट में क्या प्रावधान, कब किया गया ? यदि इसमें जन सहयोग प्राप्त हुआ तो किस-किस के द्वारा कितना-कितना तथा वह बोर्ड में कब-कब जमा हुआ ?

(5) भवन बनने के बाद किस अधिकारी ने यह प्रमाणित किया कि यह भवन तखमीना के अनुसार बना है ? उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दानदाताओं द्वारा निर्मित भवन दिनांक 24-10-93 को नगरपालिका को संभलाया गया। नगरपालिका द्वारा इस पर कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(2) जी, नहीं। भवन दान स्वरूप मिला है।

(3) जी, नहीं। भवन दान स्वरूप मिला है।

(4) लाडनूं नागरिक परिषद, कलकत्ता के आर्थिक सौजन्य से भवन निर्माण हुआ है। नगरपालिका कोष में कोई राशि जमा नहीं हुई।

(5) भवन दानस्वरूव पूर्ण बनवाकर दिया गया है। नगरपालिका के किसी अधिकारी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है।

नगरपालिका राजसमन्द की चुंगी से आय

665. **श्री शान्तिलाल खोईवाल (राजसमन्द)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह

(श्री शान्तिलाल खोईवाल)

बताने की कृपा करेंगे :—

नगरपालिका राजसमन्द को वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक प्रत्येक वर्ष चुंगी के रूप में कितनी आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका, राजसमन्द को वर्ष 1993-94 में चुंगी से 5587908.55 1994-95 में रुपये 68,74,709.25 एवं वर्ष 1995-96 में 81,79,356.20 रुपये आय प्राप्त हुई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सुशीलपुरा (जयपुर) बस्ती में सड़क निर्माण

666. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा बस्ती, अजमेर रोड, जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बस्ती में सड़क नहीं बनी हुई है एवं रोड लाइटें अक्सर खराब रहती हैं ? यदि हां, तो अब नगर निगम द्वारा उक्त सड़क कब तक बना दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सुशीलपुरा बस्ती जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम, जयपुर को दिनांक 18-6-96 को हस्तान्तरित की हैं।

(2) उपरोक्त बस्ती में सड़क का सर्वे किया जा रहा है। टेण्डर आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। रोड लाइट खराब नहीं रहती हैं। जैसे ही शिकायत प्राप्त होती हैं उसे साधन एवं कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर ठीक करवा दिया जाता है।

जयपुर के श्मशानों/कब्रिस्तानों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

667. श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर निगम जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में श्मशानों/कब्रिस्तानों की मरम्मत एवं देख-रेख हेतु बजट का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) गत तीन वर्षों में उपरोक्त कार्यों के तहत कितना-कितना व्यय किया गया ? क्या निर्धारित मद को बढ़ाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कितना एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। वित्तीय बजट वर्ष 1996-97 में कब्रिस्तानों/श्मशानों की मरम्मत एवं देख रेख हेतु नगर निगम, जयपुर में एक करोड़ रुपये का तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में बीस लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

गत तीन वर्षों में उपरोक्त कार्यों हेतु निम्नांकित राशि व्यय की गई है

वर्ष	नगर निगम, जयपुर	जयपुर विकास प्राधिकरण
1993-94	34.76 लाख रुपये	9.35 लाख रुपये
1994-95	22.68 लाख रुपये	5.03 लाख रुपये
1995-96	17.43 लाख रुपये	14.96 लाख रुपये

उपरोक्त राशि में इस वर्ष बढ़ोतरी की जाकर नगर निगम द्वारा एक करोड़ एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बीस लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

(2) जी, हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय बजट वर्ष 1996-97 में कब्रिस्तानों/श्मशानों की मरम्मत तथा विकास हेतु 20 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम द्वारा वर्ष 1996-97 में इस कार्य हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(I) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्मशानों/कब्रिस्तानों के विकास पर गत तीन वर्षों में निम्नांकित राशि व्यय की गई है :–

वर्ष	व्यय की राशि (लाखों में)
1993-94	रु. 9.35
1994-95	रु. 5.03
1995-96	रु. 14.96
	कुल रु. 29.34 लाख

(II) नगर निगम द्वारा श्मशानों/कब्रिस्तानों के विकास हेतु गत तीन वर्षों में निम्नांकित राशि व्यय की गई :–

वर्ष	व्यय की गई राशि
1993-94	34.76 लाख
1994-95	22.68 ,,
1995-96	17.43 ,,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्ष 1996-97 में प्रावधान बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

जयपुर नगर निगम के वार्ड नं 19 में सफाई व्यवस्था

668. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खंडार): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वार्ड नं. 19, जयपुर की सफाई हेतु नगर निगम द्वारा कितने सफाई कर्मी नियुक्त किये गये हैं और ये सफाई कर्मी किस अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वार्ड के प्लाट नं. 350,351 व 352 (पुराने प्लाट नं. 166, 167 व 168 जनकपुरी-II) के सामने पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इस समस्या के निराकरण हेतु नगर निगम क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में पशुपालक पशुओं का गोबर अपनी छतों पर सुखाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित एवं दुर्गन्धमय रहता है ? यदि हां, तो क्या यह नियम संगत है ? यदि नहीं, तो इन्हें रोकने हेतु नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? क्या नगर निगम गीले गोबर के निस्तारण की पालिसी बनाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वार्ड नं. 19 जयपुर की सफाई हेतु नगर निगम द्वारा क्षेत्रीय आयुक्त के अधीन 21 पुरुष एवं 14 महिलाएं सफाई कर्मचारी तथा ठेकेदार के 20 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) वार्ड नं. 19 के भूखण्ड सं. 350, 351 व 352 पुराने प्लाट नं. 166, 167, व 168 जनकपुरी–II के सामने पानी के निकास हेतु नाली का निर्माण पर्याप्त विकास शुल्क जमा होने पर कराना सम्भव होगा क्योंकि यह सहकारी समितियों की योजना में आता है।

(3) पशुपालक अपनी छतों पर पशुओं का गोबर सुखाते हैं तो नगर निगम वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। जहां तक गीले गोबर के निस्तारण की पालिसी का प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जयपुर नगर निगम के वार्ड नं. 52 के अपूर्ण कार्य

669. **श्री रामरिछपाल नुवाल** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 52 में पुराने रामगढ़ रोड़ के अन्दर की आनन्द कालोनी, कृष्णा कालोनी, श्री गणेश कालोनी, प्रताप

Page No. 39

(39)

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

कालोनी आदि में पिछले 8 माह से नाली व सड़क का विकास कार्य चल रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन विकास कार्यों में सभी जगह कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं, जिसके कारण बरसात के मौसम में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) सरकार अब कब तक इन कालोनियों में विकास कार्यों को पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह सही है कि कालोनी के कार्य पूरे नहीं हुए हैं। कार्य अभी प्रगति पर हैं। सभी कालोनियां पूर्व में कच्ची थी। घरों का पानी सड़कों के बीच से बहता है। इससे कुछ कठिनाई अवश्य होती हैं लेकिन जहां सड़क व नाली बन गई हैं, वहां स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। डामरीकरण का कार्य बाकी है।

(3) कालोनियों का कार्य प्रगति पर है, जो लगभग दो वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

कोटा शहर की कच्ची बस्तियों का विकास

670. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा शहर में कितनी कच्ची बस्तियां हैं व उनके विकास हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास व उनके सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन बस्तियों में सड़क, जल, विद्युत व पार्क की उचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास कोटा क्षेत्राधिकार में 23 कच्ची बस्तियां हैं जिनका सर्वे 1981 के पूर्व किया गया था। इन कच्ची बस्तियों में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा 12 कच्ची बस्तियों को नियमित एवं 4 कच्ची बस्तियों को अनियमित घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त 7 नई कच्ची बस्तियों का सर्वे नहीं किया गया है ये कच्ची बस्तियां वर्ष 1981 के बाद की बसी हुई हैं।

इन बस्तियों के विकास हेतु न्यास द्वारा वर्ष 95-96 में 6.92 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में कुल 41 नियमित कच्ची बस्तियां हैं इनके विकास पर नगर निगम द्वारा 1,14,19,846 रुपये का व्यये किया गया।

(2) नगर विकास न्यास द्वारा 12

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कच्ची बस्तियों में विकास कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा इन बस्तियों में सौन्दर्यीकरण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) नगर विकास न्यास एवं नगर निगम द्वारा स्वीकृत कच्ची बस्तियों में सड़क, नाली, जल, विद्युत व पार्क आदि की व्यवस्था की जा चुकी है। वर्ष 96-97 में इन कच्ची बस्तियों के विकास हेतु 200.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था

671. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सरकार द्वारा जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों की सफाई के लिए क्या व्यवस्था की हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, रामनगर, हाउसिंग बोर्ड आदि आवासीय कॉलोनीज में सरकार द्वारा सफाई की क्या व्यवस्था की हुई है?

(3) उपरोक्त में से प्रत्येक कॉलोनी के लिए कितने-कितने विभिन्न प्रकार के सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों की सड़कों, नालियों आदि की सफाई और कचरा उठाने का कार्य नियमित रूप से नहीं हो रहा है? यदि हां, तो गत एक वर्ष में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सफाई निरीक्षकों और जमादारों की मिली भगत से इस क्षेत्र के सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर ही नहीं आते हैं? यदि हां, तो गत एक वर्ष में अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की पूर्ण सफाई कराकर नियमित सफाई व्यवस्था करने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारियों को पाबन्द करने अथवा कार्यकुशलता के अभाव में उनका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, रामनगर, हाऊसिंग बोर्ड आदि आवासीय कालोनियों में सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य करवाया जा रहा है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी, नहीं। उपरोक्त कॉलोनियों में सड़कों, नालियों आदि की सफाई नियमित रूप से हो रही है, तथा कचरा उठाने का कार्य भी नियमित रूप से हो रहा है। ज्योंही कोई सूचना/शिकायत सफाई करवाने अथवा कचरा उठवाने के सम्बन्ध में प्राप्त होती है, वहां तुरन्त सफाई करवा दी जाती है। इस सम्बन्ध में अलग से कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया गया है।

(5) जी, नहीं। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अपने भ्रमण के दौरान अनुपस्थित कर्मचारियों की गैरहाजरी लगाई जाती है। अलग से कोई निरीक्षण रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है।

(6) नियमित रूप से सफाई के लिये समय पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है एवं आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण भी किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

शास्त्री नगर (जयपुर) जोन की रोड लाइट्स

672. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जयपुर शहर में रोड लाइट की सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत एक वर्ष में शास्त्री नगर जोन, जयपुर में कब-कब, किस-किस ने उक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई एवं कितने दिनों में उसकी पालना की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की अधिकांश रोड लाइट्स या तो खराब रहती हैं या उन्हें चालू नहीं किया जाता है?

(4) क्या सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि जनता रिपोर्ट करे तभी रोड लाइट्स ठीक की जाय? यदि नहीं, तो रोड लाइट खराब होने या बन्द रहने पर उसे चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस क्षेत्र की अधिकांशतः रोड लाईटें ठीक तरह कार्यरत हैं। तथा समय-समय पर इनको ठीक करने का कार्य किया जाता है।

(स्वायत शासन मंत्री)

(4) जी, हां। खराब रोड लाईटों की जनता से शिकायतें प्राप्त होने पर तथा बन्द लाईटों की जानकारी होने पर रोड लाइटों को समय-समय पर ठीक किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर के सार्वजनिक पार्कों का विकास

673. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बीकानेर नगर विकास न्यास द्वारा पब्लिक पार्क के विकास एवं सौंदर्यकरण पर वर्ष 1989 से 1993 तक किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(नगरीय विकास एवं आवासनीय मंत्री)

उत्तर

नगर विकास न्यास द्वारा पब्लिक पार्क के विकास एवं सौंदर्यकरण पर वर्ष 1989 से 1993 तक राशि जो व्यय की गई है।

वर्ष	सड़क	नाला/नाली	बिजली	पानी	सौंदर्यकरण	योग
1989--90	19549.00	....	....	....	....	19,549.00
1990--91	....	....	....	....	....	....
1991--92	....	....	....	....	1,20,198.00	1,20,198.00
1992--93	....	4,99,077.00	95,100.00	....	3,65,864.00	9,60,041.00
1993--94	1,94,288.00	2,42,880.00	....	1,16,660.00	6,20,004.00	11,73,832.00
कुल योग	2,13,837.00	7,41,957.00	95,100.00	1,16,660.00	11,06,660.00	22,73,620.00

सुभाष कालोनी एवं गूजर बस्ती नाहरी का नाका जयपुर के पुराने बाशिन्दों को पट्टे

674. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सरकार सुभाष कालोनी एवं गूजर बस्ती नाहरी का नाका पूर्व जयपुर क्षेत्र के पुराने बाशिन्दों को पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने जयपुर क्षेत्र की उक्त कच्ची बस्ती के विकास हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1971 या 1981 के स्वीकृत सर्वेधारी व्यक्तियों को जिनका मौके पर वर्तमान में कब्जा है, को नियमानुसार पट्टा दिए जाने की कार्यवाही जारी है।

(2) नाहरी का नाका क्षेत्र की सुभाष कालोनी एक विकसित कालोनी है यहां डामर सड़क एवं नालियों का कार्य प्रगति पर है। यहां की गूजर कच्ची बस्ती एक अविकसित अनियोजित कच्ची बस्ती है। नियोजन की पूर्ण कार्यवाही हो जाने के बाद विकास की कोई योजना बनाई जा सकती है। वर्तमान में कोई योजना नगर निगम स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

उप वास्तुकार व सहायक वास्तुकार के सृजित पद

675. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि नगर नियोजन विभाग में उप वास्तुकार (डिप्टी आर्किटेक्ट) का पद दिनांक 14 मई, 1969 और सहायक वास्तुकार (असिस्टेण्ट आर्किटेक्ट) का पद दिनांक 22 अक्टूबर, 1984 को सृजित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उप वास्तुकार (डिप्टी आर्किटेक्ट) का पद 27 वर्ष पूरे हो जाने के बावजूद और सहायक वास्तुकार (असिस्टेण्ट आर्किटेक्ट) का पद 12 वर्ष पूरे हो जाने के उपरान्त भी नगर नियोजन सेवा नियमों में आज तक सम्मिलत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ये दोनों पद नियमों में सम्मिलित न होने के कारण इन पद धारकों द्वारा इन पदों पर अर्जित अभी तक का अनुभव पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ?

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(4) क्या सरकार 27 वर्ष व 12 वर्ष तक नियमों में इन पदों को सम्मिलित न करने के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) नियमों में इन पदों को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण इस वास्तविक अनुभव को न मानने से इन व्यक्तियों को पदोन्नति के मामले में जो हानि हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार किस प्रकार से करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। डिप्टी आर्किटेक्ट का अस्थायी पद विभाग में 14 मई, 1969 एवं सहायक आर्किटेक्ट का अस्थायी पद दिनांक 22-10-84 में सृजित हुआ था।

(2) जी, हां। दोनों ही पद नियुक्ति के समय निःसंवर्ग (एक्स कैडर) पद थे। नगर नियोजन सेवा नियमों में संशोधन सम्बन्धी मामला विचाराधीन है उसमें इन पदों को संवर्ग में लेने सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

(3) नियमों में संशोधन होने के बाद यह पद संवर्ग में सम्मिलित होने के उपरान्त पदोन्नति के अनुभव को गिना जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी, नहीं। यह दोनों ही पद निःसंवर्ग के हैं और निःसंवर्ग पदों पर कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए किसी की जिम्मेदारी निर्धारण का सवाल ही नहीं है।

(5) निःसंवर्ग पदों पर कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति को उस निःसंवर्ग पद पर कार्यग्रहण करते समय इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि वह निःसंवर्ग पद पर कार्य कर रहा है तथा निःसंवर्ग में प्राप्त अनुभव राज्य सरकार के सेवा नियमों के अनुसार मूल संवर्ग में पदोन्नति के लिए मान्य नहीं होगा। अतः क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

नाहर सिंह बाबा कच्ची बस्ती, जयपुर का नियमन

676. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुराना घाट नाहर सिंह बाबा कच्ची बस्ती जयपुर का निर्माण कब हुआ एवं उसे नियमित न करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि बस्ती में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? यदि हां, तो सरकार अब उक्त बस्ती में विकास कार्य एवं नियमन का कार्य कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुराना घाट नाहर सिंह बाबा कच्ची बस्ती 1971 एवं 1981 के सर्वेक्षण में आई कच्ची बस्तियों की सूची में नहीं है,

Page No. 46

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)-

अत: 1981 के बाद बसी कच्ची बस्ती है। चूंकि यह एक सर्वेक्षित बस्ती नहीं है अत: इसे नियमित नहीं किया गया है।

(2) जी, हां। दिनांक 1-1-91 तक राजकीय भूमि पर अवैध रूप से बने आवासीय निर्माण को नियमन का राज्य सरकार ने सिद्धांतत: निर्णय ले लिया है। दर एवं क्षेत्रफल निर्धारण का प्रकरण विचाराधीन है।

चित्रकूट आवास योजना, जयपुर का रिजर्व प्राइज प्रकरण

677. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) एवं श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की चित्रकूट योजना के प्रारम्भ में आवेदकों के लिए भूमि की रिजर्व प्राइस 400 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई थी ?

(2) क्या इस रिजर्व प्राइस को अभी हाल ही में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बढ़ा कर 825/- रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस दर को बढ़ाने के आधार क्या है ?

(4) क्या सरकार बढ़ाई गई इस रिजर्व प्राइस को पूर्व निर्धारित दर 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 60 वीं बैठक दिनांक 12-6-96 में योजना की आवासीय आरक्षित दर का पुनर्निधारण 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 825 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है। आरक्षित दर में बढ़ोतरी नाली निर्माण के लिए संशोधित, 15 प्रतिशत नगर निगम को देय राशि, योजना में अतिरिक्त सुविधाएं यथा सड़कें, विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर लगाना एवं सीवरेज व्यवस्था के फलस्वरूप आवासीय सुरक्षित दर 825 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पुन:निर्धारित की गई है।

(3) चित्रकूट योजना की आवासीय आरक्षित दर 825 रुपये प्रति वर्ग मीटर निम्नांकित आधार पर की गई है:-

(अ) नगर निगम को देय 15 प्रतिशत राशि एवं नालियों के निर्माण का संशोधित प्रावधान।

(ब) मूल्यों में हुई वृद्धि वर्ष सितम्बर, 1991 से जून, 1996 तक।

(स) अतिरिक्त सुविधाओं यथा पेवर सड़कों का निर्माण, विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मस लगाने का प्रावधान एवं सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाना है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) आरक्षित दर 825 रुपये प्रति वर्ग मीटर को संशोधित कर कम करने का प्रकरण प्राधिकरण के विचाराधीन है।

चित्रकूट आवासीय योजना (जयपुर) में प्रस्तावित जन सुविधाएं

678. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) एवं श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की चित्रकूट आवासीय योजना के प्रारम्भ में वर्ष 1991 में क्या-क्या जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में तत्समय एक खेल स्टेडियम बनाने का प्रावधान भी था ? यदि नहीं, तो अब उक्त प्रावधान रखे जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की चित्रकूट आवासीय योजना के वर्ष 1991 के योजना मानचित्र में सड़कों, नालियां बनाने पेयजल विद्युत वितरण हेतु लाइन बनाने एवं पार्क आदि विकसित करने के अलावा प्राइमरी व हायर सैकण्डरी स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं पुलिस थाना आदि के लिए भूमि आरक्षित करने का प्रावधान था।

(2) जी, नहीं। संशोधित ले-आउट प्लान में खेल स्टेडियम का प्रावधान नहीं है, अपितु सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सामुदायिक भवन स्वास्थ्य केन्द्र, पार्क, खेल-कूद के मैदान को एक जगह नियोजित किया गया है। यह परिवर्तन एक स्थान पर उचित जन-उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसमें यह व्यवहारिक बिन्दू भी ध्यान में रखा गया है कि जगह-जगह बहुत छोटे-छोटे खेल स्थान छोड़ने पर उनका रख-रखाव व सही विकास नहीं हो पाता है तथा अतिक्रमण की समस्या अनवरत बनी रहती है।

चित्रकूट आवासीय योजना (जयपुर) भूमि अवाप्ति प्रकरण

679. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) एवं श्री रिछपाल सिंह (डेगाना): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की चित्रकूट योजना के भू-स्वामियों द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में न्यायालय की शरण ली गई थी यदि हां, तो किस मामले पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसी योजना को प्रस्तावित करने से पहले उसकी भूमि का सरकार द्वारा विधिवत अधिग्रहण की कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो जयपुर की चित्रकूट योजना में इसकी अवहेलना क्यों की गई ?

(श्री किशन मोटवानी)

(3) भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। भू-स्वामियों द्वारा न्यायालय की शरण ली गयी थी जिसमें इनके द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को चुनौती दी गयी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भू-स्वामियों द्वारा दायर की गयी अपीलें खारिज कर दी गयी हैं।

(2) जहां आवश्यक होता है कि किसी योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व भूमि की अवाप्ति हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया के अधीन की जाती है। चित्रकूट योजना के सम्बन्ध में अधिग्रहण कार्यवाही में निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रिया की कोई अवहेलना नहीं की गयी है। इसी कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रक्रिया के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है।

(3) प्रश्न के भाग 2 में दर्शायी गयी स्थिति अनुसार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

गूजर की थड़ी जयपुर के चौराहे पर प्रस्तावित सर्किल

680. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गूजर की थड़ी स्थित चौराहे को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौड़ा किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसकी योजना का प्रारूप एवं इसमें सम्मिलित भूमि का विवरण मय खातेदारों की सूची सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चौराहे पर सर्किल बनाया जायेगा ? यदि हां, तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा ?

(3) क्या सरकार प्रस्तावित सर्किल के स्थान पर रामबाग सर्किल की भांति चौराहा बनाकर सड़क चौड़ा किया जाने की योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि निजी खातेदारों की भूमि में बिना मुआवजा दिये ही सड़क निर्माण करने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। योजना मानचित्र की प्रति संलग्न है। पूर्व में निर्मित सड़क की सीमा 160 फीट व 100 फीट है, जिसका रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है। प्रस्तावित चौराहे में आने वाली भूमि में खातेदारों का विवरण संलग्न है।

(नगर विकास एवं आवासन मन्त्री)

(2) जी, हां । अण्डाकार सर्किल निर्मित किया जायेगा जिसके अन्दर के भाग का क्षेत्रफल 438.00 वर्ग मीटर है ।

(3) रामबाग चौराहे की भांति स्लिप लेन का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है । इसके अलावा विभाजन पट्टी, अण्डाकार सर्किल व रेलिंग, नालियां एवं फुटपाथ प्रस्तावित है ।

(4) गूजर की थड़ी पर सर्किल का विकास सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो सड़क 160 फीट चौड़ी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की सेक्टर रोड सोडाला से गूजर की थड़ी तक 100 फीट है, का विकास किया जा रहा है । इस चौराहे में अन्य खातेदारों की भूमि आती है तो इनमें नियमानुसार अवाप्ति/समझौता के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जायेगी ।

(विवरण एवं मानचित्र की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

आवासन मण्डल का हायर पर्चेज टीनेन्सी एग्रीमेन्ट प्रकरण

681. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल, जयपुर ने एच. पी. टी. ए. (हायर पर्चेज टीनेन्सी एग्रीमेंट) नियम लागू किए गए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब जारी किये गये ? जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि एच. पी. टी. ए. नियमों के सम्बन्ध में आदेश मण्डल ने जिस तिथि को जारी किये हैं, उन्हें पूर्व की तिथि से लागू किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उन आवेदकों के एलाटमेन्ट/पजेशन पत्रों, जो इस आदेश के जारी होने से पूर्व बोर्ड द्वारा जारी किये गये थे को, न्यायहित में इन नियमों से मुक्त रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के वित्त विभाग ग्रुप-4 ने अपने आदेश क्रमांक प. 2 (2) वित्त/ग्रुप-4/90 दिनांक 19-10-94 के द्वारा ये आदेश प्रदान किए गए थे कि राजस्थान आवासन मण्डल भविष्य के लिए तुरन्त प्रभाव से यह व्यवस्था लागू करेगा कि जब तक मण्डल और आवंटी के बीच हायर पर्चेज टीनेन्सी एग्रीमेंट निष्पादित होकर पंजीकृत नहीं हो जाते, आवंटी को आवास कब्जा नहीं दिया जायेगा ।

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के उक्त आदेश के क्रम में मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मु. स. प्र./आवा/94/2084, दिनांक 25-11-94 के द्वारा मण्डल से सम्बन्धित कार्यालयों को मण्डल

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

द्वारा किराया क्रय पद्धति पर आबंटित आवासों के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया था कि किराया क्रम पद्धति पर आबंटित आवासों के हायर पर्चेज टीनेन्सी एग्रीमेंट मण्डल और आबंटी के बीच निष्पादित होकर पंजीकृत नहीं हो जाते तब तक आबंटी को आवास का कब्जा नहीं दिया जायेगा राज्य सरकार के आदेश एवं मण्डल कार्यालय के आदेश परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) यह सही है कि हायर पर्चेज टीनेन्सी एग्रीमेंट के सम्बन्ध में मण्डल ने जिस तिथि को आदेश जारी किए हैं उसे उस तिथि से पूर्व के आवंटित आवासों पर भी लागू कर दिया है क्योंकि राज्य सरकार ने मण्डल को ये निर्देश प्रदान किए थे कि भविष्य के लिए राजस्थान आवासन मण्डल निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :—

"राजस्थान आवासन मण्डल तुरन्त प्रभाव से यह व्यवस्था लागू करेगा कि जब तक मण्डल और आबंटी के बीच हायर पर्चेज टीनेन्सी एग्रीमेंट निष्पादित होकर पंजीकृत नहीं हो जाते, आबंटी को आवास का कब्जा नहीं दिया जायेगा।"

(3) मण्डल के आदेश संख्या त. स. आ. आ./14 दिनांक 16-7-96 द्वारा पूर्व में दिए गए एच. पी टी. आदेशों ए. को निरस्त कर दिया गया है। (परिशिष्ट "स")

(आदेशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उपखण्ड भोपालगढ़ में सामान क्रय प्रकरण

682. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उपखण्ड भोपालगढ़ में वर्ष 1995-96 में कितना-कितना सामान, पाइप, पम्पसेट, स्टार्टर के बिल (मीटर में) एवं अन्य सामान किन-किन सहायक अभियन्ताओं के कार्यकाल में आया तथा कहां-कहां लगाया गया ? स्टाक रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उपलब्ध विवरण के अनुसार संदर्भित उपखण्ड में उल्लेखित अवधि में प्राप्त विभिन्न सामान का विवरण स्टॉक लेजर के पृष्ठ संख्या-7 से 43 में उपलब्ध है जिसकी वांछित प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इस सामान का निर्गम स्टॉक लेजर के विवरण के अनुसार विभिन्न योजनाओं पर ही किया गया है। इस अवधि में निम्नलिखित सहायक अभियन्ता कार्यरत रहे :—

1. श्री अशोक चक्रवर्ती 1-4-95 से 19-9-95

2. श्री भुवनेश्चन्द्र माथुर 17-9-95 से 9-11-95

3. श्री मगाराम चौधरी 9-11-95 से 21-11-95

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

4. श्री श्यामलाल तंवर 21-11-95 से 20-12-95

5. श्री मंगलाराम चौधरी 20-12-95 से निरन्तर

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र मकराना के स्वीकृत हैण्डपम्प

683. **श्री रूपाराम (मकराना)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में कुल कितने हैण्डपम्प हैं ? उनमें से कितने चालू एवं कितने खराब तथा सूखे हुए हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994-95 में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किए गए ? उक्त क्षेत्र के स्वीकृत शुदा ग्रामों में सरकार कब तक हैण्डपम्प लगवा देगी ?

(3) उक्त क्षेत्र के ग्राम केरपुरा बस स्टेण्ड पर अब तक हैण्डपम्प नहीं लगाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र के ग्रामों में स्थापित 75 हैण्ड पम्पों को वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र हेतु वर्ष 1994-95 में एक हैण्ड पम्प स्वीकृत था जिसे इस वर्ष स्थापित कर दिया जायेगा।

(3) ग्राम केरपुरा के बस स्टेण्ड पर प्रादेशित फर्म द्वारा कार्य अधूरा छोड़े जाने के कारण हैण्ड पम्प नहीं लगवाया जा सका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

ग्राम दयालपुरा (जयपुर) की प्रस्तावित पेयजल योजना

684. **श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)**: क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दयालपुरा पंचायत हंसमहल तहसील बस्सी (जयपुर) के लिए पेयजल योजना स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी ?.

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु निविदायें आमंत्रित की गई ?

(3) ग्राम की पेयजल समस्या के समाधान हेतु इसे कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

Page No. 52

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(4) यदि इस ग्राम के लिए पेयजल योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गई तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में योजना स्वीकृत कर, उसका निष्पादन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) स्रोत के अन्वेषण के पश्चात् योजना बनाई जाकर स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार क्रियान्विति की जा सकेगी।

(4) उपरोक्तानुसार।

सरस्वती टेकनिकल सर्विसेज एवं सरस्वती कम्प्यूटर सर्विसेज को आवण्टित कार्य

685. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरस्वती टेकनिकल सर्विसेज प्रा. लि. व सरस्वती कम्प्यूटर सर्विसेज, सी–133 बापूनगर, जयपुर को विभाग के किस-किस वृत्त, खण्ड व उपखण्ड से कौन-कौन से कार्य किस लागत के विगत चार वर्षों में दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त फर्म विभाग के ही एक अधिशासी अभियन्ता द्वारा इनके परिवार के सदस्यों के नाम से चलाई जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म द्वारा ये सब कार्य अनियमित ढंग से प्राप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या चौमूं के लिये सर्वे व सोइल टेस्ट के दिनांक 22 फरवरी, 1995 की एन. आई. टी. नं. 100/94-95 व अन्य दो एन. आई. टी. तीन कामों के तीनों टेण्डर फर्म एक ही को दिये गये थे ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) संस्था एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जिसमें 6 निदेशक हैं। फर्म के संचालनकर्ताओं की रिश्तेदारी के विषय में विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) कार्य आबंटन संबंधित विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 6 में उपलब्ध है। कार्य आबंटन नियमानुसार किये गये हैं अथवा नहीं, इसकी जांच करवाई जायेगी।

(4) निविदा सूचना सं. 99/94-95 एवं 100/94-95 दिनांक 6-2-95 के द्वारा, एस. बी. सी. टैस्ट एवं जल योजना चौमूं हेतु कस्बे का मानचित्र एवं लैवलिग, अर्थात दो कार्यों के आदेश मै0 सरस्वती टेकनीकल सर्विसेज को दिये गये थे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के गांवों की पेयजल योजना

686. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सभी गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई है ?

(2) यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों में पेयजल की योजना है, कौन-कौन से गांवों में रीजनल स्कीम है, कौन-कौन से गांवों में पनघट योजना है व कौन-कौन से गांवों में हैण्डपम्प स्कीम है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के गांवों में हैण्डपम्प कितने हैं, उनमें में कितने चालू हैं व कितने बन्द हैं ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों व मजरों में हैण्डपम्प बन्द पड़े हैं, वहां पेयजल की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 6 व 9 में उपलब्ध है ।

(4) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों व मजरों में 186 हैण्डपम्प बन्द है । इनमें से 123 अस्थायी रूप से, 25 सूखे एवं 38 परित्यक्त है । इन ग्रामों हेतु आवश्यकतानुसार 16 नये हैण्डपम्पों को लगाने एवं 9 ग्रामों में जल परिवहन द्वारा व्यवस्था किये जाने की स्वीकृति दी गई है जिसे पंचायत समितियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

आमेर रोड (जयपुर) क्षेत्र की पेय जल व्यवस्था

687. श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हवामहल पूर्व क्षेत्र के आमेर रोड से लगती कालोनियों में जहां भूमिगत जल का स्तर मुश्किल से 4-5 फीट है, वहां के अधिकतर निवासियों द्वारा भूमिगत जल से गटरों के खड्डे मिले होने के कारण गन्दा पानी पिया जाता है ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में इन कालोनियों में सीवर लाइन व पानी की पाईप लाइन डलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उल्लेलित क्षेत्र में स्थित कालोनियों

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

में भूमिगत जलस्तर 5 से 10 फीट गहराई पर है। अधिकांश निवासियों ने विभाग से जल सम्बन्ध प्राप्त कर रखे हैं। विभाग की पेयजल व्यवस्था के बावजूद भी यदि किन्ही व्यक्तियों द्वारा गढ्ढे बनाकर उनके जल का उपयोग किया जा रहा है तो विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(2) जिन बस्तियों में सहभागिता योजना के अन्तर्गत, निवासियों द्वारा आवेदन किया जावेगा, उन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर, परन्तु धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार की जायेगी। सीवर लाइने डाले जाने के प्रस्ताव नगर निगम में प्रारम्भिक प्रक्रिया में है।

अन्तरराज्यीय नदी जल समझौतों से प्राप्त जल

688. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के "अन्तरराज्यीय जल समझौते" है? यदि हां, तो किस-किस नदी के पानी के कब-कब कैसे-कैसे समझौते अब तक किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समझौते से पूरे पानी का सदुपयोग प्रदेश में हो रहा है? यदि हां, तो प्रत्येक नदी से प्राप्त पानी की मात्रा उसका उपयोग आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अन्तरराज्यीय नदी जल समझौते से प्राप्त पूर्व निर्धारित व सुनिश्चित प्रदेश के हिस्सों की सिंचाई हो रही है या अपेक्षा व आवश्यकता से कम? क्या इसके कारणों का पता लगाया गया है?

(4) क्या उक्त समझौते से प्राप्त पूरे पानी के उपयोग की सरकार की तैयारी है? यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए?

(5) उक्त समझौतों से प्राप्त पानी से प्रदेश की कुल कितनी भूमि, कितने जिलों में सिंचित होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य को निम्न अन्तर-राज्यीय नदियों से समझौतों द्वारा जल आवंटित है :—

1. सतलज नदी (गंग नहर द्वारा) (1920)

2. सतलज नदी (भाखरा नहर द्वारा) (1959)

3. रावी व्यास नदियों का अधिशेष जल (1981)

4. चम्बल नदी (कोटा बैराज तक)

5. माही नदी (1966)

(सिंचाई मंत्री)

6. नर्मदा नदी (1979)

7. यमुना नदी (1994)

विभिन्न समझौतों के अन्तर्गत आवंटित जल का विवरण परिशिष्ट—"1" में दर्शाया गया है।

(2) सतलज, रावी व्यास, चम्बल एवं माही नदी समझौते के तहत निर्धारित हिस्सों के अनुपात में जल मिल रहा है। नर्मदा जल गुजरात में निर्माणाधीन नर्मदा नहर के पूर्ण होने पर वर्ष 1999 में राजस्थान को प्राप्त हो सकेगा। यमुना नदी के आवंटित जल के उपयोग हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। प्रत्येक नदी से प्राप्त जल की मात्रा व उसका उपयोग परिशिष्ट—"1" में दर्शाया गया है।

(3) सतलज, रावी व्यास, चम्बल एवं माही नदी जल समझौते से प्राप्त हिस्सों से निर्धारित सिंचाई हो रही है। नर्मदा समझौते के अन्तर्गत आवंटित जल से सिंचाई 1999 के पश्चात् सम्भव हो सकेगी यमुना जल समझौते से आवंटित जल सिंचाई हेतु उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों से होकर लाए जाने वाले जल हेतु वहां अतिरिक्त नहर प्रणाली विकसित करनी होगी जिसके लिए उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सरकारों से प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में सिंचाई प्रणाली के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(4) गंग नहर प्रणाली, भाखड़ा नहर प्रणाली, चम्बल नहर प्रणाली में पूरे जल का उपयोग किया जा रहा है। रावी व्यास जल के उपयोग हेतु इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। माही जल का उपयोग मूलतः 80,000 हैक्टेयर में प्रस्तावित था जिसकी वृद्धि कर 1,23,500 हैक्टेयर किया जा रहा है। जिसका कार्य प्रगति पर है। नर्मदा जल के उपयोग के लिए राज्य में नहर निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य में यमुना जल के उपयोग हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(5) समझौते से प्राप्त जल से सिंचित भूमि तथा लाभान्वित जिलों का विवरण परिशिष्ट—"1" में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

सुनारिया (कुशलगढ़) तालाब को नहरों का निर्माण

689. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ उपखण्ड में सुनारिया तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा और उसकी भराव क्षमता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तालाब की नहरों का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो अब कब तक नहर निर्माण

(श्री फतेहसिंह)

कार्य पूरा कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस तालाब की पिलाई क्षमता कितने एकड़ की है तथा इसके अन्तिम छोर पर किस वर्ष में पानी पहुंचेगा ?

(4) क्या यह सही है कि नहर निर्माण की राशि सड़क निर्माण में लगा दी गई है ?

(5) वर्ष 1995-96 में पक्की नहरों से कितने एकड़ भूमि में पिलाई हेतु पानी दिया गया तथा अब तक कितनी लम्बी पक्की नहर का निर्माण हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । सोनारिया तालाब के मुख्य बांध का कार्य वर्ष 1995-96 में पूर्ण कर लिया गया है । इसकी भराव क्षमता 150.19 मिलियन घन फीट (एम. सी. एफ. टी.) है ।

(2) जी, हां । सोनारिया तालाब की नहरों का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है । वर्ष 1996-97 में इन सभी नहरों का कार्य पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है ।

(3) सोनारिया तालाब की पिलाई क्षमता 1943 एकड़ है । जिसमें रबी में 1328 एकड़ एवं खरीफ में 615 एकड़ प्रस्तावित है । इस वर्ष 1996-97 में अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाना प्रस्तावित है ।

(4) जी, नहीं ।

(5) वर्ष 1995-96 में तालाब से कुल 984 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा वर्तमान में दाईं नहर 4.00 किलोमीटर, बाईं नहर 1.10 किलोमीटर एवं नाथपुरा माइनर 5.67 किलोमीटर में पक्की नहर का निर्माण किया जा चुका है ।

कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान

690. **श्री जीतराम (मालपुरा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विभाग में कार्यरत कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने विधान सभा चुनावों में उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी समस्त देय राशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब तक भुगतान न किये जाने के कारण सम्बन्धित वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ऐसे समस्त देयों का भुगतान 15 दिवस में मय ब्याज के करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वृत भीलवाड़ा में कार्यरत अधिकारी श्री कन्हैया लाल धाकड़, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड, मेजा ने सन् 1990 के विधान सभा चुनाव उम्मीदवार के रूप में लड़ा था ।

(2) श्री कन्हैयालाल धाकड़ को उनके समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है ।

(3) वर्तमान में कोई बकाया नहीं है । अतः किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) बकाया न होने के कारण भुगतान का सवाल ही नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी का क्षतिग्रस्त अम्बापुरा बांध

691. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी का अम्बापुरा बांध क्षतिग्रस्त है ? यदि हां तो कब से ?

(2) क्या अम्बापुरा बांध के बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने की जांच करायी गई है ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य पाये गये एवं इसमें किन-किन अभियन्ताओं को दोषी पाया गया ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या अम्बापुरा बांध के पुनः निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से एवं निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(4) क्या इस बांध के पुनर्निर्माण न होने से सम्भावित बाढ़ का खतरा है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों को ?

उत्तर

(1) जी, हां । विधान सभा क्षेत्र केकड़ी का अम्बापुरा बांध अगस्त, 1992 से क्षतिग्रस्त है ।

(2) जी, हां । अम्बापुरा बांध के बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने की सम्पूर्ण जांच करवाई गई है । रिपोर्ट की प्रति संलग्न है । इसमें कोई भी अभियन्ता दोषी नहीं पाया गया है ।

(3) जी, हां । अम्बापुरा बांध के पुनः निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है । कार्य के तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति होते ही कार्य शुरू कर दिया जावेगा एवं कार्य शुरू होने के 2 वर्ष में कार्य पूर्ण हो जावेगा ।

(4) जी, नहीं । बांध के पुनः निर्माण नहीं होने से किसी भी ग्राम के सम्भावित बाढ़ का कोई खतरा नहीं है ।

(रिपोर्ट को प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के राहत कार्य

692. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

"विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में अकाल राहत/बाढ़ राहत योजना एवं विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 1996-97 में कितने ग्रामों में कितने कार्य किस-किस श्रेणी के कराये जाने प्रस्तावित हैं ? स्वीकृत राशि एवं कार्यों की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत सम्वत 2052 में स्वीकृत कार्य, बाढ़ मद एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	योजना	स्वीकृत कार्यों की संख्या	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	जून, 1996 तक देनदारियों सहित व्यय राशि (लाख रु. में)
1.	अकाल राहत	33	33	95.98	48.65
2.	बाढ़ राहत	2	2	4.29	3.63
3.	लघु सिंचाई योजना	1	1	481.40	379.18

कार्यवार प्रगति विवरण परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

छापरवाड़ा (दूदू) के श्रमिकों को भुगतान प्रकरण

693. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई उपखण्ड दूदू जिला--जयपुर मुख्यालय पर छापरवाड़ा स्थल पर अप्रेल, 1986 से जुलाई, 1987 तक की अवधि में मस्टररोल पर श्रमिकों को रखा गया था ? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को व इन पर कितनी राशि व्यय की गई ? मस्टररोल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कार्यरत सभी श्रमिकों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस अवधि के श्रमिकों को कब-कब व किस आदेश से हटाया गया ? इस अवधि के कितने श्रमिक इस समय कार्यरत हैं ?

(4) क्या उक्त अवधि के श्रमिकों को नियमित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को ? शेष श्रमिकों को नियमित नहीं किये जाने का क्या कारण रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। लेखों के अनुसार। अप्रेल, 1986 से जुलाई, 1987 के मध्य सिंचाई उप खण्ड दूदू जिला जयपुर मुख्यालय पर छापरवाड़ा स्थल पर माह नवम्बर, 1986 एवं मार्च, 1987 में मस्टररोलों पर श्रमिकों का नियोजन किया गया था, जिनकी कुल संख्या 74 थी तथा इनकी मजदूरी भुगतान पर कुल राशि 18847.00 का व्यय किया गया। मस्टररोल की छाया प्रतियां संलग्न है।

(2) जी, हां। कार्य समाप्ति पर नियोजित किये गये 74 श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है। प्रत्येक श्रमिक को भुगतान की गई राशि मस्टररोल की संलग्न प्रति में दर्शायी गई है।

(3) कार्य समाप्ति के पश्चात् श्रमिकों का कार्य पर आना स्वतः ही बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त अवधि के श्रमिकों में से कोई श्रमिक इस समय कार्यरत नहीं है।

(4) जब श्रमिक ही कार्यरत नहीं है तो नियमित किये जाने तथा शेष रहने का प्रश्न नहीं उठता।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

Page No. 60

विकास अधिकारी किशनगढ़बास द्वारा किये गये बीमा

694. श्री मदनमोहन (खैरथल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, किशनगढ़ बास द्वारा लोक सभा चुनावों मे पहले पंच, सरपंचों, पंचायत समिति के सदस्यों से जबरन बीमा की राशि वसूल कर बीमा किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व किस आदेश से ?

(2) क्या सरकार इस मामले में उक्त अधिकारी की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) जी, नहीं । विकास अधिकारी के द्वारा कोई जबरन बीमा ही नहीं किया गया है, तो जांच कराने का प्रश्न ही नहीं है ।

पंचायत्त समिति डग की ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया व्यय

695. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) पिछले तीन वर्षों में पंचायत समिति डग को सभी ग्राम पंचायतों का सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अर्जित की गई निजी आय के स्त्रोत सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निजी आय को एवं सरकार द्वारा उधार दी गई राशि को किन-किन मदों पर खर्च किया गया है ? दोनों प्रकार की राशि जो कि विकास एवं निर्माण कार्यों पर खर्च की गई है, उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) तीन वर्षों में डग पंचायत समिति को 40 ग्राम पंचायतों को सरकार से 2,27,23,843 रुपये की राशि प्राप्त हुई तथा 74,18,672/-रु. की राशि पंचायतों द्वारा निजी आय से अर्जित की गई है । वर्ष वाइज व पंचायत वाइज सूची परिशिष्ट "अ" पर अंकित है ।

(2) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचयत द्वारा निजी आय एवं सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि में से व्यय जो किया गया है परिशिष्ट "ब" में दशा दिया गया है एवं पंचायत वार व्यय का पूर्ण ब्यौरा अलग से सलग्न है पंचायतों द्वारा निजी आय से .69,82,410/- रु. एवं सरकार द्वारा प्रदान राशि में से 2,14,22,507/- रु. व्यय किये गये । सरकार द्वारा पंचायत को कोई राशि उधार नहीं दी गई ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकाय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत भाटीवाड़ (उदयपुरवाटी) को आबंटित राशि प्रकरण

696. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत वर्ष विधायक कोष से झुन्झुनू जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति की भाटीवाड़ ग्राम पंचायत के चारण की ढाणी गांव के सार्वजनिक कुएं को बोर करवाने, बिजली की मोटर लगवाने आदि कार्यों के लिए दस हजार रुपये की राशि आबंटित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है यह राशि तत्कालीन ग्रामसेवक/ग्रुप सचिव ने पंचायत समिति से उठाली तथा कार्य पूर्ण हो जाने का सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया, लेकिन गांव वालों की शिकायत होने तथा मौके की जांच से पाया गया कि इस राशि का कोई कार्य मौके पर नहीं करवाया गया तथा झूंठा हिसाब तथा गलत पूर्णता का प्रमाण पत्र पेश किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस ग्राम सेवक से गबन की गई राशि वसूल करने तथा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा रुपया वसूल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत भाटीवाड़ द्वारा उक्त कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र पेश किया गया था एवं पूर्ण राशि का भुगतान भी किया। सहायक अभियन्ता, डी. आर. डी. ए. झुंझुनू द्वारा इस कार्य पर 3,896/- रु. तकमीने के रूप में व्यय किया जाना बतलाया। शेष राशि 6,104/- रु. का व्यय तकमीने के अनुरूप व्यय नहीं होना बतलाया है। जो तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता एवं ग्राम सेवक से राशि वसूली हेतु लिखा गया है।

(3) जी, हां। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रहीं है।

(4) जी, हां।

पंचायत समिति श्री माधोपुर (सीकर) के दूरभाष पर निजी काल प्रकरण

697. श्री भरतसिंह (खानपुर) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में पंचायत समिति श्रीमाधोपुर (जिला सीकर) के टेलीफोन पर

(श्री भरतसिंह)

हुये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त टेलीफोन से इस अवधि में कौन-कौन से ट्रंककाल किये गए ? इन पर कितनी राशि का व्यय हुआ ?

(3) उक्त टेलीफोन से किए गए ट्रंककाल्स का विवरण मय शहर का नाम व टेलीफोन नम्बरों के सदन की मेज पर रखें।

(4) बाहर किये गए ट्रंककालों में निजी नम्बरों पर कौन-कौन से ट्रंककाल किये गए व उनका प्रयोजन क्या था ? उन पर कितनी राशि का व्यय हुआ ? क्या निजी नम्बरों पर किये गये ट्रंककालों की राशि का भुगतान भी पंचायत समिति कोष से ही किया गया ?

(5) क्या उक्त भुगतान का आदेश करवाया गया ? यदि हाँ, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति श्री माधोपुर (जिला सीकर) के टेलीफोन नं. 20033 पर गत दो वर्षों से निम्न प्रकार व्यय हुआ—

ट्रंककाल व्यय	9,414/- रुपये
लोकल व्यय	10,435/- रुपये
किराया	2,100/- रुपये
टैक्स	1,056/- रुपये
योग :	23,305/- रुपये

(2) दूर संचार विभाग से प्राप्त बिलों की फोटो स्टेट प्रति संलग्न है। बिलों के कालम संख्या-2 पर विवरण अंकित है। ट्रंककालों पर कुल व्यय 9,414/- रुपये का हुआ है।

(3) टेलीफोन के मूल बिलों की फोटो स्टेट प्रति के कालम संख्या-2 पर अंकित है। जिसमें टेलीफोन नं. एवं शहरों के नाम अंकित है।

(4) निजी नम्बरों पर कोई ट्रंककाल नहीं किये गये। अतः इन पर कोई राशि का व्यय नहीं किया गया।

(5) बाहर किये गये ट्रंककालों निजी नम्बरों पर कोई ट्रंककाल नहीं किया गया तथा न ही राजकोष से भुगतान हुआ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायत समिति पाली/रोहट के रिक्त पद

698. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति पाली एवं रोहट में कुल कितने पद सृजित हैं और सृजित पदों पर कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ?

(2) उपरोक्त दोनों पंचायत समितियों के रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पाली एवं रोहट में सृजित पदों, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद नाम	पंचायत समिति पाली			पंचायत समिति रोहट		
		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	विकास अधिकारी	1	1	—	1	1	—
2.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	2	1	1	2	1	1
3.	सहकारी प्रसार अधिकारी	1	—	1	1	—	1
4.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	1	—	1	1	—
5.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	1	—	1	1	—
6.	लेखाकार	1	1	—	1	1	1
7.	कनिष्ठ लेखाकार (जे. आर. वाई)	1	1	—	1	1	—
8.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	—	—	1	1	—
9.	वरिष्ठ लिपिक	3	3	—	2	1	1
10.	कनिष्ठ लिपिक	2	2	—	3	4	—
11.	ग्राम सेवक	14	4	10	13	5	8
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	4	—	4	4	—
13.	वाहन चालक	1	1	—	1	1	—
14.	अध्यापक	215	215	—	212	212	—

(2) ग्राम सेवकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन कर नियुक्ति का प्रकरण विचाराधीन है। शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं सहकारी प्रसार अधिकारी प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हैं जिसके लिये सम्बन्धी विभागों को लिखा गया है।

Page No. 64

(64)

विधान सभा क्षेत्र माण्डल के प्रस्तावित विद्यालय

699. श्री कालूलाल गूजर (मांडल): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1996-97 में सरकार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने और कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा जिले में कितने विद्यालय खोलने का लक्ष्य है और विधान सभा क्षेत्र मांडल में कितने विद्यालय खोले जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। 500 नवीन प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1996-97 के लिए वित्तीय वर्ष में खोलने का प्रावधान है।

(2) वर्ष 1991 की जनगणना में घोषित ग्रामों में वित्तीय संसाधनों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड में आने वाले विद्यालय विहीन ग्रामों में ही प्राथमिक विद्यालय खाले जाते हैं।

पंचायत समिति भीम के रिक्त पद

700. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति भीम, जिल राजसमंद में कौन-कौन से पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं ?

(2) सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति भीम जिला राजसमंद में निम्न पद उनके सामने अंकित दिनांक से रिक्त चल रहे है :—

1.	सहकारी प्रसार अधिकारी	1	1-12-93 से
2.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	1-5-93 से
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1-5-95 से
4.	वरिष्ठ लिपिक	1	18-9-94 से
5.	कनिष्ठ लिपिक	1	1-7-94 से
6.	ग्राम सेवक	9	31-7-94 से 6-5-95
7.	अध्यापक	11	नवसृजित होने से

(राज्य मंत्री, ग्रामीण वि. एवं पंचा. राज)

(2) (1) क्रम संख्या 1 से 3 तक पदों की पूर्ति सम्बन्धित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति प्राप्त कर की जाती है जिसके लिये संबंधित विभागों को लिखा गया है।

(2) क्रम संख्या 4 पर पदस्थापन जिला परिषद द्वारा कनिष्ठ लिपिकों से पदोन्नति कर किया जाता है।

(3) क्रम संख्या 5 एवं 6 के पदों पर नियुक्ति का प्रकरण विचाराधीन है।

(4) क्रम संख्या 7 अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया जिला परिषद द्वारा की जा रही है।

पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाड़ा) की बैठक में ग्रुप सचिव की अनुपस्थिति

701. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति सुवाणा की बैठक जिला कलक्टर भीलवाड़ा, जिला प्रमुख भीलवाड़ा एवं अन्य अधिकारियों ने वर्ष 1995-96 में ली, जिसमें विधायक भी उपस्थित हुए ?

(2) क्या उक्त बैठक में पंचायतों के ग्रुप सचिव (ग्राम सेवकों) को भी बुलाया गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन ग्राम सेवक उपस्थित हुए और कौन कौन नहीं ? उपस्थित नहीं होने वाले ग्रुप सचिवों के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैठक में कोचरियां ग्राम पंचायत के ग्रुप सचिव नहीं आये ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) यह ग्रुप सचिव कब एवं किन-किन बैठकों में उपस्थित नहीं हुये और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के पत्र क्रमशः दिनांक 12-10-95, 19-10-95 एवं 21-10-95 की अनुपालना में दिनांक 7-12-95 को पंचायत समिति, सुवाणा के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिला कलक्टर, प्रमुख जिला परिषद्, भीलवाड़ा एवं विधायक महोदय ने भाग लिया था।

(2) जी हां। पंचायत समिति के समस्त 17 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को बुलाया गया था, जिसमें से 12 ग्राम सेवकों ने भाग लेकर हस्ताक्षर किये है जबकी तीन के हस्ताक्षर नहीं हैं। निम्न 2 ग्राम सेवक अनुपस्थित रहे :—

1. श्री राम प्रसाद सिंह—अवकाश में होने से
2. श्री फतेह सिंह—बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है।

(राज्य मंत्री, ग्रामीण वि. एवं पंचा. राज)

(3) यह सही है कि उक्त बैठक में ग्राम पंचायत कोचरिया के ग्रुप सचिव श्री फतेह सिंह चुण्डावत बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के कारण नहीं आये।

(4) श्री फतेह सिंह चुण्डावत तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत कोचरिया दिनांक 1-1-95 से 20-3-96 तक पंचायत समिति की आयोजित 35 बैठकों में से 32 बैठकों में उपस्थित नहीं हुए है। श्री फतेह सिंह चुण्डावत को बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण 22-3-96 को निलम्बित किया गया है। इन्हें बैठकों में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 1-11-95 से अब तक वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। बैठकों में अनुपस्थित रहने का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पंचायत समिति झाड़ोल कोटड़ा (उदयपुर) में अध्यापकों के रिक्त पद

702. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या ग्रामीण विकास एव पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति झाड़ोल एवं कोटड़ा जिला–उदयपुर में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति, झाड़ोल एवं कोटड़ा में किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन सा पद कब से किस कारण रिक्त हैं ? सूची मय कारण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में पद रिक्त होने के कारण उन पदों पर अध्यापकों से कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इससे स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रवृत्ति को उचित मानती है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त पंचायत समितियों में रिक्त पदों पर अध्यापकों को लगाने पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार पंचायत समिति झाड़ोल एवं कोटड़ा में अध्यापकों एवं विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति झाड़ोल में 99 एवं पंचायत समिति कोटड़ा में 250 पद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति कोटड़ा में कसी

(राज्य मंत्री, ग्रामीण एवं वि. पंचा. राज)

अध्यापक से अन्य कार्य नहीं कराया जा रहा है।

पंचायत समिति झाड़ोल में निर्देशानुसार समय-समय पर अध्यापक कार्यालय में लगाये जाते है। वित्त विभाग द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारी के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के पश्चात शिक्षकों से अन्य कार्य नहीं लिये जायेंगे।

(4) पंचायत समिति झाड़ोल में अध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र ही नये अध्यापकों को नियमानुसार नियुक्ति की जा रही है। अन्य रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करने हेतु सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

साक्षरता अभियान में प्रति नियुक्त अध्यापकों का निलम्बन प्रकरण

703. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उप जिला कलक्टर झाड़ोल जिला उदयपुर द्वारा अपने विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1 (साक्षरता/95/43-46) दिनांक 21 फरवरी, 1995 से पंचायत समिति झाड़ोल के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को साक्षरता कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापकों को उक्त कार्य हेतु दिनांक 21 फरवरी, 1995 को मध्यान्ह पश्चात् से कार्य मुक्त किया गया था? यदि हाँ, तो आदेशों की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापकों की सेवाएं उप जिला कलक्टर झाड़ोल के अधीन चल रहे साक्षरता कार्य में चलते, विकास अधिकारी झाड़ोल ने अपने पत्रांक प. सझा/स./शिक्षा/95-96/1072-77 दिनांक 25 अप्रेल, 1995 द्वारा अध्यापकों को निलम्बित किया गया? यदि हाँ, तो किस कारण से? उक्त आदेश की प्रति मय कारण के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निलम्बन आदेश का क्या औचित्य था? क्या उक्त अध्यापको को पुन: विकास अधिकारी, झाड़ोल ने अपने पत्र क्रमांक प.साक्ष/शिक्षा-95-96/3473-81 दिनांक 22 जुलाई, 1995 को बहाल भी कर दिया? यदि हाँ, तो उनको सर्विस बुक में इन्द्राज करने का क्या औचित्य था? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर उदयपुर ने अपने पत्रांक दिनांक 21 अक्टूबर, 1995 को विकास अधिकारी झाड़ोल को एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद्, उदयपुर का अ. शा. पत्रांक दिनांक 25 अप्रेल, 1995 उप जिला कलक्टर उदयपुर को लिखा गया? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त पत्रों की प्रतियां एवं उन पर का

(राज्य मंत्री, ग्रामीण वि. एवं पंचा. राज)

गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त निलम्बित अध्यापकों का वर्ष 1995-96 में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने पर स्थानान्तरण किया गया? क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी झाड़ोल द्वारा यह स्थानान्तरण किये गये? यदि हां, तो कहां-कहां? स्थानान्तरण आदेश की प्रति मय स्थानान्तरण करने के कारण के सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में विकास अधिकारी झाड़ोल की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। विकास अधिकारी पंचायत समिति झाड़ोल ने श्री रमाकान्त अध्यापक को अपने विद्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण निलम्बित किया गया था। आदेश की प्रति सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(3) परीक्षा आयोजित होने के कारण श्री रमाकान्त द्वारा विद्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण निलम्बन आवश्यक हो गया था। अध्यापक को बहाल कर दिया गया है। सेवा पुस्तिका में इन्द्राज राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। निलम्बन से बहाली के पश्चात् श्री रमाकान्त अध्यापक का पदस्थापन किया गया था। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) जी हां। इस प्रकरण की जांच करने के लिये उच्च अधिकारी को लिखा गया है।

(आदेशों की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

पंचायत समिति खमनोर (राजसमन्द) की जीप चोरी प्रकरण

704. **श्री शांतिलाल खोईवाल** : (राजसमन्द) क्या : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खमनोर (राजसमन्द) की जीप चोरी चली गई थी? यदि हां, तो तत्सम्बन्ध में जिला परिषद्/जिला कलक्टर, द्वारा की गई जांच का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक की गई जांच के आधार पर कौन अधिकारी दोषी पाया गया एवं उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई

Page No. 69

(69)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रकरण की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने पर डा. योगेश चन्द्र जोशी पूर्व विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर को भिजवा दिया गया है तथा श्री भंवर सिंह वाहन चालक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मौजमाबाद दूदू के सरपंच के विरुद्ध आरोपों की जांच

705. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू की ग्राम पंचायत मौजमाबाद के वर्तमान सरपंच पर लगे आरोपों की जांच हो चुकी है ? यदि हां, तो अब उक्त सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही किस स्तर पर विचाराधीन है एवं उस पर किस-किस प्रकार के क्या-क्या आरोप हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सरपंच के विरुद्ध शीघ्र ही आरोपित मामलों में निर्णय लेकर उसे हटाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक जांच पूर्ण हो चुकी है। आरोपी सरपंच को नियमानुसार नोटिस देकर स्पष्टीकरण चाहा गया है। आरोप पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) सरपंच से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।

(आरोप पत्र की प्रति के लिए परिशिष्ट-13 देखें)

पंचायत समिति सांकड़ा (जैसलमेर) के अध्यापकों के स्थानान्तरण प्रकरण

706. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 में पंचायत समिति सांकड़ा मुख्यालय पोकरण जिला जैसलमेर से कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण अन्य पंचायत समितियों में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति से स्थानान्तरित अध्यापकों

(श्री कालीचरण सराफ)

की सेवा पुस्तिकाएं तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि की पास बुकें पूरी कर आज तक नहीं भिजवाई गई ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उक्त कर्मियों का सेवा अभिलेख भिजवा दिया जायेगा ?

(3) उक्त प्रकरण में विलम्ब के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार उक्त कार्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांकड़ा से अन्य पंचायत समितियों में वर्ष 1993-94 में निम्न 8 सहायक अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया था—

नाम अध्यापक	जहां स्थानान्तरण किया गया
1. श्रीमती मदन कंवर	फलौदी
2. श्रीमती रविलता	सांगानेर
3. श्रीमती शशिकला	सांगानेर
4. श्रीमती उर्मिला गुप्ता	झोटवाड़ा
5. श्रीमती सुभाष कुमारी	उदयपुरवाटी
6. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	दौसा
7. श्री सोहन लाल	दौसा
8. श्री सुभाषचन्द गुलबड़िया	कामां

(2) वर्ष 93-94 में स्थानान्तरित सभी आठों अध्यापकों के सेवाभिलेख, जी. पी. एफ. पास बुकें एवं राज्य बीमा पास बुक्स सम्बन्धित पंचायत समितियों में भिजवा दी गई है।

(3) पंचायत समिति सांकड़ा में कोई प्रकरण बकाया नहीं है। अतः किसी भी अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है।

मृत राज्य कर्मियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति

707. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निःसन्तान मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित/परिवार के सदस्य/भाई, बहिन को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने बाबत नियमों में प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा वर्ष 1990 से जून, 1996 तक की अवधि में निःसन्तान मृतक राज्य कर्मचारी के भाई, बहन को नियुक्ति दी गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला जाखमूण्ड (पंचायत समिति तालेड़ा) में कार्यरत निःसन्तान अध्यापक श्री हजारी लाल कुम्हार की

(श्री रामनारायण मीणा)

27 अक्टूबर, 1993 को दुर्घटना में मृत्यु होने से उसके छोटे भाई को मृतक के स्थान पर नियुक्ति दी जाने बाबत कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) सम्बन्धित नियमों की प्रति अनुसूची 1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। आवेदनकर्त्ता का आवेदन पत्र विकास अधिकारी, पं. स. तालेड़ा द्वारा दस्तावेजों की पूर्ति करने हेतु आवेदक को लौटाया था जो पं. स. तालेड़ा जिला बून्दी में अभी तक वापिस प्राप्त नहीं हुआ है निःसंतान मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को तभी नियुक्ति मिल सकती है जबकि मृतक कर्मचारी की विधवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा शारीरिक अक्षमता के कारण स्वयं सेवा के योग्य न हो। शारीरिक अक्षमता के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा निःसंतान मृतक के परिवार के सदस्य को नियुक्ति देने से पूर्व एक अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होता हैं कि सेवा में नियुक्ति के पश्चात् मृतक की विधवा का भरण-पोषण एवं देख-भाल का पूर्ण रूप से उत्तर-दायी होगा। ऐसे अनुबन्ध पत्र प्रथम श्रेणी दण्डनायक से सत्यापित होता है। मृतक के छोटे भाई से दस्तावेजों की पूर्ति होने के बाद जब प्रकरण विभाग में प्राप्त होगा तथा परीक्षण करने के बाद नियमानुसार नियुक्ति देने पर विचार किया जावेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम दौलतपुरा (जयपुर) में आवंटित आवासीय भूखण्ड

708. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम दौलतपुरा (बैनाड़) तहसील आमेर के खसरा नं. 458 आबादी क्षेत्र में निःशुल्क आवासीय भूखण्ड के वर्ष 1975 में पट्टे वितरण हेतु किस-किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में बिना प्लान के ही निःशुल्क पट्टों का वितरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पट्टे फर्जी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम दौलतपुरा (बैनाड़)

(राज्य मंत्री, ग्रामीण वि. एवं पंचा. राज)

तहसील आमेर में खसरा नं 458 आबादी भूमि में वर्ष 1975 में निःशुल्क आवासीय भूखण्डों के पट्टे वितरण करने हेतु क्षेत्र के भू-अभिलेख निरीक्षण (गिरदावर) को नियुक्त किया गया था, आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भूमिहीनों का सर्वे करवाकर पट्टे दिये थे तथा भू-खण्डों के पट्टों के पीछे दिशा सूचक अंकित है।

(3) जी नहीं। यह फर्जी नहीं है। पट्टों का वितरण स्थानीय व्यक्तियों को ही किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच पंचायत प्रसार अधिकारी से कराई गई तो पाया गया कि जिन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं उनके पास पहले से ही आवास उपलब्ध हैं, अतः अपात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जाने के कारण उक्त पट्टों को निरस्त कराने हेतु न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर के यहां दिनांक 11-6-96 को निगरानी प्रस्तुत की जा चुकी है जो विचाराधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

पंचायत समिति जाहाजपुर तथा कोटड़ी (भीलवाड़ा) में अध्यापकों को बकाया वेतन का भुगतान

709. श्री रतनलाल ताम्बी (जाहजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर तथा कोटड़ी के अध्यापकों को गत 3-4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो दोनों पंचायत समितियों में अध्यापकों का वेतन कब से बकाया है और अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दोनों पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अध्यापकों के वेतन में से की जाने वाली आवश्यक कटौती यथा, राजकीय बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की राशि सम्बन्धित विभागों में बराबर जमा करा दी गई है ? यदि नहीं, तो कब से कितनी राशि जमा करानी शेष है एवं कब तक यह राशि जमा करा दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाना सबसे लम्बित है और अब भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वित्त विभाग से राशि आवंटन पर रोक के कारण पं. स. जहाजपुर एवं कोटडी के अध्यापकों को गत 3–4 माह से वेतन का नियमित भुगतान नहीं हो पाया है।

पंचायत समिति, जहाजपुर के अध्यापकों के वेतन का भुगतान निम्न प्रकार किया गया :–

मार्च, 96 का अप्रेल 96 में

अप्रेल, 96 का मई 96 में मई का मई, 96 में

जून, 96 का जुलाई 96 में।

पं. स. कोटडी के अध्यापकों को वेतन भुगतान निम्न प्रकार किया :....

मार्च, 96 का अप्रेल, 96 में

अप्रेल व मई, 96 का जून, 96 में

जून, 96 का जुलाई, 96 में भुगतान किया गया। अब किसी भी माह के वेतन का भुगतान बकाया नहीं है।

(2) जी हां। दोनों पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अध्यापकों के वेतन से काटी जाने वाली आवश्यक कटोतियाँ राज्य बीमा, सा. प्रा. निधि आदि की राशि मई, 96 एवं जून, 96 की जमा कराना शेष है। जो जुलाई, 96 में जमा कराने की कार्यवाही जारी है।

(3) पं. स. जहाजपुर के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान माह अप्रेल, 94 से एवं पं. स. कोटडी का भुगतान जनवरी, 96 से लम्बित है, वित्त विभाग से बजट आवंटन होने पर भुगतान प्रक्रिया की जा सकेगी।

(4) वित्त विभाग से राशि आवंटन पर रोक लगाये जाने के कारण समय पर भुगतान नहीं हो सका। जिसके लिए अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

मृत कर्मियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति

710. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या ग्रामीण एवं विकास पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचयात समिति डेगाना (नागौर) में चालक के पद पर नियमित सेवा में कार्यरत श्री दूलसिंह की मृत्यु राजकीय सेवा में रहते हुये हुई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि मृतक के आश्रितों द्वारा समय-समय पर नियुक्ति देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गये थे? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग उक्त मृतक के आश्रित को नियुक्ति देने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि मृतक

(श्री कुबेरसिंह)

के आश्रित को जो चालक के पद की पूर्ण योग्यता रखते हैं को पद रिक्त रहते हुये भी आज तक नियुक्ति नहीं दी, जबकि अन्य को दे दी गई ? यदि हां, तो उक्त मृतक के आश्रित को नियुक्ति नहीं दिए जाने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग में चालक के पद अब भी रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां ? क्या अब उक्त रिक्त पदों पर मृतक कर्मी के आश्रित को नियुक्ति दे दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक व और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री दूलसिंह वाहन चालक की मृत्यु सेवा में रहते हुए दिनांक 11-11-83 को हुई थी।

(2) जी हां। मृतक आश्रितों सर्व श्री ओंकार सिंह द्वारा आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु दिनांक 1-6-84, 8-6-84 तथा 3-7-84 एवं 18-5-85, 23-5-85 व 27-5-85 एवं 1-6-85 एवं 31-7-85 को प्राप्त हुए। उसके पश्चात् मृतक के दूसरे पुत्र श्री दौलतसिंह का आवेदन पत्र कार्मिक क-अनुभाग 5 के माध्यम से दिनांक 20-9-85 एवं सीधे ही विभाग में दिनांक 29-3-86 व 19-4-86 को प्राप्त हुए। उसके पश्चात् पुनः श्री ओंकारसिंह का आवेदन पत्र दिनांक 9-2-88, 23-3-88 व 28-4-88 को प्राप्त हुए। उसके पश्चात् मृतक के तीसरे पुत्र श्री राजपाल सिंह का आवेदन पत्र दिनांक 24-1-91 12-4-91 एवं 20-12-91 को प्राप्त हुए। उसके पश्चात् पुनः श्री ओंकार सिंह के आवेदन पत्र दिनांक 3-4-93, 30-4-93, 10-5-93 एवं 12-5-93 एवं जिला परिषद, नागौर में दिनांक 14-3-95 एवं विभाग में 15-5-95 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे।

(3) जी हां। शैक्षणिक योग्यतानुसार मृतक आश्रित का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(4) जी नहीं। मृतक के आश्रित श्री ओंकार सिंह वाहन चालक के पद की वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं। श्री ओंकार सिंह की शैक्षणिक योग्यता सातवीं कक्षा अध्ययनरत है तथा वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है। वाहन चालक के पद की योग्यता पूर्ण नहीं रखने के कारण स्व. श्री दूलसिंह के आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

(5) जी हां। जिला परिषद पंचायत समितियों में चालक के 23 पद रिक्त हैं सूची संलग्न है तथा कुछ पद वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प 9 (1) वित्त—I आ. व्यय/95 दिनांक 4-7-95 से सेवा-निवृति के साथ ही समाप्त माने गये हैं। मृतक आश्रित द्वारा चालक के पद की वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

राज समन्द जिलों की पंचायत समितियों को स्वीकृत सड़कें

711. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमंद जिले की किस-किस पंचायत समिति में वर्ष 1996 में सड़कों व कच्चे रास्तों के कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये ?

(2) उपरोक्त कार्य जिन गांवों में कराये जाने थे उनकी आबादी कितनी-कितनी है ?

(3) जिला कलक्टर द्वारा भीम पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित सड़कों/ रास्तों के कार्य फरवरी. मार्च, अप्रेल या मई में स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण थे ?

(4) जिला कलक्टर द्वारा पंचायत समिति भीम तथा अन्य पंचायत समितियों में अलग-अलग मानदण्ड अपनाने तथा पक्षपात दृष्टिकोण अपनाने को क्या सरकार उचित मानती है ।

उत्तर

(1) राजसमन्द पंचायत समिति में वर्ष 1996 में सड़कों एवं कच्चे रास्तों के स्वीकृत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट "अ")

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "अ")

(3) जिला कलक्टर द्वारा भीम पंचायत समिति में माह फरवरी/मार्च/अप्रेल में अन्य जनोपयोगी कार्य एवं विगत वर्षों के अपूर्ण कार्य स्वीकृत किये जाने के कारण प्रस्तावित सड़कों/ रास्तों के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये । श्रमिक सीमा बढ़ने पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सड़कों/रास्तों के कार्य स्वीकृत कर दिये गये ।

(4) पंचायत समितियों के कार्य स्वीकृत करने में अलग-अलग मापदण्ड एवं पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या--712

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र के गंगरार के राहत कार्य

713. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) अकाल राहत कार्य स्वीकृत करने के मानदण्ड क्या हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार में राहत कार्य चलाये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों में

Page No. 76

(76)

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

कौन-कौन से राहत कार्य खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में अकाल राहत कार्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, ग्राम पंचायतों व अन्य एजेन्सीज द्वारा कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई ? स्वीकृत राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार में स्वीकृत किये गये अकाल राहत कार्य मानदण्डों के अनुरूप स्वीकृत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? कौन-कौन से कार्य मानदण्डों के अनुरूप स्वीकृत नहीं किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मापदण्डों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया है। (परिशिष्ट "अ")

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब")

(3) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब")

(4) अकाल राहत कार्य मानदण्डों के अनुरूप ही स्वीकृत किये गये हैं।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

माध्यमिक विद्यालय, जैसला (जोधपुर) की चार दीवारी का निर्माण

714. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैसला जिला जोधपुर की चार दीवारी के निर्माण हेतु इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस चार दीवारी के निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत जैसला के सरपंच को दिया गया जो एक फुट की नींव खोदने के उपरान्त आंधी चलने से रेत से भर जाने तथा निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग के कारणवश निर्माण के दौरान ही गिर गई ?

(3) क्या सरकार इस प्रकार की अनियमितता के लिये सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैसला जिला जोधपुर की चार दिवारी के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रु. स्वीकृत किये गये हैं।

Page No. 77

(77)

(राज्य मंत्री अकाल सहायता)

(2) इस चार दिवारी का निर्माण कार्य सरपंच जैसला व ग्राम सेवक के द्वारा करवाया गया। नींव की दो फुट गहरी तथा दो फुट चौड़ी खुदाई की गई। सामग्री सामान्य काम में ली गई है। चार दिवारी कहीं से क्षतिग्रस्त नहीं है।

(3) जी नहीं। चारदिवारी के निर्माण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इस कारण कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

अजमेर व ब्यावर में आँटो रिक्शा संचालन

715. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि अजमेर व ब्यावर नगर में भी जयपुर की भांति आटोरिक्शा मीटर के अनुसार चलाये जाने का आदेश है? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों की पालना की जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आशय के आदेश पारित करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर व ब्यावर में आटोरिक्शा चालक यात्रियों से मनमानी राशि वसूल करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) व (2) जी हां। आँटोरिक्शा आदि के भाड़े की दरें अधिसूचना दिनांक 10-6-94 द्वारा नियत की गयी है। आँटो रिक्शाओं को जारी परमिट की अनिवार्य शर्तों के अनुसार आँटो रिक्शा मीटर लगाने व निर्धारित किराया वसूल करने की बाध्यता है। विभाग द्वारा समय-समय पर चैकिंग कर, दोषी आँटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई है :--

अवधि	चैक किये आँटो	अन्य अभियोग में बनाये गये चालान	मीटर से सम्बन्धित बनाये गये चालान	सीज
1	2	3	4	5
1995-96 एवं जून, 1996 तक	177	109	47	127

(राज्य मंत्री यातायात)

मीटर से अधिक किराया लेने की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को दिए हुए हैं।

परिवहन कार्यालय भीलवाड़ा में पंजीकृत वाहन

716. श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) एवं **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिवहन कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 1995 से जून, 1996 तक कुल कितने वाहनों का पंजीकरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वाहनों में सभी वाहन नये खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो इन समस्त वाहनों के माडल किस-किस वर्ष के हैं ? यदि पुराने माडलों का रजिस्ट्रेशन किया गया है तो क्या विभाग ने यह जांच की है कि उक्त वाहनों के मॉडल कौन-कौन से वर्ष के हैं ?

(3) क्या उक्त पुराने वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया उनके बारे में पूर्व के रजिस्ट्रेशन आफिस से एन. ओ. सी. प्राप्त कर यह भी जांच की गई कि इनका पूर्व का कोई टैक्स बाकी है नहीं अथवा ?

(4) 1 जनवरी, 1995 से जून 1996 तक कितने वाहन चालकों को भीलवाड़ा में लाईसेन्स जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिवहन कार्यालय, भीलवाड़ा में दिनांक 1-1-95 से 30-6-96 तक कुल 12189 वाहनों का पंजीकरण किया गया। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त पंजीकृत वाहनों में से 11,482 नये वाहन हैं जिनका विनिर्माण वर्ष (माडल) वही है जो पंजीयन वर्ष है। 707 पुनः पंजीकृत वाहनों के विनिर्माण वर्ष (माडल) का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) अन्य राज्यों से आये वाहनों का पुनः पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 एवं 48 के तहत किया जाता है। अभिलेखों के अनुसार नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, अथवा नियमानुसार तीस दिवस के समय के पश्चात् ही पुनः पंजीकरण किया गया प्रतीत होता है।

(4) दिनांक 1-1-95 से 30-6-96 तक की अवधि में 6882 वाहन चालकों को लाईसेन्स जारी किए गए हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा डिपो से संचालित निगम बसें

717. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा डिपो में निगम की कितनी बसें उपलब्ध है ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या बांसवाड़ा डिपो में सिल्वर लाइन व सुपर डिलक्स बसें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) बांसवाड़ा डिपो की गाड़ियां किन-किन मार्गों पर चलाई जा रही हैं ? गाड़ी की संख्या एवं समय सारिणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) बांसवाड़ा से पीपलखूंट वाया दानपुर, बांसवाड़ा से कुशलगढ़ वाया आमापुरा, बांसवाड़ा से खूंट वाया घाटोल इन मार्गों पर परिवहन निगम की कितनी बसें संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त मार्गों पर आने जाने के लिए एवं दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा आगार में वर्तमान में 83 बसें उपलब्ध हैं, जो सभी साधारण श्रेणी की हैं ।

(2) जी, नहीं । बांसवाड़ा से जयपुर एवं जोधपुर के लिए डीलक्स आगार जयपुर एवं जोधपुर द्वारा एक, एक डीलक्स वाहन संचालित की जा रही है ।

(3) बांसवाड़ा आगार द्वारा संचालित मार्गवार बस सेवाओं का विवरण समय सारिणी सहित सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट-एक)

(4) बांसवाडा से पीपलखूट वाया दानपुर मार्ग का दानपुर से पीपलखूट तक का भाग वर्तमान में अराष्ट्रीयकृत है, इसी प्रकार बांसवाडा से कुशलगढ़ वाया आबापुरा मार्ग भी अराष्ट्रीयकृत है, जिन पर निगम द्वारा वर्तमान में कोई बस सेवा संचालित नहीं की जा रही है ।

बांसवाड़ा से घाटोल-पीपलखूट-प्रतापगढ होते हुए निगम द्वारा वर्तमान में बड़ौदा अजमेर, भीलवाडा, चित्तोडगढ़, जयपुर, कोटा, झालावाड़ के लिए 12 वाहनें संचालित की जा रही हैं ।

(5) जी, नहीं । इन मार्गों पर निगम की बसें चलाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

Page No. 80

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 1996)

नागौर जिले के अकालग्रस्त ग्राम

263. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में कुल कितने गांव हैं, उनमें से कितने अकाल ग्रस्त घोषित हैं ?

(2) अकाल राहत कार्य किस तारीख को शुरू हुए ? किस-किस माह में कौन-कौन से अकाल राहत कार्य मंजूर किये गये ? उक्त कार्य कब-कब शुरू हुये उन पर कितने कितने मजदूर लगे तथा उन पर कितनी-कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया ?

(3) अकाल राहत के तहत पीने के पानी व पशुओं के लिये चारा उपलब्ध कराने के लिये क्या-क्या व्यवस्थायें की गई तथा क्या-क्या अभी की जानी है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में कुल 1453 गांव है उनमें से 1379 गांव अभावग्रस्त घोषित है।

(2) स्वीकृत किये गये अकाल राहत कार्य एवं भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट -"अ")

(3) अकाल राहत के तहत पीने के पानी/चारा व्यवस्था के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"ब")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 1996)

वार्ड नम्बर 19 (जयपुर) में वसूल गृह कर

312. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम जयपुर के वार्ड नं. 19 में किन-किन सहकारी समितियों की कौन-कौनसी आवासीय कालोनियां सम्मिलित की गई हैं और कुल कितने प्लाट्स कवर किये गये हैं ?

(2) वार्ड संख्या 19 में वर्ष 1994-95 तक गृहकर के रूप में किन-किन प्लाटधारियों ने गृह कर चुकाया और गृह कर के पेटे कुल कितनी रकम वसूल की गई ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1994-95 तक गृहकर के पेटे रुपये 15,20,757.50 नगर निगम, जयपुर में जमा हुए हैं व वार्ड नं0 19 के गृहकरदाताओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 1996)

नगर पालिका लाडनूं (नागौर) के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना

316. श्री हरजीराम बुरडक : (लाडनूं) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर का आखरी अंकेक्षण कब से कब तक का एवं कब हुआ ? उसमें क्या क्या अनियमिततायें पाई गई ? अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना के लिये विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है तथा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? अनुपालना, प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हैं और क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो नियमों व जारी निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, लाडनूं का अखिरी अंकेक्षण दिनांक 1-4-94 से 31-3-95 तक का हुआ हैं तथा यह अंकेक्षण दिनांक 29.12.95 से 27.1.96 तक किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति एवं उसमें पायी गई अनियमितताओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किये जाते रहे हैं। नियमानुसार प्रथम अनुपालना हेतु तीन माह का समय निर्धारित हैं। यह प्रतिवेदन नगर पालिका, लाडनूं में दिनांक 13-6-96 को प्राप्त हुआ हैं। अतः नगर पालिका द्वारा अनुपालना की कार्यवाही अभी की जा रही हैं।

(3) जी, हां। नियमों एवं निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(विवरण एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 1996)

भरतपुर के पेट्रोल पम्पों पर हो रही अनियमितताओं की जांच

342. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दिनांक 1 अप्रेल, 1995 से 31 मार्च, 1996 की अवधि में भरतपुर स्थित पेट्रोल पम्पों की जांच की गई थी ? यदि हां, तो इनमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई ? पेट्रोल पम्पों के नामों एवं अनियमितता की जांच रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं। भरतपुर स्थित किसी भी पेट्रोल पम्प की जांच नहीं की गई, अतः जांच रिपोर्ट रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल मैसर्स शिवप्रसाद गुप्ता एण्ड

82

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

संस के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर इस पेंट्रोल पम्प पर स्थित लुब्रिकेटिंग के कारोबार की दिनांक 7.2.96 को जांच की गई थी।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : (1) श्री मोतीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रूपवास के कस्बा उच्चेन की पेयजल टंकी 4 वर्ष से बंद पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले के इटावा कस्बे में ए.सी.एम. कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार में सड़कों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

(5) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से छोटी सादड़ी के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में कला संकाय तुरन्त खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में वर्षा नहीं होने के उपरान्त भी अकाल राहत कार्यों में लगे श्रमिकों को कम कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादासी के कस्बा गुढ़ाचक्र जी को पर्यटन स्थल व आदर्श ग्राम घोषित करने के उपरान्त भी इसके लिये आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री कमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन-महुआ रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिला परिषद द्वारा रिक्त पदों की जानकरी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में कानोता से सामरिया होकर अथलपुरा तक

(श्री अध्यक्ष)

सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री किशना राम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ की विद्युत समस्या के सम्बन्ध में।

(13) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर स्थित बरकतुल्ला खां स्टेडियम के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर के उजनेश्वर जी महाराज के आसपास हुए अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री परसादीलाल मीणा सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के क्लार्क होटल के पीछे स्थित अपोलो नगर हाउसिंग सोसायटी द्वारा लाल बहादुर स्कीम के पूर्व में दिये गये आवटंन पत्रों को फर्जी बताकर कब्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में।

(16) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर की रेलवे कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि का नियमन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) डा0 जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना संख्या 2 के आवासीय भूखण्ड संख्या 8 का पुनः रूपान्तरण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को आज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। उनके सभी 295 के प्रस्ताव पढे हुए मान लिये जाएंगे, आज क्योंकि एप्रोप्रिएशन में काफी सदस्यों को बोलना भी है। आज आपने बहुत ज्यादा पर्चियां पकड़वा दीं, पर फिर भी....(व्यवधान) बिराजिए। श्री माधवसिंहजी। जल्दी-जल्दी अपनी बात कहें।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने किस तरह से...

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि अभी सत्र समापन के दो तिन रहे हैं। पहले भी हमने निवेदन किया था और अब भी कर रहे हैं कि रिजर्वेशन पर चर्चा के लिये समय दिया जाए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसके लिये अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। पहले यह लेने दें।

Page No. 84

८४

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ. बी. सी. के कुछ मामले हैं, उनके बारे में चर्चा की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रहने दीजिए आप।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन के लिए आप कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं दो बजे बाद करूंगा।

श्री कालूलाल गूजर : समय फिक्स करें।

श्री अध्यक्ष : दो बजे बाद बता देंगे। आप बिराजें।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने का मौका दिया जाए। आरक्षण के जो मुद्दे उभरे हैं वे सारे ही अनुसूचित जाति के खिलाफ हो रहे हैं। चाहे प्रमोशन के बारे में हो चाहे नौकरियों के बारे में हो, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। माधव सिंह जी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने रिजर्वेशन के लिए कहा था कि आप वहां मिल लें।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी दो बजे बाद करूंगा। कोई आया ही नही मेरे पास। आपको मैंने चैंबर में बुलाया था आपसे बात करने को....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने आश्वासन दिया था, कि सोमवार को इस सम्बन्ध में चर्चा करा ली जायेगी। आज सोमवार हो गया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। एप्रोप्रिएशन में देखते हैं अभी।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, अब कब होगी ? दो दिन रह गये हाउस में।

श्री अध्यक्ष : अभी बात करते हैं आपसे दो बजे बाद। दो बजे बाद करूंगा, आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : परसों कहा दो बजे बाद, आज फिर दो बजे बाद।

श्री अध्यक्ष : आप कोई आये ही नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कैसे नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने कहा था कि मैं चर्चा करके....

श्री अध्यक्ष : ऐक सैण्कड बिराजें आप। मैं दो बजे बाद कह रहा हूं। अभी तक दो दिन बाकी हैं। माधव सिंह जी।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक

(श्री माधव सिंह दीवान)

सनसनीखेज मामला रखना चाहता हूं कि किस प्रकार पुलिस, मर्डर करने वाले को बचा रही है। 3-6-96 को एक कुएं में एक लाश मिली। पुलिस को इत्तला हुयी। पुलिस ने वह लाश बाहर निकाली। जो आदमी लाश के साथ देखा गया था, भंवरलाल सांठिया, उसको पुलिस ने पकड़ा। जैसी कि आमतौर पर कार्यवाही होती है, पुलिस ने उसको गांव में पकड़ा। उससे जब पूछताछ की तो उसने गांव के सामने कहा कि साहब मेरे को तो साथ में दारू पिलाने के लिये भेजा था और मेरे साथ ये दो आदमी और थे जिन्होंने मिलकर इसको मारा। गांव के सामने कबूल कर लिया। पुलिस के थानेदार ने आकर कहा कि केस खुल गया, अब चिंता मत करो। तीनों को पुलिस ने थाने में 8 दिन तक रखा। 8 दिन तक न तो उनका रिमाण्ड लिया, न कोई, अनआफिसियली रखा। आठ दिन तक गांव में कंफ्यूजन रहा कि पुलिस क्या करने जा रही है। बड़ी भारी राशि पुलिस ने उन दो लोगों से लेली। आठवें दिन इस भंवरलाल सांठिया को, जो लाश के साथ देखा गया था, इसको तो जे. सी. कर दी और उन दो आदमियों को बिलकुल ही छोड़ दिया, जैसे कि वे कहीं इन्वालव्ड ही नहीं थे। उन्हें कहीं इन्वालव्ड नहीं करके बता दिया। गांव में आतंक मच गया। पूरे इलाके में हो गया कि यह क्या हुआ, अन्याय कैसे हो गया। पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। शायद मुंसिफ मजिस्ट्रेट तक भी बात पहुंची होगी, मगर जे. सी. में था उसका क्या इलाज हो सकता था। पुलिस 161 में जो चाहे वह बयान लिख ले। एक ही तरीका था, उस भंवरलाल सांठिया ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट को इत्तला करायी कि साहब मेरी बात तो सुनों। मैं क्या कह रहा हूं और पुलिस लिख क्या रही है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट समझदार थे। उन्होंने मंजूर किया। एक बार गये। एक बार जाकर उनसे मिले और उनसे मिलकर कहा कि आप जो बयान दे रहे हो वह आपके खिलाफ हो सकता है। 164 में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के सामने उसने वही बयान दिये जो पुलिस के सामने कहे थे- "साहब मैं तो दारू लेने गया था और ये दो जने मेरे साथ में थे। मारा तो इन्होंने है। पुलिस मेरे साथ जुल्म कर रही है। अब मेरे को वह थानेदार प्रलोभन दे रहा है कि तुमको 20 हजार रुपये और 10 बीघा जमीन दिला दूंगा; तुम अपने बयान पर काबिज रहो।"

माननीय गृह मंत्री जी को यह एप्लीकेशन दी। विचित्र स्थिति यह है कि जो आदमी मरा है उसका वजन 90 किलो है। जिस कुएं में डाला है जिससे मर्डर की जगह 200 मीटर दूर है। 200 मीटर दूर 90 किलो की लाश को किस प्रकार एक आदमी लाकर कुएं में डाल सकता है? वहां जो निशान मिले, खाली एक पांव की एक रगड़ वहां दिखती है और कोई निशान नहीं हैं। बिना 2-3 आदमियों के उठाये, मदद किये लाश को वहां लाकर कोई नहीं डाल सकता। फिर भी पुलिस अभी तक एडामेंट है। पता नहीं किस कारण से, किस के दबाव में पुलिस है। पैसे के दबाव में या कोई राजनीतिक दबाव है।

(श्री माधव सिंह दीवान)

मंत्री महोदय, आपका जैसा पुराना रेकार्ड रहा है, इस तरह के केस में राजनीतिक दबाव देने की आपकी आदत नहीं है, वहां के 50 लोकल आदमी बस में भरकर यहां आये हुए हैं। रात को वे सभी मेरे यहां थे। सुबह भी वे यहां थे और वे यहां से जाने को ही तैयार नहीं हैं। उनका लोकल पुलिस के ऊपर से बिलकुल विश्वास हट गया है। इस तरह से जब खुले आम गांव के बीच में वह कह रहा है कि साहब इस तरह से हुआ और उसको छोड़ कर पुलिस पता नहीं किस बात की कार्यवाही कर रही है और पुलिस की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। आशा है आप कहीं न कहीं उनसे कुछ कहलवाएंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। मांगी लाल जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मामला गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बिराजें। (व्यवधान) आप सुनिए। आप सुनें एक मिनट बैठें आप। मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो यह हत्या का मामला उठाया है यह जैतारण तहसील के मेरे पैदाइशी गांव गरणिया का है। 70-80 लोग मेरे घर पड़े हैं और उन लोगों की यह मांग है। भंवरलाल सांठिया जो अंदर बंद है, वह बार-बार यह कह रहा है कि मेरी बात को पुलिस क्यों नहीं सुन रही है। 164 के बयान होने के बाद भी वे लोग यहां आये। एक संयोग की बात है कि जो वहां एडिशनल एस. पी. है वे बूंदी से वहां गये हैं और मैंने उनको कहा कि आप न्याय की बात करिए, निष्पक्ष जांच करके सही अर्थों में हत्यारा किसी भी रूप में बचना नहीं चाहिये। अभी वे लोग आये हैं। परसों उनकी बात हुयी है और उन्होंने कहा कि आप इन 2-3 लोगों को, जो मुलजिम हैं, इनको और सांठिया को हमारे सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बात कराइए। परसों बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने जाकर मेरे को कहा कि तू शराब पीने के नाम से उसको बुला ला और मृतक तुलसाराम को सांठिया बुलाकर लाया है। तीनों-चारों ने बैठकर शराब पी है और वह ज्यों ही पेशाब करने गया, उसके सारे बयान है कि उसको मारा और काटकर उसको घसीट कर तीन लोग कुए में पटक कर आ गये। जैसा कि माननीय विधायकजी ने बताया है 90 किलो के आदमी को क्या कोई अकेला आदमी मार सकता है। पुलिस थानेदार उस को 10 हजार, 20 हजार रुपये और 10 बीघा जमीन देने का दबाव डाल रहा हैं और वह मना कर रहा है। आज पुलिस उस गांव के गाड़िया लुहारों को, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की औरतों को थाने लाला कर नंगा करके पीट रही है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी और सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि...

Page No. 87

(87)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें डालूराम और लादूराम, इन दोनों को जैतारण पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाए। यह मामला है जिसमें 164 के बयान रिकार्ड होने के बावजूद....

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिए, कृपया सुनें। (व्यवधान) एक मिनट सुनिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भंवरलाल ने पुलिस कस्टडी में 164 के बयान दिये। इसके बावजूद भी लादूराम और डालूराम को 302 का नहीं माना जा रहा है। (व्यवधान) 302 का मुलजिम नहीं बनाया जा रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डिप्टी एस. पी. ने, जुडिशियरी कस्टडी में जब (व्यवधान) बन्द था। दोनों मुलजिमों को आपस में मिलाया....

श्री जुबेर खान : उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : लादूराम और डालूराम दोनों को 302 का मुलजिम बनाया जाए। भंवर लाल के बयान हो गये हैं इसके बावजूद भी जैतारण पुलिस इनको छोड़ रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिए, बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गरड़िया में यह मर्डर हुआ। इसमें मेरा होम मिनिस्टर साहब से भी निवेदन है कि इसकी चाहे किसी भी अधिकारी से हो; लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसको दण्ड मिलना चाहिए और जो निर्दोष है वह नहीं मरना चाहिए, यही मेरा आग्रह है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, महोदय, आज सवेरे माननीय विधायक माधव सिंह जी दीवान और मांगीलालजी की अगुवाई में करीब पचास व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल मेरे से मिला था। मैंने इन सबके सामने एस. पी. को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि वे खुद इसकी प्रोबिंग करें, सारे केस का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करें तथा कोई गुनहगार छूटने न पाये तथा कोई बेगुनाह फंसे नहीं। क्योंकि गांव में जिस तरह के दबाव पड़ रहे हैं, उस दबाव में मैं चाहता हूं कि सत्य बिलकुल सामने आए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सवेरे तो आप बिलकुल संतुष्ट होकर गये थे और मैंने कहा था कि यह अभी है तथा यदि आप इससे सन्तुष्ट नहीं होंगे तो... (व्यवधान) क्योंकि आपने एक बात रखी, मैं निवेदन कर दूं। आपने कहा कि सी. आई. डी. को दे दो। सी. आई. डी. में पुलिस तुरन्त नहीं जाएगी और 90 दिन तक अगर चालान पेश नहीं होगा तो वह भी....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गृह मंत्रीजी के आदेश के बाद क्यों नहीं जाएगी? तुरन्त जाएगी, आप आदेश तो दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने आज एस. पी. से कहा, आपके सामने निर्देश दिये हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

एस. पी. से. मैं शाम को फिर बात करूंगा अगर एस. पी. किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बड़े से बड़े अधिकारी से इसमें जांच करा लेंगे, बिलकुल निष्पक्ष जांच करा लेंगे। मैं कहीं भी किसी तरह से इसमें किसी को फेवर करने को तैयार नहीं हूं। मैरिटस के बारे में इन्वेस्टीगेशन आफिसर की ड्यूटी है कि जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं, उसको वह 'वे' करे। मैरिट्स के बारे में किसने क्या बयान दिये हैं, उन बयानों में क्या है, उसके बारे में यहां किसी तरह की कोई टीका-टिप्पणी करना गृह मंत्री के रूप में मेरे लिए उचित नहीं है। मैंने एस. पी. को बिलकुल स्पष्ट निर्देश दिये हैं और उनसे मैं आज शाम तक या कल सवेरे मैं पूरी रिपोर्ट ले लेता हूं। वह जो रिपोर्ट देता है, उसके आधार पर माननीय सदस्यों को अगर यह लगता है कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई है तो किसी बड़े अधिकारी-को यहां से भेज देंगे। (व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : आप बड़े अधिकारी को भेज दें, हम यही चाहते हैं।

श्री जुबेरखान (रामगढ़) : उनके खिलाफ एक्शन लेंगे नहीं। अगर जांच में नीचे के अधिकारियों ने गड़बड़ की है तो उनके खिलाफ ...(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा : बड़ा अधिकारी यहां से भेज दिया जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एस. पी. के डायरेक्शन में तो वह तफ्तीश चल रही है और डीवाई. एस. पी. और कमिश्नर.. (व्यवधान) और 164 के बयान हो गये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जैतारण पुलिस से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : और एस. पी. ने कहा है कि... (व्यवधान) बंद करा दिया, आप क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्रीजी, जैतारण पुलिस से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। हो गया, मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया है कि कल यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरा देखेंगे, बिराजिए आप। श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

श्री माधवसिंह दीवान : किसी एक उच्च अधिकारी की घोषणा आप फरमा दें। किसी को भी आपके यहां से भेजें।

श्री कैलाश मेघवाल : बात करेंगे, आप से भी कहा है, कल बात करेंगे। शाम को मैं रिपोर्ट ले लूं, उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है।

श्री माधवसिंह दीवान : डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीने में पुलिस ने कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इधर के और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि इसकी किसी दूसरे उच्च अधिकारी से जांच करवा दें।

श्री माधवसिंह दीवान : 3 जून का मर्डर है। डेढ़ महीने में कुछ नहीं किया तो एक दिन में क्या हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : डेढ़ महीना हो गया। मंत्रीजी, आप किसी बड़े अधिकारी को यह जांच दे दें।

श्री अध्यक्ष : अब विराजिए। बात हो गयी, एस. पी. को इंस्ट्रक्शंस दे दिये हैं। यदि नहीं होगा तो दूसरी बात देखी जाएगी। धारीवाल साहब।

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, यह तो विधान सभा चल रही है तब की बात है। बाकी, विधान सभा नहीं चल रही हो तो ऐसे कई मुकदमे नीचे-के-नीचे तय हो जाते है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। ये जब-जब भी इस तरह के प्रकरणों को मेरे सामने लाए हैं, चाहे विधान सभा चल रही हो या नहीं चल रही हो, मैंने मेरी तरफ से बिलकुल निष्पक्ष कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। आप यह आरोप मत लगाइये।

श्री माधवसिंह दीवान : आप पर कोई आरोप नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब यह डेलिगेशन आ रहा था तो पुलिस ने कल गांव में आकर हाथा-जोड़ी की है, पांव पकड़े हैं कि जयपुर मत जाओ। यह तो विधान सभा का चमत्कार है कि पुलिस जाकर जनता के सामने हाथ जोड़ रही है। नहीं तो पुलिस बुला-बुला कर जो हालत करती है। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : इस तरह का आतंक है वहां।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। सुन ली बात। धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर के महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं आन्दोलित हैं।...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, किस बात के लिए आन्दोलित हैं, आज जल्दी कहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्योंकि महाविद्यालयों में साइंस, आर्टस और कामर्स के हर सेक्शन में सीटें कम कर दी गई हैं। पिछले वर्ष साइंस में 690 छात्र और छात्राओं के एडमिशन हुए थे, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 540 का एडमिशन हुआ है, यानी 150 छात्र और छात्राएं कम कर दी गई। आर्टस में पिछले वर्ष 542 छात्र-छात्राओं को एडमिशन दिये गये थे, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 420 यानी 122 छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। जबकि यह होना चाहिए था कि सेक्शन और बढ़ाए जाते, सीटें और बढ़ाई जातीं। जिन छात्र और छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल पाया,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

उन्होंने आन्दोलन में परसों के रोज कोटा के बाजारों में कटोरा लेकर भिक्षा मांगी। भिक्षा में जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको वे जिलाधीश महोदय को मुख्य मंत्री सहायता कोष में देने के लिए गये थे। जिलाधीश ने लेने से मना कर दिया। हालत यह है कि आप एक तरफ तो शिक्षा के प्रसार की बात करते है, विश्वविद्यालयों में और जितने भी आपके स्कूल हैं उनमें सीटें बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन कोटा में, जहां के उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यहां पर बिराजमान हैं, वहां की हालत यह है। सीटें बढ़ाने के बाबत आपने छात्रों से वादा किया कि मैं रविवार को आ रहा हूं और रविवार को आकर यह समस्या सुलझा दूंगा। आप कोटा पधारे ही नहीं, विश्वविद्यालय के उप कुलपति से छात्र-छात्राएं मिले। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्राचार्य से लिखवाकर दे दो, मैं सीटें बढ़ाने को तैयार हूं। लेकिन आपके प्राचार्य हठधर्मिता के कारण उन छात्र-छात्राओं के भविष्य से खेल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उच्च शिक्षा मंत्रीजी इस बात की घोषणा करें कि जिन लोगों को वहां पर प्रवेश नहीं मिला है, उनको प्रवेश मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : आदरणीय अध्यक्षजी, ये छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, मेरा सवाल भी यही है।.... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा सवाल भी अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अलग से स्लिप है। बिराजिए आप (व्यवधान)......इनकी स्लिप है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इसी से सम्बन्धित है, एस. डी. गवर्नमेंट कालेज, ब्यावर में....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : झुन्झुनू कालेज में एक हजार छात्राएं प्रवेश के इन्तजार में हैं....

श्री अध्यक्ष : नो, नो। आपने कोई स्लिप नहीं दी है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा निवेदन इसमें यही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आदेश कहां दिये, उन्होंने अनुमति ली है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का मामला है। चाहे डीडवाना हो, चाहे सीकर हो, यह पूरे राजस्थान की बात है। इसलिए पूरे राजस्थान की एक साथ घोषणा कर दी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया ध्यान दें। (व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री जुबेर खान : सारे कालेजों में है, अलवर में.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर में भी यही स्थिति चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ? आप बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे राजस्थान में यही स्थिति है (व्यवधान) लेकिन 45 प्रतिशत की जगह 52 और 53 प्रतिशत पर भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब 53 प्रतिशत लास्ट है तो वहां और सेक्शंस खोले जाने चाहिए ताकि कम से कम एडमिशन तो हो सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि इनका अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे राजस्थान का मामला है। पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। इतनी विकट स्थिति है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री किशन गोपाल कोगटा : ×××

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजिए, आपका सबका नम्बर ले रहा हूं फिर भी आप....... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर कॉलेज की स्थिति पिछले दो साल पहले भी मैंने आपको बताई।

श्री अध्यक्ष : नो-नो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पिछले साल भी हड़ताल हुई, भूख हड़ताल हुई। अब भी एन. एस. यू. आई. का मैंने आपको मीमो दिया। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिराजिये, बिराजिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने मुझे यह कहा था कि मैं इसमें घोषणा करूंगा। एक महीने से लड़कियां भूख हड़ताल पर बैठी हैं....(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक महीना हुआ कहां है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : लड़के भूख हड़ताल पर हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक महीने भूख हड़ताल पर बैठ ही नहीं सकतीं, बिराजिये आप ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने पिछली दफे भी उसके लिए हुक्म दिया था कि मैं इसके अन्दर आपकी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । बिराजिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपके माध्यम से मैं उनसे बात....

श्री अध्यक्ष : हां बात हो गयी ना आपकी....

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं-नहीं, साहब, बात कहां की है ?

श्री अध्यक्ष : आपने कहा कि लड़कियां भूख हड़ताल पर है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, निवेदन यह है, एक मिनट का तो समय दीजिये न आप । अर्ज यह है कि अभी आपने परसों प्रोमिज किया था । (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं जो प्रोमिज करता हूं (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने यह कहा था कि मैं आपके गर्ल्स कॉलेज में होम साइन्स और कामर्स और आर्ट्स के सैक्शंस और बढाऊंगा, लेकिन वे नहीं बढ़ाये । आपने पिछली बार यह कहा था कि जिन लड़कियों के 33 पर्सेण्ट मार्क्स होंगे, उन लड़कियों को एडमिशन अवश्य दिया जाएगा क्योंकि महिलाओं के ऊपर हमारी खास तौर से तवज्जोह है, लेकिन आपका यह ध्यान क्या हुआ कि 50-55 और 60-65 पर्सेण्ट की लड़कियों को भी, अध्यक्ष महोदय, आज तक एडमिशन नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । कृपया, बिराजिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमारा जो जिला है वह तीस लाख की आबादी का जिला है । उसमें केवल मात्र एक लड़कियों का कालेज है और गांव से बड़ी दूर से लड़कियां आकर के....

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गांव में है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये न आप । ज्यादा भाषण अलाउ नहीं करूंगा....

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने प्रोमिज किया था।

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी का अब अंकित नहीं करें। अब अंकित नहीं हो रहा है, आपकी बात को सुन लिया मैंने।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप। बहुत बात हो गयी, बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इनसे सम्बन्धित जिलों का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बतायें कि (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया, बिराज जाएं। राधेश्यामजी थक गये होंगे आप, बिराज जाएं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया, बिराजिये न आप। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं; आप बात तो सुनें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब दिलवा दें, मेरा भी ऐसा ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आइन्दा मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा इस तरीके से सारे के सारे सदन को आप रोके रखते हो I will not allow you further.

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इससे सम्बन्धित प्रश्न है, एक साथ जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : वे सबका दे रहे हैं। आप पहले सुन लें।

श्री भीमसेन चौधरी : बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय का मैं निवेदन करूं.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। इन्होंने जवाब।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक साथ ही जवाब दिला....

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी, हां। सबका कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस बार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। इस कारण से एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए पंजीकृत हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को छोड़कर, मेरी सारे सदस्यों से व्यक्तिगत बातचीत इन प्रवेश के बारे में हुई है। मैंने उनको अपनी ओर से आश्वस्त किया है, किन्तु फिर भी क्योंकि यह प्रश्न हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो कोटा के निवासी हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं, उन्होंने रखा है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उस विषय का हल हमने निकाला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि विद्यार्थियों की संख्या अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद बढ़ी है और जो प्रवेश के लिये आये हैं, मैं कोटा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, प्रारम्भ से और फिर सबके लिये एक नीति बनायी है, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। प्रारम्भ में सरकार ने यह विचार किया था कि एक कमरे की जो एकोमोडेशन है, वह 60 विद्यार्थियों से ज्यादा की नहीं होती। क्वालिटेटिवली हम पढ़ाई को ठीक करना चाहते हैं और नियमित उपस्थिति जो चालू की है, उस कारण से 70 विद्यार्थियों की बजाय 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाय, ऐसा विचार राज्य सरकार ने किया था। किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया, क्योंकि बिल्डिंग इतनी जल्दी उस परिणाम में नहीं बढ़ सकती इसलिए पुनः जो 60 का अंक किया था उसको बढ़ाकर प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक सैक्शन में 70 की संख्या कर दी गयी है और लास्ट सैक्शन में 80 की की गयी है, इस कारण से जो संख्या कम दिखती है, सब जगह, उसमें एक भी व्यक्ति की, विद्यार्थी की कमी नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी हमने महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कहा है कि फर्स्ट आर्ट्स और फर्स्ट ईयर कामर्स, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत आयी है। जो-जो इलीजिबल विद्यार्थी है, यदि उनके बैठने की जगह महाविद्यालयों है और फर्नीचर है तो वह जल्दी से सर्टिफिकेट मंगवा दीजिये, उनके सर्टिफिकेट 3/4 महाविद्यालयों के हमको प्राप्त हो गये। जहां-जहां स्थान होगा, जहां-जहां फर्नीचर होगा, वहां राज्य सरकार आर्ट्स और कामर्स में निश्चित रूप से जितने इलीजिबल विद्यार्थी हैं उनके प्रवेश के लिये वर्ग बढ़ाएगी, सैक्शन बढ़ाएगी, कोई संकोच नहीं करेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आर्ट्स और कामर्स के लिये तो आपने फरमा दिया, साइन्स का क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुनों।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात तो कर रहा हूं, बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह तो आपने पिछली बार भी निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, आप

(श्री अध्यक्ष)

सुनने के आदि नहीं हैं। केवल दूसरे आपकी सुनें बस।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी तो चर्चा ही कर रहा हूं। पूरी तो होने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सारा सदन सुनें, अब पूरी बात ही नहीं हुई है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो फैकल्टीज के बारे में तो बोल दिया, साइन्स के बारे में भी तो बोलिये।

श्री अध्यक्ष : सुनो तो सही।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक साइंस का विषय है, जो लेबोरेटरीज हैं अगर लेबोरेटरीज की कैपेसिटी अधिक स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से एकोमोडेट करने की है तो निश्चित रूप से साइंस में भी वर्ग खोला जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के आधार पर मैं फिर माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि इस बार जो प्रवेश की आयी है, हमने इस बार लीनियेंसी और रखी है किस परिमाण विद्यार्थियों की संख्या जो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि गर्ल्स कालेज की ओर हमारा ध्यान ज्यादा है, किन्तु सरकार के साधन सीमित हैं तो प्राइवेट कालेज के लोग भी जो अपनी नयी स्वीकृति लेने के लिये आएंगे, राज्य सरकार उनमें उदारता बरतेगी, ताकि प्राइवेट कॉलेज की और स्थापना हो जाय। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस 33 पर्सेण्ट की चर्चा की है मैं उसका हामी हूं। किन्तु 33 पर्सेण्ट तो तब होगी जब वहां एकोमोडेशन हो। अगर एकोमोडेशन नहीं होगी तो हमको कामर्स 40 पर्सेण्ट, आर्ट्स में 45 पर्सेण्ट और साइंस में 48 पर्सेण्ट को हमने निश्चय किया है, इलीजिबिलिटी के लिये, उसके आधार पर होंगे। मैं फिर आपके माध्यम से सारे सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में जागृत है। हम लगातार महाविद्यालयों के प्राचार्यों से कांटेक्ट में हैं और इस प्रवेश की समस्या को हल कराने के लिये कृत-संकल्प हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। नहीं, भरतसिंहजी।

एक माननीय सदस्य : महारानी कॉलेज में ही एक संकाय (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने कहा था कि आप बनाकर दे दो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भरतसिंह जी। Not allowed.

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक ही सैकण्ड....

श्री अध्यक्ष : This is not a debatable issue.

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, मैं उनके ही पास जाकर, मैं कुछ नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपको बात करनी है तो आप अलग से बात कर लीजिये। आप मंत्रीजी से बात कर लीजिये, बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने एग्री किया था कि आप कालेज में कमरा बना दो, फर्नीचर बना दो, मैं सैक्शन खोल दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये-बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने मुझे कहा था। और ....(व्यवधान)...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : खोल देंगे। कमरा बनाकर वह सूचना लाओगे तो खोल देंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। आपने कहा था.... (व्यवधान). हमारे जो कालेजेज हैं .... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह कोई एजुकेशन की डिमांड नहीं है। यह कोई बात आयी है, इन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया और पूरी बातें आ गयी....(व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर : कहा हुआ है इनका (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात अगर नहीं आयी है तो अलग से बात करें। आप बिराजिये। भरतसिंहजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक सैकण्ड साहब।....(व्यवधान)... यूनिवर्सिटी से जो गंगानगर और हनुमानगढ़ को जोड़ा गया है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, ताम्बी साहब नहीं। बिराजिये। राधेश्यामजी का अब अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है....

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने इसके लिये आपसे अनुमति मांगी है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पर्ची से अनुमति मांगी है। इसलिये अनुमति दी है। आपको अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : अनुमति दीजिये। बहुत जरूरी है साहब। भीलवाड़ा में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। 12 तारीख तक प्रवेश दिया जाना था और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 13 तारीख को आया....

श्री अध्यक्ष : अब कोई अंकित नहीं हो। बिराजिये, अंकित नहीं होगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्री अध्यक्ष : अब आप कितना भी बोलें मैं अंकित नहीं कराऊंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब आप विराजिये । यह बात ठीक है कि रिजल्ट 13 को नहीं आया, 9 तारीख को आया है और व्यावसायिक सब्जेक्ट्स वालों को प्रवेश की तिथि हमने 31 जुलाई कर दी है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । भरत-सिंहजी ।

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । आपका डिबेट खतम नहीं होने वाला है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । भरतसिंहजी यह प्रश्न नहीं है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, माननीय । भरत सिंहजी ।

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : कमलाजी, मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने अनुमति मांगी है... (व्यवधान) ....

श्री रतन लाल ताम्बी : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी से बात कर लें आप । भरत सिंहजी । कोई अंकित नहीं हो ।

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : किसी का कोई अंकित नहीं होगा ।

श्रीमती कमला : ×××

श्री भीमसेन चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप कहां से खड़े हो गये, बीच में डूंगर कालेज आ गया । नहीं बिराजें आप । भीमसेन साहब, आप कॉपरेट करिऐ ।....(व्यवधान).... भरत सिंहजी ।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा । इसी सदन में जिस विषय पर मैं अभी ध्यान दिला रहा हूं । गत वर्ष भी मैंने उसी पर प्रकाश डाला था ।

श्री अध्यक्ष : कृपया दूसरों की भी महत्वपूर्ण बात है, उसको भी सुनें आप ।

श्री भरत सिंह : कोटा सम्भाग के बारे में जो बंदूकों के लाइसेंस दिये जाते हैं उनमें अनावश्यक विलम्ब होता है । जो कानून के तहत लाईसेंस लेना चाहते हैं उनको तो समय पर लाईसेंस मिलते नहीं हैं और लाई-सेंस न मिलने की वजह से जिन लोगों की

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भरत सिंह)

मृत्यु हो जाती है उनकी विधवाओं को बहुत परेशानी आती है । सी. आई. डी. से जांच के नाम से लाइसेंस आपके यहां पड़े रहते हैं । प्रभावशाली लोगों के लाइसेंस बन जाते हैं और जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनको बड़ी दिक्कत आती है । आपने पिछली बार एक आदेश सब जिला कलेक्टर्स और एस.पीज. को दिया है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपके आदेश के बाद भी किसी ने भी पालना नहीं की । यहां तक कि उसके बाद शाहबाद क्षेत्र में डकैतियां हुई और फिर आपने उसी आदेश के तहत वहां जा कर कैम्प लगवा-कर लाइसेंस दिलवाने की बात की । वह आदेश आप पहले ही दे चुके थे। मेरा आपसे निवेदन है कि लाइसेंस देने के प्रकरण में व्यापक भ्रष्टाचार होता है । आप अगर एक समय-सीमा रख दें कि महीने के अन्दर, डेढ़ महीने के अन्दर यहां से लाइसेंस क्लियर हो जाएगा तो लोगों को काफी रिलीफ मिलेगी । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगी कि आपने ऐसी-ऐसी योजनाएं बनाई, जिनके माध्यम से जोधपुर शहर के अन्दर, शहर के परकोटे के अन्दर, जिससे मैं खुद चुनकर आई हूं, वहां पर चिकित्सा का सुधार हो रहा है । इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का धन्यवाद दूंगी और 7-10-1995 को आप जोधपुर पधारे थे उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । जोधपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन डिस्पेंसरियां हैं । एक है नवचौकिया, दूसरी हुसैन मण्डी तथा तीसरी महिला बाग । अध्यक्ष महोदय, दो जगहों पर मंत्रीजी ने किसी वार्ड का शिलान्यास किया और वार्ड का शिलान्यास करते समय मंत्रीजी ने बहुत ही जोश-खरोश के साथ, जैसे कि युवा मंत्री हैं, इसी तरीके से आपने नवचौकिया डिस्पेंसरी के अन्दर एक प्रसूति गृह की घोषणा की । मैं बहुत ही खुशी के साथ कहती हूं कि माननीय मंत्रीजी ने एक बहुत अच्छी घोषणा की, मगर इसके साथ ही एक बात और कहना चाहती हूं । मेरे सामने खेत सिंहजी विराजमान हैं और खेद के साथ यह कहना है कि खेत सिंहजी राठौड़ भी वहां पर चिकित्सा मंत्री रहे, मगर इन्होंने शहर की तरफ कभी आंख उठा कर भी नहीं देखा । इन्होंने वहां पर डिस्पेंसरियों के बारे में भी विचार नहीं किया । दूसरे चिकित्सा मंत्री हमारे राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ हैं, जिन्होंने वहां पर तुरन्त ही इस बात की घोषणा की ...

श्री अध्यक्ष : दो राठौड़ों का है

(श्री अध्यक्ष)

मामला। दो राठौड़ों का मामला चल गया अब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। आपने ऐसी घोषणा की कि जिससे वहां के आस-पास के लोगों को काफी कुछ ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय जुबेर खानजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पहले निवेदन कर चुकी हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, अब नहीं। और कोई बात....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरे को पांच मिनट, पांच मिनट ...

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट थोड़ी होती है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां पांच मिनट। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरे को तो कोई बोलने का मौका ही नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप बात कहो न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप कह देते हो तो मैं अनुशासन में रहती हूं, मुझे डर लगता है कि मुझे बैठना जरूरी है। आप आज्ञा दें तो मैं बोलूं। आप की आज्ञा से बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : हां बोलो न आप, जल्दी करो आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इन्होंने चिकित्सालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिये पद सृजित किये थे, इसलिए उन कर्मचारियों का पद भर दिये जाएं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन पदों की स्वीकृति की आवश्यकता है, जिनके भरने से ऑपरेशन थियेटर व वार्ड का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कनिष्ठ विशेषज्ञ, जे. एस. सर्जरी पद एक, कनिष्ठ रोग विशेषज्ञ, जे. एस. स्त्री रोग पद एवं कनिष्ठ रोग विशेषज्ञ एवं एक चिकित्सा अधिकारी पद, मेल नर्स ग्रेड II, प्रशासनिक ए. एन. एम. के दो पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वार्ड के पदों को भर दिया जाए तो वहां पर कुछ सुविधा हो सकती है। वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत ही आवश्यकता है। इनके नहीं होने के कारण बहुत सी असुविधा रहती है। इसी प्रकार मैं महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक हृदय रोग का सर्जन नियुक्त करने हेतु निवेदन करती हूं। जोधपुर में हृदय रोग विभाग में एक रीडर व एक लैक्चरार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बस, बहुत हो गया। 295 पढ़ने लग गयीं क्या आप?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, अभी केवल एक लैक्चरार कार्यरत है, जबकि बीकानेर व अजमेर में अभी एक-एक प्रोफेसर का पद है। मेडिसिन एवं सर्जरी चूंकि दो जगह कार्य करते हैं, उनमें यूनिट्स बढ़ायी जाएं व कम से कम एक प्रोफेसर व एक रीडर लगाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं चिकित्सा मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहती हूं। आपने चिकित्सा में काफी कुछ सुधार किया है, मगर मैं इस बात को भी कहना चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर मथुरादास माथुर हास्पिटल और उम्मेद हास्पिटल के अन्दर काफी कुछ असुविधा है। उनको सुधारने के लिए ध्यान दें। उम्मेद हास्पिटल एक ऐसा हास्पिटल है जो शिशु और माता से सम्बन्ध रखता है, उसको भी सुधारना अति आवश्यक है। अभी आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, कितनी मशीनरी खराब हो रही है, कैसे अव्यवस्था है, उसके ऊपर भी आप ध्यान दें, क्योंकि आप युवामंत्री हैं ...

श्री अध्यक्ष : अब तो हो गया आप का पूरा, बिराजें आप। श्री जुबेर खानजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इसलिये मैं चाहती हूं कि आप इन पर ध्यान दें और जोधपुर के अन्दर जो आपने नवचोकिया डिस्पेंसरी की घोषणा की थी उसको भी तुरन्त लागू करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें बहुत हो गया। आपका बहुत अच्छा भाषण हो गया। बिराजें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : महिला बाग में भी बैंड बढ़ाए जाने की मांग है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा आउटडोर होता है। इसके बारे में भी ध्यान दें। मैं चिकित्सा मंत्रीजी का और अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर और भरतपुर जिले में यह हालत हो रही है कि परसों रात को तीन-चार घण्टे की बरसात के बाद रामगढ़, गोविन्दगढ़, नौगांवा, मुबारिकपुर, सीकरी, पहाड़ी सब जगह के रास्ते कट गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब तक मौके पर जाकर देखेंगे नहीं तब तक हालत में सुधार नहीं होगा। आपकी जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके ऊपर मिट्टी और थोड़ा ग्रेवल डाल देते हैं वह थोड़ी बरसात आने पर ही फिर बहकर चला जाता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार इतनी भयंकर बाढ़ आयी और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए इसमें परमानेंटली बात करना इस समय संभव नहीं है। जैसे बरसात का सीजन होगा, मैंने डेट्स दी हैं और जैसा आपने कहा, इस विधान सभा सत्र के पश्चात् 31 जुलाई के बाद मैं दोनों जिलों का सड़कों की दृष्टि से दौरा करने वाला हूं।

श्री जुबेर खान : एक छोटा-सा

(श्री जुबेर खान)

निवेदन इतना है, मंत्री महोदय, कि जहां ग्रेवल डालते हैं वहां पाइप उन्होंने डाल रखे हैं, टेम्परेरी जब तक थोड़ा पाइप लगा दें, क्योंकि थोड़ा पानी नीचे से निकल जाए। वरना थोड़ी-सी भी बरसात होती है और वह पानी से बह जाती है। मौके पर पाइप डाले हुए हैं, लेकिन उनको लगा नहीं रहे हैं। इससे स्थिति यह हो रही है कि थोडी बरसात हुई और रास्ता बन्द। अलवर की माननीय समस्या मौजूद थीं, नसरू खां जी, मंत्री मौजूद थे, देवी सिंहजी भाटी, सिंचाई मंत्रीजी मौजूद थे, तीन-तीन किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ा। सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, लोग जा नहीं सकते सिंचाई मंत्रीजी ने स्वयं ने यह कहा कि मैं मौका नहीं देखता तो कभी नहीं जान पाता कि इतना भारी नुकसान है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक आप स्वयं जा कर नहीं देखेंगे जब तक परमानेंट इलाज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। भंवरसिंहजी डांगावास।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं जबसे इस विधान सभा में आया हूं भेड़ पालकों की समस्याओं के बारे में कई दफे बोल चुका हूं। परसों 50 आदमी अलवर क्षेत्र से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले, वन मंत्रीजी से मिले और पशुपालन एवं भेड़ ऊन विभाग के मंत्रीजी से मिले। जिला कलक्टर, अलवर ने भेड़ों के निष्क्रमण के संबंध संचालन में एक आदेश निकाला है। भेड़ राजस्थान को उद्योग देने के साथ-साथ किसान को जीविकोपार्जन का साधन भी देती है। मैं निवेदन करूंगा इसे निष्क्रमण कहेंगे। आप कहीं न कहीं इनके चराने की व्यवस्था कीजिये। आदमी निष्क्रमण कर सकता है, अपना आटा, दाल साथ लेकर चल सकता है। भेड़ों के लिए आपने रास्ते मुकर्रर कर दिये कि इस रास्ते से भेड़ निष्क्रमण करेगी। क्या भूखों मरती भेड़ दो दिन में नहीं मर जाएगी? इसका समाधान नहीं हुआ है। एक तरफ तो वन विभाग कहता है कि हमारे वन हैं। मैंने यह प्रार्थना की थी, भेड़ चराने वाला जानता है नौ इंच से ऊपर भेड़ का मुंह नहीं उठता। किस पेड़ को खा जायेगी वह? सारा चारा जमीन पर जो वन विभाग के आरक्षित वनों में फालतू सूखता है उस चारे से भेड़ों का पेट भर सकता है। राजस्थान के पूरे भेड़पालक और विशेषतः मैं इस सदन को धन्यवाद देंगे अगर यह व्यवस्था कर दी जाए कि आपके जो वन परिपक्व हो गये हैं, उन परिपक्व वनों में इन भेड़पालकों को भेड़ चराने की अनुमति दे दें। आप हमसे फीस लें। हम प्रति भेड़ आठ रुपये दे सकते हैं। पैसे लें और भेड़ चराने की अनुमति दें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार यह दावा करती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेवेन्यू तहसीलदार लूणकरणसर और एस. डी. ओ. दोनों ने मिलकर किसानों को तंग

(श्री भीमसेन चौधरी)

करना शुरू कर दिया है। खातेदारी अधिकार के बारे में दस्तेख्त देते हैं, आवेदन करते हैं तो इनको खातेदारी देने के बजाय उनकी जांच शुरू करके उनको तारीखों में फेरना शुरू करते हैं। अगर स्माल पैक्स के मामले में अगर खातेदारी राइट्स लेना चाहते हैं तो स्माल पैक्स के बारे में जो कमिश्नर के आदेश हैं कि एक चक को एक इकाई मानकर उनको पैक्स दिये गये हैं, उसके अनुसार दिया जाए, लेकिन तहसीलदार ने दो गुर्गों के बीच में स्माल पैक्स की रिपोर्ट कर दी एस. डी. ओ. को कि यह स्माल पैक्स के दायरे में तो नहीं आता। इस तरह से काश्तकारों को तंग किया जा रहा है।

मालूराम कुम्हार ने आवेदन दिया, मंगाराम, कुंमाराम ने आवेदन दिया, इन्होंने इनको तंग करना शुरू कर दिया। इनका राइट ही नहीं बनता। किसी का गलत अलाटमेंट है तो उसके लिए कमिश्नर कोलोनाइजेशन या कलक्टर को अधिकार है। तहसीलदार और एस. डी. ओ. को अधिकार ही नहीं है। वे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसानों को तग कर रहे हैं। इसके लिए मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कमल जी।

श्री कमल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान जिला सवाई माधोपुर में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की ओर दिलाना चाहता हूं। कल जब मैं अपने क्षेत्र में गया हुआ था तो करीब बीस ऐसे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक, जो इसी वर्ष ओवर एज होने वाले हैं, मुझसे मिले और वे मेरे निवास पर धरना देकर बैठ गये। उनका कहना यह है कि सवाई माधोपुर जिले में 1500 शारीरिक शिक्षक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। सरकार उनके अपाइंटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी उनके अपाइंटमेंट के लिए कोई व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि एक ओर तो हमारे मुख्य मंत्रीजी कच्ची बस्तियों के लिए यह घोषणाएं करते हैं कि 1991 से पहले जो बस्तियां बसी हुई हैं उनको हम रेगुलाइज करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह आवरी माता बस्ती, उदयपुर के उन 76 परिवारों को, जिनमें ज्यादातर आदिवासी परिवार हैं, जिस तरफ से 25 जून को जिस वह शियानापन तरीके से तोड़ा गया, मैं समझता हूं राजस्थान में ऐसी कोई उदाहरण नहीं होगा कि कोई नोटिस दिये बगैर रात को चार बजे पूरी पुलिस फोर्स से उजड़ा दिया। पूरी बिजली काट दी गयी, टेलीफोन काट दिये गये। जो 25 साल से बसे हुए हैं और....(व्यवधान) पक्के मकान थे।

श्री अध्यक्ष : यह रीसेंट आकरेंस की बात नहीं है। इसे महीना भर हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

बिराजें आप । महीने भर पहले की बात है ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट ।

श्री अध्यक्ष : यह महीने भर पहले की बात है । अब क्या कह रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : पहले की है तो बुरी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : रीसेंट आर्करेंस की कल की कोई खास घटना हो, जिस पर ध्यान दिलाना हो । बिराजें आप । श्रीमती इन्दिरा मायाराम ।

श्री अमराराम (धोद) : इससे रीसेंट आकरेंस और क्या होगी ? अध्यक्ष महोदय, न्याय की जहां तक आवश्यकता है उन 76 परिवारों के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया । उनको अन्दर से सामान नहीं निकालने दिया । सरकार जहां गाय की बात करती है वहीं दो बछड़ों को जिन्दा मार दिया गया और पूरे के पूरे सामान को नष्ट कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । आपकी बात आ गयी ध्यान में । अब बिराजें आप ।

श्री अमराराम (धोद) : यह सरकार जहां बसाने की बात करती है । वहां उन परिवारों को उजाड़ा जो 20 साल से रह रहे थे और आज उनके खिलाफ इस बात की... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, आप । इन्दिरा जी को बोलने दें । बस हो गयी आपकी बात ।

श्री अमराराम (धोद) : वहां का कलक्टर जो निश्चित रूप से इस सरकार के इशारों पर ऐसे लोगों को, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को वहां सब-सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए ऐसे गरीबों को उजाड़ा गया है । आज भी उनको नगर न्यास के मकानों में रखा गया है और जहां मुआवजा दिया जाना चाहिये उनको.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें । अब हो गयी बात ।

श्री अमराराम (धोद) : उनके मकान के लिए 84,000 रुपये मांगे जाते हैं । अगर गरीब को गणेश मानने वाली सरकार है तो जिन्होंने 20 साल में अपनी मजदूरी काटकर जो मकान बनाये थे, उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए । अगर उनको वहां स्थापित भी करना है तो नगर न्यास से 84,000 का फीगर मुआवजे के रूप में उनको दिया जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : बिजली के कनेक्शन थे, मीटर लगे हुए थे, उनके राशन कार्ड बने हुए थे, नल के कनेक्शन थे ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें-बिराजें । इन्दिरा जी को बोलने दें अब । ठीक है । बिराजें ।

Page No. 104

(104)

श्री रघुवीर सिंह : किस आधार पर आपने तोड़े ? आपको इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि उन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए सरकार उनको जबरदस्ती खदेड़कर भगाना चाह रही थी ।

श्री अध्यक्ष : हां, विराजें आप । विराज जाएं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सरकार के कानून के अनुसार .... (व्यवधान) स्वास्थ्य मंत्रीजी, पहले मेरी बात पर ध्यान दें । बहुत महत्वपूर्ण विषय है । गम्भीर मामला है । इसलिए आप ध्यान दें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरा आपकी ही तरफ आकर्षित हूं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सरकार के कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है वह अपनी पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता । मैं आपका ध्यान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आकर्षित कर रही हूं जो आपके स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी में है और उनका नाम है एस. एम इमाम । इन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती जकिया इमाम जो कि मंत्री रह चुकी हैं, उनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली । अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया और उसके बाद आपके स्वास्थ्य विभाग में श्रीमती जकिया इमाम ने शिकायत की तो आपके स्वास्थ्य विभाग वालों ने किसी स्वास्थ्य अधिकारी को जांच करने में लगा दिया । स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी कभी अपने आदमी के विरोध में लिखता ही नहीं । कुछ नहीं किया गया । आज पांच साल से उस पत्नी के साथ रह रहे हैं जिनका नम्बर मैं दे सकती हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, आप पूरी डिटेल मंत्रीजी को दे दें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उस लेडी का नाम है श्रीमती सजीरा परवीन ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मैं जरूरी बात बोल रही हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कभी जिद नहीं करती । दो मिनट का टाइम दें, क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है । वह उस परवीन लेडी के साथ रह रहे हैं और आपके यहां शादी के मामले में पत्र भी मौजूद हैं जो आपके सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास में भी है और श्रीमती जकिया इमाम के पास में भी है । मेरा निवेदन यह है कि स्वास्थ्य विभाग से अगर आप जांच कराएंगे तो इसकी जांच नहीं हो सकती है । इसकी जांच पुलिस विभाग से कराई जाए या सी. आई. डी. से कराई जाए और इस प्रकार के व्यक्ति की तुरन्त बन्दी की जाए ताकि वह किसी को प्रभावित नहीं करे । इस प्रकार के व्यक्ति को तुरन्त नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए जो एक महिला के रहते हुए इस प्रकार करे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पिछले दो सालों में मुझे एक भी इस तरह का विवाद प्राप्त नहीं हुआ। मुझसे पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं जकिया इमाम जी। अगर वह मुझे पत्र लिखतीं या मुझे इस तरह की बात कहतीं, तो निश्चित रूप से कार्यवाही करता। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को भी अवगत कराना चाहूंगा कि आज ही इस पूरे प्रकरण की जांच स्पेशल सेक्रेटरी, मेडिकल एण्ड हैल्थ को दे दूंगा और जांच के पश्चात् जो भी तथ्यात्मक जानकारी होगी.... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : स्वास्थ्य मंत्रीजी को अगर पता नहीं है तो अपने विभाग में पता लगा लें कि इसकी जांच हुई है और जांच होने के बाद आपके पास भी आयी है जांच।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बैठें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्दर कितनी शादियां विधिवत रूप से अलाउ हैं, मुझे मालूम नहीं है....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सरकारी नौकरी में चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह हिन्दू हो, कोई दूसरी शादी अलाऊ नहीं है। सरकारी कानून सबके ऊपर लागू होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कानून क्या कहता है पूरी चीज आती है या नहीं आती, अध्यक्ष महोदय -(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुनें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं स्पेशल सेक्रेटरी को पूरी जांच करने के लिए आज ही जांच अधिकारी नियुक्त कर दूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसकी एक महीने के अन्दर जांच होकर इसमें कार्यवाही की जाएगी।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम लॉ को सस्पैण्ड किया हुआ नहीं है...... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) यह दूसरी शादी क्यों करते हैं? (व्यवधान) आप ऐसा मत कर देना।

श्री नरपतसिंह राजवी : इसलिए कार्यवाही के आदेश तो दे रहे हैं लेकिन थोड़ा देर से करें।....(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : दूसरों का उत्तर दे रहे हैं, मेरी बात का कोई उत्तर नहीं आया। एक शब्द भी नहीं बोले।

श्री अध्यक्ष : यह कोई जरूरी नहीं है। इस काल में मंत्रीजी को कम्पेल नहीं किया जा सकता। बिराजें आप। श्री बुरडक साहब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हमारे साथ न्याय कराओ (व्यवधान) लेकिन जवाब तो दिलवा दो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप बुरड़क साहब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह क्या बात हो गयी ? हमारे साथ न्याय कराओ। कुछ उत्तर तो दिलवाओ इनसे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय इसमें कोई कम्पेल नहीं कर सकते। बिराजें आप। श्री बुरड़क साहब बोलें। (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चुनाव मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो लोक सभा का चुनाव हुआ उससे पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चालीस हजार मतदाताओं के नाम काट दिये और इतनी भारी संख्या में नाम इस हिसाब से काट दिये कि पटवारियों को बैठाकर लाइन फेर दी गयी और उस समय यह बताया गया कि जो लोग परिचय पत्र बनवाने के लिए नहीं गये, जिन्होंने फोटो नहीं खिचवाये उन सबके नाम काट दिये हैं। मैंने इसकी शिकायत की तो मुझे जवाब मिला कि हमने कलक्टर को पूछ लिया है और यह सही काम हुआ है। जो लोग यहां रहते ही नहीं थे उनके नाम काटे हैं। हमने सबको इंडिविजुअल सुनवाई का नोटिस दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चालीस हजार आदमियों को कब तो सुनवाई का नोटिस दे दिया और कब उनको तामील करवाया। ऐसे बहुत से और भी मामले हैं जिन लोगों ने परिचय-पत्र बनवा लिये, उनके पास परिचय-पत्र हैं, लेकिन जब वे वोट देने गये तो कहा कि नाम तो कटा हुआ है। एक-एक पोलिंग में सैकड़ों की संख्या में परिचय पत्र, माननीय मंत्रीजी अगर चाहें तो मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास हैं, ये एक पोलिंग के इतने परिचय पत्र हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री हरजीराम बुरडक : इन लोगों को वोट नहीं देने दिया। मैंने यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधान सभा शुरू होने से पहले दिया उसका उत्तर आपने नहीं दिया। प्रश्न लगाया, उसका उत्तर दिया नहीं, तो आप इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं ? आप बताइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री रामगोपालजी।

श्री जगदीप धनखड़ : साहब इसमें तो मंत्री महोदय को बुलाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब देना चाहें तो दें।

श्री रामगोपाल बैरवा : मान्यवर, मांगरोल थाना की पुलिस चौकी बम्बोरी कलां में दिनांक 20-5-96 को धारा 10

(श्री रामगोपाल बैरवा)

और 151 के अन्तर्गत किशोर नामक व्यक्ति (मुलजिम) को अरेस्ट किया गया। अब उक्त गिरफ्तार व्यक्ति को कांस्टेबल परसराम पहाड़िया और गोपाल शर्मा अरेस्ट करके थाना मांगरोल में ला रहे थे, उसी समय मलखान सिंह और उसके कुछ आदमियों का गिरोह रास्ते में आकर पुलिस कस्टडी से इस मुलजिम को छुड़ाकर ले गये। मान्यवर, इस घटना के बाद परसराम पहाड़िया और गोपाल शर्मा जो कांस्टेबल थे उन्होंने पुलिस थाना मांगरोल में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई। दिनांक 20-5-96 को धारा 224, 332, 353, 147 और धारा 3 एस. सी. और एस. टी. के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मान्यवर, इस तरह से पुलिस कस्टडी में से मुलजिम को छुड़ाया गया। दो महीने का समय आज हो गया है। मांगरोल का थानेदार जो राजपूत है, वह जातिवाद के नाम पर इस मलखान सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, इसको बचाना चाहता है। दो महीने के अन्तराल के बाद भी आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मलखान सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

श्री रामगोपाल बैरवा : मान्यवर, इससे पूर्व भी मलखान सिंह के ऊपर 20-7-95 को धारा 420, 467, 468 और 471 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। इसी तरह 20-11-95 को भी धारा 147, 452 और 332 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

श्री रामगोपाल बैरवा : इसको वहां के थानेदार का संरक्षण प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पुलिस प्रशासन के सामने इस तरह की घटना होगी तो आम आदमी किस तरह से सुरक्षित रह सकता है। आपके होते भी यह घटना हो जाए और आपका थानेदार दो महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करे, यह बड़े शर्म की बात है। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही करवाएं।

श्री अध्यक्ष : 332 में तो पुलिस में जमानत हो जाती है। विराजें आप। 332 और 367 में तो बेलेबल है और थाने में ही जमानत हो जाती है। विराजें आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : एट्रोसिटी एक्ट के अन्तर्गत भी जो कांस्टेबल है वह अनुसूचित जाति का है परसराम पहाड़िया, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है। उसमें अनुसूचित जाति की धारा भी लगी है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी साहब। रामगोपालजी, आप और कभी बात कर लेना, विराजें आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड में जो सब स्टेशन सुपरवाइजर्स कार्य कर रहे हैं उनकी स्केल के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है। इसलिए निवेदन करना है कि उनके असन्तोष की वजह से हमारे यहां की इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती है और उससे लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है। राजस्थान सरकार ने, विद्युत निगम ने 16-1-95 को सब-स्टेशन सुपरवाइजर्स के करीब 250 आदमी भर्ती किये। डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स को स्केल नम्बर चार दी जा रही है। स्केल नम्बर चार का मतलब यह है कि इनसे नीचे जो लोग काम करते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, लाइनमैन हैं उनसे भी कम ग्रेड दी जा रही है। 1200-2050 की ग्रेड इनको दी जा रही है और इनसे नीचे जो लोग काम रहे हैं उन्हें 1400 से 2800 की ग्रेड दे रहे हैं जो भर्ती किये गये हैं उनमें कुछ तो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और कुछ डिग्री होल्डर्स हैं। डिग्री होल्डर्स को तो आपने ग्रेड जे. ईएन. की दे दी, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको अभी तक आपने जे. ईएन. की ग्रेड नहीं दी है, जबकि आपके सेक्रटरी का 18-2-91 का आर्डर है—"The Chairman has been pleased to order that post of Sub Station Supervisor would be equivalent to Junior Engineer." तो इसमें बड़ा भारी अन्याय हो रहा है जे. ईऐन. के साथ में। ये सब-स्टेशन सुपरवाइजर्स इक्विलेंट टू जे. ईएन. काम कर रहे हैं, उनके इक्विलेंट काम कर रहे हैं, उनके बराबर काम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री माटी साहब।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इनको जो स्केल दी जा रही है उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनसे भी कम स्केल दी जा रही है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इनके साथ में न्याय किया जाए और पूर्व का जो ऑर्डर है बिजली विभाग का उसके हिसाब से इनको जे. ईएन. की ग्रेड देनी चाहिए। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री भीमराज माटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने शुक्रवार को यहां निवेदन किया था कि महाराजा उम्मेद मिल में हड़ताल चल रही है और उसमें लॉक-आउट डिक्लियर कर दिया गया है। उन मजदूरों के खाने-पीने की मुसीबत हो गई है। मुझे उस दिन उद्योग मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना।

श्री भीमराज माटी : बात करने का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज से यहां पर भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां मजदूरों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला कोई बचा नहीं है। मजदूरों की हालत आज यह हो गई है कि उनको बाजार से उधार मिलना बन्द हो गया है। मिल के लॉक-आउट होने की वजह से मिल गेट पर जो दुकानदार हैं, जो उनको राशन वगैरह मुहैय्या करा रहे थे, उन्होंने राशन वगैरह देना बन्द कर

(श्री भीमराज भाटी)

दिया है। उनके घरों में चूल्हे जलने बन्द हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज परिस्थिति यह है कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वे बच्चों की फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल खुले काफी समय हो गया है। वे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनके घरों में चूल्हे नहीं जलने की वजह से हमारे वहां बड़ी भारी परेशानी हो रही है। बीस-पच्चीस हजार आदमियों की रोजी-रोटी का सवाल है और वे लोग भूखे मर रहे हैं। जब तक मिल चालू नहीं होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तब तक आपकी सेवा में भूख हड़ताल पर बैठूंगा.... (व्यवधान)

(श्री भीमराज भाटी द्वारा सदन में धरना)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं डेयरी मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान की डेयरी का जो भट्टा बैठ रहा है। उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, एन.डी.डी.बी. से राजस्थान सरकार ने जो समझौता किया है और तीन चार साल हो गये, यहां माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था। समझौता किया गया है, वैसे समझौता हुआ नहीं है। उन शर्तों का पालन नहीं हुआ और वे इस उद्देश्य से दी गई थीं कि उसके अन्दर गुणात्मक सुधार होगा, जबकि 48 करोड़ का घाटा उस समय था और आज इस एन. डी. डी. बी. की वजह से 80 करोड़ का घाटा हो गया है। अपने कर्मचारी ही ज्यादा थे और उसके बावजूद भी एन. डी. डी. बी. ने साठ कर्मचारी अपने स्टाफिंग पैटर्न से और ज्यादा नियुक्ति कर दिये। हाई कोर्ट ने आपको आदेश दिया कि तीन महीने के अन्दर आप चुनाव करवाएंगे। नीचे की सोसाइटीज के चुनाव हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डेयरी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज तीन चार साल हो गये उसके बाद भी हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की जा रही है और अजमेर डेयरी की सोसाइटी के लोगों ने कंटेम्प्ट आफ कोर्ट नोटिस दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप चुनाव कब तक करवाएंगे? एन. डी. डी. बी. जो मुनाफा कमा रही है, पांच रुपये किलो दूध खरीदती है और दस रुपये किलो दूध राजस्थान में बेच रही है, दिल्ली में बेच रही है और मुनाफा कमा रही है और राजस्थान के जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको भयंकर घाटा हो रहा है, उनकी तरफ एन. डी. डी. बी. कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशनजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय मुख्य मंत्रीजी, ने सदन में यह आश्वासन दिया था डेयरी मंत्रीजी, अब आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? यह आप जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : रामकिशनजी।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन

(श्री रामकिशन वर्मा)

क्षेत्र रामगंज मण्डी, चेचट की ओर दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, वहां बड़े-बड़े लोगों ने रामगंज मण्डी और चेचट क्षेत्र में 855 बीघा चरागाह जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं । हम एक तरफ तो गरीबों के अधिकार को आधा बीघा जमीन पर 91 में नोटिस देकर जेल में बन्द कर देते हैं और उनके पीछे-पीछे पुलिस चलती रहती है । तो मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रजी से आश्वासन चाहूंगा

(13.00)

कि इनकी कार्यवाही हो जाएं, ये खाली करवाएं जाएं । इससे रास्ता भी साफ हो और पंचायतों को भी अपना काम करने का अधिकार मिल सके, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीचन्द जी ।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र दानपुर के कुशलपुरा, ग्वाला और तलवाड़ा के बीच में जो हवाई पट्टी एरिया है वहां पर रीको आदिवासी किसानों की भूमि को अधिग्रहित कर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना चाहती है । जहां रीको द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाने वाली है वे लोग माही के विस्थापित हैं । माही से भटकते-भटकते उन्होंने किसी प्रकार मेहनत-मजदूरी करके बीघा, दो बीघा, तीन बीघा जमीनें खरीदीं और वे वहां पर बसे हुए हैं और आज रीको वापस उनसे वह जमीन छीनना चाहती है । मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि वे गरीब आदिवासी हैं । उनके पास में आज की तारीख में खाने के लिये पैसा नहीं है । इतनी भुखमरी में वे मुश्किल से वहां पर बसे हैं । ऐसी स्थिति में उद्योग मंत्री जी को यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां नोन कमाण्ड एरिया में काफी वृहद जमीन पड़ी हुई है । अगर रीको को वहां औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना है तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां रेवेन्यू की जमीन है । वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है । इससे वहां के लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा । ऐसी स्थिति में उद्योग मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि जो नोन कमाण्ड एरिया है उस एरिया में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करके वहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए । यह क्षेत्र कमाण्ड एरिया का है, वहां पर पानी मिलता है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । श्री अमराराम जी ।

श्री दलीचन्द : छोटे-छोटे किसान वहां खेती करते हैं । मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर रीको ने जमीन अधिग्रहित करने का जो प्लान बनाया है उसको निरस्त करके नोन कमाण्ड एरिया में कहीं दूसरी जगह जमीन ढूंढकर औद्योगिक व्यवस्था कायम करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना

(श्री अमराराम चौधरी)

चाहता हूं कि तारीख 13-3-96 को शाम के समय करीब पांच बजे जोधपुर से पचपदरा स्टेट हाईवे पर सांचौर की बस में सवार यात्रियों में से एक मासूम बच्चा और उसका पिता, दोनों की मृत्यु हो गई। उसके अलावा चालक विश्नोई की मृत्यु हो गई, ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हो गई और कई व्यक्तियों के हाथ-पैर टूट गये, कई महिलाओं के हाथ-पैर टूटे। बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना इस स्टेट हाईवे पर हुई। छह बजे तक उनको बालोतरा अस्पताल में लाया गया। पूरा शहर उमड़ पड़ा था। हमारी कितनी बहनें रो रही थीं। सांचौर के लिये यात्रा पर वह और उसकी पत्नी जा रहे थे। यह दुर्घटना क्यों हुई? कंडक्टर जो जिन्दा रहा, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि रोडवेज में सांचौर से जो बसें चलती हैं उन्हें दो राउन्ड दिन में करने पड़ते हैं जिसके कारण हमें आधा घण्टा या पन्द्रह मिनट भी रेस्ट नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, पचपदरा और जोधपुर से बालोतरा के बीच में जहां-जहां भी पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर कोई बस नहीं रुकती है। सारी बसें नोन स्टाप चलती हैं। ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? नोन स्टाप बसें चलने और साधारण बसें नहीं चलने के कारण हो रही हैं। मैंने पहले भी विधान सभा में निवेदन किया था कि हमारे बहुत से लोग वंचित रहते हैं, बसों में चढ़ने के लिए यात्री घण्टों तक बैठे रहते हैं, लेकिन रोडवेज की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। रिछपाल जी।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वाहनों पर जो अवैध लाल बत्तियां लगी हुई हैं उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी इस मामले को सदन में उठाया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही ये लाल बत्तियां हटा दी जाएंगी। अध्यक्ष जी, एक भी लाल बत्ती नहीं हटी है। एम. एल. एज. की हटा दी है, बाकी किसी की नहीं हटी।

श्री रामस्वरूप मीणा : ये नहीं हटायेंगे तो जनता हटा देगी।

श्री अध्यक्ष : जल्दबाजी मत करो।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : यू. पी., हरियाणा, पंजाब और अन्य प्रदेशों में माननीय सदस्यों को लाल बत्ती अलाऊ है। नगरपालिका के अध्यक्ष, जिला प्रमुख, प्रधान, अवैध रूप से लगी हुई लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूमते हैं और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। स्मगलिंग का माल भरकर उन लाल बत्तियों की गाड़ियों में ले जाया जा रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लाल बत्ती की वकत कहां रही? अगर एक सरपंच लाल बत्ती लगाकर चलेगा, सारे एम. एल. एज. लाल बत्ती लगाकर चलेंगे तो इसकी इम्पार्टेंस क्यों खतम करवा रहे हैं?

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : उन गाड़ियों को कोई रोकने वाला नहीं है। या तो इन

(श्री रिछपालसिंह मिर्धा)

गाड़ियों की लाल बत्तियां उतरवायी जायें अन्यथा सभी गाड़ियों की लाल बत्ती अलाऊ की जाये कि माननीय सदस्य अपनी गाड़ियों में लाल बत्ती लगा सकें।

श्री अध्यक्ष : धनखड़ जी। आपको कुछ कहना है ?

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के अन्दर भी लाल बत्ती लगा-लगा कर जयपुर के महापौर वगैरह आ जाते है ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, यह मसला कई बार उठ चुका है.... (व्यवधान) हम सभी लोगों को यह छूट दिला दो आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री रामस्वरूप जी।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ये लाल बत्तियां हटायी जाएं या माननीय सदस्यों को भी लाल बत्ती अलाउ की जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, आपकी कमी के कारण आज एक तो मौत हुई हैं और एक गम्भीर घायल हो गयी मेरी बहन। नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर एक सबसे बड़ा अभाव है। दोनों तरफ आबादी हो गई है। इधर से जो ट्रैफिक वाले आते हैं, कार-जीप वाले लोग आते हैं, वी. आई. पी. लोग भी आते हैं, रास्ते में उनको कहीं भी पेशाब की इच्छा होती है या कहीं भी शौचालय जाने की इच्छा होती है तो वहां पर कोई स्थान इस प्रकार के नहीं बने हैं। अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है। एक बहन जो इधर की साइड से जिधर जंगल था, उधर जाने लगी तो एक बहन तो मौके पर ही मर गई, दूसरी बहन जो उसके साथ चल रही थी वह गम्भीर घायल हो गई। इसलिये माननीय मन्त्रीजी, क्या आपकी कोई ऐसी योजना है कि आप ऐसे पेशाबघर या शौचालय की व्यवस्था सार्वजनिक जगह पर करायेंगे जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं आये ? ये इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं वे रूक सकें। इसलिये माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम ऐसी दुघर्टनाएं जो आपके कारण हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें रामस्वरूप जी, आपने अपनी बात कह दी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इनके लिये तो आप कम से कम कोई योजना बनाएं। सुलभ शौचालय या इस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा की जाए ताकि जो दुर्घटनाएं इससे होती हैं वे नहीं हों। है क्या मंत्री महोदय ? कोई खास खर्चा भी नहीं है। उसमें जिन्दगी जा रही है बहनों की, माइयों की। आपको और हमको सबको असुविधा होती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये हो गई बात आपकी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय सुन नहीं रहे हैं आप तो कह दो।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति आनन्दपुरी के प्रधान महेन्द्र मालवीया एवं उनकी पत्नी ने एक विधवा महिला, जो आनन्दपुरी से बांसवाड़ा की ओर जा रही थी, उसको मारा-पीटा और उसको बिलकुल निर्वस्त्र कर दिया। उससे दस हजार रुपये छीन लिये, उसकी चैन उतार ली। वह महेन्द्र मालवीय प्रधान है उसके डर से पुलिस वहां कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि तत्काल कार्यवाही करवाई जाएं। मैं अपने क्षेत्र में गया था, मैंने जानकारी ली तो अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही करवायी जाए।

श्री अध्यक्ष : रूपाराम जी।

श्री रूपाराम (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से आपको ही कहना है। एक तरफ तो सरकार या आपका भी दायित्व है कि सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। हम कब किस माहौल में किसी के पक्ष में, किसी के खिलाफ बोल जाते हैं, हमें टेलीफोन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां मिलती रहती हैं।

दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, मेरी लाइसेंसशुदा रिवाल्वर 1989 में थाने में जमा हुई। उसके बाद मैंने कलक्टर को, एस पी. को, दो दफा आपको गृह मन्त्रीजी को, मुख्य मंत्री को लिखा कि अब मैं एम एल ए. बन गया हूं और मेरी सुरक्षा का दायित्व आपका ही है इसलिए मुझे मेरी लाइसेंसशुदा रिवाल्वर दिलवा दी जाए। चार दिन पहले भी मैंने आपको लिखा, कलक्टर को कहा तो बोले एस.पी. को पूछूंगा। यह संवेदनशीलता का नमूना है या फिर हमें भयभीत करके, आतंकित करके या हतोत्साहित करके दबाया जा रहा है? आप रिवाल्वर नहीं देंगे। अगर रिवाल्वर नहीं दे रहे हो तो लाइसेन्स कैन्सिल कर दो, नीलाम कर दो। या फिर मेरी सुरक्षा का दायित्व आप लें, मेरे मरने से कोई ज्यादा नुकसान आपको नहीं होगा, मेरे हिसाब से मेरे परिवार को या मेरे क्षेत्र की जनता को ही होगा। लेकिन क्या यह गम्भीर मुद्दा नहीं है? अध्यक्ष महोदय, ढाई साल से मैं कह रहा हूं। अगर होता तो मैंने इनको पहले भी मौखिक कहा है, अगर थोड़े बहुत भी संवेदनशील होते तो मेरी सुरक्षा की बात करते।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बिराजें, अभी बात करेंगे।

श्री रूपाराम : मुझे इसमें कुछ आश्वासन मिल रहा है क्या?

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : इनके खिलाफ

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

कोई मुकदमा दर्ज नहीं है....(व्यवधान)

श्री रूपाराम : यह मामला गम्भीर नहीं है क्या ? सदन के दो सौ माननीय सदस्यों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। 10 मिनट बाद बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार, उसके लाइसेंसशुदा हथियार को नहीं देना (व्यवधान) उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करना। यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, आप जांच करवा लीजिए। अगर मैं दोषी हूं, या मेरा रिवाल्वर दोषी होने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आप मुझसे चैंबर में मिल लें। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : फिर हम कहां जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे बाद, दो बजे आप चैंबर में बात करें (व्यवधान)

श्री रूपाराम : मैं हाथ जोड़ता हूं। आप कहें तो बाहर निकल जाएं (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : विधान सभा सचिवालय से एक परिपत्र जारी किया गया था कि जो विधायक रिवाल्वर लेना चाहते हैं उनके लिए निर्देश उसमें दिये गये थे। एक तरफ तो परिपत्र जारी करवा रहे हैं और दूसरी तरफ माननीय सदस्य का लाइसेंस होते हुए भी इनको रिवाल्वर नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिवाल्वर दिलाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को रिवाल्वर दिलाइये। इनकी सुरक्षा कीजिये (व्यवधान) रोज-रोज हमले हो रहे हैं, इनके ऊपर (व्यवधान) हमला हो रहा है, विधायकों पर हमले हो रहे हैं, मंत्री पर हमला हुआ है।

एक माननीय सदस्य : आप वापस रिवाल्वर दिलाने की कोई व्यवस्था करवाइये।

श्री रतनलाल ताम्बी : गृह मन्त्रीजी का परिवार ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे रिवाल्वर मिल जाएगी, लेकिन मिली क्यों नहीं (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यहां पर तो कोई पार्लियामेंट वाली स्थिति नहीं है। ऐसा कोई माननीय सदस्य नहीं हैं जिसका बैंक ग्राउण्ड इनके बराबर गौरवशाली हो। माननीय सदस्य को लाइसेंस के लिए तो वास्तव में आपको कुछ करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : लाइसेंस नहीं मिलते यहां,

(श्री रूपाराम)

यहां दो-दो साल से लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अभी आपसे चैंबर में बात करूंगा (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने गम्भीर टिप्पणी की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ लोगों पर केस चले हैं इसके बारे में। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि माननीय सदस्यों के चरित्र के लिए भी क्या एक हैड कान्सटेबल कहेगा कि यह ठीक है या नहीं है। केन्द्र के एक मन्त्रीजी का जरूर उत्तर प्रदेश का ऐसा ही कोई आया था कि हाल ब-जरिये वजारत दिल्ली बिराजते हैं और इनको लाइसेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है और इनका चरित्र ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम यहां के माननीय सदस्यों के प्रति तो विशेष तौर पर कोई व्यवस्था कीजिए (व्यवधान)

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं बोलूंगा (व्यवधान) मेरा लाइसेंस 1983 का बना हुआ है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर नहीं हैं अभी।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, प्लीज। मेरे पर कभी कोई मुकद्मा हुआ ही नहीं। 1983 में सभी को, मकराना के सभी लोगों को हथियार जमा कराने के (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपकी आज्ञा की कभी अवहेलना करना ही नहीं चाहता। मुझमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि आपके बोलने के बाद में मैं खड़ा रह सकूं। मैं यह बल जुटा नहीं पा रहा हूं। प्लीज मेरी एक मिनट सुन लीजिए। मैं आठ दफा कह चुका हूं कि मुझे रिवाल्वर नहीं चाहिए, है मेरे पास, लेकिन यह व्यवस्था कैसी है? मेरी कमी क्या है मेरी गलती क्या है, क्या मेरी रिवाल्वर किसी मुकद्मे के तहत जमा की गई? मकराना के सभी नागरिकों की 1989 में जमा की गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आपसे कहा है आप चैंबर में बात कर लें। बिराजें आप। (व्यवधान)

माननीय गृह मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। आप सुन लें उन्हें। एक मिनट बिराजें आप।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्म्स एक्ट

Page No. 116

(श्री कैलाश मेघवाल)

वैसे केन्द्रीय विषय है और आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत बने हुए नियम, उप नियम भी केन्द्र सरकार के बनाये हुए है। उनको राजस्थान सरकार रेगुलेट करती है, आदेश देती है। यह मसला पहले भी आया था। माननीय भरतसिंहजी ने भी कई बार उठाया और माननीय मुख्य मंत्रीजी की भी यह चिन्ता है। कुछ इनका सरलीकरण करने की कोशिश की गई है, लेकिन पिछले दिनों टैरेरिस्ट एक्टीविटीज की पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार ने कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। उनसे भी रास्ता निकाल कर मैं माननीय विधायकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले सारे राजस्थान के सब जिलों का परीक्षण होता था सी. आई. डी. इन्टेलिजेन्ट से, उसको हटा करके राजस्थान में वर्तमान में केवल 10 या 11 जिले ही हैं जो कि बोर्डर हैं और जिनको सेन्सिटिव आइडेन्टीफाई किया है, ऐसे सेन्सिटिव डिस्ट्रिक्ट्स के ही हथियारों को देने का या नवीनीकरण का प्रश्न, इन्टेलिजेंस विभाग से परीक्षण करवाया जा रहा है। इसमें भी जितनी भी रियायत दी जा सकेगी, और व्यक्तिशः इनकी जो भी तकलीफें हैं उनको हल करने के लिए राज्य सरकार सदैव जागरूक है और चिन्तित है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : लाइसेंस के लिए आपके इन्टेलिजेंस डी. आई. जी. के पास कलक्टर ने मूव किया है, लाइसेंस ...(व्यवधान)

श्री रूपाराम : मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई जांच नहीं है। 1983 में लाइसेंस बना है, कोई जांच नहीं (व्यवधान) मेरे ऊपर जांच क्या है, मेरा अपराध क्या है ?

श्री अध्यक्ष : शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : 1989 में जब्त किया था।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बाड़मेर जिले के ऐसे बहुत से लाइसेंस (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं दिखवा लूंगा। प्राथमिकता से इसको दिखवा लिया जाएगा। (व्यवधान) यह एक इंडिविजुअल केस है इसको दिखवा लिया जाएगा (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जिनकी जांच के लिए यहां इन्टेलिजेंस डी. आई.जी. के पास भेजे गये हैं और साल भर से कागज यहां पेण्डिग है, कई बार रिमाइंडर दे चुके हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) बिराजें आप। मेरे से मिल लें। किसी भी माननीय सदस्य को कुछ कहना है तो बाद में बात कर लें।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहबाद में डकैती हुई है, तीन-तीन मंत्री वहां गए हैं। माननीय भाभड़ाजी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने यह घोषणा की थी कि जल्दी ही इनको बंदूकों के लाइसेंस दे दिये जाएंगे। अभी तक बंदूकों के लाइसेंस नहीं दिये

(श्री हीरालाल सहरिया)

गये हैं। वहां अभी भी अमन-चैन नहीं है। इसलिए शाहबाद में जो घोषणा करके आये हैं वहां तो कम से कम बंदूकों के लाइसेंस जारी करने के आदेश फरमाने चाहिए।

(13.15)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवरसिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने मसले का सरलीकरण किया। रूपारामजी की बात यह नहीं थी। लाइसेंसशुदा हथियार इनके पास हैं, लाइसेंस इनके पास था। आम ला-एण्ड आर्डर के कारण मकराना के सारे हथियार जब्त कर लिये गये। उनके साथ इनका भी हो गया। अब तीन साल के करीब होने जा रहे हैं (व्यवधान) सरेण्डर, सब्जेक्ट टू करेक्शन, सरेण्डर। मेरी प्रार्थना यह है कि ये तीन साल से विधायक हैं। विधायक होने के बाद में हमारे हजारों दुश्मन बनते हैं और हमें सिक्योर रहने के लिए हमारे पास हथियार चाहिए। गृह मंत्रीजी ने कहा कि मैं दिखवा लूंगा। रूपारामजी ने पहले भी निवेदन किया था। ढाई-तीन साल में अपने आप (व्यवधान) कृपया देरी नहीं करें। कोई होनी-अनहोनी घटना हो जाये।

श्री कैलाश मेघवाल : देरी नहीं करेंगे।

श्री भंवरसिंह डांगावास : धन्यवाद, आप देरी नहीं करेंगे। शीघ्रातिशीघ्र जो भी हो करेंगे, धन्यवाद।

श्री रूपाराम : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी जांच हो कि मुझे क्यों नहीं मिली।

श्री रामस्वरूप मीणा : डकैतों के द्वारा हमको धमकी दी जाती है। वे लोग आये दिन विधायकों और मंत्रियों पर आक्रमण करते रहते हैं (व्यवधान) इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिवाल्वर हमको दिये जाएं....

श्री रूपाराम : एक तरफ तो सुरक्षा की बात करते हैं, मुझे मेरा रिवाल्वर मिला क्यों नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : रियायती दर पर हमको दिये जाएं। उसकी आधी कीमत सरकार जमा कराए और आधी कीमत हमसे ली जाये और रिवाल्वर, लाइसेंस दोनों हमको दिये जायें और वह भी किश्तों में।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

चिकित्सा विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री चिकित्सा,

(श्री उपाध्यक्ष)।

एवं स्वास्थ्य विभाग की सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राज्य विधान सभा द्वारा 14-3-1996 को मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियमम, 42) को राजस्थान राज्य के लिए अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में यथापारित शासकीय संकल्प बाबत् अधिसूचना संख्या प.7 (25) एम. ई./ग्रुप–1/64/पार्ट फाइल दिनांक 6-4-1996, जो सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित की गई है।

(2) अधिसूचना संख्या प. 7 (25) एम. ई./ग्रुप–1/64/पार्ट फाइल दिनांक 6-4-96 जिसके द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 42) के नियम 9 (4) (6) के अन्तर्गत प्राधिकार समिति का गठन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या प. 7(25) एम. ई. ग्रुप-1/64/पार्ट फाइल दिनांक 6-4-96 जिसके द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम, 42) को धारा 13(2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनों की परिपूर्ति हेतु निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं राजस्थान को सम्पूर्ण प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या एफ-5(130) एम. एण्ड एच-3/ई. सी./96 दिनांक 16-6-96 जिसके द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 के केन्द्रीय अधिनियम, 60) के अन्तर्गत जयपुर नगर में फोगिंग से हुई कथित बीमारियों की जांच करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की गई है।

(5) अधिसूचना संख्या एफ-26(19) एम एण्ड ई./ग्रुप-1/88 दिनांक 18-2-95. के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिधियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2(9) के अन्तर्गत राजस्थान के मेडिकल कालेजों में मनोवैज्ञानिक विभाग के विभागाध्यक्ष को जिस स्थान पर मेडिकल कालेज अवस्थित है, से सम्बन्धित राजस्व डिवीजन के लिये उक्त अनिनियम, के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या एफ.26(19) एम. ई./ग्रुप-1/88 दिनांक 18-2-95 के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या-14) की धारा 3(1) के अन्तर्गत राजकीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकारी की अधिकारिता संस्थापित की गई है; एवं

(7) अधिसूचना संख्या एफ.-26(19) एम. ई./ग्रुप-1/88 दिनांक 18-2-95 जिसके द्वारा राजस्थान मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकारी नियम 1990 के नियम 8 के अनुसरण में कतिपय सदस्यों को राजस्थान मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का सदस्य बनाया है।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सूचना का प्रश्न है। राजस्थान विश्वविद्यालय; कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों पर 13 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उसके सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार से उत्तर आने के बाद इस पर आपको उत्तर दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पीकर साहब से उनके चैम्बर में जाकर मिलें। यह व्यवस्था वही देखेंगे।

श्री भीमराज भाटी, सदस्य विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाटीजी यहां बैठे हैं। एक जनहित का मुद्दा भाटीजी ने उठाया है। निर्दलीय विधायक हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप याचिकाएं उपस्थापित कर रहे हैं क्या ? करिये।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा निर्दलीयों के बारे में तो ज्यादा ध्यान देते ही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :--

जयपुर नगर में लालकोठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में पार्क विकसित करने के सम्बन्ध में

(1) जयपुर नगर में लालकोठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में पार्क विकसित

(120)

(श्री जगदीप धनखड़)

करने के सम्बन्ध में, दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

जनकपुरी (द्वितीय) इमलीवाला फाटक जयपुर में सीवर लाईन डालने के सम्बन्ध में

(2) जनकपुरी (द्वितीय) इमलीवाला फाटक, जयपुर में सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

एक बार हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिराजें। श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे :--

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :--

उदयपुर के पंचायत मुख्यालय समीजा, बास व पड़ावली खुर्द को तहसील मुख्यालय कोटड़ा सीधी सड़क द्वारा जोड़ने बाबत

(1) जिला-उदयपुर के पंचायत मुख्यालय समीजा, बास, मांदड़ा, पड़ावलीकलां व पड़ावली खुर्द को तहसील मुख्यालय कोटड़ा से सीधी सड़क द्वारा जोड़ने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

जिला उदयपुर समिति कोटड़ा के पंचायत मुख्यालय डांग व मेवाड़ों का मट्ठ को पक्की सड़क द्वारा जोड़ने बाबत

(2) जिला-उदयपुर पंचायत समिति कोटड़ा के पंचायत मुख्यालय डांग व मेवाड़ों का मट्ठ को पक्की सड़क द्वारा जोड़ने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

फागी के ग्राम पंचायत मुख्यालय रेनवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने बाबत

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी के ग्राम पंचायत मुख्यालय रेनवाल में प्राथ-

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

मिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

फागी की विमेड़ा पारली सड़क स्थित फागी नदी पर पुलिया निर्माण कराने बाबत

(2) तहसील फागी की निमेड़ा-पारली सड़क स्थित मासी नदी पर पुलिया निर्माण कराने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगी।

जोधपुर नगर में चांदी हाल रास्ते की ओर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर नगर में चांदी हाल रास्ते की ओर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री नरपत सिंह राजवी, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 वन विभाग से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (सभापति, प्राक्कलन समिति "क") : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 वन विभाग से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रामगंज मण्डी कोटा में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य विधान सभा कोटा जिले के रामगंज मण्डी कस्बे में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान रामगंज मण्डी क्षेत्र के उन शिड्यूल्डकास्ट, अनुसूचित जनजाति के मजदूर वर्गों के लोगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो ध्यानाकर्षित कर दीजिये । फिर मंत्री जी का वक्तव्य आयेगा । आप बिराजें ।

श्री रामकिशन वर्मा : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के तहत राज्य सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी, जिला कोटा की आबादी सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 20,866 है । इस कस्बे को ग्रीष्म ऋतु में 8.50 लाख लीटर जल प्रतिदिन वितरित किया जाता है । जिसके अनुसार सर्विस लेवल इसकी वर्तमान जनसंख्या, 25 हजार के लिए 34.0 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है । रामगंज मण्डी को पानी सुकेत से फिल्टर प्लांट से दिया जाता है । इसका मुख्य स्रोत आहू नदी है । सुकेत की वर्तमान 12 हजार की आबादी के लिए 5 लाख लीटर अर्थात 41 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाता है । वैकल्पिक स्रोत के रूप में रामगंज मण्डी में 128 हैण्डपम्प है जिसमें 12 अभी लगे हैं । जिसमें 82 ग्रीष्म ऋतु में कार्यशील हैं । इसी प्रकार सुकेत कस्बे में 26 हैण्ड पम्प हैं जिनमें से 5 अभी लगे हैं । उसमें से 20 कार्यशील हैं । फिल्टर के पश्चात् पानी में क्लोरीन समुचित मात्रा में मिलाया जाकर, इसको साफ कराये जाने के बाद निर्जीवीकरण या डि-इन्फेक्शन किया जाता है । जल वितरण व्यवस्था के कारण सुकेत में कोई बीमारी नहीं फैली है । इसलिये इस कारण कोई मृत्यु भी नहीं हुई है । चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने इसका सर्वेक्षण भी किया है और पंचायत को नाली की सफाई करने के निर्देश भी दिये हैं । ऐहतियात के तौर पर नाली के पास लगा हुआ हैण्ड पम्प बन्द भी कर दिया गया है । उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक हैण्ड पम्प और लगा दिया गया है । पानी की वितरण व्यवस्था को समुचित रखने के लिए कस्बे को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । मुख्य क्षेत्र में प्रतिदिन पानी दिया जाता है और छोर के क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर एक दिन दिया जाता है । आहू नदी में एकदम पानी आ जाने के कारण पम्प डूब गये, जिससे दिनांक 21 व 22 जून को जल वितरण व्यवस्था गड़बड़ा गई थी । कस्बे की बढ़ती हुई मांग के कारण भारत सरकार द्वारा 1122 लाख की योजना संवर्धन एवं पुनर्गठित स्वीकृत की गयी है । जिसमें कस्बा रामगंज मण्डी, सांथलखेड़ी, सुकेत के अतिरिक्त 13 गांव आये हैं । मार्च, 1996 तक इस योजना पर 394.7 लाख का व्यय किया जा चुका है । 500 मिलीमीटर की पाइप लाइन अम्बापुरी से एकलिंगपुरा तक लगभग पूर्ण हो चुकी है और फिल्टर प्लांट का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । मुख्य पाइप लाइन जिसकी लम्बाई 38.6 किलोमीटर है, जिसकी निविदाएं 10 जुलाई को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्राप्त कर ली गयी हैं। इस कार्य के प्रारम्भ होने के पश्चात् 18 महीने में पूर्ण करना लक्षित है। मुख्य उच्च जलाशयों की निविदाएं भी प्राप्त की जा चुकी हैं। उच्च जलाशय का कार्य प्रगति पर है। विद्युत सम्बन्ध के लिये भी कार्यवाही की जा चुकी है। योजना का पूर्ण कार्य अक्टूबर, 1998 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। योजना के पूर्ण होने तक व्यवस्था का सुदृढ़ बनाये रखने के लिये आहू नदी पर एक कोफरडेम का निर्माण किया गया है और उस पर पानी का बहाव रोककर सलावद खुर्द देह की क्षमता बढ़ाई गयी है। पानी की मात्रा बढ़ाने के लिये परित्यक्त खानों से भी पानी लिया जाता है। इस पर जो प्रगति हुई है वह भी मैं आपको निवेदन करता हूं। 10-6-96 को पाइप लाइन की निविदाएं प्राप्त हो गयीं और टैक्निकल बिड्स प्री-क्वालिफिकेशन के लिये एफ. सी. को यानी हमारी फाइनेन्शियल कमेटी को प्रस्तुत की जा रही है। कुल 9 मुख्य उच्च जलाशय हैं, जिनमें से 5 रामगंज मण्डी, सुकेत, साथलखेड़ी, मोड़क, उदयपुरा के निर्माण के आदेश दे दिये गये हैं। पैकेज की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गयी है। स्वच्छ जलाशय की खुदाई हो चुकी है। इस पर वाक एक्सकवेशन हुआ है। चार विद्युत कनेक्शन के 32.76 लाख के डिमांड नोट की राशि आर. एस. बी. को जमा कराई जा चुकी है। इतना काम हो चुका है। बाकी है जो कर रहे हैं। आप बताएं कि आप और क्या कहना चाहते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि आपने जो किया अच्छा किया। अच्छा काम चल रहा है लेकिन इसकी गति इतनी धीमी है कि लोगों की आस न टूट जाये। यह 15 जुलाई की 'राजस्थान पत्रिका' है, जिसमें लिखा है कि 60 घंटे में एक दफा पानी आता है। आखिरकार उन गरीब लोगों के पास जो मजदूर लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। मंत्री महोदय, उनके पास तो पानी भरने के बर्तन भी नहीं होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आहू नदी पर कोफरडेम बनाया गया है। पानी रोका है, पानी की कमी नहीं है। व्यवस्था की कमी है, अकर्मण्यता है। अगर यह आहू नदी से सुकेत होते हुए सांथलखेड़ी रामगंज मण्डी पाइप लाइन आप डाल दें तो लोगों में आत्मविश्वास भी पैदा होगा। उनको पानी ज्यादा मिलेगा। पाइप लाइन आपको वैसे भी एकलिंगपुरा से डालनी है। उधर से भी आप डालते जाएं और इधर से भी डालते जाएं। इससे दोनों तरफ के लोगों को विश्वास हो जायेगा कि उनको पानी मिलेगा।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस गरीब इलाके के लोगों को पानी दिलाएं। पूरे क्षेत्र में खनन अधिक गहरी होने की वजह से कहीं पानी नहीं है। एक्स. ईएन. साहब यहां बैठे हैं, इन्होंने भी देखा होगा कि पानी के लिये रात के 12-12 बजे तक 55-50 माताएं-बहनें बर्तन-घड़े लेकर बैठी रहती हैं। 12 बजे पानी भरें और 6 बजे मजदरी पर चली जाएं।

(श्री रामकिशन वर्मा)

आखिर उनका जीवन दुश्वार है। इसको आप अपनी तरीके से पैन लेकर के पाइप लाइन उधर डलवाएं, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कराने की यहां घोषणा करें। मुझे यही बात कहनी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस समस्या के समाधान के लिए 1122 लाख की योजना स्वीकृत की गई है और जैसा मैंने आपके सामने वर्णन किया है कि बहुत सारा काम हो भी गया है। आप यह कह सकते हैं और मैं मान सकता हूं कि गति जरा तेज नहीं होगी तो मैं कोशिश करता हूं कि यह जल्दी हो। जो आप मांग कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको यह निवेदन करूं कि जो पाइप लाइन की आप बात कह रहे हैं एक टेक्निकल कमेटी को मैं यह काम सुपुर्द करता हूं। वह मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करेगी। उसके आधार पर आगे कार्यवाही करने की हम व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय मंत्री महोदय, टेक्निकल कमेटी की आवश्यकता नहीं है। पाइप आपने मंगा ही लिये हैं। पाइप पड़े हुए हैं। पाइप ही तो डालना है। वैसे भी आप डालेंगे तो डिले न करवाएं। मेरा तो आपसे इतना सा निवेदन है।

मेरा दूसरा निवेदन है कि इसके 1993 में मंजूर करने के बाद 1996 तक फिल्टर-प्लांट ही नहीं बने। अब आपने इसके टेंडर किये हैं। जो कुछ होना था, हो गया। अब इसमें विलम्ब न हो और ज्यादा से ज्यादा पेन उठाकर अधिकारीगण इस व्यवस्था को पूरा करें, तथा इस योजना को सफल रूप से लागू कराए ताकि इलाके के गरीब लोगों को जल मिल सके और उनको यह लगे कि वास्तव में सरकार जो कहती है वह अपने काम पर पूरा खरा भी उतरती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका आदेश शिरोधार्य है। जल्दी ही मैं भी इसमें देखूंगा कि जल्दी से जल्दी योजना पूरी हो जाए।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय उपाध्यक्षजी, इस पीरियड में अगर 2-4 जगह छोटे-मोटे पम्पों की आवश्यकता पड़े तो उसकी भी आप व्यवस्था करा दें ताकि लोग उससे तरसें नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं केवल दो मिनट लूंगा। रामगंजमण्डी कोटा में सबसे ज्यादा प्रोब्लमेटिक हमारा सब डिवीजन है। जो आप कर रहे हैं वह तो आपने अभी बता दिया लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बरसात के अन्दर जितनी भी माइन्स हैं उनमें वाटर स्टोरेज हो जाता है और वाटर टेबल बिलकुल ऊपर आ जाता है। जैसे ही बरसात खतम होती है वाटर की आर्टिफिशल स्केयरसिटी क्रिएट होती है। जितने भी माइन्स ओनर्स हैं वे वापस पानी पम्प करते हैं और जितने भी हैण्डपम्प

(श्री भरतसिंह)

उस क्षेत्र में हैं उनका वाटर टेबल गिरते ही वे ड्राई हो जाते है। जो आप पाइप लगा रहे हैं वे तो आप कर ही रहे हैं, उसका उत्तर आपने दे दिया पर जो पानी वापस पम्प करके नदियों में निकल जाता है उसे रोकने की कोई व्यवस्था है क्या ? जब तक यह आप नहीं करेंगे तब तक आप पैसा लगाते जाएंगे । दूसरी तरफ खान लगातार गहरी जा रही है, तेज रफ्तार से पानी नीचे ड्रेन आउट करते हैं तो और भी प्राब्लम क्रिएट हो जाती है। ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम नहीं है पर जो काश्तकार छोटी-मोटी अपनी खेती करते हैं उनके कुए ड्राई हो चुके हैं, ट्यूब वैल ड्राई हो चुके है और एक बड़ी जटिल समस्या उस क्षेत्र में हो गयी है । जो खानों के ऊपर निर्भर नहीं है उनके बारे में आप पता कर लेवें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में यदि कोई सुझाव आपके हों जिनको हम पूरा कर सकते हों तो वह आप मुझे बता देवें वरना विभाग को यह निर्देश देंगे कि इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करें । आप दे दें तो आपकी मदद हो जाएगी ।

मानसरोवर जयपुर में रेफरल अस्पताल खोलने बाबत

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा, जयपुर स्थित मानसरोवर कालोनी में राजकीय रेफरल अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेगा ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले सत्र में भी....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आप भाषण नहीं दें, अभी पहले ध्यान आकर्षण करेंगी -

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं ध्यान ही आकर्षण कर रही हूं और मैं दो लाइन में करूंगी, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं कि मैंने पिछले सत्र में भी आपका ध्यान....

श्रीमती कमला (बैराठ) : पहले मंत्रीजी का वक्तव्य आ जाए उसके बाद फिर आप बोल लेना ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका श्रीमती इन्दिरा मायाराम ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जयपुर स्थित मानसरोवर कालोनी में 100 रोगी शैयाओं के चिकित्सालय की मांग की है । इस सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :--

मानसरोवर कालोनी निश्चित रुप से एशिया की सबसे बड़ी कालोनी मानी जाती है । यह कालोनी जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पर जहां यह स्थित है वहां से एस.एम.एस. चिकित्सालय भी स्थित है । इसके अतिरिक्त इस कालोनी के निकट 100 रोगी शैया युक्त जयपुरिया चिकित्सालय की सुविधा भी उपलब्ध है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और मानसरोवर कालोनी में दो राजकीय डिस्पेंसरी, एक सैक्टर नम्बर 11 में और एक किरण पथ पर संचालित हैं जिनके माध्यम से मानसरोवर के नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

100 रोगी शैयायुक्त चिकित्सालय आरम्भ करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता उपयुक्त भवन की होती है। ऐसे चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु लगभग एक से डेढ़ करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। वर्ष 1993 में श्रीमती रूकमणी देवी उमादत्त सराफ फाउंडेशन से एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा 100 शैयायुक्त चिकित्सालय के भवन की स्वीकृति चाही गयी तथा 10,000 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध करवाए जाने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात उक्त फाउंडेशन ने 1994 में पुनः एक दान प्रस्ताव प्रेषित किया जिसमें 100 शैयायुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 15,000 वर्गमीटर भूखण्ड की मांग की गयी। उक्त प्रस्ताव में उन्होंने यह भी शर्त रखी कि चिकित्सालय भवन निर्माण के पश्चात् दो वर्ष तक बिना लाभ-हानि के चिकित्सालय का संचालन ट्रस्ट स्वयं करेगा और उक्त अवधि के पश्चात् यदि वे चिकित्सालय के संचालन में असमर्थ रहे तो वह इसका संचालन राज्य सरकार को सौंप देंगे।

राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचारा कर दिनांक 22-10-1994 को भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है जिसमें उनकी सामान्य शर्तों को माना गया है लेकिन उक्त चिकित्सालय का संचालन राज्य सरकार द्वारा ही किये जाने की शर्त रखी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के सीमित संसाधन हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर व उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन यह है कि 11 किलोमीटर आपने मानसरोवर बताया है वह सही नहीं है। एक हिस्सा जहां शुरू होता है मानसरोवर का वह जरूर 11 किलोमीटर है और पूरा अगर मानसरोवर का एरिया लिया जांच तो 15-20 किलोमीटर के बीच में पड़ता है जयपुर से। वहां से रात में बीमार को लाने का कोई भी साधन नहीं है, कोई टैक्सी भी नहीं मिलती है। सीरियस पेशेंट होता है और जब उसको मानसिंह अस्पताल में लाते हैं तो वहां पर भर्ती करने की जगह नहीं मिलती है। क्योंकि वहां पर पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है इसलिए उन लोगों को यहां जगह नहीं मिलती है।

दूसरी बात यह है कि हमारे विधायक, हमारे यहां के सांसद, चाहे पूर्व के हों या आज के हों, वे सब भी वहां रहते हैं। जैसा आपने अभी बताया कि प्राथमिक मेडिकल अस्पताल खोल रखा है पर उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई जांच की

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

फैसिलिटी नहीं है। इतनी बड़ी कालोनी में जहां पर 40-50 हजार आदमियों की आबादी है वहां पर अस्पताल खोलना आवश्यक है। आप कहते है कि आपके पास संसाधन नहीं हैं। तो फिर स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? मेरा निवेदन यह है कि वहां पर अस्पताल अलग खोलने का प्रावधान होना चाहिए। अभी आपने यहां पर कुछ प्रस्ताव बताए और उन प्रस्तावों में आपने कहा कि खोलने के कुछ प्रस्ताव आए हैं। दो साल के बाद भी सरकार अगर उनको लेकर खोल सके तो वहां की जनता को लाभ हो सकेगा। तो उसमें सरकार को पहल करनी चाहिए और इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए।

एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है और हाउसिंग बोर्ड मकान बना कर या जमीन देने में असमर्थ हैं, ऐसा मैं नहीं मानती हूं। इसलिए कि हाउसिंग बोर्ड मकान बनाकर दे सकता है, हाउसिंग बार्ड जमीन भी दे सकता है और वहां पर दे भी रहे हैं संस्थाओं के लिए, स्कूलों के लिए और दूसरे कामों के लिए। इसलिए अस्पताल के लिए नहीं दे सकते ऐसा मैं नहीं मानती। मेरा निवेदन है कि वहां की आवश्यकता को देखते हुए वहां तुरन्त रेफरल हॉस्पिटल 100 बेड्स का खुलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मानसरोवर कालोनी के नजदीक एक तो जयपुरिया चिकित्सालय है 100 शैय्यायुक्त और वहां से एस.एम.एस. भी नजदीक ही है

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माफ करना, बीच में डिस्टर्ब कर रही हूं। जयपुरिया अस्पताल प्राइवेट है, गरीब आदमी उसमें नहीं जा सकता और बहुत महंगा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुरिया चिकित्सालय सरकारी चिकित्सालय है और उसके अन्दर किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती है। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सालय है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सरकारी है लेकिन वहां पर जांच करने के लिए बाहर भेजते हैं। मैं खुद भी गयी हूं उस अस्पताल में, मैं खुद होकर आयी हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर के अन्दर 8-9 ऐसे चिकित्सालय संचालित हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जनाना चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, जे. के. लोन चिकित्सालय, कावंटिया चिकित्सालय, सेठी कोलोनी, बनी पार्क सेटलाइट जिनमें 3185 शैय्याएं हैं। इसके अतिरिक्त संतोकबा, दुर्लभजी है, सोनी है, मोनीलेक हैं, इंगटा है, राजधानी हैं, फैलगिरी है, ये प्राइवेट चिकित्सालय भी हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर में 34 डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं जिनमें 5 परिवार कल्याण केन्द्र हैं, 8 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं और 4 प्रसूती केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त पेरीफरी के अन्दर सांगानेर व आमेर में भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार फिर भी उसके पश्चात् विचार करने के लिए तैयार है। रूकमणी देवी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उमादत्त चेरीटेबल ट्रस्ट का प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ था । इन्होंने पहले तो यह कहा था कि हमें 10,000 वर्ग गज जमीन चाहिये फिर इन्होंने अपने संशोधन प्रस्ताव में यह कहा कि 15,000 वर्ग गज भूमि अगर हमें मिल जाए तो इस पर भवन निर्माण कराना चाहते हैं । शिप्रा पथ पर जे. डी. ए. ने 15,000 वर्ग गज-जमीन का आरक्षण भी कर दिया परन्तु इन्होंने एक शर्त रखी, इन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय को हम दो साल तक स्वयं संचालित करना चाहते हैं और दो साल के पश्चात् अगर यह चिकित्सालय हमसे संचालित नहीं हुआ तो हम इसको सरकार को सौंपना चाहते हैं। सरकार ने इनकी यह शर्त नहीं मानी । इसके अतिरिक्त इन्होंने बाकी जितनी भी शर्त रखी थी कि चिकित्सालय का नामांकन यह होगा, चिकित्सालय में प्रेरणा जिनके पीछे मिली हैं उनकी स्टेच्यू लगायेंगे हमारे परिजनों के यादगार के लिए और दूसरी जितनी भी इन्होंने बतायी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 100 शैया युक्त चिकित्सालय सरकार स्थापित करे और उसका संचालन करे उस पर एक वर्ष में 62 लाख रुपये वेतन पर और 32 लाख रुपये उपकरणों में, दवाओं और रखरखाव पर खर्च होते हैं। उसके पश्चात् भी मैं निवेदन करूंगा कि जो सम्बन्धित ट्रस्ट जिसने हमें प्रस्ताव भेजा हैं मैं शीघ्र ही प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलवाकर और यदि आप आदेश देंगे तो मैं स्वयं बैठक बुलाकर, यदि ट्रस्ट अपनी उस शर्त को वापस लेने को तैयार है और हमें भवन मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम इसके लिए आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर देंगे । आज जिस चिकित्सालय की स्वीकृति के लिए या चिकित्सालय को प्रारम्भ करने के लिए माननीय सदस्या कह रही हैं, जब तक उसके लिए उपयुक्त भवन नहीं होगा तब तक वह चिकित्सालय संचालित नहीं हो सकता और भवन का निर्माण एक दिन में हो नहीं सकता ।

मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से मानसरोवर जयपुर से दूर है लेकिन आज जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त हैं । फिर भी ट्रस्ट द्वारा जो प्रस्ताव हमारे पास आया है उसका परीक्षण करवाकर शीघ्र ही आवश्यक निर्णय लेंगे ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : थैंक्यू ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1996

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिह शेखावत, प्रभारी मंत्री द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 1996 को प्रस्तुत राजस्थान विनियोग (संख्या--3) विधेयक 1996 पर अग्रेतर वाद-विवाद । चन्दनमल जी बैद ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर विचार प्रकट करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17 तारीख को जब सिंचाई की मांगों पर सिंचाई मंत्रीजी अपना जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने शिकायत की थी कि मैंने उनकी गैरहाजिरी में

(श्री चन्दनमल बैद)

उनके बारे में कुछ कह दिया लेकिन मेरी मुश्किल यही है कि मुझे आज भी सिचाई मंत्रीजी के बारे में ही कुछ कहना, है उप मुख्य मंत्री जी के बारे में कुछ कहना है, और वे आज सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सिचाई मंत्रीजी शायद आज भी नहीं हैं। वे आज भी नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी जो वित्त मंत्री भी हैं और जिन्होंने विनियोग विधेयक विचारार्थ पेश किया है, उसके बारे में भी कहना है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि तीनों ही सदन से नदारद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई मंत्रीजी ने यह कहा कि मैंने उनको यह कह दिया कि आप चूरू जिले के एक नम्बर के दुश्मन हैं और बिना जानकारी के यह कह दिया कि चूरू जिले की साहवा लिफ्ट योजना से 360 गांवों को सिचाई होनी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने 160 कहा था, लिस्ट में 159 गांव हैं, मैं आपको लिस्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं लिस्ट नहीं बताऊंगा। इनमें तारानगर तहसील के 65 गांव, सरदारशहर के 56 गांव, राजगढ़ के 38 गांव, कुल 159 गांव होते हैं, मैंने राउण्ड-अप करके 160 कह दिये। अगर रिपोर्टिंग में गलती से 360 छप गये होंगे तो मैं उसको करेक्ट कर 160 कर दूंगा।

सन् 1984 में इन्दिरा गांधी नहर डिपार्टमेंट की तरफ से एक फोल्डर निकला था उसमें 159 गांवों की लिस्ट है। इसमें छपा हुआ है कि साहवा लिफ्ट योजना में 1,22,090 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र होगा और चूरू जिले के 159 गांव उससे लाभान्वित होंगे, 66 गांव नोहर के और दो गांव डूंगरपुरा और बीकानेर के भी कुछ गांव हैं। पिछले साल नवम्बर में मैं जब अपने कुछ सौ कार्यकर्ताओं को लेकर नहर देखने के लिए गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नोहर तहसील के गांवों को जितना पानी दिया जाना चाहिए उससे ज्यादा पानी उनको दिया जा रहा है, और भी एरिया उसमें शामिल करते जा रहे हैं तो मैंने इंजीनियरों से पूछा कि पहले इसमें 890 क्यूसेक्स पानी चलने का प्रावधान था, क्या आप नहर में पानी बढ़ा रहे हैं? इस पर वे बोले नहीं, चुप रहे। इस पर मुझे यह महसूस हुआ कि यह कोई साजिश तो नहीं है कि सारा पानी नोहर तहसील में ही समाप्त कर दिया जाए और चूरू जिले में इस नहर को नहीं ले जाया जाए क्योंकि उनको यह वहम था कि अगर यह चूरू जिले में पानी जाएगा तो चूंकि यह योजना मैंने बनायी है और इस वास्ते यह चन्दनमल के खाते में जमा हो जाएगा कि वह इस नहर को चूरू जिले में लाया है। तो मुझे शंका हुई तो मैंने कई तरह से इसका पता भी लगाया तो मुझे पता यह लगा कि यह सही बात है, मेरी शंका में कुछ सच्चाई है इसलिए मैंने सिचाई की मांग के दिन दो कट-मोशन दिये और बजट पर वाद-विवाद के दौरान भी मैंने इसकी चर्चा की और मैंने उनसे कह दिया कि आप जानकारी

(श्री चन्दनमल बैद)

बूझकर चूरू जिले को महरूम रखने के लिए इस सारे पानी को नोहर तहसील में ही ठहरा देना चाहते हो। मुझे नोहर तहसील के किसानों से कोई नाराजगी नहीं है, आप नोहर तहसील के सारे गांवों को पानी दें क्योंकि वहां भी किसान बसते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हैं लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि चूरू जिले के किसानों की कास्ट पर नोहर तहसील के किसानों को पानी दिया जाए, यह मैंने कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि मुझे मेरे कट-मोशन के जवाब मिल गये हैं लेकिन उनसे मैंने जो शंकाएं बतायी हैं वे सही साबित हो रही हैं। जवाब में यह कहा गया है कि अब इसका सिंचित क्षेत्र 1,22,090 हैक्टेयर से बढ़ाकर 1,45,670 हैक्टेयर कर दिया गया है। मतलब 23 हजार हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और इनके ही कागजों में लिखा है कि चूरू जिले के 159 गांवों की बजाय अब तारानगर के 30 और सरदारशहर के 9 गांव होंगे। यानि 159 गांवों की जगह अब कुल 39 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा यानि चूरू जिले के 120 गांवों को काट दिया गया हैं। मुझे यह बताइये अभी तो 120 गांवों को काटा गया है लेकिन उसके बाद साल दो साल बाद ये 39 गांव भी काट देंगे, ऐसी मुझे शंका है। ऐसे सिंचाई मंत्रीजी, जो चूरू जिले के साथ इस तरह का अन्याय कर रहे हैं। तो मैं उनको चूरू जिले का दुश्मन नहीं बताऊं तो क्या चूरू जिले का दोस्त बताऊं ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : चूरू के प्रभारी तो ये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : ये हैं लेकिन ये बोलते ही नहीं हैं और वे भी नहीं बोलते हैं और इन दोनों को हटाकर उनको हमारा इंचार्ज बना दिया क्योंकि ये भी उनकी नजरों में शायद योग्य नहीं हैं। वे भी योग्य नहीं हैं, उनको इंचार्ज बना दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी नजरों में तो हूं न ? आपका पोता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी नजरों में तो आप बहुत योग्य हैं क्योंकि आप मेरे पोते हैं इस वास्ते आप तो योग्य हैं और वे मेरे पण्डित हैं, इस तरह आप दोनों मेरी नजरों में तो योग्य हैं लेकिन जिन्होंने हटाया है और आपको हटाकर दूसरे को बैठाया है उनकी नजरों में शायद आप योग्य नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वे आज फिर गैर हाजिर हैं। फिर मेरे से शिकायत करेंगे लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो योजना बनायी गयी थी और जिससे 159 गांवों को लाभान्वित किया जाना था उसमें 120 गांवों को काटकर आज 39 गांव रख दिये गये। और बाद में मुझे यह डर लग रहा है कि ये 39 गांवों को भी हटा देंगे। यह चूरू जिले के साथ हमारे सिंचाई मंत्रीजी की दुश्मनी है, इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी चूरू जिले के दुश्मन नम्बर एक हैं। लेकिन मैं उनको यह भी चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई प्रजातन्त्र में हमेशा

(श्री चन्दनमल बैद)

पावर में नहीं रहता है, यह पावर तो बदलती रहती है और जब हमारी पार्टी का शासन आएगा। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनको ललकार कर कहना चाहता हूं कि ये, 159 गांवों को फिर रस्टोर किया जाएगा, उसी तरीके से नहर बनायी जाएगी चाहे वे कितनी ही कोशिश कर लें, उनकी नहीं चलेगी, यह मैं उनको बता देना चाहता हूं और इस काम में उप मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी भी हमारा साथ देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। (व्यवधान)

अब उप मुख्य मंत्रीजी के बारे में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। मैंने सुना है आपने "जागरण" अखबार में स्टेटमेंट दिया है। वही तो मैं निवेदन कर रहा हूं; आप क्यों नाराज हो रहे हैं। आपके प्रति मेरी बड़ी भक्ति और श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री राजकोष का 25 प्रतिशत पैसा डकार जाते थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यह तो आप कमाल करते हैं, साहब।

श्री चन्दनमल बैद : सन् 1953 से 1984 तक, 31 सालों में मैं 15-16 साल तक मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर रहा हूं। इन 15-16 सालों में राजकोष का 25 प्रतिशत पैसा डकार जाता था मैं....

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैंने आपके लिए नहीं कहा।

श्री चन्दनमल बैद : आपने सारे मंत्रियों को कहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आपने तो मेरे लिए भी कहा है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पर डबल चार्ज है। एक तो राजकोष का पैसा डकार जाते थे उनमें मैं था और दूसरा चूंकि वित्त मंत्री होने के नाते छह साल तक राजकोष मेरे कब्जे में था और ये लोग मेरे रहते हुए 25 प्रतिशत पैसा डकार जाते थे तो मैं इतना अयोग्य था तो यह दो चार्ज मेरे ऊपर हैं। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, इन 16 सालों में जितनी भी फाइलों पर मैंने दस्तखत किये हैं, जितने भी केसेज मैंने निर्णीत किये हैं, सब फाइलें आपके पास मौजूद हैं और वे आफिसर्स भी जो मेरे पास काम करते थे वह आज आपके मातहत काम कर रहे हैं। हम जब कहते हैं कि सी. बी. आई. से जांच करा लो तो आप तो भाग जाते हैं। मैं आपको चैलेन्ज करके कहता हूं कि इन सारी फाइलों को, जो 16 साल में मैंने दस्तखत किये हैं, आप सी. बी. आई. को सौंप दीजिए और साथ में माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, आपने भी उप-मुख्य मंत्री की हैसियत से जिन फाइलों पर दस्तखत किये हैं वह भी सी.बी.आई. को सौंप दीजिए। मैं एग्री करता हूं, आप भी एग्री कीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। और आपकी हिम्मत है तो जो विटुमन घोटाले 33 करोड़ रुपयों का घपला हुआ है वह फाइल भी सौंप दीजिए। और आपकी हिम्मत हो तो यह चार्ज जो मैंने लगाए थे कि पी. एच.

(श्री चन्दनमल बैद)

ई. डी. के इन्जीनियर्स सीधे पैसा जयपुर भेज रहे हैं, वह फाइल भी सी. बी. श्राई. को सौंप दीजिए। श्रौर श्रापकी हिम्मत हो तो सिंचाई मंत्री जी ने अपने पुत्र श्री के चुनाव के सिलसिले में जूनियर इन्जीनियर्स से लेकर बड़े से बड़े इन्जीनियर तक करोड़ों रुपयों की जो चौथ वसूली की है वह फाइल भी श्राप सी. बी. श्राई. को सौंप दीजिए। हिम्मत चाहिए। श्राज मैं कहता हूं कि मेरी 16 साल की फाइलें सौंपिए तो श्राप भी हिम्मत कीजिए इन तीन मिनिस्टर्स श्रौर श्रापकी फाइलों को भी श्राप सौंपिए। खाली चार्ज लगाने से काम नहीं चलता है, उप-मुख्य मंत्री जी। हमने ईमानदारी से और भलाई से श्रौर सिन्सियरिटी से देश की सेवा की है। श्रापकी तरह से केवल पंडिताई नहीं की है। इसलिए मेहरबानी करके ऐसे चार्ज लगाने के पहले सोचिए और समझिए....

श्री खेतसिंह राठौड़ : 40 साल रहे हैं ? श्रापके भरोसे रहे थे क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्रब मैं विनियोग विधेयक पर श्राना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि सन् 1981-82 में कुल बजट का कर्जा 110 पर्सेण्ट था श्रौर श्राज कुल बजट का कर्जा 108 पर्सेण्ट है। एक तो मुझे शिकायत यह है कि इस विधान सभा में 45 बजट पेश हो चुके हैं उन्होंने यह 1981-82 का बजट कहां से उठा लिया श्रौर 1981-82 के बजट श्रांकड़े श्रब कहां से वैरीफाई करें ? लेकिन, मान लीजिए, 1981-82 के बजट में कर्जा कुल बजट का 110 पर्सेण्ट था श्रौर 1996-97 का कर्जा कुल बजट का 108 पर्सेण्ट कहां से निकाल लिया श्रापने ? श्राज जो विनियोग विधेयक की मंजूरी लेना चाहते हैं वह है 12 हजार 245 करोड़ की। यही तो बजट है श्रापका ? श्रौर कर्जा है श्रापके श्रांकड़ों के अनुसार जिल्द 3-बी, आपने जो किताबें सबको दी हैं--16 हजार करोड़ श्रौर कुछ। यह 12 हजार 16 हजार का कितना होता है ?--133 पर्सेण्ट। 108 पर्सेण्ट का फिगर कहां से ले श्राए श्राप ? यों ही हांक दी। जैसे शेखी हांकते हैं वैसे ही यह भी हांक दी।....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हम तो रोज श्रापको हांकते रहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं-नहीं, मैं रोज हांक रहा हूं। यह हमारे श्रांकड़े नहीं हैं, यह श्रापके श्रांकड़े हैं। जिल्द-3 बी निकालिये श्रभी श्रौर यह श्रापका विनियोग विधेयक है 12245 करोड़ रुपये मांग रहे हैं श्रौर कर्जा 16 हजार करोड़ का है। यह 12 हजार करोड़ है तो 16 हजार करोड़ 12 हजार करोड़ का कितना होता है ? यह अर्थमैटिक भी मुझे श्रापको बतानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी क्या ? यह 133 पर्सेण्ट होता है श्रौर श्राप कह रहे हैं 108 पर्सेण्ट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रनपढ़ सरकार है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी मैं कर्जे की बात करता हूं तो इस

(श्री चन्दनमल बैद)

सदन के सत्ता पक्ष में बैठे हुए बहुत से लोग मुझसे बहुत नाराज होते हैं कि चन्दनमलजी तो कर्जे ही कर्जे की बात करते हैं और कुछ बात करते हो नहीं हैं। मैं कर्जे की बात इसलिए करता हूं कि मुझे चिन्ता है, सोच है इस प्रदेश की जनता के बारे में। मुझे सोच है इसके राजकोष के बारे में। इसलिए में बराबर इस चिन्ता को दर्शाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इस सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं और सारी प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि इस शोचनीय स्थिति में हम हैं। और मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं इसी सोच के कारण से, इसी अफसोस के कारण से, इसी चिन्ता के कारण से यह बात बार-बार कहना चाहता हूं। हमारे कुछ माननीय सदस्य यह कहते हैं सत्ता पक्ष के कि हमको कर्जा मिलता है तो लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जो ने यह पूछा था कि आखिर कर्जे की सीमा क्या होनी चाहिए। किसी ने सोचा कि कर्जे की सीमा क्या होनी चाहिए ? उन्होंने पूछा इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कर्जे की सीमा क्या होनी चाहिए। कर्जे की सीमा वह नहीं है कि हमको कर्जा मिल रहा है और हम ले रहे हैं, जब तक मिलेगा तब तक लेते रहेंगे और जिस दिन नहीं मिलेगा वह हमारी सीमा हो गयी। यह नहीं है सीमा। दसवें फाइनेन्स कमीशन ने अपने 12वें चैप्टर में और पेज 57 पर, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी देख लीजिएगा। उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा का जिक्र करते हुए कहा है ...

श्री हरिशंकर मामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक आर्य समाज के प्रचारक आते थे। वह जब भाषण देते थे तो कहते थे कि यह अमुक वेद, के अमुक समुल्लास के अमुक उसमें है। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपको याद कैसे है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैं नहीं जानता तो दूसरे भी नहीं जानते और मान लीजिए कि किसी ने जान लिया तो कह दूंगा कि वह एडीशन दूसरा है और यह एडीशन दूसरा है। इसलिए जो मन आये सो कहिये।

श्रीमती कमला : माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, यह पद्धति आप लोगों ने अपनायी हुई है इसलिए इधर लागू मत कीजिए। आपको जब देखो तब, आप यह करते थे तो हमने यह कर दिया। यह कोई रेलेवेंस नहीं है इससे।

श्री चन्दनमल बैद : आप क्यों परेशान हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा कि दसवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट मंगा दें यहां।

श्री हरिशंकर मामड़ा : आप। कहां बीच में आ गई ? यह हमारी बात हैं। ये आपसे कम होशियार हैं क्या ? आपसे तो ज्यादा होशियार हैं। नहीं, नहीं वह तो भगाई हुई है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं मंगा लीजिए यहां ग्रापको मालूम पड़ जाएगा। ग्रापको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसमें उन्होंने यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा का चूंकि टोटल रेवेन्यू एक्स पेन्डीचर से कर्ज के ब्याज का भुगतान 17 पर्सेण्ट से ज्यादा है। इसलिए उनकी इकानामी सीरियस फिस्कल स्ट्रेस में है, हाई फिस्कल स्ट्रेस में है। एक्जेक्ट बर्डस इस्तेमाल कर रहा हूं हाई फिस्कल स्ट्रेस में है। ग्रगर मुझे कुछ ज्ञान है तो फिर आपको तकलीफ हो रही है ? तो फिर ग्राप क्यों खड़े होकर उसकी बात कर रहे हैं?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बिलकुल नहीं। मैं ग्रापसे ज्ञान ले रहा हूं ग्रौर ग्रापको ज्ञान दे रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : ग्रापको कोई ज्ञान नहीं है तो मेरा कसूर है क्या उसका ? ग्राप फाइनेन्स मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह मेरा कसूर है क्या कि ग्रापको ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञान देना काम मेरा है।

श्री चन्दनमल बैद : तो ग्रापको यह दसवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट मंगाकर मैं आज ही दिखाऊंगा ग्रौर ग्राप कहेंगे तो एक कापी ग्रापके घर भिजवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने 17 पर्सेण्ट कहा है ग्रौर हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर वह भी ग्राप कहेंगे कि ग्रापको याद कैसे रह गया, 7877 करोड़ रुपया टोटल रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर है ग्रौर ग्रापके ब्याज का पेमेन्ट इस साल का है 1518 करोड़ 73 लाख रुपया। यह आपको टोटल

(14.00)

रेवेन्यू एक्सपेंन्डीचर का 19 पर्सेण्ट से ज्यादा होता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, टैन्थ फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि ग्रगर 17 पर्सेण्ट से ज्यादा ब्याज का पेमेंट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का होता है तो your economy is under high fiscal stress. ग्रौर 19 पर्सेण्ट हो तब ? ग्राप कर्ज की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं कर्जा लेने का विरोधी नहीं हूं, मै कर्जा लेकर के विकास के काम करने का विरोधी भी नहीं हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि कर्ज की एक सीमा होनी चाहिए। सीमा टैन्थ फाइनेंस कमीशन ने बांध रखी वह हैं।

ग्रब मैं ग्रापसे एक निवेदन ग्रौर करना चाहता हूं। ग्रौर भी सीमाएं हैं। आपने 100 करोड़ रुपये का कर्जा लेकर एक सिंचाई योजना बनायी। उस 100 करोड़ की बनायी हुई सिंचाई योजना से क्या उस 100 करोड़ का ब्याज ग्रौर उसके रख-रखाव का खर्चा निकल जाएगा ? अगर निकल जाएगा तो सिंचाई की योजनाएं ग्राप बनाइये, कर्जा लेकर बनाइये। ग्रगर नहीं निकल सकता है तो मेहरबानी करके ग्रपने रेवेन्यू एक्सपेंडीचर, रेवेन्यू ग्रकाउंट पर वह बोझा मत डालिए। पहली शर्त यह होनी चाहिए।

दूसरी शर्त यह होनी चाहिए, ग्रापके रेवेन्यू एक्सीपेंडीचर पर तीन तरह के बोझ हैं, तीन तरह की देनदारियां हैं, पहली देनदारी है आपके कर्मचारियों की तनख्वाह

(श्री चन्दनमल वैद)

और भत्ते, दूसरी देनदारी है आपके ब्याज की अदायगी और तीसरी देनदारी है आपके जो दूसरे काम हैं रेवेन्यू के, यानि आपकी परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, उनकी मरम्मत और दूसरे काम, अब इन तीनों कामों में आपने सामंजस्य नहीं रखा है। आपको सरकार के नौकरों को तो तनख्वाह देनी ही पड़ेगी। अगर पे-कमीशन के कारण से उनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो आपको भी तनख्वाह बढानी ही पड़ेगी। आप कोशिश यह करते हैं कि महंगाई भत्ता थोड़ा रोककर रखें। लेकिन अगर सरकार महंगाई भत्ता बढाएगी तो आपको भी महंगाई भत्ता बढ़ाना ही पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आप यह कोशिश करते हैं कि उनकी संख्या को आप सीमित रखे, वह भी आप नहीं रख सकते मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1992-93 में सरकारी कर्मचारी की संख्या 5 लाख 2 हजार थी, 1993-94 में बढकर 5 लाख 18 हजार हो गयी, 1994-95 में बढकर 5 लाख 19 हजार हो गयी। और 1995-96 में वह संख्या बढकर 5 लाख 28 हजार हो गयी। मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या पर आप कंट्रोल कर नहीं सकते, सरकारी कर्मचारियों के जो भत्ते हैं उन पर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर आप कन्ट्रोल कर नहीं सकते, आप कंट्रोल कर नहीं सकते, वह तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का, जिसको अवश्यम्भावी कहना चाहिए, वह एक्सपेंडीचर है जिसको आप रोक नहीं सकते।

दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर जो आपका है वह है ब्याज, जो इस साल 1500 और कुछ करोड़ रुपये है वह आपको देना ही पड़ेगा। अब जो पैसा बचा है उस पैसे से आपको अपनी परिसम्पत्तियां जो आपकी पहले बनायी हुई हैं, उनका रख-रखाव करना है। अगर वह पैसा काफी नहीं है तो जो परिसम्पत्तियां आपने बनायी हैं उनका रख-रखाव आप नहीं कर सकते, यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस वास्ते मैं कहता हूं कि आप कर्जा लेते वक्त इन सारी चीजों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे और यह सोचकर चलेंगे कि हमको तो कर्जा मिल रहा है इस वास्ते हम कर्जा ले रहे हैं, यह एक खतरनाक बात है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी स्वास्थ्य मंत्रीजी ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए शुक्रवार को ही बताया है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में 27 मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल की यह हालत है तो और जो सैकड़ों अस्पताल हमारे प्रदेश में हैं उनकी कितनी मशीनें खराब पड़ी हुई होगी? किसी ने यह सवाल नहीं पूछा। मैं समझता हूं कि सैकड़ों, हजारों मशीनें खराब पड़ी हुई होगी। क्यों पड़ी हुई हैं? आपके पास मरम्मत कराने के लिए पैसा नहीं है। यह भरतपुर में जो बाढ़ आई अगर आपने पहले से बांधों की मरम्मत करा दी होती, यह चार्ज लगा है इस हाउस में, तो यह बाढ़ इतना भयंकर रूप नहीं लेती।

(श्री चन्दनमल बैद)

अभी एक सवाल के जवाब में हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि पार्वती सिंचाई योजना से पहले बहुत सिंचाई होती थी और आज सिंचाई बहुत कम हो रही है। क्यों ? क्योंकि आप उसका रखरखाव, उसकी ठीक से मेंटीनेंस नहीं कर पा रहे हैं। कोटा सिंचाई योजना है उसकी जो दायीं और बायीं नहरें हैं उनमें टेल तक पहले पानी पहुंचता था लेकिन अब रखरखाव की कमी के कारण से नहीं पहुंच रहा है आपकी सरकार ने ही 10 हजार एकड़ एरिया को डी-कमांड कर दिया। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी हाउस में बताया था कि गंगनहर में 2700 क्यूसेक्स पानी चलना चाहिए उसकी जगह अब दो हजार क्यूसेक्स पानी चल रहा है। किस कारण से हो रहा है ऐसा ? इस कारण से हो रहा है कि हम अपनी परिसम्पत्तियों की पूरी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और यह इस वास्ते नहीं कर पा रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर पर, रेवेन्यू अकाउंट पर यह ब्याज की और जो दूसरा बोझा है वह बहुत ज्यादा है। वह ब्याज का बोझा इस वास्ते है कि हमने बहुत बड़ा कर्जा ले लिया, उस बोझ के कारण से पैसे बच नहीं रहे हैं।

अभी अपने शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा की मांग पर बहस का जवाब देते हुए बताया कि चार हजार अध्यापकों की जगह खाली है। मैंने पिछली दफा मार्च में कहा था कि हजारों अध्यापकों की जगह खाली हैं तो नाराज हो गये और कहा कि नहीं, 2700 खाली हैं, हजारों नहीं। आज चार हजार खाली हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बताया नहीं कि उनके यहां कितनी जगह अध्यापकों की खाली पड़ी हुई हैं। पंचायती राज मंत्रीजी ने भी नहीं बताया कि कितनी हजार पोस्टें अध्यापकों की पंचायत समितियों में खाली पड़ी हुई हैं। क्यों पड़ी हैं ? इस वास्ते पडी हुई हैं कि मास्टर रखने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। डाक्टरों के बारे में मैंने स्वास्थ्य मंत्रीजी को लिखा, माननीय मुख्य मंत्री जी, दो पत्र आपको भी लिखे लेकिन वही ढाक के तीन पात। डाक्टरों के पद वही रिक्त के रिक्त पड़े हुए हैं। अभी लूणी से आने वाले सदन के वरिष्ठ सदस्य, जो हमारे अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, एक प्रश्न पूछा था आपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, मैंने उस प्रश्न का जवाब देखा, उसमें भी दर्जनों डाक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जगह खाली पड़ी हुई बतायीं। यह दो निर्वाचन क्षेत्र की बात है, एक अस्पताल की बात है। सारे निर्वाचन क्षेत्रों की, सारे अस्पतालों की बात सोचें तो क्या हालत होगी ? मास्टरों की जगह खाली पड़ी हुई हैं, डाक्टरों की जगह खाली पड़ी हुई हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे किसी भी एक साल की तुलना करके बता दीजिए जब आप शिक्षा मंत्री थे और इतने पद खाली नहीं थे। मुझे एक साल की तुलना करके बता दीजिए। यह सामान्य प्रक्रिया है, रिटायरमेंट होता है, लोगों के प्रमोशंस होते हैं। यह तो सामान्य है इतनी बड़ी संख्या।

श्री चन्दनमल बैद : यही प्रश्न उस दिन उधर से पूछा गया था। मैंने कहा कि टैक्स लगाने में बहुत गुंजाइश है, हीरे-जवाहरात पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं और दाल पर और न मालूम क्या-क्या चीज पर टैक्स लगा हुआ है, तो किसी ने पूछा कि आपने हीरे-जवाहरात पर टैक्स लगाए थे या नहीं लगाये थे। आफ हैण्ड तो मैं नहीं कह सकता, मैंने चैक किया, मैंने लगाया है हीरे-जवाहरात पर टैक्स। लेकिन अब आप आफ हैण्ड पूछ रहे हैं, मैं तो चार-पांच बार शिक्षा मंत्री रहा हूं, एक दफा नहीं रहा हूं अब किस समय कितनी पोस्ट खाली थीं, नहीं थीं वह तो मैं रिकार्ड देखकर बता सकता हूं। आफ हैण्ड मैं बोल जाऊं विधान सभा में, जैसे आपके मन्त्री बोल जाते हैं वैसे तो मैं नहीं चाहता। आखिर मैं समझता हूं कि मैं अगर विधान सभा में सन् 1952 से आ रहा हूं और करीब--करीब 30 साल पूरे हो गये तो कम से कम इस जिम्मेदारी से विधान सभा में बोलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसका खण्डन यहां पर हो और गलत कभी कह जाऊं तो मैं इस बात की हिम्मत रखता हूं कि खड़े होकर कह देता हूं कि मैंने यह गलती की है, यह मैंने गलत आंकड़ा दिया है। आपके मुख्य मंत्रीजी में यह आदत नहीं है। उन्होंने कह दिया, फाइनेंस कमीशन का 29 पर्सेंट हमको मिलना चाहिए, बजट भाषण में कह दिया और मैंने कहा कि 29 प्रतिशत से तो ज्यादा हमको, स्टेट्स को मिल रहा है। अब आप क्या 29 प्रतिशत की बात कर रहे हैं, मांगकर तो देखो। लेकिन यह नहीं कहा कि मैंने गलत कह दिया है। आपकी साइड के लोगों की यह आदत नहीं है। हमारी आदत है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि आपके ज्यादा कर्जा लेने के कारण से, उसका ब्याज चुकाने के कारण से....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 29 प्रतिशत डिविजिबल पूल से मिल रहा है क्या इस समय ?

श्री चन्दनमल बैद : सारे स्टेट्स को 29 प्रतिशत से ज्यादा मिल रहा है और दसवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट मंगवा लीजिए, आपके उप मुख्य मंत्रीजी मुझे चैलेंज कर रहे थे, मंगा लीजिए और 12वें चैप्टर के 57वें पेज को देख लीजिए। अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो आपको तकलीफ हो रही है।

तीसरी बात, कर्जा लेने से पहले आपको जिस बात को ध्यान में रखना चाहिए, वह मैं बताना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी पर आप नाजायज बोझ तो नहीं डाल रहे हैं ? आज की पीढ़ी का तो टैक्स नहीं लगाकर आप छोड रहे हैं और कर्जा लेकर भावी पीढ़ी पर ब्याज इतना बड़ा डाल रहे हैं कि उनको परेशान होकर कभी न कभी हाई टैक्सेशन की तरफ जाना पडेगा। आज की पीढ़ी को छोड़ रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को फंसा रहे हैं, यह गलत भी बात है। आपको समन्वय करना चाहिए आज की पीढ़ी में और अगली पीढ़ी के बीच में कि आप आज की पीढ़ी पर कितना बोझ डाल रहे हैं, अगली पीढ़ी पर कितना बोझ डाल रहे हैं। माननीय

(श्री चन्दनमल बैद)

मुख्य मंत्रीजी, आपमें पालिटिकल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपमें हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। वित्त मंत्री की पोस्ट कोई लड्डू और कलाकन्द खाने जैसी पोस्ट नहीं है। इसमें कई बार अनप्लीजेंट निर्णय लेने पड़ते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें सौंठ और लौंग भी खानी चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : और इसमें कई बार आपको आदमियों की हाय-हाय भी बरदास्त करनी पड़ती है लेकिन इस बात को बरदास्त करना पड़ता है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक किया जाए। आपने तो एक ही बात की कि बड़ा प्लान ले आए, वाहवाही। टैक्स नहीं लगाया, वाहवाही। आगे आने वाले जानें और आगे वालों का काम जाने।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक किस्सा याद आता है। एक राज्य में राजा की डैथ हो गयी। कोई वारिस नहीं था। मंत्रियों में बैठक हुई, क्या किया जाए। तो तय हुआ कि सुबह-सुबह जो गेट पर आ जाए, मुख्य दरवाजे पर आ जाए, उसको राजा बना दिया जाए। उस दरवाजे पर एक साधु मिल गया। तुमको राजा बनाया जाएगा। साधु बोला, मुझे राजा बनाया जाएगा? उसके पास में एक कमण्डल था, एक चिमटा था। राजगद्दी पर बैठा दिया गया। हुक्म दीजिए महाराज। वह बोला, हलवा बनाओ और खाओ। लोग बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा राजा आया, हलवा बना रहा है और खिला रहा है। कोई भी समस्या आए, हलवा बनाओ और खाओ। लोग बड़े खुश। पास के राजा को मालूम हुआ, उसने चढ़ाई कर दी। भेदियों ने खबर दी कि पास के राजा की फौज चढ़ाई करके अपने राज्य की तरफ आ रही है। तो वह बोला, हलवा बनाओ और खाओ। वही आदेश उसका तो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी सीमा में प्रवेश कर लिया, हलवा बनाओ और खाओ। अपने शहर में प्रवेश कर लिया, हलवा बनाओ और खाओ। राजमहल में प्रवेश कर लिया तो वह बोला, लाओ मेरा कमण्डल और चिमटा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या मतलब है। यही हमारे मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं, मुझे तो ढाई साल रहना है, निकलेगी जैसे निकल जाएगी, आने वाला राज जानेगा, आने वाला वित्त मंत्री जानेगा, आने वाली सरकार जानेगी, कितना कर्जा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है; मैं तो वाह-वाही लेकर चला जाता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेहरबानी करके कुछ इच्छा शक्ति जगाइए, कुछ राजनैतिक ताकत हासिल कीजिए और कड़वे निर्णय लेने की हिम्मत कीजिए। उस दिन आप कह रहे थे, मैं बहुत खुश हूं, चन्दनमलजी ने टैक्स की तारीफ कर दी। हमारे कंधे पर बन्दूक रखकर चलाने की कोशिश मत कीजिए। जब आप यहां बैठे हुए थे और हमने कुछ टैक्स लगाए थे, समन्वय करने की कोशिश की थी, सिंचाई की रेट्स बढ़ायी थी, बिजली की रेट्स बढ़ायी थी, आपने विरोध किया था यहां बैठकर। आपने प्रतिपक्ष में बैठकर जो परम्पराएं डाली हैं, प्रतिपक्ष

(श्री चन्दनमल वैद)

उन परम्पराओं को तोड़ने वाला नहीं है। आप कोई भी टैक्स लगाएंगे, हम तो डटकर उसका विरोध करेंगे, यह मैं आपको बता देता हूं। यह नहीं हो सकता कि टैक्स आप लगाएं और जनता के बीच जाकर हम कहें कि भाईयों, भाजपा ने टैक्स लगाकर ठीक किया। टैक्स आप लगाएंगे तो जनता को भी आपको ही कन्विन्स करना पड़ेगा। राज आप कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत सदाशय हैं, आपमें बहुत शराफत है लेकिन वित्त मंत्री की हैसियत से आप बिलकुल नाकामयाब हैं, फैल्योग हैं, इस वास्ते बाकी रहे दो साल के लिए, भाभड़ाजी को तो मत बनाना, इनको याद नहीं रहता कुछ भी, हां, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य इसके काबिल हो सकते हैं, किसी अच्छे जवान आदमी को वित्त मंत्री बनाइए। दो ही साल हैं और क्या है। हमको आना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर माननीय चन्दनमलजी जैसे वरिष्ठ सदस्य के विचार सुने। पहले भी आपने एक बात कही थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि कर्जे की क्या सीमा होनी चाहिए और आज माननीय चन्दनमलजी ने दसवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पढ़कर क़र्जे की सीमा के बारे में कुछ उल्लेख किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय अपन ईमानदारी से यह मानकर चलें, चाहे भारत सरकार का बजट हो, चाहे राजस्थान सरकार का बजट हो, चाहे अन्य सरकारों का बजट हो, देश में इस समय एक बात की आम चर्चा है, जैसा अभी माननीय चन्दनमलजी कह रहे थे कि आप कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं रोक सकते, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ रहे हैं उनको आप नहीं रोक सकते, इस प्रकार का ब्याज देना है उसको आप नहीं रोक सकते, परिसम्पत्तियों का रख रखाव करना है उसको आप नहीं रोक सकते। फिर हम किस चीज को रोकें? यह सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, यह क्या राजस्थान में ही बढ़ी है? क्या यह ब्याज का पैसा बढ़ा है; केवल राजस्थान में ही बढ़ा है? यह सारी परिसम्पतियों के रख-रखाव का काम हुआ है, क्या सिर्फ राजस्थान में हुआ है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज से छह साल पहले भारत सरकार पर कर्मचारियों का खर्चा था वह 73,000 करोड़ का था और अब 1,44,000 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया। इसी प्रकार राजस्थान पर बढ़ रहा है। पिछली बार का भारत सरकार का वित्तीय घाटा 64,000 करोड़ रुपये का था और इस बार माननीय देवेगौड़ा जी की सरकार को यह विदेशी कर्जा और ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। यह हालत हमारी भारत सरकार की है। राजस्थान भारत का हिस्सा है, आन्ध्र प्रदेश भी भारत का हिस्सा है। आज सारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देश में बहस चल रही है। इस बहस का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा वित्तीय अनुशासन कहां चला गया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अभी-अभी टेबल पर रखी है, वह अगर पढ़ेंगे और उसमें हिन्दुस्तान के जिन-जिन प्रांतों के बारे में विवरण दिया है, उसको अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो हमको यह बात देखकर आश्चर्य होगा कि हमारा वित्तीय अनुशासन किस प्रकार से समाप्त हो रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में एक आपातकोष होता है जिसको विधान सभा में 34 लाख रुपये माननीय मुलायम सिंह यादव, जो वर्तमान में केन्द्र में मंत्री हैं और तब मुख्य मंत्री थे, पास कराया, उसकी एवज में उन्होंने 42 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। इस पर कहीं नियंत्रण नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि कस्टम टैक्स और जो टैक्स हम वसूल कर रहे हैं उसमें 1100 करोड़ रुपये कम किये गये, असेसमेंट कम किया गया। उन्होंने पंजाब का एक उदाहरण देकर बताया कि पंजाब में पानी की दरें बढ़ा दी गयीं विधान सभा में और वह बढ़ाने के बाद भी वसूल नहीं की गयीं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि पिछले साल 9,000 मुकदमे सैल्स टैक्स के तय किये गये उसमें से 3,000 पर फैसला दिया गया और 6,000 बाकी रह गये। इसी तरह हजारों मुकदमें पड़े हुए, उन पर कोई फैसला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय अनुशासन में हमारे यहां कमी आती जा रही है। इस कमी को जब तक नियंत्रित नहीं कर पायेंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था पर माकूल नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इसमें अगर विपक्ष में बैठकर एक भाषण दे दिया जाए कि राजस्थान पर आज कर्जा इतना-इतना हो गया तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार पर जितना कर्जा आज हो गया है, आप कह रहे थे ना कि आनेवाली पीढ़ी के लिए कर्जा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। आने वाली पीढ़ी कौनसी? संतान नहीं होती, आने वाली पीढ़ी यहां पर सरकार है। हमारे यहां कहा गया "घृतं पीवेत ऋणम् कृत्वा" लेकिन यह हिन्दुस्तान पर आपने कर्जा छोड़ा है, यह किसने छोड़ा है? आज हिन्दुस्तान की प्रजा के दुश्मन साबित हो रहे हैं। आजादी से लेकर आज तक दिल्ली में हमने तो राज नहीं किया। दिल्ली का सारे का सारा कर्जा जो आपने सारे देश पर लाद दिया है इस कर्जे के लिए कौन जिम्मेदार है? यह अनाप शनाप जो खर्चा हो रहा है इस खर्चे के लिए कौन जिम्मेदार है? यह छह लाख करोड़ रुपये का कर्जा जो आपने देश और विदेश का मिलाकर हमारे पर थौंप दिया है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि भारतवर्ष में हमारे सब विधान करने के बाद में भी, पचास साल बाद में हमारी वित्तीय व्यवस्था के बारे में या वित्तीय प्रबन्धन के बारे में हमको दुबारा विचार करना पड़ेगा। आज घाटे की अर्थव्यवस्था पर कोई नियन्त्रण नहीं है। आज भारत सरकार कितने घाटे की अर्थव्यवस्था में, कितना बड़ा बजट पेश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करती है और कितना घाटा छोड़ती है, इस घाटे पर किसी का नियन्त्रण नहीं है। आज राजस्थान सरकार कितने घाटे का बजट पेश करती है, किसी का नियन्त्रण नहीं है। और नियन्त्रण जब घाटे का नहीं है तो तीन ही बात से वसूल किया जा सकता है, उपाध्यक्ष महोदय। या तो रिजर्व बैंक से उधार लेकर किया जाता है। रिजर्व बैंक नोट छापती है, मुद्रा-स्फीति बढ़ती है। एक तरीका तो यह रहता है। दूसरा तरीका लें तो हम विदेशों से कर्ज ले लें। तीसरा तरीका है अन्दर से कर्ज ले लें, यह सारा जो कर्जा है, जब तक इसकी सीमा तय नहीं होती। इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रस्ताव पास करके यह मांग की है कि हमको संविधान में इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए कि घाटे की अर्थव्यवस्था को कुछ प्रतिशत तक सीमित किया जा सके। उसी प्रकार मैं यहां यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि राज्यों की और भारत सरकार की कर्जे की सीमा भी तय की जानी चाहिएं कानूनन कि इससे ज्यादा हम कर्ज नहीं लेंगे। जब तक हम इन सीमाओं को तय नहीं करेंगे तब तक आक्षेप लगाकर इस पाइंट को मुद्दा बनाकर हम करना चाहें तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जो अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है, उस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो महत्वपूर्ण बात कही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहूंगा, आज स्थिति यह है कि हम एक बात पर फैसला करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं चन्दनमलजी की बात से पूर्णत: सहमत हूं। लोगों को पानी हम सप्लाई करते हैं, हमारे यहां स्थिति यह है कि ब्लीचिंग पाउडर और बिजली का जो पैसा खर्च होता है वह पैसा भी वर्तमान में जो पानी पी रहे हैं उनसे हम वसूल नहीं करते हैं। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमजोरी केवल इधर नहीं है, माननीय चन्दनमलजी, आप लोगों की डाली हुई परम्परा का कारण है। आपने मुफ्तखोरी की आदत डाली। आज करीब दो सौ करोड़ का घाटा इसमें होता है। लेकिन मैं सिंचाई और बिजली पर इस बात से सहमत नहीं हूं। सिंचाई और बिजली का जो खर्चा होता है उसका लागत खर्च वसूल करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत भी नहीं है। क्योंकि सिंचाई से जो आय होती है, बिजली से जो माल उत्पन्न होता है किसान का, वह जाकर देश में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है इसलिए उसको उस बहुचक्र के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन जो हम सप्लाई करते हैं, छोटी-छोटी बातें जो हम लोगों को देते हैं, हम दूसरे लोगों के अधिकार को काट कर लगातार उनको ही देते जा रहे हैं, इस बात पर हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमको घाटे की अर्थव्यवस्था को, कर्ज की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का संवैधानिक उपाय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह उपाय नहीं हो सकता। जितनी हमारी आज, अगर ईमानदारी से देखा जाए, आर्थिक स्थिति डगमगा रही है उसके पीछे राजनीतिककारण भी हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी डगमगा रही है। जिस प्रकार से सरकारें बन रही हैं और चल रही हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज किस बात पर नियन्त्रण है। आज मंत्रिमण्डल पर क्या नियन्त्रण है ? कोई प्रधान मंत्री कितना बड़ा मंत्रिमण्डल बनाए, कोई सीमा नहीं है। कोई मुख्य मंत्री कितना बड़ा मंत्रिमण्डल बनाए, कोई सीमा नहीं है। 75-75 मंत्री बना दिये गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान में नहीं है ऐसा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री बनते हैं और हटते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी मंत्रियों की, 10 प्रतिशत। किसी ने भी लागू नहीं किया। आपने भी लागू नहीं किया, हमने भी लागू नहीं किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण से यह स्थिति उत्पन्न हो गयी कि हम आज इस प्रकार की चीजें लागू नहीं कर सकते। अब मंत्रिमण्डल बनते हैं, सरकार चलाने के लिए नहीं—सरकार बनाने के लिये और बचाने के लिए। जब हम इस राजनीतिक स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं तो कठोर आर्थिक कदम उठाने की स्थिति आज हमारी नहीं बची, इस बात पर हमको सोचना चाहिए। सारे देश के परिप्रेक्ष्य में सोच कर हमको इस बात का फैसला करना चाहिए

इसी प्रकार से माननीय चन्दनमलजी ने पिछली बार एक बात उठाई थी कि यह जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, यह प्राफिट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े हैं, जब से यह स्थापित हुए तब से लेकर आज तक यह सबसे बढ़िया स्थिति में हैं। आज भी जितना प्राफिट देना चाहिए था, प्राफिट नहीं दे रहे हैं, जितना इनसे अपने को लेना चाहिए था उतना हम नहीं ले पा रहे हैं लेकिन पहले की स्थिति से बैटर स्थिति में हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार के ऐसे बहुत से उपक्रम हैं जो बंद पड़े हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं लेकिन लगतार भुगतान किया जा रहा है वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से अपन वेतन और भत्तों को नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से कारखानों को बन्द करके हम छंटनी भी नहीं कर सकते। यह जो हमारी आर्थिक और राजनैतिक मजबूरी है, हमारे सामने आकर खड़ी हो गयी है, उसके बीच से रास्ता निकालने का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रयत्न किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक और स्थिति आने वाली है। यह जो पंचम पे कमीशन है इसकी सिफारिशें आने वाली हैं, उन सिफारिशों के बाद में राज्यों की अर्थव्यवस्था पर जिस प्रकार का असर पड़ने वाला है उस असर की चिन्ता करनी पड़ेगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि इस प्रजातन्त्र में तन्त्र तो मजबूत हो गया है और प्रजा उसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सामने गौण हो गयी। हम इस तन्त्र का मुकाबला नहीं कर सकते। जो संगठित होकर मांग करते हैं, बारगेनिंग करते हैं, उस तन्त्र का मुकाबला करने की प्रजा में सामर्थ्य नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, एक बात भ्रष्टाचार की हम करते हैं। मैं बड़े भ्रष्टाचार में नहीं जाना चाहता, बड़े राजनैतिक भ्रष्टाचार भी हुए हैं, लेकिन क्या एक प्रश्न का जवाब है कि आम जनता जिस भ्रष्टाचार से परेशान है उस भ्रष्टाचार को किस समय किसने कितना नियन्त्रित किया? रजिस्ट्री कराने के लिए, रजिस्ट्रार के दफ्तर में पंजीयन कराने के लिए जिस समय आम आदमी जाता है उस समय कांग्रेस का राज हो, बी. जे. पी. का राज हो, कम्युनिस्टों का राज हो, जनता दल का राज हो, क्या असर पड़ता है....

श्री अमराराम (धोद) : कम्युनिस्टों का रहा ही नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : है। कलकत्ता का सब ठीक है? (व्यवधान) बैठिए, बैठिए आप। कोई इसको कण्ट्रोल नहीं कर पाया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले एक था अब दो।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : रिश्वत अब डबल हो गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक था या दो था, यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। राजनैतिक आक्षेप से काम नहीं चलेगा। ऐसे बहुत से दफ्तर हैं। हमको मिल कर यह विचार करना चाहिए कि उन पर हम कितना इफेक्टिव कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उन कानूनों को बदल सकते हैं या नहीं। उस राजनैतिक इच्छा शक्ति की हमको आज आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो उन कानूनों को क्यों नहीं बदल दिया जाए जिनके कारण से यह है। हम इस प्रकार के कानूनों को पचास वर्ष तक देख चुके हैं, आज उनको बदलने की आवश्यकता है। इस कानून की परिधि में, इस विधान की परिधि में, इन नियमों की परिधि में जो कोई सरकार बनेगी, अपने व्यक्तित्व के कारण से और स्वच्छ छवि के कारण से अपना जितना सुधार सरकारें कर सकती हैं वह कर सकती हैं, आमूल-चूल परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं हैं। इसीलिए आज समय इस बात की पुकार को सुन रहा है कि आम जनता को जिस बात की दिक्कतें आ रही है वहां तो हम बदल कर क्या करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तन्त्र की क्या स्थिति है? भारत सरकार के दो प्रतिशत, राजस्थान में कुल मिलाकर पांच प्रतिशत व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या एम. एल. ए., एम. पी. हैं। आज हम सुरक्षा के बहुत-बड़े चक्र में हैं। आज कोई अफसर अगर बीमार पड़ता है, एक लाख रुपये लगते हैं तो सरकार देती है। आज एम. एल. ए. बीमार पड़ता है, सरकार पैसा देती है। आज वह 96 प्रतिशत जो आदमी हैं वह बीमार पड़ते हैं उस प्रजा की चिकित्सा की व्यवस्था हम नहीं कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सकते । हम तन्त्र की सुरक्षा में लगे हुए हैं और इस तन्त्र की सुरक्षा के कारण से हमारे सामने सारा संकट पैदा हो रहा है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रजा को इस तन्त्र से बचाने की आवश्यकता है । आज आप भी जानते हैं, आपके पास शिकायत लेकर आएंगे, तहसीलदार की, आपके पास शिकायत लेकर आएंगे....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : तन्त्र के अन्दर तो आफिसर आते हैं । उनका एक्जाम होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, तब वह अफसर बनता है । तो उनके उस तन्त्र की भी जरूरत है और एम. एल. लाखों वोट और कितनी जनता के अन्दर से चुन कर आता है, उनके भी जीवन के लिए रक्षा की आवश्यकता है । जनता तो 95 प्रतिशत है, सबके लिए आप कह रहे हैं, यह उनका मुकाबला नहीं होता है । तन्त्र का और जनता का किसी हालत में मुकाबला नहीं हो सकता ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है आप चाहें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपको भी जीवन रक्षक दवाओं की आवश्यकता है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : है, हरेक को है । इसमें कहां एतराज है ।

श्री चन्दनमल बैद : आपको नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको भी जीवन रक्षक दवाओं की आवश्यकता है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह फिलोसफी है, माननीय खेतसिंहजी का दर्शन है, उस दर्शन के कारण से पहले सरकार ने प्रजा के लिए व्यवस्था नहीं की लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाई-पास सर्जरी के लिए या और जो ट्रांसप्लांटेशन हैं उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर दी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन्होंने नहीं की है, यह हमारे राज में हुई थी । हमने यह इन्सानियत दिखायी थी और आपके श्रीमान् मुख्य मंत्रीजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका आपरेशन हुआ और इनके लिए पैसा मंजूर हुआ उसके बाद में सबके लिए शुरू हो गया और हमको नहीं मिला है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, यह आपने एम.एल.एज., एम.पीज. के लिए की थी, हमने प्रजा के लिए की ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी तक बाई-पास नहीं करवायी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने करवायी है, लेकिन उस वक्त मैं एम. एल. ए. नहीं था । मुझे कोई फायदा नहीं मिला ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका हृदय अभी वैसा का वैसा जवान ही है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, वैसा का वैसा ही है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बातें तो ऊपर के नियन्त्रण की हैं और सारी राजनीतिक पार्टियों के सोचकर करने के लिए है लेकिन कुछ बातें हमको भी समझकर करनी चाहिए। मैं एक उदाहरण आपने सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बिराजमान हैं, यह जनलेखा समिति, 1984-85 का 22वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हुआ था।

श्री शिवनाथ सिंह : उसके अध्यक्ष कौन हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसमें माधव सिंहजी दीवान थे। 1984-85 में पेश हुआ था उस समय उन्होंने एक रिकमण्डेशन की थी कि नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों, अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं को जनलेखा समिति के परव्यू में लिया जाना चाहिए। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक भाषण दिया था और हमने भी समर्थन किया था कि इन संस्थाओं को किसी भी प्रकार से नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। चार दिन पहले मैंने माननीय चन्दनमलजी और माननीय विश्नोई जी साहब का उदाहरण देकर कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालयों में आडित रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वह मर्जी आए जैसे पैसा खर्च कर रहे हैं और सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सरकार उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यह समिति की रिपोर्ट आ गयी, सारे दलों के लोग एकमत थे इसके बाद में नियम समिति के पास में चली गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्वायत्तशासी संस्थाएं स्वायत्तशासी तो हैं लेकिन लोकल फंड आडिट के लाखों हजारों आब्जेक्शन रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पा रही है और यह अपने आप स्वायत्तता के नाम पर स्वेच्छाचारी संस्थाएं बन गयी हैं, इन पर किसी प्रकार का आर्थिक नियंत्रण हमारा नहीं है तो उन पर आर्थिक नियंत्रण लागू करने के लिए हमको जनलेखा समिति के 22वें प्रतिवेदन, जो माननीय माधव सिंह जी दीवान की अध्यक्षता में था, की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए और इसको स्वीकार करने वाले हम पहले राज्य नहीं होंगे। इस प्रकार से अन्य राज्यों ने कई बातों को स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र ने इसके बारे में जनलेखा समिति "क" और "ख" का गठन कर दिया है और जो दूसरी समितियां हैं वे उन स्वायत्तशासी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने का काम करती हैं। इसलिए मैं मांग करूंगा कि यह जो कार्यवाही थी, इस कार्यवाही को कम्प्लीट किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह विधान सभा के कार्य संचालन की है। कांग्रेस पार्टी ने धीरे-धीरे एक ऐसी परम्परा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

डाली जिससे विधान सभा की बैठकें कम होनी शुरू हो गयीं। विधान सभा की बैठकें पिछले 20 वर्षों से लगातार कम होती जा रही हैं। राजस्थान की विधान सभा तो इसके लिए फिर भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमारे यहां हिन्दुस्तान के सब विधान मंडलों से अधिक बैठकें निरन्तर होती है और सामंजस्य का और सौहार्द्र-पूर्ण वातावरण है और सबसे ज्यादा चलती हैं। इसके लिए विपक्ष भी धन्यवाद का पात्र है कि आप लोगों के सहयोग से विधान सभा ज़्यादा से ज्यादा चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन विधान सभा की बैठकों की संख्या निरन्तर कम होने के कारण से ज्यादा से ज्यादा चर्चा विधान सभा में नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के साथ-साथ जो संसदीय समितियां बनायी गयी हैं उन संसदीय समितियों की आज कल बहुत कम मात्रा में बैठकें होती हैं। इसलिए उनके नियमों के बारे में भी हमको पुनर्विचार करना चाहिए। उन समितियों के साथ जो सलाहकार समितियां हैं इन्हें पुनर्गठित करके उनके बारे में हमको अधिक से अधिक विचार करना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह गठित ही कब हुई थीं जो विचार करना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करनी चाहिए न गठित, मैं गठित करने की बात....

श्री चन्दनमल बैद : उसका नतीजा यह होगा कि जो आपकी बैठकें हो रही हैं वह भी बंद हो जाएगी क्योंकि सारा बजट तो उसमें चला जाएगा और आप जो 8 दिन देते हैं यह डिमाण्ड्स को डिस्कस करने के लिए वह आठ दिन भी नहीं मिलेंगे आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डिमाण्ड्स पर 8 दिन देने का यह उपक्रम आपका ही शुरू किया हुआ है। मैं इस बात को अभी दोहराता नहीं हूं। पिछले 10 साल तक लगातार जब आपका यहां राज था तब मैम्बर एक-एक दिन के लिए लड़ते रहते थे, आज आपके बिना लड़े ही हम सदन इतना चला रहे हैं। पिछले 1980 से लेकर 1989 तक जितनी आपने सदन की बैठकें की है....

श्री चन्दनमल बैद : हमने 8 दिन दिये थे जब आप लड़ते रहते थे तो आपको यह कहना चाहिए था कि आप 8 देते थे, हम 12 दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तब तो कोई बात थी।

श्री चन्दनमल बैद : तब तो कोई बात होती। हमने 8 दिये आपके मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि आपने 8 दिये तो मैं भी 8 ही दे दूंगा। यह क्या बात हुई ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिस प्रकार से आप अभी कह रहे थे कि मैं आपके प्रति (व्यवधान)....एक मिनट, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आपने क्या कहा कि आप टैक्स लगाओगे तो हम विरोध करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : हां, करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह भी रहे है कि टैक्स लगाओ और फिर चूंकि विरोधी दल ने इस प्रकार की परम्परा डाली है कि हमने जिस समय टैक्स लगाया उस समय विरोध किया तो हम उस परम्परा के अनुसार ही चलेंगे । यह तो परम्परा के अनुसार ही चल रहा है हाउस ।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, फिर हमको ओलमा क्यों दे रहे है ? हम भी परम्परा के अनुसार चल रहे है । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम परम्परा थोड़े ही तोड़ेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्दनमलजी ने कहा था हाथ जोड करके कि आपने जो प्रतिपक्ष में परम्परा निभायी थी उसका हम पालन करेंगे । जब आप परम्परावादी हैं तो हम भी परम्परावादी हैं । आपकी परम्पराओं का हम पालन करेंगे लेकिन यह परम्पराओं की लड़ाई नहीं है । मैं कहता हूं कि इस विषय पर हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक नियंत्रण हो और अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, संसदीय समितियां हो या विधान सभा की समितियां हों, उनके माध्यम से अधिक से अधिक आर्थिक नियंत्रण हम किस प्रकार करते हैं उस पर हमको ध्यान देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, वह बात यह है कि मूल रूप से जो बजट की भावना है, जहां 20 करोड़ से अधिक हिन्दुस्तान में गरीबी की रेखा से नीचे लोग रहते हैं और सवा करोड़ बेरोजगार हैं उनमें 45 लाख शिक्षित बेरोजगार है, इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए यद्यपि हम इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना में इन लोगों को काफी बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराते हैं और गांवों में अकाल राहत के माध्यम से, डी. आर. डी. ए. के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से काम चल रहा है लेकिन हमको यह भी विचार करना पड़ेगा कि पिछली बार 34 हजार करोड़ रुपये आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने ग्रामीण विकास में खर्च किये, 11 हजार करोड़ रुपये सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर खर्च किये, अब 9वीं पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया आएगा उसका ध्यान नहीं हैं लेकिन इन सबके बावजूद आज वास्तविक स्थिति में हम खड़े हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि गांवों में पेयजल की समस्या है हम सब गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाये हैं, हम सब गांवों को सड़क से नही जोड़ पाये है, हमारे सड़क मंत्री जी ने घोषणा की सड़क नीति के साथ कि सन् 2010 तक सारे गांव सड़कों से जुड़ेंगे, इसी प्रकार अगर हम शिक्षा सबको देना चाहते है, हम कहते है कि राजस्थान में हम सन् 2001 तक सबको शिक्षा देना चाहते है सन् 2001 तक अगर सब बच्चों को साक्षर करना चाहते हैं, सबको स्कूल में भर्ती करना चाहते हैं तो 18 हजार हमको प्राथमिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विद्यालय खोलने पड़ेंगे । जब इतने स्कूल खोलने पड़ेंगे, इतने अस्पताल खोलने पड़ेंगे, इतनी सड़कें बनानी पड़ेंगी, इन गांवों में बिजली लगानी पड़ेगी तो हमको कोई न कोई व्यवस्था तो करनी पडेगी जिसके माध्यम से हम इनकी व्यवस्था कर सकें । जब हम कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं घटा सकते, कर्मचारियों की बढ़ोतरी नहीं रोक सकते, ब्याज को चुकाना नहीं रोक सकते, टेक्स ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो फिर किसी न किसी प्रकार से कर्ज की सीमा में रहकर सन् 2001 तक किसी प्रकार से भी राजस्थान के गांवों को समुचित रूप से सब व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, इसी के लिए यह विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो करनी पड़ेगी । यह कह कर नहीं टल सकते कि कर्ज इतना है । कर्ज की सीमा में, कर्ज चुकाने की सीमा में, कर्ज में डिफाल्टर नहीं होते हुए और कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेने की स्थिति नहीं आए, तब तक कर्ज लेकर हमको गांवों में शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भैरोंसिंह जी की सरकार इस भागीरथ प्रयत्न में लगी हुई है इससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : कर्ज लेने के भागीरथ प्रयत्न में लगी हुई है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कर्ज लेकर (व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : हां, यही कहा न आपने, कर्ज लेने के भागीरथ प्रयत्न में हमारी भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार लगी हुई है । यह मैं ही कह रहा हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भागीरथ जी तो वहां रह गये थे ।

श्री चन्दनमल बैद : आज जितना पर्सेंटेज है उतना 45 साल में कभी नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बताया न । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद: आपने 110 पर्सेंट बताया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये ।

श्री चन्दनमल बैद : अगले साल का 108 बताया था और इस साल का 133 पर्सेंट है । आप मौजूद नहीं थे, मैं बता चुका हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह बताया था, आंकड़े से बताया था । आपके बजट से बताया था कि आप जिस समय वित्त मन्त्री थे जितना रेवेन्यू अपना होता है उसके पर्सेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कर्जा आप जब वित्त मन्त्री थे, उस समय था ।

श्री चन्दनमल बैद : 45 साल में जितने बजट पेश हुए हैं उनमें इस बजट में जितना

(श्री चन्दनमल बैद)

पर्सेंटेज है रेवेन्यू का, कर्ज का, उतना आज तक कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी बता देऊं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कर्ज लेने के लिए भागीरथ नहीं कहा था, मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि शहरों में लोगों ने बिजली ले ली, शहरों में लोगों ने अट्टालिकाएं बना लीं, शहरों में आवागमन के साधन हो गये, जब तक गांव में सड़क नहीं जाएगी गांव की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक गांव में बिजली नहीं जाएगी, गांव में चिकित्सा की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तो, उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यवस्था को करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा ट्रिक सहने की राजस्थान की जनता की लिए सामर्थ्य नहीं है तो कर्ज लेकर भी हमको काम करना पड़ेगा और कर्ज चुकाने के सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगा। हम कर्ज भी चुकाएंगे और विकास भी करेंगे लेकिन राजस्थान की जनता को अंधेरे में 21वीं शताब्दी में जाने नहीं देंगे। यह हमारा संकल्प है, संकल्प के तहत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक और निवेदन करूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कर्ज चुकाने वाली बात छोड़ो न, आप तो कर्ज लिये जाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा एक प्रसंग पर कि अन्य राज्यों में विधान परिषद् बने, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हिन्दुस्तान में सब जगह एक सा कानून लागू होना चाहिए, कुछ राज्यों में विधान परिषद् बनी हुई हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषद् नहीं हैं, या कुछ में बनकर हट गयीं, कुछ हटकर वापस बन गयीं, इसका कोई कारण नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधान सभा में हम सबको विचार करना चाहिए कि या तो विधान परिषदों का गठन हो और अगर विधान परिषद् अन्य राज्यों में भी रहती है तो राजस्थान में विधान परिषद् क्यों नहीं बनायी जाए। इस पर हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। जब मुख्य मन्त्री जी विपक्ष में थे और कांग्रेस के लोग जब जमीन में बहुत गड़बड़ियां कर रहे थे उस समय हमने जयपुर के राजा महाराजाओं की जमीन का मामला उठाया मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी को, दो प्रसंग मुझे ध्यान हैं। एक प्रसंग था एक बहुत बड़ा सेठ, एक बहुत बड़ी रकम, मैं वहीं उपस्थित था प्रस्ताव लेकर आया था इस बात के लिए कि आप इस मामले पर न बोलें, उसकी जिस प्रकार की दुर्गति करके इन्होंने घर से निकाला था और उसके बाद में....

श्री चन्दनमल बैद : क्योंकि आप सामने बैठे हुए थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं सामने नहीं होता तो भी करते वह तो। मैं इनके सामने जब से चार वर्ष का था तब से हूं इसलिए मेरे सामने या दूर रहने की कोई बात नहीं है, उस समय निकाला था। उसी प्रकार एक जज का नाम नहीं लेता हूं, उनके सामने मामला था, एक पार्टी ने उस जज को भी इस बात के लिए फटकारा था सार्वजनिक रूप से, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता थे कि आपका इंटरेस्ट है और आप यह फैसला नहीं करें। उस जज ने दूसरे दिन जाकर वह फैसला नहीं किया और अरबों रुपये की जयपुर की यह जमीन मुख्य मंत्रीजी बचाने में सफल रहे। अब इन जमीनों के बारे में तरह-तरह की लोग खामियां निकालें, तरह-तरह के रास्ते निकालकर उनको हड़प जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए....

व्यवस्था का प्रश्न

न्यायाधीश पर लगाये गये आरोप का स्पष्टीकरण

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य ने एक स्पष्ट आरोप एक जज पर भी लगाया है और यह कहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आरोप नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आरोप नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : आरोप है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर आरोप किसी भी जज पर हो नहीं सकता नम्बर एक। आपने आरोप तो मुख्य मंत्री जी पर भी लगाया है कि इन्होंने उस जज को भी प्रताड़ित किया। यह भी एक....

श्री शिवनाथसिंह : यह आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री जी के पास रकम लेकर आए। कैसे आए, क्यों आए, कैसे उसकी हिम्मत हुई, यह भी थोड़ा स्पष्ट कर दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहा है प्रस्ताव लेकर आए थे, रकम की बात नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : रकम का प्रस्ताव लेकर आए थे। उपाध्यक्ष जी, मामूली बात नहीं है। मैं तो उस बात को छेड़ना नहीं चाहता लेकिन यहां सदन में यह कहा जाए कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास रकम का प्रस्ताव लेकर आए थे, उन्होंने क्या किया यह उनके देखने की बात है लेकिन इस प्रकार की बात यहां सदन में कही जाए तो कैसे उसकी हिम्मत हुई, क्या प्रस्ताव था, वह थोड़ा-सा स्पष्टीकरण और आ जाए, यह सबसे बड़ी बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो भी बात कही जाए मान लो वकील समुदाय या न्यायपालिका का कोई सदस्य जिस पर कोई कार्यवाही

(श्री जगदीप धनखड़)

करना चाहें नहीं कर सकते। कानून की सीमाएं हैं। विधान सभा में कही हुई बात का निराकरण भी यहीं पर ही होगा। The point of order which I am raising is this कि न्यायपालिका पर लांछन लगाया गया है।

श्री अनंगकुमार जैन : रूल कौन से कानून में ?

श्री जगदीप धनखड़ : रूल 294 में, निकाल लीजिए। न्यायपालिका पर बहुत बड़ा गम्भीर आरोप लगाया गया है और यह कहा गया है, यह आरोप घनश्यामजी ने खुद ही लगाया है —a person in authority, the Chief minister of the State, कौनसा वह जज है, यह नहीं पता। जब यह कल बात जग-जाहिर होगी तो कौनसा वह जज था, एक इन्क्वायरी चालू हो जाएगी, कानाफूसी चालू हो जाएगी। कौनसा वह जज था जिसने इस प्रकार का आचरण किया, जिसने अपने पद की गरिमा को कम किया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी जज को हटाने का काम इम्पीचमेंट के अलावा और किसी तरीके से नहीं हो सकता पर जनता की नजर में इसको खतम कर दिया। तो मैं जानना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, गलत है ? He should name the judge, he shold name the circumstances क्योंकि जो सर्कम्स्टांसेज बताए गये हैं, वह प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है; दोनों पर बनता है। And hon' ble member is also an accessory of the situation. तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, नम्बर वन, वह जज कौन है ?

श्री अचलाराम मेघवाल। वह जज मर गये।

श्री जगदीप धनखड़ : मर गये तो उनके लीगल रिप्रजेंटेटिव को राइट है। आप और हम पता नहीं कब तक यहां रहेंगे पर जब भी कोई बात किसी के बारे में कही जाए, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, kindly take it very seriously. It is an attack on the judicial institution. It is a settled design कि हमारे नेता को तो महिमामंडित कर दीजिए; यह तो बिलकुल एपिटोम, आप देखिये; डेकोरम हैं, वर्च्यु अस हैं, इनमें तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। यह बात सही है; इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है पर साथ में न्यायपालिका का मुंह इस तरीके से काला किया जाए, यह गलत है। हो सकता है यह विधान सभा किसी विशेष जज के कंडक्ट को किसी विशेष परिस्थिति में एक्जामिन की स्टेज में आ जाए और करना चाहे, तो आप और हम सब बैठकर एक्जामिन कर लेंगे। पर इतना लाइटली कहें a senior member of the House, ठीक है, आपका मुख्य मंत्रीजी के प्रति प्रेम उमड़ रहा होगा, आप बार-बार कहना चाहते होंगे, परिस्थितियां बदल

(श्री जगदीप धनखड़)

गयी होंगी But, please, don't tarnish the image of judiciary. इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा इश्यू है on which we cannot compromise. मैं समझता हूं कि जिस संजीदगी का परिचय आप लगातार दे रहे हैं उसके आधार पर भी आप माननीय सदस्य को बाध्य करेंगे कि वह एलीगेशंस को डाइमेंशंस दें। वरना my point of order should be decided.

श्री शिवनाथसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पाइंट आफ आर्डर के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने दो बात कही और दोनों ही दुधारी तलवार हैं। एक बात, यदि वह सही है कि एक हाई कोर्ट के जज को हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपका इसमें इण्टरेस्ट है इसलिए इसका फैसला मत करो। इसका किया कि नहीं किया, उनका इण्टरेस्ट था कि नहीं था लेकिन स्पष्ट आरोप मुख्य मंत्रीजी पर जाता है कि इन्होंने हाई कोर्ट के या जुडिशियरी के फंक्शन में इंटरफियरेंस किया, एक बात। इसलिए यह जो आरोप है वह घनश्यामजी ने मुख्य मंत्रीजी पर क्यों लगाया है, यह तो उनकी नीयत जाने। दूसरा आरोप, एक धन का प्रस्ताव लेकर मुख्य मंत्रीजी के पास आए। इन दोनों आरोपों का मतलब क्या है, इनके पीछे माननीय सदस्य की क्या भावना है, क्यों उन्होंने मुख्य मंत्रीजी के नाम को बीच में घसीटा है, यह बहुत ही दुखदायी बात है। इसलिए मेरे ख्याल में माननीय सदस्य को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इन शब्दों को विदड्रा करना चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : Let me poiint of order be decided, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घनश्यामजी ने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे सुन तो लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर ही कह रहा हूं। जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें मुझे यह कहना है कि मैंने एक बात यह कही कि जब सदन के माननीय नेता प्रतिपक्ष में थे तो एक बहुत बड़े आदमी एक प्रस्ताव लेकर आए थे। मुख्य मंत्रीजी ने उनकी दुर्गति करके मेरे सामने बाहर निकाला था। इसमें न तो मुख्य मंत्रीजी पर लांछन की बात है और मेरे सामने ही थे इसलिए कोई बात नहीं है।

दूसरी बात, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि एक न्यायाधीश को सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में इंटरवीन करना आवश्यक समझता हूं। यह बात सही है कि करीब 10-12 वर्ष पहले या और कम होगा समय, जयपुर में अमरूदों का बाग था, उस अमरूदों के बाग की जमीन को लेकर इस सदन में कई दिनों तक चर्चा चली। अमरूदों का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाग महाराजा जयपुर के नाम से था। एक को-ग्रापरेटिव सोसायटी के लोगों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की गांधीनगर में। मैं आगे विस्तार में नहीं जानना चाहता लेकिन उस समय की सरकार ने अमरूदों का बाग उस सोसायटी को दे दिया जाए इस बात का लगभग फैसला कर दिया था। सारी कार्यवाही स्थगित हो गयी काम पूरा होने के कारण। बाद में कुछ लोग मेरे पास ग्राए ग्रौर ग्राकर कहने लगे कि आप यह सारी कानूनी व्यवस्था देख लें कि हमने जिनसे जमीन खरीदी है वह कानून-संगत है। हमने सोसायटी का गठन किया है, वह कानूनसंगत है। आपने विरोध किया है, हम केवल कागज दिखाने के लिए ग्राए हैं। मैंने उस समय भी उनको कहा था कि मैं जो बोल चुका वह भी कागज दिखाकर मैं बोला हूं इसलिए जमीन के ऊपर सोसायटी का कब्जा नहीं हो सकता, इस पर कब्जा होगा तो राज्य सरकार का कब्जा होगा। उस समय उन्होंने एक बात ग्रौर कही थी, ग्रगर ग्राप चाहें तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो कागज मंगा कर मैं दिखा सकता हूं कि इस जमीन के ग्रन्दर कुछ जजेज के भी प्लाट्स हैं। मैंने कहा कि जजेज के भी प्लाट्स हों, तो चिंता की बात नहीं है। उन जजेज को भी चाहिए कि इस प्रकार के प्लाट उन्होंने सोसायटी में लिये हैं, तो उस सोसायटी वालों से ग्रपना पैसा वापस ले लें, यह जमीन उस सोसायटी के कब्जे में नहीं रहेगी। केवल मात्र यह प्रश्न था। बस हो गयी बात, इनकी तरफ से बोल रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : इन्होंने ग्रौर कुछ ही बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रौर कुछ नहीं कही, यही कही है। मैंने बताया ना ग्रापको।

एक माननीय सदस्य : पैसे की बात कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैसे की बात कही थी न, पैसे की बात ग्राई। ग्राप इतना तो ग्रन्दाजा लगा लें कि जमीन को मैंने दूसरे लोगों के चंगुल से निकाली है, उनको पैसे देने की कल्पना ग्रौर उस ग्राधार पर जमीन छोड़ देता? ग्राज भी यह जमीन पुलिस हैडक्वार्टर के लिए रिजर्व है, तारबन्दी उसकी की हुई है।

श्री शिवनाथ सिंह : वह ठीक है, साहब ग्रापने जो कही बात, उसका हम सम्मान करते हैं, ग्रापकी वाह-वाही करते हैं। लेकिन जिस रूप में यहां बात कही गयी, यदि ग्राप स्पष्टीकरण नहीं देते तो यह बात दूसरे ढंग से जाती। इसलिए मैंने कहा था कि माननीय सदस्य को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है, मैंने अपनी गलती मानी। ठीक है, शिवनाथ सिंहजी।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरीके से घटना का वर्णन किया, एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया जिसमें ग्राप पर एक सीधा ग्रारोप लगता

(श्री जगदीप धनखड़)

है कि आपने कंटेम्प्ट ग्राफ कोर्ट का अपराध किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भगवान की कृपा से इस प्रकार का आरोप कोई लगा ही नहीं सकता।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने कहा वह बिलकुल सही कहा। वह स्थिति एक अलग है। यह पता नहीं कौनसी घटना की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप सुनिए। यह केवल पासिंग रिमार्क्स थे, एलीगेशन नहीं था। एलीगेशन नहीं था इसलिए आपके पाइंट आफ आर्डर को रिजेक्ट करता हूं।

विधेयक पर विचार

विनियोग विधेयक (संख्या–3)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ भू-माफिया किसी न किसी प्रकार की कानूनी कमी निकाल कर इनमें से कुछ जमीनों को निकाल लेना चाहते हैं और ये जो इतनी महत्वपूर्ण जमीनें हैं इनको या तो राज्य सरकार के किसी भी काम में या सार्वजनिक उपयोग में लिया जाना चाहिए, इसका पुख्ता बन्दोबस्त माननीय मुख्य मंत्रीजी करेंगे।

एक अन्तिम निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इण्टर स्टेट मैटर्स पर, पानी-बिजली के मामले पर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि एक नीति बनाकर हमको चलना चाहिए; जैसे तमिलनाडु-कावेरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया। चाहे रोपड़ का मामला हो, चाहे फिरोजपुर का मामला हो, चाहे हरिके हैडवर्क्स का मामला हो, चाहे सतलज-रावी-व्यास से आने वाला पानी हो, चाहे हमको मिलने वाली बिजली के सारे मामले हों, चाहे मध्य प्रदेश से या सरदार सरोवर का जो फैसला माननीय मुख्य मंत्री जी करके आए हैं, वह मामला हो, मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान की विधान सभा में आप हमको अवगत कराएंगे। इन सब इण्टर स्टेट्स मामलों के अन्दर हमको निश्चित रूप से नीति बनाकर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि राज्य को उसके हिस्से की बिजली और पूरा पानी प्राप्त हो सके।

एक बात और, यह लोकायुक्त की जो हमारी आज तक की व्यवस्था है, इस लोकायुक्त की व्यवस्था में आज किसी भी प्रकार का बड़ा फायदा राजस्थान को या अन्य किसी को नहीं हुआ। यह लोकायुक्त की जो हमने व्यवस्था की थी, यह व्यवस्था चरमरा गयी है। केवल एक तरह से वहां पर जाकर शिकायत करने का साधन बन गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की व्यवस्था है, एक लोकायुक्त का नया कानून आए, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मन्त्रिमण्डल के सभी लोग शामिल हों, विधान सभा के मैम्बर्स भी उसमें शामिल हो। उनको पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए और शामिल करके राजस्थान में लोकायुक्त का एक बिल पेश करना चाहिए जो हिन्दुस्तान में अन्य स्थानों पर नहीं हैं। इस प्रकार का बिल पेश करें और मैं तो यह भी मांग करूंगा कि राजस्थान में सबकी सम्पत्ति भी घोषित करने का कानून बनना चाहिए। आज किसी भी आदमी पर, किसी भी समय, कोई भी आदमी अंगुली उठा सकता है। सम्पत्ति की घोषणा का कानून बनने के पश्चात् इस प्रकार का एक आयुक्त बनना चाहिए कि किसी भी मंत्री के खिलाफ, माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ या विधायकों के खिलाफ शिकायत करनी हो तो जब उस लोकायुक्त के पास शिकायत चली जाए, लोकायुक्त 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसकी कर लें, जब तक उसकी इंक्वायरी कम्पलीट नहीं हो तब तक वह बाजार में या अखबार में या समाचार पत्र में नहीं जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह हो गयी है कि यह बराबर का खेल हो गया है। अभी माननीय चन्दनमल जी कह रहे थे, हम पक्ष-विपक्ष में बैठकर बराबर की कुश्ती खेल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा कर चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इतने लोकायुक्त के पास जाने के बाद किसको सजा हो गयी ? आज इन कानूनों के अन्तर्गत किसी को भी हम कटघरे में खड़ा करके सजा नहीं दे सके। सार्वजनिक जीवन की शुद्धता और सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों की प्रतिष्ठा की रक्षा, इन दोनों कामों के लिए जरूरी है कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अभी फाइडे को माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य भाटीजी को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि उम्मेद मिल्स के मामले में शनिवार को वार्ता करके इस मामले को निपटा दूंगा। माननीय सदस्य यहां दो घंटे से सदन के वैल में बैठे हुए हैं, कोई इस तरह की वार्ता नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दें ताकि समस्या का समाधान भी हो और माननीय सदस्य भी आसन ग्रहण करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिंतित हूं माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं। उनकी समस्या की ओर जरूर ध्यान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य भाटी जी से निवेदन करूंगा कि यहां से तो वहां बैठ जाएं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के साथ ही मेरे साथ बैठ जाएं। यह समस्या क्या है, इसको समझ कर कोई रास्ता निकल सकता हो तो मैं निकालने की ईमानदारी से कोशिश करूंगा।

(श्री भीमराज भाटी, सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। राजस्थान के तीन बच्चे जो कश्मीर गये थे, आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो गये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के तीन बच्चे कश्मीर गये थे और आतंकवादियों की गोलियों से मारे गये, आप एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देते समय उनके लिये कुछ मदद दे सकें राज्य सरकार की ओर से, तो ठीक है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन किया जाए कि जो पूर्व में आतंकवादियों के शिकार हुए हैं और उनको जो सहायता दी गयी है, इन बच्चों के लिए एक शब्द भी भारत सरकार की तरफ से नहीं बोला गया है, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से भी सहायता ली जाए।

श्री परसादीलाल मीणा : वहां बहुत चर्चा हो गयी, भारत सरकार की पार्लियामेंट में। आप अखबार नहीं पढ़ते हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनमें और उनमें जो मरे हैं, आतंकवादियों ने जो मारे हैं, उनको क्या सहायता की घोषणा कर रहे हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या-3) पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक के द्वारा 12 हजार 245 करोड़ 79 लाख 84 हजार रुपये का वित्तीय प्रावधान है। वित्तीय मामलों में, उपाध्यक्ष महोदय, चन्दनमलजी ने हमारा बहुत ज्ञानवर्द्धन किया। हमारा एक साल का जो खर्च है उससे ज्यादा हमारे ऊपर कर्जा है। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास के लिए अपना ढिंढ़ोरा पीटती है और ग्रामीण विकास के लिए आपने आपको कटिबद्ध साबित करने की कोशिश करती है। आज ग्रामीण विकास मे चाहे ऊर्जा हो, चाहे कृषि हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे शिक्षा हो, जिस तरह का धीमापन विकास की गति में पिछले 4-5 साल से आया है उतना पहले कभी नहीं था। आज आप बिजली की बात ले लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के पहले के बजट आप उठा कर देख लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में एक हजार, डेढ़ हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जाता था।

(1156)

(श्री परसादीलाल मीणा)

(15.00)

आज आप 750 गांवों का विद्युतीकरण करते हैं, वह भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन उन गांवों को विद्युतीकरण करते हैं जिन गांवों में किसान नर्सरी योजना में कनेक्शन लेते हैं, उन गांवों को प्राथमिकता देते हैं, अलग से कहीं भी कोई विद्युतीकरण नहीं किया जाता है। यही हाल कुओं के ऊर्जीकरण का है। आज जिस तरह आप ग्रामीण विकास की बात करना चाहते हैं, 500 कुओं पर भी आपने प्रायोरिटी के कनेक्शन नहीं दिये। गत वर्ष में आप कहते हैं कि हमने 25 हजार कुओं का ऊर्जीकरण कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज 16 हजार किसानों ने नर्सरी योजना में कनेक्शन लिये हैं, 8 हजार किसानों ने "वन पोल-टू पोल" में कनेक्शन लिये हैं। राजस्थान सरकार का इसमें कोन-सा पैसा खर्च हुआ? सारा पैसा किसानों से वसूल किया गया है और सरकार का एक धेला भी इसमें खर्च नहीं किया गया है। जो 50 पैसे प्रायोरिटी के कनेक्शन का बिजली का खर्च लेते हैं उसमें इन्होंने एक रुपया 25 पैसे लिया है, कौनसा ग्रामीण विकास का काम कर रहे हैं?

सुनिश्चित रोजगार योजना में राजस्थान सरकार को सौ विकास खण्डो में विकास करने के लिए जो एक-एक करोड़ रुपये दिये गये थे, उनका आज राजस्थान सरकार दुरुपयोग कर रही है। वह पैसा दिया था कि 50 प्रतिशत हम उसमें लगाएंगे, वाटर शैड प्रोग्राम में, इतना उसमें रखेंगे। भारत सरकार द्वारा वाटर शैड प्रोग्राम का जो सारा पैसा राजस्थान सरकार को दिया गया था कि एक-एक बूंद पानी को हम रिजर्व रखेंगे, खेत का पानी खेत में रहेगा, गांव का पानी गांव में रहेगा, राजस्थान का पानी राजस्थान में रहेगा, उसके लिए आज राजस्थान सरकार का कोई सोच नहीं है, सिंचाई के नये काम लेने का कोई सोच नहीं है।

सुनिश्चित रोजगार योजना में वाटर शैड प्रोग्राम का जो पैसा था, उस सारे पैसे को डाइवर्ट करके भवन बनाने में में लगा दिया। इनके पास कोई पैसा नहीं है।

आज स्कूलों की क्या हालत है, ग्रामीण विकास की बात करते हैं? आज कितने सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं, कितने हायर सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं? 70 तो ये सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं, 80 के करीब सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं। 200 विधान सभा क्षेत्रों में इन स्कूलों से पूर्ति हो जाएगी क्या? गांव के बच्चों का या गांव का विकास इनसे हो जाएगा? जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में कर रही है उससे गांवों का विकास नहीं होने वाला है।

यही हाल आज पंचायती राज का है। उस दिन पंचायती राज पर बहस नहीं हो सकी। आज पचायती राज का जो पैसा है, भारत सरकार का जो पैसा

(श्री परसादीलाल मीणा)

ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में दिया जाता है, चाहे इन्दिरा आवास हो, चाहे वह दूसरी योजना हो, सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में जाता है। आज अगर कोई इन्दिरा आवास की मंजूरी के लिए जाएगा तो बिना पैसे उसका प्रस्ताव नहीं जाएगा।

बहरोड पंचायत समिति के बी. डी. ओ. की एक शिकायत है। इन्दिरा आवास में उसने दो मकान एक ही नाम से मंजूर किये। दो इन्दिरा आवास एक ही व्यक्ति के नाम किये, वल्दियत अलग-अलग करके। उस बी. डी. ओ. की जांच हो गयी। एक साल से वह फाइल मंत्रीजी के यहां डवलपमेंट विभाग में पड़ी है। आज वह बी. डी. ओ. वहां कार्यरत है। शिकायत करने वाले सरपंच, पंच, जिला परिषद् के सदस्य, वहां के प्रधान, सब आज उस बी. डी. ओ. को हटा कर नहीं पा रहे हैं। यह रिपोर्ट है, पंचायत राज मंत्रीजी, डवलपमेंट कमिश्नर और डवलपमेंट डायरेक्टर ने इस रिपोर्ट को नहीं देखा जो कि 1995 में आई हुई है। ऐसा भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा। विकास अधिकारी, बहरोड ने जितने भी इन्दिरा आवास मंजूर किये, सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में गया, एक भी मकान नहीं बना, एक भी सही आदमी का मकान नहीं बना। यह भ्रष्टाचार के नमूने हैं।

आज जैसे घनश्यामजी तिवाड़ी कह रहे थे, यह सही बात है कि गांवों में और शहरों में जिस तरह का मतभेद है, जिस तरह से विकास में अनमेल काम हो रहा है वह बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। आज गांव में सड़क का काम लें और शहर में सड़क का काम लें, एक साल में गांव में मिट्टी बिछायी जाती है, दो साल बाद फिर उस पर ग्रेवल की जाती है, पांच साल बाद फिर उसमें मुरंम भरी जाती है। इस तरह से गांवों में विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम ग्रामीण विकास करेंगे, क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी ?

चतुर्वेदीजी, आज गांव में जिस तरह से सड़कों की हालत है, जिस तरह से आज गांव में ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर पैसे की लूट कर रहे हैं वह बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। आपकी इस विभाग पर पकड़ नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को ठेकेदार बना दिया और वे आपके लगाए हुए इंजीनियरों से मिलकर लूट कर रहे हैं। आज उनकी सड़कों को देखें तो उनकी हालत खराब है। कई बार हमने शिकायत की, कई बार उस मामले पर आप का ध्यान आकर्षण किया, पर चतुर्वेदीजी, आपने इस बार भी इस बार ध्यान नहीं दिया। आपके अधिकारी कहते हैं कि हम पैसे देकर लगते हैं, पैसे देते हैं उसके बाद हमारी पोस्टिंग होती है। इस तरह के भ्रष्टाचार का वातावरण आज विभागों में पनपा है। कहीं भी चले जाइए. किसी भी विभाग में चले जाइए, सब जगह भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं।

मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आज आप कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

(श्री परसादीलाल मीणा)

को देख लीजिए। जिस तरह से वहां के कुलपति ने वहां की भर्ती में अनियमितता की, जिस तरह से अपने चहेते लोगों की उन्होंने वहां पर पोस्टिंग की, उससे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना राजस्थान में कोई नहीं हो सकता है। आज आप जांच करा लीजिए, कृषि मंत्रीजी बैठे नहीं हैं, चतुर्वेदी जी बैठे हैं, लिफाफे में बंद जो नम्बरिंग की गयी है और जो चयन समिति बनी है उसमें बनने वाले प्रोफेसर चयन समिति के मैम्बर हैं। वे भी उसमें मैम्बर बन रहे हैं और वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई बार सरकार को शिकायतें की गयीं, लेकिन सरकार द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आज किसी भी विभाग में चले जाइए, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसकी सजा यह है कि आपके अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी आज आपके प्रशासन पर हावी हो गयी है। आज ब्यूरोक्रेसी के लोग जिस तरह प्रशासन पर हावी हैं उससे आज मुख्य मंत्रीजी की नहीं चलेगी, किसी मंत्री की नहीं चलेगी, कलक्टर और एस. पी. की पोस्टिंग करना हो तो राजस्थान के सैक्रेटरी की चलेगी। उन्हीं की सौदेबाजी से कोई कलक्टर या एस. पी. लग सकता है।

आज जिस तरह का वातावरण राजस्थान में बना है, चतुर्वेदीजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, मुख्य मंत्रीजी ने कमेटी गठित की थी कि हम मितव्ययता करेंगे, वित्तीय कटौतियां करेंगे, आपने छोटे कर्मचारियों, फोर्थ-क्लास पर कटौतियां की होंगी। आज आपकी पुलिस में कितने डी. जी., आई. जी. बैठे हुए हैं और आपके विभाग में कितने चीफ इंजीनियर बैठे हैं? आपका काम एक चीफ इंजीनियर से भी चल सकता है। आपने 10-10, 5-5 चीफ इंजीनियर बना रखे हैं, पुलिस के आई. जी. बना रखे हैं। ये सफेद हाथी बैठा रखे हैं। आप इन सफेद हाथियों को कम करें तो आपके बजट का उपयोग हो पाएगा नहीं तो आप फलां-फलां मद में जितना बजट ले रहे हैं वह भ्रष्टाचार में चला जाएगा। आज किसकी शिकायत करें, चन्दनमलजी कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में इस तरह हुआ था परन्तु आपके राज में जिस तरह से हो रहा है वैसा न तो कभी हुआ, न कभी होगा। इस तरह का वातावरण सारे राजस्थान में है।

आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने कृषि के लिए या सिंचाई के लिए कौनसे नये बांध बनाए? आपने एक भी बांध सिंचाई के लिए कहीं बनाया हो तो आप बता दीजिए। एक बांध नहीं बनाया।

इस साल हम सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल को दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे पता नहीं है कि किस तरह की सर्वोच्च प्राथमिकता ये दे रहे हैं। आज 30 हजार रुपये में भी इनका हैण्डपम्प लग सकता है। ये उसके लिए 45 हजार रुपये फिक्स कर रहे हैं। आधा पैसा इनके

(श्री परसादीलाल मीणा)

विभाग के भ्रष्टाचार में जा रहा है। घोटाले में यदि किसी एक्स. ईएन. ए.ईएन. का ध्यान आ जाए तो उसकी जांच करके उसको सस्पेंड कर देते हैं। चतुर्वेदीजी, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. हो, चाहे पी. एच. ई. डी. हो, चाहे इरिगेशन हो, इनके सब अधिकारियों का कमीशन फिक्स है। आप अपने विभाग की ईमानदारी की जो बात करते हैं, उसमें 30 प्रतिशत पैसा कमीशन में जाता है और 70 प्रतिशत पैसे को ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर खा रहे हैं। सड़कों की जो हालत है, दूसरे विभागों की जो हालत है, आज आप कहीं भी जाइए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

तिवाड़ीजी कह रहे थे कि तहसील में रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं तो दो प्रतिशत लगेंगे। बिलकुल ठीक बात है, आज दो तो क्या तीन प्रतिशत ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार की पोस्टिंग उस तहसील में होगी, रजिस्ट्रेशन अधिकारी की पोस्टिंग रजिस्ट्रार पद पर होगी, इनके अधिकारी, मंत्री और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन मिलकर उस तहसीलदार को अच्छी जगह तब लगाएंगे जब वह लाख रुपये, 50 हजार का अनुबन्ध उनसे कर लेगा। बिना सिफारिश के, बिना पैसे के आज राजस्थान में एक भी तहसीलदार की पोस्टिंग नहीं होती है। तो वह दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत क्यों नहीं लेगा? यह सोचनीय मुद्दा है।

आज इतने एम. एल. ए. बैठे हैं, दो-चार-पांच-दस की मैं नहीं कहता हूं, किसी के कहने से भी आज तहसीलदार की पोस्टिंग नहीं होती है। रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू मिनिस्टर के कण्ट्रोल में भी नहीं है। जो पैसा देगा सरकार के दलालों को, जो पैसा देगा रेवेन्यू मिनिस्टर को, जो पैसा देगा रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को, वह मनमर्जी की जगह पर रजिस्ट्रार लगेगा तो वह पैसा क्यों नहीं लेगा? यह इस सरकार का नमूना है।

इसी तरह से आप थानों में चले जाएं, थानों में थानेदार वह लगेगा जो वहां के डी. आई. जी., एस. पी., डी. जी. को पैसा देगा। बिना सिफारिश के आज कोई नहीं लग सकता है। मैं चार्ज लगा रहा हूं। सारे राजस्थान की जनता का सवाल है। तहसीलदार बिना पैसे के आज कहीं भी तहसील में नहीं लगता। इस तरह से राजस्थान की जनता का जो शोषण हो रहा है, आज रजिस्ट्रेशन कराने से पहले रजिस्ट्री का.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप नियमों का पालन करिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं नियमों का पालन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलते जा रहे है, नियमों का कहीं पालन ही नहीं कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे नहीं कर रहा?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कर रहे।

श्री परसादीलाल मीणा : पालन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले सूचना देनी चाहिये थी।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, सूचना की जरूरत ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नो।

श्री परसादीलाल मीणा : मिनिस्टर पर चार्ज लगेंगे कि....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस तरह से नहीं बोल सकते।

श्री परसादीलाल मीणा : रेवेन्यू मिनिस्टर के खिलाफ चार्ज लगाने की सूचना की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पर चार्ज लगाये हैं, जब तक इनके पास कोई प्रूफ नहीं हो तब तक चार्जेज को एक्सपंज करिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सारे राजस्थान की जनता प्रूफ है। तीन पर्सेण्ट ले रहे हैं। वे कह रहे हैं, ठीक करिये व्यवस्था, आपके मंत्रीजी को कहें, (व्यवधान) तब तो नहीं कहा आपने। तिवाड़ीजी ने कहा कि....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहले यहां प्रूफ लाए। मंत्रीजी पर, यह जो सरकार पर आरोप हैं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बिलकुल, मंत्रीजी सहभागी हैं। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : प्रमाण देकर आरोप लगाएं....

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार की जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं तो इन शब्दों को एक्सपंज किया जाए।

श्री परसादीलाल मीणा : आज तहसीलों में तहसीदार जो रजिस्ट्रेशन में ले रहे हैं उसकी जिम्मेदारी रेवेन्यू मिनिस्टर की है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : यह सरासर आरोप है और इसको कार्यवाही से हटाया जाए या यह प्रूफ देने....(व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह आरोप आप तब लगा सकते हैं ... (व्यवधान) मंत्रीजी को नोटिस या कोई जानकारी नहीं दी और यहां आप (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यही हालत थानों की है। यही हाल दूसरी जगहों का है। आज कहीं इन्जीनियर लगाने के, पी. डब्ल्यू. डी. में कोई एक्स. ईएन. लगायो.... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नियम

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

के तहत नहीं बोल रहे हैं और सरकार पर सरासर आरोप लगा रहे हैं। या तो पहले लिखकर देवें सम्बन्धित मंत्रीजी को.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : या तो भ्रष्टाचार रोको या जिम्मेदारी कबूल करो।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सदस्य आरोप लगाने के पहले प्रूफ देवें।

श्री परसादीलाल मीणा : तिवाड़ीजी ने कहा है, मैंने नहीं कहा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तहसीलदार दो पर्सेण्ट ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : दो पर्सेण्ट ले रहे हैं। तीन पर्सेण्ट ले रहे हैं। तहसीलदार, जो रजिस्ट्री करवाते हैं उनसे पैसा ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसमें कोई बात नहीं यह प्रजातन्त्र का मूल सिद्धान्त है। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाये हैं। या तो सम्बन्धित प्रमाण दें या इनके शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन कर दिया, आप थोड़ी शालीनता बरतें।

श्री परसादीलाल मीणा : ठीक है।

श्री मोहनलाल मोदी : आप प्रमाण मांग रहे हैं, यह तो सारा स्पष्ट है, कहीं भी चले जाइए। आप जाकर देख लीजिए किसी भी जगह।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। करनी भी चाहिए। मैं आपको आगे कहना चाहूंगा कि आज औषधालयों में वैद्यों की पोस्ट खाली पड़ी हैं। 300 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कम्पाउण्डरों के पड़े हैं, मास्टरों के पड़े हैं, डाक्टरों के पड़े हैं, दूसरे सभी लेबब्वॉय, लेब असिसटेंट के पड़े हैं। ग्रामीण इलाकों के सारे पद खाली पड़े हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं, शहर में किसी भी संस्था में कोई पद आपको रिक्त नहीं मिलेगा। इससे आप तुलना कर लीजिए, भंवरलाल जी, कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में आप कितना फर्क कर रहे हैं। शहरों में आज कोई समस्या नहीं है।

मैं आपको कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज पंचायती राज की हालत क्या हो रही है। आज ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो गया, वहां पर सैक्रेटरी नहीं है। इन्होंने अपनी दुम बचाने के लिए ग्राम पंचायतों में मास्टरों को लगा दिया। कहीं ग्राम सेवकों को लगा दिया। अब मास्टर स्कूल में पढाई करवाएगा या ग्राम पंचायत का काम करेगा? न वह मास्टर रोकड़ में एंट्री करना जानता है,

(श्री परसादीलाल मीणा)

न पोस्टिंग करना जानता है, न दूसरे काम करना जानता है । इस तरह से आज ग्रामीण विकास की जो गति रुकी हुई है वह पहले ऐसे कभी नहीं रुकी । इससे तो अच्छा है कि आप इस पंचायती राज को ही बन्द कर दें । क्योंकि आज ग्राम पंचायतों के ताले लगे हुए हैं, ग्राम पंचायतों के सरपंच कहीं रोते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है । पंचायत समिति में जाए तो उनकी कोई वकत नहीं । जिस तरह की आज वह यह व्यवस्था की है, उस व्यवस्था से ग्रामीण विकास का जो काम है वह बिलकुल ठप्प पड़ा हुआ है । आज इसी तरह के हालात दूसरे विभागों के हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा ।

जैसा तिवाड़ी ने कहा कि राजस्थान में विधान-परिषद का गठन होना चाहिए, उसमें कम से कम यहां पर सौ मेम्बर तो बनेंगे । सौ मेम्बर का खर्च होगा । 16 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हो रहे हैं, और खर्चा हमारा बढ़ेगा । मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में विधान-परिषद की कोई जरूरत नहीं है । तिवाड़ीजी को वहम हो रहा है कि अगली बार में चुनकर नहीं आऊंगा तो चोर दरवाजे से मैं विधान-परिषद में आ जाऊं । यह सब इनकी योजनाएं हैं, जो चुनाव नहीं जीतने वाले लोग हैं । आज जिस तरह के मन्त्रिमण्डल के हमारे पांच-सात मेम्बर बैठे हैं, मैंने अभी भी कहा था, आज उनके लाख-लाख, दो-दो लाख रुपये के टेलीफोन के खर्चे हैं उनके गाड़ी घोड़ों के खर्चे उनके नौकर-चाकर के खर्चे हैं । हमारा राजस्थान दिवालिया तो इन मंत्रियों के बोझ से होता जा रहा है, जिनके पास दो पैसे का काम नहीं जिन्होंने कभी एक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किये । ऐसे मंत्रियों का बोझ राजस्थान की जनता, चतुर्वेदीजी, ज्यादा बरदाश्त नहीं करेगी । जो आपकी मंत्रिमण्डल की फौज बैठी है, उस तरह से +++ जो राजस्थान की जनता के ऊपर बैठे हैं, आप इनको या तो काम दीजिए या इनको मंत्रिमंडल से हटा दीजिए । अब आपकी सरकार में 99 एम. एल. ए. तो हो गये, एक-दो को और शामिल कर लीजिए फिर इन निर्दलीयों का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा । उनके किस बात के टेलीफोन आ रहे हैं आज ? किस बात के खर्चे आप भुगत रहे हैं ? एक और दलीचन्दजी को मिला लिया, सौ एम. एल. ए. आपके पास हो जाएंगे । आपकी कमेटी का क्या हुआ जो आपकी अध्यक्षता में बनी थी ? उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है ? कितनी कटौतियां आपकी है ? कोल्ड-स्टोरेज मे रख दिया उसको ? आज राजस्थान पत्रिका के सम्पादक ने आपकी सरकार के बारे में जो टिप्पणी की है, वास्तव में आज राजस्थान की जनता राजस्थान पत्रिका के सम्पादक को धन्यवाद देती है कि पहली बार इस सरकार की पोल राजस्थान पत्रिका के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री परसादीलाल मीणा)

सम्पादक ने खोली है । धन्यवाद देना चाहता हूं उनको उन्होंने कहा है कि मेरे होम करते हुए भी हाथ जल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव जिस तरह का पारित किया है, उस निन्दा प्रस्ताव पारित करने का नतीजा आपको जब मिलेगा जब अगले चुनावों में आप राजस्थान की जनता के सामने जाएंगे। जिस तरह की भंवरलाल जी कार्यप्रणाली है, भामड़ा साहब की है, आपकी है, तीनों ही आप सर्वोच्च मंत्री बने हुए हैं, तीनों उप नेता की दौड़ में हो आप, तीनों ने राजस्थान को हिला रखा है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को आप काम नहीं करने दे रहे हैं। आपने उनकी नाक में नकेल डाल रखी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि सम्पादकजी ने जो आपके खिलाफ टिप्पणी की है, आम लोग उसको ठंडे मन से सोचें अदरवाइज लेकर नहीं सोचना चाहिए। यह आपके विभाग में क्या हो रहा है, कोटा में क्या हो रहा है ? पता चल गया, चतुर्वेदीजी, कोटा में आपकी 685 वोटों से इज्जत बची है। आपको इसका मनन करना चाहिए कि ऐसी पृथ्वी क्यों हिली ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने अखबारों में एक खबर पढ़ी है कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के विधान सभा क्षेत्र मांगरोल में 200 पोल की लाइन खिंच गयी। कहीं उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं न किसी के आर्डर से लाइन खिंची गयी। 70 लाख रुपये का घपला हुआ है। 70 लाख रुपये लोगों से वसूल किये हैं; यह आपकी पत्रिका ने छापा है। इसकी आप जांच करवा कर जवाब दें, क्या यह बात सही है। आपने इनका ट्रांसफर किया है। ऐसे आप अगर ऊपर के ऊपर ही सीधे निपटाते रहे, मेरा कोई आरोप नहीं हैं, आप बिराजिये....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मांगरोल इनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं आता। माननीय सदस्य, मैं आपको जनरल नालेज बढ़ा रहा हूं, मांगरोल इनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं आता।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बिराजिये। आरोप नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप कहां आ रहे हैं ? आपको मंत्री परिषद् में तो लिया नहीं और आप एडवोकेट जनरल बन रहे हैं। ख्वाहमखाह वकालत कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : बिराजिये आप। दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपना मन देख लो आपको क्यों हटाया, जोगेश्वरजी गर्ग को क्यों हटाया ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह आपके रामगोपाल का है....

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आपकी तुलना में....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं कारणों में जाना नहीं चाहता पर आप अपना

(श्री परसादीलाल मीणा)

चेहरा शीशे में घर जाकर देखना; कैसा चेहरा है। आपका।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : हमें तो पता है, कैसा चेहरा है। ऐसा है।

श्री परसादीलाल मीणा : जोगेश्वरजी गर्ग और आपकी जो दुर्गति हुई है, उसको अच्छी तरह से....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आपसे तो लाख गुना बढ़िया है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आज कोई योजना नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : परसादीलालजी, तार बिछ गये और कनेक्शन दे दिये पर आपके राज में तो खम्भे खड़े कर देते थे और न तो तार खिचते थे, न कनेक्शन करते थे। हमने कनेक्शन तो दे दिये।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ऊर्जा मंत्रीजी ने यह स्टेटमेंट दिया था, सवाल के जवाब में कि जिन-जिन गांवों में एक भी कनेक्शन नहीं हुए, जहां पर लाइनें खींच दी गयीं, जहां पर ट्रांसफार्मर्स लगा दिये गये, वहां पर अब दो-दो कनेक्शन दे देंगे। पिछले वर्ष भी यह कहा था। इस बार भी उन्होंने अपने सवाल के जवाब में कहा। उसके बाद चेयरमैन, जो आर. एस. ई. बी. का है, मंत्रीजी के कंट्रोल में नहीं है, वह मुख्य मंत्रीजी के कंट्रोल में है, उन्होंने कहा है; 11,000 गांव हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में बिना कनेक्शन के अन्धेरे में पड़े हैं, कागजों में उनका विद्युतीकरण हो गया, कागजों में बता दिया गया भारत सरकार को योजना में कि हमने इतने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया। पर वहां एक भी कनेक्शन आज किसी भी तरह का कोई नहीं दिया गया है। क्या यही विकास करेंगे आप ग्रामीण इलाकों का; राजस्थान का ?

मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी किस तरह की लूट-खसोट कर रहे हैं। कायदा यह है कि जिस-जिस अधिकारी के निजी आवास जयपुर में होंगे; उस अधिकारी को सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा। कई आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों ने अपने निजी आवास दस-दस, बीस-बीस हजार रुपये किराये पर दे रखे हैं और वे सरकारी मकानों का उपयोग कर रहे हैं। कई मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं। हमारे पास भी कई आए, एम. एल. ए. साहब, आप इनमें मत बोलिये मैं कहना चाह रहा हूं आपको जितने भी आई. पी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब अधिकारी लूट-खसोट करने में लग रहे हैं। कोई एन. जी. ओ. बना रहे हैं, कोई कौनसी संस्था चला रहे हैं, कोई चोखी ढाणी चला रहा है, कोई काली ढाणी चला है, सब ने अपने

(श्री परसादीलाल मीणा)

बिजनेस कर रखे हैं। किसी ने माइन्स ले रखी है? क्या यही राजस्थान का विकास करना है? जो अधिकारियों पर हमने जिम्मेदारी डाल रखी है, ब्यूरोक्रेसी को, एक-एक अधिकारी को हम पूरी फैसेलिटी देते हैं, एक-एक अधिकारी को पूरी तनख्वाह देते हैं उसके बाद भी अगर अधिकारी इस तरह का बर्ताव करेंगे तो यह सरकार की कमजोरी है। सरकार में आज जिस तरह का बिखराव फैला हुआ है उसका वे जो फायदा अधिकारी उठा रहे हैं। उसका कारण यह है कि आज अधिकारियों पर सरकार की कमान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं, आज किसी की भी पोस्टिंग हो, अच्छी पोस्टिंग के लिए, एस. डी. ओ. हो, चाहे कलक्टर हो, चाहे एस. पी. हो, आज उसको राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी के आगे 17 बार दंडवत करनी पड़ती है जब वह कलक्टर लगता है। चतुर्वेदीजी, क्या कारण था कि जिस कलक्टर और एस. पी. को चुनाव आयोग ने नाकारा घोषित कर दिया, क्या जरूरत थी उसको इतनी जल्दी कलक्टर लगाने की? क्या जरूरत थी उसको इतनी जल्दी एस. पी. लगाने की? पर आप की चलती नहीं है, आपके चीफ सैक्रेटरी की चलती है। इसलिए अगर आप चीफ सैक्रेटरी की उसमें रहे तो अगले आने वाले चुनाव में मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप को दस सीट भी कहीं नहीं मिलेगी। आपकी कोटा शहर में अबकी बार तो इज्जत बच गयी है, अगली बार कोटा, बूंदी, झालावाड़ में नेस्तनाबूद हो जायेगी भारतीय जनता पार्टी।

आपकी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। कोटा में आपकी जबरदस्त हार हुई, मात्र 685 वोट से जीत हुई। जो वहां पर जाति विशेष के अधिकारी थे उन अधिकारियों को आप वन-टू-थ्री करके पाकिस्तान भेजना चाहते हो। अधिकारियों का क्या दोष है? आप इस आधार पर कि इन अधिकारियों ने हमारी मदद नहीं की, इनके ट्रांसफर कर रहे हो। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में जो अधिकारी थे उनका एक-एक कर स्थानान्तरण किया जा रहा है। यह अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर ऐसा कांग्रेस 30 साल तक करती तो आपका तो कहीं नामोनिशान ही, चतुर्वेदीजी, नहीं मिलता। आप तो पाकिस्तान बोर्डर और बाड़मेर कालेज में ही बैठे रहते। कोटा, बूंदी का आप तो कभी मुंह भी नहीं देखते। इस तरह की जो राजनीतिक शैली है आपके काम करने की, इसको बदलना चाहिए आप को। अगर यह नहीं बदली, कोटा में आपने जो यह ट्रांसफर किये हैं, जिस तरह सारे अधिकारियों का, चाहे डाक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एस. डी. ओ. हो, आप गिन-गिन कर हर्रेसमेंट कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। इसके नतीजे आपके खिलाफ जाएंगे। यह मैं आप को चेतावनी देता हूं कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अगली बार बी. जे. पी. का सफाया होगा क्योंकि आपके कारनामे ही ऐसे हैं। जो सम्पादकजी, कुलिश साहब ने लिखा है उसके मुताबिक आपकी कार्य प्रणाली बनती

(श्री परसादीलाल मीणा)

जा रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज भ्रष्टाचार का जिस तरह का वातावरण बन गया है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें तो अच्छा है।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं एक ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

इस तरह का वातावरण, उपाध्यक्ष महोदय, आज बनता जा रहा है, आज कोई विकास की बात नहीं करता, आज पंचायतों को अधिकार देने की बात नहीं करता। जो आज पंचायतों के सदस्य और जिला परिषदों के सदस्य बन गये यह +++ एक-एक, दो-दो, लाख रुपये खर्च करके बीच में लक्ष्मण झूले की तरह अटके हुए हैं। ना उनके पास कोई अधिकार हैं, ना पंचायत समिति के, जिला परिषद के सरकारी कामकाज से आने के लिए उनको कोई टी. ए., डी. ए. मिलता है। अधिकारी खूब बना लेंगे। मेरी आप से प्रार्थना है, सरकार से प्रार्थना है कि वेतनमान आप सभी का कर रहे हैं, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों का भी कोई न कोई मानदण्ड आप निर्धारित करें। इनको भी वेतन और भत्ते चाहे कम ही दें पर इनको यह तसल्ली तो हो कि हमको कुछ न कुछ मिलता है। आप 14 रुपये रोज उनको डी. ए. देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर गांव का दूर का रहने वाला आदमी राजगढ़ आए तो 14 रुपये तो उसका किराये में ही लग जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, गांवों की तरफ विकास करने के लिए, ध्यान देने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं आती हैं उनका निर्धारित बजट उसी मद में लगना चाहिए जिस मद में वो बजट आए। आप उसको इधर-उधर डाइवर्ट करते हैं उससे विकास का सन्तुलन बिगड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस में एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के माध्यम से संशोधन करने की दृष्टि से, नीड बेस्ड प्रायोरिटी के आधार पर जो बजटरी प्रावधान हैं, अगर उनमें कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है तो माननीय सदस्यगण अपने विचार व्यक्त करके मुख्य मंत्रीजी से, जो वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध करें।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

(15.26)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस दृष्टि से हमारा प्रदेश बहुत भाग्यशाली है। आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, पहले सुन लो। भाग्यशाली इस दृष्टि से है कि जिस शख्स ने राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत किया है उनका ग्रामीण परिवेश में लगभग 50 साल का राजनीतिक एक्स-पीरियेंस है और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि किस वर्ग के उत्थान के लिए क्या कार्यवाही करना जरूरी है और उसके लिए क्या बजटरी प्रावधान रखना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि हमारे बजट की 62 प्रतिशत से अधिक राशि ग्रामीण परिवेश में जहां आवश्यकता है उत्थान की, उन मदों पर खर्च करने का तय किया है और इस तरह का प्रोविजन रखा है। इसलिए सदन के सभी माननीय सदस्यों को माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहिए। पहले इस तरह के रेश्यों का प्रावधान कभी नहीं रखा जाता था। अब उनके गहन अध्ययन के उपरान्त इस नतीजे पर माननीय मुख्य मंत्रीजी पहुंचे हैं कि इतनी बड़ी राशि ग्रामीण परिवेश में विकास के कार्यक्रमों पर रखनी चाहिए वो रखी है। हम इस कार्यवाही के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साधुवाद देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई तथ्य ग्रामीण परिवेश में इस तरह के जिनको बजटरी प्रावधान रखते समय नजरअंदाज किया जाना संभव नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनसंख्या बढ़ोतरी पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चल रहा है और केन्द्र सरकार से भी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए बड़ी भारी मदद मिल रही है और राजस्थान सरकार के स्तर पर भी मदद मिल रही है। इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए बाल विवाह जैसी कुप्रथा को भी समाप्त करने का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करने का प्रावधान है, 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं करने का प्रावधान है। इसके पीछे यह है कि जनसंख्या पर किसी तरह नियंत्रण हो ताकि जितना बजटरी प्रावधान लोगों की बहबूदी के लिए रखा जा रहा है उसका लाभ मिल सके और हमारे आब्जेक्ट्स पूरे हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, यह सारे मुद्दे साक्षरता से जुड़े हुए हैं। साक्षरता से जुड़े हुए होने के कारण आज राजस्थान में 31 जिलों में से 24 जिलों में साक्षरता अभियान बड़ी सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है और जो 8 जिले शेष हैं उनमें यथाशीघ्र कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान को साक्षर करने का अभियान चला रखा है इसके पीछे भी यही है कि आम जनता में जागरूकता पैदा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

बारे में मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम बाल विवाह को रोकना चाहते हैं। अब ग्रामीण परिवेश में बाल विवाह को कैसे रोकें? मेरी इच्छा है कि इसकी हूबहू पालना हो, सख्ती से पालना हो लेकिन ग्रामीण परिवेश को नजरंदाज करना भी संभव नहीं है। आज एक अनपढ़ लड़की को किसान अनमैरिड रखे, जिस लड़की को जानवर और पशु चराने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, जिस लड़की को लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, जिस लड़की को खेती-बाड़ी के काम-काज के लिए जंगल में जाना पड़ता है। क्या, अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव है उस गरीब किसान के लिए कि अपनी लड़की को 18 साल तक अनमैरिड रख ले? अपने परिवार की इज्जत बचाने का भी उसको हमेशा ध्यान में रहता है। कानून की दृष्टि से यह बिल्कुल ठीक है लेकिन इसमें भी हमें वैचारिक दृष्टि से संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : आप शादी करके जिम्मेदारी दूसरों को दे दो, वह चौकीदारी करेंगे?

श्री शांतिलाल खोईवाल : आपकी बात ही कह रहा हूं, माननीय धारीवाल जी, थोड़ा मुझे सुन लें तो मैं समझता हूं आपको यह बात समझ में आ जाए। (व्यवधान) जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वह मेरे मित्र हैं, जल्दी आ जाएगी, मुझे विश्वास है। उन पर भरोसा है पूरा। साक्षरता पर अनाप-शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है और जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए फेमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी कोई कम पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों मुद्दों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। फेमिली प्लानिंग पर जो पैसा खर्च हो रहा है, इस महकमे को बन्द कर दिया जाना चाहिए। बाल विवाह में कानूनी प्रावधान रखा है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इसमें भी जनमानस को तैयार करना चाहिए। इस कानून के जो प्रावधान हैं उनको क्रियान्वित करने के बजाय मेरा अनुरोध है कि जितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है जनसंख्या नियन्त्रण के लिए, वह सारा का सारा पैसा आप शिक्षा विभाग में दे दीजिए। जैसा घनश्याम जी ने अभी सुझाव दिया था कि 2000 तक सम्पूर्ण साक्षरता के लिए यदि वास्तव में आप अपना ऑब्जेक्ट पूरा करना चाहते हैं तो 18 हजार नये स्कूल खोलने पड़ेंगे। मैं इस बात की ताईद करता हूं कि इन विभागों का पैसा बचाकर शिक्षा विभाग का दे दें सारा का सारा पैसा। यदि जनमानस में जागरूकता आ गयी, पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ गयी, अपने स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा का एम समझ गये तो निश्चित तौर से यह जनसंख्या का मामला, यह बाल विवाह का मामला स्वतः ही सुलट जायेगा इसका निराकरण हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बात कहने में तो बहुत साधारण लगती है लेकिन वास्तव में यदि फेमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट का पैसा शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिया दूसरी मदों में से, जैसा मैंने निवेदन किया, वह

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

पैसा शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दीजिए और सारा का सारा कन्सन्ट्रेशन शिक्षा विभाग पर लगा दीजिए, निश्चित रूप से जो नतीजे हम चाहते हैं वह नतीजे आपको मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर अब शहरी परिवेश की बात मैं करूं तो शिक्षा की कमी नहीं है। यहां का रेश्यों आनुपातिक दृष्टि से काफी अच्छा है। अन्य देशों की तुलना में हम कम नहीं हैं जहां तक शहरों का प्रश्न है लेकिन ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब तक नहीं है क्या ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरी बात सुन लीजिये पहले। अब तक है। आप लोगों से बहुत ज्यादा है इसीलिए इस बात पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की चर्चा में कपासन से आने वाले माननीय सदस्य डा. शकर भानुदा अपनी बात कह रहे थे कि तुलनात्मक दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है वह अनुपात सबसे कम है। अब मैं एक तरफ यह सुझाव दे रहा हूं आप बाल विवाह रोकना चाहते हैं, शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहते हैं, जनसंख्या पर नियन्त्रण करना चाहते हैं इसके लिए शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। डा. भानुदा ने भी यही बात कही थी इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन सभी समस्याओं का निराकरण करने में वास्तव में यदि हम इन्ट्रेस्टेड हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को आपको ज्यादा से ज्यादा बजट देने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतान पड़ता है ? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को, सबको भुगतान करना पड़ता है। यह मुझे मालूम है। गांवों में लोगों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा अपने स्वयं के खर्चे पर, स्वयं के संसाधनों से कर सकें। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित शिक्षा की दृष्टि से करने के लिये आपको कुछ न कुछ अतिरिक्त प्रावधान रखने पड़ेंगे। उनके लिए कम्पलसरी एजूकेशन का प्रावधान रखना पड़ेगा कि पांचवीं कक्षा तक शिक्षा हर व्यक्ति के लिये कम्पलसरी हो। यह प्रावधान रखोगे तो निश्चित रूप से उनमें जागरूकता आ जायेगी और जनसंख्या की दृष्टि से भी नियन्त्रण हो जाएगा, बाल विवाह पर भी नियन्त्रण हो जाएगा। मैं समझता हूं जिस उद्देश्य से जो काम हम करना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।

अध्यक्ष महोदय, गांवों में कहां पैसा खर्च किया जाए, किस मद्दे पर पैसा खर्च किया जाए, क्यों किया जाए इसके बारे में चिन्तन की आवश्यकता है।

(श्री शांतिलाल चोईवाल)

आज मेवाड़ क्षेत्र में, जैसाकि मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है, वर्षा के वेग में परिवर्तन हो गया। जहां रेगिस्तान था, बरसात कम होती थी वहां ज्यादा बरसात हो रही है। जिस क्षेत्र को हम लहलहाता देखते थे वहां बरसात बहुत कम हो रही है। ऐसी स्थिति में वहां की बहबूदी के लिए, वहां के विकास के लिए, वहां के ग्राम ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, वहां का पानी वहीं रोकने के लिए, आपको एनीकट्स का निर्माण करना पड़ेगा और इसके लिए मोटी योजना बनानी पड़ेगी, लम्बी योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें धन का आरक्षण करना पड़ेगा। यदि इस बात पर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो जैसाकि मैंने पूर्व में भी अनुरोध किया था, यह जानकारी दी थी कि उस क्षेत्र की जनता को वह क्षेत्र छोड़कर जहां पर ज्यादा बरसात होती है, जहां पर वह अपनी आजीविका कमा सकते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में उनको पलायन करना पड़ेगा जो हमारे लिए कतई अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेज का प्रश्न है, मैं कुछ तथ्य आपके माध्यम से माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि इनकी बहबूदी बढ़े। माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह मंशा है कि इनके जो प्रावधान हैं उन सारे प्रावधानों का लाभ मिलें। लेकिन कई बार प्रशासनिक तन्त्र की खराबी के कारण, उनकी मानसिकता ठीक नहीं होने के कारण जो लाभ मिलने चाहिए, वह लाभ नहीं मिल पाते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति से कैलाशजी मेघवाल जैसे व्यक्ति को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कैबिनेट में शरीक कर रखा है। इनके पास बहुत महत्वपूर्ण महकमे हैं और महत्वपूर्ण महकमे देने के पीछे यह भी मंशा निश्चित तौर से है कि इस वर्ग के लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिले। लाभ मिले या नहीं मिले उनके जो प्रावधान हैं उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हो, अन्याय नहीं हो।

मैं एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहूंगा, अभी लगभग 3500 कांस्टेबलों की भर्ती होने वाली है, इसकी विज्ञप्ति जारी हो गयी है, मैं नहीं समझता कि माननीय कैलाशजी मेघवाल के बिना चैनल के वह कानून-कायदे बन गये हों। उसमें प्रावधान क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 प्रतिशत शिडयूल्ड कास्ट के लिए, 12 प्रतिशत शिडयूल्ड ट्राइब्स के लिए, 21 प्रतिशत ओ. बी. सी. के लिए और साढ़े बारह प्रतिशत एक्स आर्मी परसोनल के लिए आरक्षित हैं। यह टोटल लगभग 61.5 प्रतिशत होता है। अध्यक्ष महोदय, इसी विज्ञप्ति में यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी हो या जनरल का हो या ओ. बी. सी. का हो या एस. टी. का हो, हर व्यक्ति को लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने बहुत जरूरी हैं। आप यह उम्मीद करते हो कि हमारे जैसे लोग किसी परीक्षा में 50

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

प्रतिशत अंक प्राप्त करके उस कम्पीटिशन में बैठ जाएं, और वह पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पास हो जाएं यह सम्भव नहीं है। मेरा माननीय कैलाशजी मेघवाल से आपके माध्यम से अनुरोध है कि यह 50 प्रतिशत मिनिमम अंक प्राप्त करने की जो आवश्यकता रखी है इसमें शिथिलता बरतने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें लचीलापन नहीं रखा, शिथिलता नहीं बरती गयी इस कानून में तो मैं दावे के साथ कहता हू कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की भर्ती जिस वांछित, अपेक्षित रेश्यों में होनी चाहिये, वह किसी कीमत पर नहीं हो पायेगी। दूसरी तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस तरह के हैं कि रिजर्वेशन पचास प्रतिशत से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिये। (व्यवधान) मेरी बात पूरी सुन लीजिये, आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा, मुझे मेरी पूरी बात कह लेने दें। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस सदन में इस तरह का हो रहा है कि हम कोई महत्वपूर्ण बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कहते हैं तो वह सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने की दृष्टि से इस मुद्दे को ऐसा फस बना देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। पहले मेरी बात सुन लीजिये और आपकी समझ में नहीं आये तो फिर बता देना। उसमें पचास प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, उसमें जो 61.5 प्रतिशत है, यह 11.5 प्रतिशत कोनसी कैटेगरी में से कम किया जाएगा, माननीय गृह मंत्रीजी, क्या मुझे इस बारे में जानकारी देंगे? निश्चित तौर से इसका नुकसान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेज को होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है और मैं लाजिकली निवेदन कर रहा हूं, इसके साथ मेरी रीजनिंग है। यह बाइंडिंग्स रख रखी हैं कि पचास प्रतिशत मिनिमम अंक आने चाहिए, उसमें शिथिलता बरतेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकबर्ड क्लासेज के लोगों की भर्ती हो पायेगी, नहीं तो यह लाभ इस वर्ग के लोग नहीं उठा पायेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने निवेदन किया पहले आपको कि मुख्य मंत्रीजी की मंशा को क्रियान्वित करने में प्रशासनिक तन्त्र पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। मैं दो महकमों का एक्जाम्पल देकर अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक एक्जाम्पल देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 1977 में एक्स. ईएन., ए. ईएन. और जे. ईएन. को किसी गलती के कारण चार्जशीट दी गयी रूल 17 में, दो-दो इन्क्रीमेंट रोक दिये गये। एक्स. ईएन. और ए. ईएन. जनरल

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

क्लासेज के थे और जे. ईएन. अनुसूचित जति का था। यह भरतपुर जिले की बात कर रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, वह एक्स. ईएन. एडीशनल चीफ इंजीनियर बनकर रिटायर हो गया और कई बार उसकी पदोन्नति हो गयी। वह ए. ईएन. इस समय सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है और जल्दी ही उसकी एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर पदोन्नति होने वाली है। उस गरीब अनुसूचित जाति के जे. ईएन. का 25 साल बाद में जब पदोन्नति का नम्बर आया और एडहाक बेसिस पर जब उसकी पदोन्नति की गयी तो विभाग के चीफ इंजीनियर ने यह कहकर टाल दिया कि इसके खिलाफ तो यह चार्ज थे और उसको इस तरह का पनिशमेंट दिया गया है इसलिए उसकी पदोन्नति नहीं हो सकती। यह कहां का न्याय है, अध्यक्ष महोदय? इन बातों को देखने की आवश्यकता नहीं है? निश्चित तौर पर इन बातों को देखने की आवश्यकता है।

एक बात और निवेदन करूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए, इनके विकास के लिए भारी रकम खर्च की जा रही है। मुझे ध्यान है कि 15 साल पहले, अनुसूचित के लोग काम्पीटिटिव एक्जामिनेशन में आए। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। प्रोफेसर इकबाल नारायण एक होस्टल के इन्चार्ज हुआ करते थे और वहां पर कोचिंग क्लासेज चला करती थीं। अध्यक्ष महोदय, कई अभ्यार्थियों का आई. ए. एस. में चयन हुआ, कई अभ्यार्थियों का आई. पी. एस. में चयन हुआ। यह प्रावधान तो अभी भी है लेकिन पिछले पांच वर्षों में ऐक भी व्यक्ति का आई. ए. एस. और आई. पी. एस. में चयन नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा-साधा मतलब यह है कि पैसा तो बहुत खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है, यह चिन्तन का विषय है। इस पर विचार कर कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। या तो जिन व्यक्तियों को और जिस प्रशासन को इस तरह की जिम्मेदारी दे रखी है वह बहुत कैजुअल वे में ले रहे हैं कि ठीक है, ठीक है, लाभ मिले या नहीं मिले, भाड़ में जाय, जैसा होगा वैसा होता रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि नतीजे मिलने चाहिए। नतीजे मिल नहीं पा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी का काम था कि अच्छे प्रावधान रख दिये, होस्टल बनवा दिया, कोचिंग क्लासेज प्रारम्भ कर दीं लेकिन जो काम करने का दायित्व है वह तो अधिकारियों पर ही है, विभाग के आला अधिकारियों पर है, उन शिक्षकों पर है जिनको इसका काम सौंप रखा है। यही नहीं, विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य इस तरह की बात करते हैं कि 31 विधायकों ने इस तरह का हस्ताक्षर अभियान किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कुछ जो इस तरह के कामकाज हैं जो प्रशासनिक तंत्र के द्वारा नहीं किये जा रहे हैं, यह हमारा अधिकार है, यह हमारा आन्तरिक मामला है और यदि किसी तरह की कोई बात आती है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो हमारे सर्वेसर्वा हैं, सरकार के भी हैं और हमारे भी हैं,

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

क्या उनको जानकारी में नहीं देंगे। इस बात को इस ढंग से ट्विस्ट करते हैं और मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व पर क्वेश्चन मार्क लगा रहें हैं। मुझे इस तरह की जानकारी मिली, मुझे बहुत तकलीफ हुई।

अनेक माननीय सदस्य : हम तो नहीं लगा रहें हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : देखिये, आप नहीं लगा रहे हैं। आप तो केवल अपने बारे में ही कह सकते हैं। आप सभी माननीय विधायकों का ठेका नहीं ले सकते, मुझे मालूम है। (व्यवधान) हमारे नेतृत्व में कोई गड़बड़ी नहीं है। (व्यवधान) लेकिन हमें यदि कोई ऐसे तथ्य मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में लाने हैं····

श्री परसादीलाल मीणा : हमको स्वीकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको तो स्वीकार है ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जान बूझकर इन तथ्यों को ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इनका कहने का तात्पर्य तो यह है खोईवाल साहब, ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हुई जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एम. एल. एज. को यूनियन बनाने की आवश्यकता पड़ गयी और यूनियन बनाकर मुख्य मंत्रीजी को आपने शिकायत की। इसका मतलब तो साफ यह है कि आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आपके काम नहीं किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको उत्पीड़ित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं।

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। खोईवाल साहब।

श्री शांतिलाल खोईवाल : प्लीज मैडम, बैठें।

श्री परसादीलाल मीणा : आपका नाम आया है अखबार में, पढ़ें। कैसे आया मुझे पता नहीं। आपका है, मंगलारामजी का आया है। आप भी खिलाफ है, यूनियन में हैं, पदाधिकारी हैं आप उस यूनियन के।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप जानबूझकर हमारी बात को ही कहें, हमारी ग्रिवन्सेज के रिड्रेसल के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को अनुरोध करें, तो इस तरह ट्विस्ट करके और इसको डिस्टोरटेड वे में इस तरह से फैब्रिकेट करते हैं। Is it a good thing ? क्या यह अच्छी बात है ? यह बात कतई अच्छी नहीं है। एक बात बता दूं मैं कि हमारी धारणा इस तरह की नहीं है। हमारी धारणा तो

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

महज यह थी, जो कि मैं तीन तथ्य अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी के ध्यान में लाया था। मुख्य मन्त्रीजी, सारे विभागों में इस तरह की बातें हैं। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि इस प्रशासनिक तंत्र की जितनी जानकारियां हासिल करने की आवश्यकता है और जिस तरह यह प्रावधानों के विरुद्ध इर्रेगुलरिटीज कर रहे हैं, इनको रेक्टीफाई करने की आवश्यकता है। मुख्य मन्त्रीजी पर हम सभी लोगों को पूरा भरोसा है।

श्री परसादीलाल मीणा : करना ही पड़ेगा, मजबूरी है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरी मुख्य मन्त्रीजी से चर्चा हुई थी, मुख्य मंत्रीजी को मैंने यह जानकारी दी। उनको स्वयं को बहुत तकलीफ हुई कि यह सारी जानकारियां मेरे तक नहीं पहुंच पाती हैं और आपने यह जानकारी मुझे दी है, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप छोड़िये इस बात को। यह हमारा व्यक्तिगत मामला है, यह हमारी पार्टी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय खोईवाल साहब, समाप्त करें अब।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो तथ्य मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी के ध्यान में लाया हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो आश्वासन दिये हैं हम सभी लोगों को, मैं समझता हूं, निश्चित तौर से पूरे होंगे।

एक छोटा-सा और अनुरोध है। आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आपने डायरेक्शन भी सभी विभागों को दे दिये कि कानून-कायदों की हूबहू पालना हो और आम व्यक्ति इस तरह महसूस करने लग जाए। यदि ऐसा कार्यक्रम हो तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री ताम्बी साहब।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्रीय बजट पांच बजे पेश होगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कल सुबह अपना जवाब दे दें, चाहे जीरो आवर आप नहीं रखें, तो बड़ी कृपा होगी। आप भी सुनना चाहेंगे, आप भी सुनना चाहेंगे और मैं भी सुनना चाहूंगा। पांच बजे हाउस एडजोर्न हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कल सुबह जवाब दे दूंगा लेकिन जीरो आवर नहीं हो और बाकी का कल का बिजनेस भी पास हो जाए।

श्री चन्दमल बैद : सारा काम कर लेंगे। कल जीरो आवर भी कर लीजिएगा। जीरो आवर, क्वेश्चन आवर, सारा काम करवा देंगे कल।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । श्री ताम्बी साहब ।

श्री परसराम मोरदिया : ....कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में जैसा खोईवाल साहब कह रहे थे कि हमने इनके खिलाफ कोई बात कही, खोईवाल साहब, हमने स्थगन प्रस्ताव में साफ लिखा था कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी चाहते हैं, राजस्थान के अन्दर एस.सी और एस.टी. के अधिकारियों के रिजर्वेशन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बात कहना चाह रहे थे । आप पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर एक सक्यूलर निकला 16.11. को....

श्री अध्यक्ष : वह बात कह दी उन्होंने।

श्री परसराम मोरदिया : खतम कर दी, ईमानदारी से खतम कर दी रिजर्वेशन ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । माननीय खोईवाल साहब बोले थे, और जानकारी में ला दें आप । बोलने दें । दस-दस मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा । पांच बजे समाप्त कर देंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अभी राजसमन्द से आए माननीय सदस्य, आप भी, और भी माननीय सदस्य अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सर्विसेज के सम्बन्ध में या और किसी बात के सम्बन्ध में आपको कोई शिकायत हो तो सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाए उसके बाद आप आ सकते हैं, मैं आपके साथ बात कर, बैठकर और उस पर विचार कर जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, करने को तैयार हूं ।

श्री परसराम मोरदिया : मुख्य मन्त्री जी, मैं सुबह गया था, आप पधार गये थे ।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारी कोई शिकवा-शिकायत होगी तो आप सभी को बुलवा लें । एक साथ आ जाएंगे, अभी सारे मैम्बर भी हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जब भी आना चाहें, आ जाएं ।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, आप बुलाएंगे जब आएंगे । चाय पर आप बुलाएंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं तो आज ही निमन्त्रण दे रहा हूं । (व्यवधान) विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाए, आपसे बात करके समय तय कर लेंगे ।

श्री परसराम मोरदिया : क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्य सचिव ? मीठालाल जी मेहता क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मीठालाल जी मेहता वो ही कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं । (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : नहीं, वह नहीं कर रहे हैं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ट्राइब का तो आपने फरमा दिया, ओसवालों के लिए कोई टाइम हो तो फरमा दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो ओसवाल और मेघवाल में भेदभाव करता नहीं हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर ज्यादा बात नहीं कहकर सुझावात्मक दृष्टिकोण से कुछ अपनी बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुखद नहीं है, अस्वस्थ है। इस आधार पर हमारी जो आय है,' नान टैक्स रेवेन्यू है, वह कैसे बढ़े इन प्रश्नों पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में मुख्य तौर से सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और खनिज विभाग, यह तीन ऐसे विभाग हैं जिनमें मेरी मान्यता है कि आज भी काफी लीकेज है। काफी अधिक आय हो सकती है। विपुल सम्पदा इस प्रदेश में मौजूद है। राजस्थान सरकार की स्पष्ट नीति के अभाव में अवैध खनन को राजनेताओं और अफसरों का जिस प्रकार से संरक्षण प्राप्त है, मेरी यह मान्यता है कि यदि व्यवस्था ठीक की जाए और ईमानदारी से अवैध खनन को रोका जाए और जिस तरह के जोड़ तोड़ से इस सम्पदा पर डाके राजस्थान में पड़ रहे हैं वह किसी तरह से ठीक हो, तो बहुत बड़ी आमदनी इसके आधार पर हो सकती है।

मैंने इस अवसर पर यह भी सुझाव देने का सोचा है कि प्रदेश में सिंचाई विभाग के जितने भी तालाब हैं उन तालाबों के रखरखाव की हालत तो बहुत खराब है ही पर उनकी आमदनी में भी काफी भ्रष्टाचार, घोटाला है, जब से राजस्व विभाग के जिम्मे यह काम दिया गया, आप पिछले आंकड़े उठा कर देख लें वह आमदनी आपको तीस से चालीस पर्सेन्ट के बीच में कम दर्ज हो रही है इसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे कुछ मामले हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। इस काम के लिए अर्थशास्त्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति बने ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कैसे बिना टैक्स लगाए आमदनी बढ़ सकती है। मेरा ऐसा अनुमान है कि वर्तमान व्यवस्था में लगभग दो हजार करोड़ का सुधार किया जा सकता है। इस बात को मैं अलग-अलग ढंग से कहने के बजाय जनरल कहना चाहता हूं कि अर्थशास्त्रियों को साल में एक-दो दफा चिन्तन के लिए, मुख्य मन्त्री जो, वित्त मन्त्री हैं, वह बुलाएं, बात करें, बजट से पहले भी चर्चा करें तो कई सुझाव इस प्रकार के आ सकते हैं। एक तो मेरा यह अनुरोध है।

दूसरा मेरा यह अनुरोध है कि जब तक हम हमारी सब योजनाओं को, ग्रामों के या शहरों के जो बेराजगार युवक हैं उनको रोजगार कैसे सुलभ करा सकें, इससे नहीं जोड़ेंगे तब तक देश में अशान्ति, बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। नारा तो हमने पहले भी दिया, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, पर यह नारा केवल चुनावी नारा बनकर रह गया। आज खेतों को पानी नहीं मिल रहा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है और हाथ को काम नहीं मिल रहा है। तो इस आधार पर सारे विभागों का समन्वय किया जाए। आज खनिज विभाग के माध्यम से ऐसी नीति बनायी जाए तो हजारों नये लोगों को उसमें रोजगार सुलभ हो सकता है। पर इसमें एकाधिकार की प्रवृत्ति, पैसे वालों की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जो नये लोग इसमें काम करना चाहते हैं, रोजगार नवयुवकों को उपलब्ध नहीं हो पाता है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना में इस प्रदेश में इतना लक्ष्य निर्धारित हुआ, इतना पैसा मिला, इस सबके बावजूद हम चयन नहीं कर पाते हैं, उनको पैसा समय पर नहीं मिलता है। लोग फिर-फिरकर परेशान हो जाते हैं। उस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह रोजगार को बढ़ाने में काफी उपयोगी हो सकती है।

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, ग्रामों में उद्योग धंधों की, कुटीर उद्योग की और औद्योगिक दृष्टि से काफी सम्भावनाएं मौजूद हैं, पर ढंग से सारा काम नहीं हो रहा है। आज भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक नगर, जो देश के औद्योगिक मानचित्र पर इतना उभरा हुआ है, में पोलीटेक्निक महाविद्यालय नहीं है। हजारों लोग वहां इन्जीनियर बन सकते हैं। काफी टैक्सटाइल इन्जीनियर वहां हैं, टैक्सटाइल के उद्योग में कई प्रकार की उनको डिग्रियां वहां मिल सकती हैं और उसके आधार पर वह अपना काम चला सकते हैं मगर राजस्थान की सरकार का उस तरफ भी ध्यान नहीं है। आज भीलवाड़ा में लड़के-लड़कियां इस बात पर सड़कों पर आए हुए हैं कि वहां उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। आपने मापदण्ड तय किया उसके आधार पर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। वह संख्या बढ़ाने के लिए मांग करते हैं। वहां के दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने यह लिखा है राजस्थान सरकार को कि वर्तमान व्यवस्था में यहां सीटें बढ़ा दी जाएं तो हम प्रवेश दे सकते हैं। उसके लिए आज आठ दिन से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। युवकों में बहुत ज्यादा असन्तोष है। मैं समझता हूं इस प्रकार के मामलों में सरकार को संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

वर्तमान में आपकी मितव्ययता की बातें बहुत चलती हैं। कोटा से आने वाले मंत्री महोदय, चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और मितव्ययता की बहुत लम्बी चौड़ी बातें हुईं। उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है वह तो हमें मालूम नहीं पर मैं यह कह सकता हूं कि उस कमेटी के बनने के बाद प्रशासनिक खर्चा पहले से अधिक बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर आप मंत्रियों के टेलीफोन और पैट्रोल का हिसाब लगाकर देख लें। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में कई प्रकार के अपव्यय हो रहे हैं उन सबको रोका जा सकता है। उससे हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक की जा सकती है पर उस तरफ भी हमारा ध्यान जाता नहीं।

इसके साथ-साथ हमको हमारे समाज की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं तय करनी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पड़ेगी। लोगों की आर्थिक समृद्धि किस तरह से बढ़ सके, लोग रोजी-रोटी कैसे हासिल कर सकें उसके लिए कुछ प्रमुखता हमको देनी पड़ेगी। दुनिया भर की हम योजनाएं चला रहे हैं, कई योजनाओं में अपव्यय हो रहा है, फालतू पैसा जा रहा है। सिंचाई और बिजली हमारी प्रायोरिटी है, कृषि हमारी प्रायोरिटी हो सकती है। पशुपालन का एक कार्यक्रम हमारे राजस्थान में कृषि के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। इन तीन चार प्रायोरिटी पर हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से लोगों में सम्पन्नता आए, गरीबी मिटे और लोग रोजगारोन्मुखी माध्यम से आगे बढ़ सकें।

इसके साथ शिक्षा, चिकित्सा और सड़क यह तीन आइटम मुख्य तौर से गांवों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इनके लिए प्रावधान ही हमारे पास अपर्याप्त हैं। अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि राजस्थान में सैकण्डरी स्कूलें कुल मिला कर डेढ़ सौ भी नहीं खोली जाएंगी। दो सौ निर्वाचन क्षेत्र हैं और, अध्यक्ष महोदय, आप पिछले तीन साल का हिसाब लगाकर देख लें, ऐसे-ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां तीन-चार वर्षों में एक सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खुली और ऐसे-ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर इन तीन-चार वर्षों में चार-चार, पांच-पांच, सात-सात खुल गये। तो असन्तुलन बहुत पैदा किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि एक स्पष्ट नीति बन जानी चाहिए। राजस्थान के प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर यह आपने अच्छा तय किया कि मिडल स्कूलें बनायी गयीं। अब उस दिशा में आप चल रहे हैं। अब जहां मिडल स्कूलें हैं 15-20 साल से, तो आप साथ-साथ यह भी तय कर दीजिये कि वहां सैकण्डरी स्कूलें स्थापित हों

(16.00)

ताकि हमारा क्रम बराबर चलता रहे और जो दो हजार तक हम सारे राजस्थान को साक्षर बनाने का दावा कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग उसमें शिक्षित हो सकें। इस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हमारे गांव में मिडल स्कूलों के लिए समाचार पत्रों की व्यवस्था की बात है, उसका बजट दिया जाता है और बजट देने के बाद आज तीन-चार वर्ष हो गये, उस पैसे का भुगतान नहीं हुआ, सारे अखबार बन्द हो गये। गांवों में जाते हैं, लोग अखबार की बात करते हैं तो। बच्चों और गांव वालों को वहां अखबार ही नहीं मिलते हैं। तो कई इस तरह की बातें हैं ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : संक्षिप्त ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आज मामला ऐसे ही हो रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : 15 मिनट में निपटा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो चुके हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : पांच में निपटा दूंगा। दो मिनट तो अब यूं ही चले गये।

अब मैं इस पर आना चाहता हूं कि शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था में कुछ सुधार लाया जाए। भवनों की हालत बहुत खराब है, जर्जर पड़े हुए हैं। शहरी नगरपालिकाओं के जो क्षेत्र हैं, वह भवन कभी भी गिर सकते हैं। वहां की स्थिति के बारे में कोई सोचा नहीं जाता है।

पेयजल के मामले पर मैं अब आना चाहता हूं। उस दिन डिमांड में हिस्सा नहीं ले सका। हमारे जिले में 600 से अधिक फ्लोराइड युक्त गांव हैं जहां पर काफी गम्भीर बीमारियां पैदा होती हैं। उसके लिए राजीव गांधी मिशन पर, माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा ध्यान दें, मेरा आग्रह है। भीलवाड़ा जिले के 600 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां खारा, फ्लोराइड का पानी है। उसके लिए हम बार-बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं। आप भीलवाड़ा जिले के लिए प्रोजेक्ट तैयार करके राजीव गांधी मिशन से या और कहीं से पैसा मिल सकता हो तो कृपा करके आप पानी की व्यवस्था कीजिए। आज पानी-पानी हम कर रहे हैं और कोटा के बाहर चम्बल नदी का पानी सारा बेकार जा रहा है। आप उस पानी को लाइए। वह पानी पीने के लिए भी काम में ले सकते हैं, सिंचाई के लिए भी ले सकते हैं। राजस्थान भूखा-प्यासा है, इस तरह की दूरगामी योजनाएं आप बनाइये जिसका परिणाम सामने स्पष्ट नजर आता हो।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आज कुछ जल्दी जाना चाह रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं भी जल्दी-जल्दी कर रहा हूं। मैं भी डर रहा हूं आपसे।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि ग्राम पंचायत जहाजपुर की किसी जमाने में योजना बनी पानी की। चालीस साल पहले की योजना आज तक रिवाइज नहीं हो पाई। पाइप खराब हो रहे हैं, ऊंची बस्तियों में पानी जाता नहीं है, उसकी आपकी कोई योजना तैयार नहीं है। चालीस साल पहले के जाहजपुर में और आज के जाहजपुर में तो चार गुना फर्क है। तो आप उस मामले में देखिये। बनास नदी पास में जा रही है। जयपुर में पानी लाने की चिन्ता है आपको बनास नदी से, वह हमारे सामने होकर जा रही है, लोग प्यासे बैठे हैं और फ्लोराइड युक्त खारा पानी पीना पड़ रहा है। तो कृपा करके वह देखिये।

अब मैं थोड़ी पंचायती राज पर चर्चा करके बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की सरकार ने भी ग्रामीण विकास के लिए खूब पैसा दे रखा है और हमारे राजस्थान की सरकार ने भी उसी के अनुरूप उसमें पैसा मिलाकर के इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा पैसा दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत चिन्ता का विषय है, आप किसी से इसका अन्वेषण करवा लें, जांच करवा लें, दिल में तो आप भी जानते होंगे कि चालीस

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पर्सेन्ट पैसा सही ढंग से लग रहा है, 60 पर्सेन्ट जेबों में जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं गारण्टी से कह रहा हूं चाहो तो मैं साबित करवा दूंगा, 60 पर्सेन्ट पैसा हमारे देश का गांवों के विकास में नहीं जा रहा है, जेबों में जा रहा है। एक जे. ईएन. इतना बड़ा अधिकार रखता है, जितनी चाहो, जैसी चाहो आप एम. बी. मरवा लो, उसके पर्सेन्टेज तय हैं, उसका पेमेन्ट हो जब तक के सारे पर्सेन्टेज तय हैं। विकास कहां हो रहा है? आप इन्दिरा आवास की बात कहें, बिना पैसे एक योजना नहीं जो गरीब को पैसा मिल रहा हो कहीं। यही हकीकत बात है। यह मुख्य मंत्रीजी भी जानते होंगे और जितने भी मंत्रिगण हैं, अपने इलाके में फिरते हैं, जानते हैं सब। इसमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। इसलिए यदि वास्तव में समग्र विकास गांवों का, गरीबों का करना है तो गांव और गरीब को गणेश मानने वाली सरकार के लिए यह चुनौती है कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करे। अभी बहुत चर्चा चल रही थी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार बढ़ नहीं रहा है? इसलिए इसमें बार-बार विवाद नहीं हो रहा है, वह इसलिए नहीं हो रहा है कि राजस्थान से विकास के साथ भ्रष्टाचार का विकास भी बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी : समाप्त कर रहा हूं। थोड़ा सा एक दो मिनट और बालूंगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया बहुत।

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायती राज की हालत बहुत खराब है। इसमें आर. ए. एस. विकास अधिकार जब तक नहीं देंगे। काम नहीं चलेगा योजनाएं बहुत बन गयीं, फण्ड्स बहुत बढ़ गये, कार्यक्रम बहुत बढ़ गया। यह वर्तमान जो शिक्षा प्रसार अधिकारी और पशुपालन अधिकारी हैं इनके बूते का रोग नहीं है। इसलिए इसमें अभी फिलहाल व्यवस्था नहीं हो, तो सम्बन्धित एस. डी, ओ. या बी. डी. ओ. को बना करके उसके नीचे सहायक बी. डी. ओ., जो वर्तमान में हैं, लगाकर के इस व्यवस्था को ठीक किया जाए तो यह काम बिलकुल ठीक चल सकता है। पंचायत सेक्रेटरी की बात वहां पर चलती है। सेक्रेटरी के बिना हालत यह हो रही है, अध्यक्ष महोदय, 6-6 महीने से पंचायतों की मीटिंग नहीं हुई। हमारे इलाके की ऐसी पंचायत हैं जहां के पंचों ने बार-बार सरकार को लिखकर दिया कि न तो यहां ग्राम सभा हो रही है न पंचायत की बैठक हो रही है, न सेक्रेटरी मिलता है और न कुछ हो रहा है। इन सब बातों को हम देख ही नहीं रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन राजस्थान में पंचायत राज में हुआ, उसका सुखद फल गांव के लोगों को महसूस नहीं होता है। केवल भ्रष्टाचार का विकास जरूर हुआ है। अकाल में फर्जी मस्टररोल भरे जाते हैं। अच्छे

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आदमियों को बिना किसी कार्यवाही के हटा करके वहां कमेटियां बना दी गयीं। कमेटियों वाले भ्रष्टाचार खूब बढ़ा रहे हैं। एस. डी. ग्रो. ने कहा कि पहले जो काम कर रहे थे उन पर कोई आरोप ही नहीं है। उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने आ गयी। ऐसे भ्रष्टाचारियों को लाने के लिए निर्वाचित संस्थाओं के स्थान पर ऐसे भ्रष्ट लोगों की कमेटियां बना करके सारा काम बिगाड़ रखा है। अजमेर जिले की यह हालत है, भीलवाड़ा जिले की यह हालत है, पूर्वी राजस्थान में होगी, मुझे मालूम नहीं। तो इस प्रकार के पंचायती राज के कारण आज गांव में विश्वास पैदा हो रहा है। दो-ढाई साल में नियम बनाने की कोशिश की, मैं भी कमेटी में गया, बना रही है, वह कब तक आएंगे, मुझे मालूम नहीं। आज पंचायती राज की जो दुर्व्यवस्था है इसके कारण गांवों में काफी निराशा का वातावरण पैदा हो रहा है। उसका समाधान कहीं नजर आता नहीं है। इसलिए पंचायती राज को सशक्त बनाया जाए, इसको अधिकार दिये जाएं और बिजली की व्यवस्था को ठीक करके किसानों को कनेक्शन जल्दी से जल्दी मिले, इस तरह की व्यवस्था आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, कुल जनसंख्या राजस्थान की 4 लाख..., 4 करोड़

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 4 करोड़ 65 लाख है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर कम बतायी तो आपको तो फायदा ही रहा। 4 करोड़ 65 लाख की जनसंख्या में चीफ सैक्रेटरी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक की जो फौज राजस्थान सरकार ने इकट्ठी कर रखी है उसकी संख्या 6 लाख है। कुल मिला करके कर्मचारी और आफिसर्स की तनख्वाह पर राजस्थान जो टोटल रेवेन्यू अपने स्टेट में इकट्ठी करता है, उसका 85 पर्सेन्ट पैसा चला जाता है। क्या तो यह बजट पेश करें, क्या यह केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल कर वहां से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की हैसियत रखें। यह तो वह है जो कि आपको देना ही देना है। वह ऑफिसर साल भर मेडिकल की छुट्टी पर रहे, गायब रहे, हाजीरी लगा दें कर्मचारी गायब रहें, कुछ भी कर लें लेकिन यह 85 पर्सेन्ट आपका स्टेट रेवेन्यू का पैसा तो वह लेगा ही लेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर यह पियूष पे कमीशन आ गया तो हालत क्या होगी ? हालत वही होगी +++ यह हाल होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि यहां पर मंत्रियों में आदरणीय शर्मा साहब मौजूद

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हैं, शर्मा साहब, आपने एक तो बहुत इनायत की कि 38 रुपया प्रति व्यक्ति....

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे आप मंत्री नहीं मानते हैं क्या ? मैं भी मंत्री हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको मंत्री तो मानता हूं लेकिन आप गृह मंत्री हो और मैं अभी स्वायत्त शासन मंत्री जी से बात करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। आप चूंकि पुलिस में हो, कृपया अनुशासन बनाए रखो। 38 रुपये आपने देकर उपकार किया। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि 38 रुपये ही तो आप निगम को दें, 38 रुपये ही तो... (व्यवधान) भाई साहब, सदन में बैठे हो या क्या कर रहे हो ? खेतसिंह जी, यह चीफ व्हिप हैं आपने, आप देखिये, यह भी दस्तखत करवा रहे है।

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 38 रुपये आपने निगम को देना तय किया, नगर परिषद् को देना तय किया और छोटी नगरपालिकाओं को देना तय किया। मेरा आपको यह निवेदन है कि सरवाइबल नगरपालिकाओं का बड़ा डिफिकल्ट होता है। निगम के पास फिर भी कुछ सोर्सेज होते हैं। हो सकता है एक या दो महीने उनको तनख्वाह की तकलीफ हो जाए, हो सकता है 6 महीने उनके डवलपमेंट के काम नहीं हो पाएं लेकिन फिर भी उनके पास इतने संसाधन होते हैं और अगर होशियार हो तो वह अपना सरवाइबल आराम से कर सकते हैं। 38 रुपये की उनको इतनी आवश्यकता नहीं है। सरवाइबल की छोटी नगरपालिकाओं को आवश्यकता है क्योंकि उनके पास तो चारा नहीं है, कोई आमदनी नहीं है। आपके द्वारा दी गयी सहायता और छोटी-मोटी चुंगी की जो आमदनी हो जाती है उससे वह तनख्वाह बांटते हैं। उल्टा यह है कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट जो बना हुआ है आपका, वह नगर निगम पर भी लागू है, परिषद् पर भी लागू है, छोटी पालिका पर भी लागू है, और बीच की पालिका पर भी लागू है। बेसिक फैसिलिटीज जो भी अरबन एरिया में रहेगा, चाहे वह नागरिक जयपुर का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे इन्द्रगढ़ का हो, चाहे केशोरायपाटन का हो, चाहे सीकर में एक पालिका है लोसल, कहीं का भी हो बेसिक फैसिलिटीज उसको देनी पड़ेगी एक्ट के तहत में। वह नहीं दे पाए, इसलिये अगर आप इसमें फर्क रखते, मेरे हिसाब से यह अच्छा रहता। सरवाइबल का प्रश्न होता, बेसिक एमिनिटीज आपको एक्ट के तहत देनी पड़ेगी, म्युनिसिपैलिटी चाहे छोटी या बड़ी हो। जहां तक बड़ी नगर परिषदों का और नगर निगमों का सवाल है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन गयीं, अनआथोराइज्ड बन गयीं, बगैर नक्शा पास किये हुए बन गयीं, आपकी जानकारी में हैं, 20 साल हो गये, आप उसको तोड़ नहीं सकते और न आवागमन में कभी अवरोध

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पहुंचाती हैं। आप कम्प्रोमाइज का अभियान क्यों नहीं चलाते हो और पैसा क्यों नहीं इकट्ठा करते हो। आपके पास कम्पाउण्डिंग आफेंसेज का बाकायदा रूल्स में प्रोविजन है। नियमन कराएं, अभियान चलाएं और उनसे पैसा वसूल करें। जो रेजीडेंशियल बिल्डिंग्स आज कार्मशियल हो गयीं, उन्हें आप क्यों छोड़ते हैं। क्यों नहीं पैसा वसूल करके सरकार के डवलपमेंट के लिए प्रयास करते हैं। आप हर बड़ी परिषद को यह डायरेक्शंस दीजिए। छोटी परिषदों में ऐसे केसेज आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं कोटा से आता हूं और यह कोटा के विधायक विराजमान हैं, वहां पर इतनी बिल्डिंग्स अनआथोराइज्ड बनीं, नक्शे के विपरीत बनीं, क्या कर लिया? आज अगर नगर निगम चाहे, सरकार की मंशा हो, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थीं, जो आज कार्मशियल में कन्वर्ट हो गयीं उनका आप नियमन करें बाकायदा कानूनी तौर पर। देखिये, अगर अदालत में वह चले गये तो आपको पैसा बहुत कम मिलेगा। अगर आप कम्प्रोमाइज करेंगे, समझौता करेंगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। उनके सरवाइवल का प्रश्न नहीं रहेगा। आपको 38 रुपये भी ऐसी म्यूनिसिपेलिटीज को देने की जरूरत नहीं रहेगी और ऐसी नगर निगमों को....

श्री अध्यक्ष : आप क्या समाप्त कर रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बल्कि कन्वर्शन का पैसा देना पड़ेगा। कौनसे कानून में है? नहीं, साहब, मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर बोलिये ना आप। आज आपको इतना देखकर बोलना पड़ रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आलोचना नहीं रहा हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं, (व्यवधान) नहीं, यह टोका-टोकी कर रहे हैं। अब मोटवानी साहब जैसे एडवोकेट यह पूछें कि रेजीडेंशियल से कार्मशियल में कन्वर्ट करते हो, तो कुछ पैसा देना पड़ता है, तो इनको समझाऊंगा तो सही।

श्री किशन मोटवानी : म्यूनिसिपेलिटी के कौनसे एक्ट में है? 74 क में....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, कोई बात नहीं। आप दोनों एक दूसरे को समझ गये हैं। अब चालू करें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सदन खतम होते ही शाम को बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह आप देख लेना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बोल रहे हैं, मुझे शाम को....

श्री कालीचरण सराफ : मोटवानी जी, शाम को इनके पास मत जाना। (व्यवधान)।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रेट प्रेस्क्राइब्ड है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनको बोलना है उनको बोलते नहीं हैं शाम को चलने के लिए। हिम्मत है तो दो न्यौता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस रेट के हिसाब से बाकायदा एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है। अगर रेट के हिसाब से आप चलेंगे, कम्प्रोमाइज करने का एक अभियान चलायेंगे तो बहुत अच्छा पैसा उनके पास पहुंचेगा। अब यह कई चीजें हैं, ठेले पर आपने टैक्स लगा रखा है, बैलगाड़ी पर टैक्स लगा रखा है, रिक्शे पर टैक्स लगा रखा है, साइकिल पर टैक्स लगा रखा है। कभी आपने यह एक्जामिन करवाने की कोशिश की कि जितना पैसा इस तरह से आपको टैक्स के बतौर मिलता है उससे ज्यादा तो आपको वसूलने में खर्च कर देना पड़ता है। एबालिश कीजिए ऐसी चीजें, हटाइये इन्हें।

श्री नरपतसिंह राजवी : आप रेंट कण्ट्रोल एक्ट के बारे में सुझाव दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको फैमिली प्लानिंग के सुझाव देना चाहता हूं।

श्री नरपतसिंह राजवी : मुझे तो दे दिया; वह ठीक है। आप तो रेंट कण्ट्रोल एक्ट के बारे में बताइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह मुख्य मंत्री महोदय ने तो अपनाया, कृपया आप भी अपनाएं। उन्होंने लिखा कि अगर 25 जोड़े होंगे और सामूहिक विवाह में वह उतरेंगे, हजार-हजार रुपया एक-एक जोड़े को राजस्थान सरकार देगी। मैं इसको कतई अनावश्यक मानता हूं। किस बात का देगी ? शादी-ब्याह का ही देगी ? यह करोड़ों रुपया हम फैमिली प्लानिंग पर खर्च (व्यवधान) + + +

श्रीमती उजला अरोड़ा : समाज के अच्छे कामों को प्रोत्साहन देना आप बुरा मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सामूहिक विवाह में कभी सम्मिलित हुए हो....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं घर छोड़ जाऊंगा (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सामूहिक विवाह में कभी सम्मिलित हुए हैं ? ताम-झाम सब कुछ खतम, ज्यादा खर्चा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल साहब, माननीय सदस्य कहें, + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप उनको साहब रोकें तो सही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कमाल कर दिया आपने तो।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। आपको भी अच्छा लगता है; बार-बार + + + कहें इसलिये।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री नरपतसिंह राजवी : शांति जी, अगर रेंट कन्ट्रोल एक्ट के बारे में आप कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : करोड़ों रुपये आप फैमिली प्लानिंग की पब्लिसिटी पर खर्च कर रहे हैं। और होता क्या है? एक सुखी दम्पत्ति चाहे वह 35 साल के नीचे हो, चाहे 30 साल के नीचे हो, खुशी-खुशी आते हैं और कहते है कि इन्सेन्टिव 10 हजार रुपये दो, हम फैमिली प्लानिंग करवाने को तैयार हैं, हसबैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी या दोनों, क्या दिक्कत है। करोड़ों रुपया आज आप खर्च कर रहे हैं। आप हजार-हजार रुपये ब्याह कराने के लिए दे रहे हैं। यह गरीबों का देश है। इस गरीबों के देश में एन्टरटेनमेंट का इसके अलावा कोई चारा नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नहीं जानते कि अच्छा क्या है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह सब गड़बड़ है, छोड़िये आप इस बात को।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : समाज के उपकार को आप कभी नहीं समझेंगे। करोड़ों रुपये तो ताम-झाम पर खर्च कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर एक गरीब युगल दम्पत्ति व्यक्ति को आपने 5 हजार रुपया, 10 हजार रुपया इन्सेन्टिव देना चालू किया तो लाइन लग जाएगी। यह जनसंख्या की प्राब्लम इतनी जबरदस्त है कि सारे आपके विकास के काम और सारा बजट और सारी की सारी चीजें बढ़ी हुई जनसंख्या फेल करती हुई जा रही है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिसको कि हर आदमी मानता है। इसमें कोई दोराय नहीं है। इसको कड़ाई से जब तक आप लागू नहीं करोगे तब तक उन गरीब व्यक्तियों को लाभ नहीं होगा। आज खुशी की बात तो यह है कि जो आदमी पढ़ लिख गया उनके यहां तो फैमिली प्लानिंग अपने आप उन्होंने अपनाने की कोशिश की....

श्री अध्यक्ष : हो गया खतम आपका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 10 ही मिनट हुए हैं। अब हमने तो 50-50 मिनट तक दूसरों को बरदाश्त किया है।

श्री अध्यक्ष : अब वह सुना है पर वह आज थोड़ा....

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, साहब, वह तो 5 बजे से पहले लोकसभा में बजट नहीं होता।

श्री परसादीलाल मीणा : साढ़े 4 बजे से है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नहीं उधर से एक और बोल देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एल. पी. जी. पर दाम बढ़ गये, डीजल पर बढ़ गये और पेट्रोल पर बढ़ गये। आज आप केरल की सरकार को ले लें, तमिलनाडु की सरकार को ले लें, उन्होंने जो अपने टैक्सेज थे, चाहे वह सेलसटैक्स थे। या दूसरे, वह कम कर दिये। आप भी कुछ कम करो। दो राहत। दो राहत, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर उनसे कहना चाहता था और वह सदन से चले गये। लेकिन यहां पर फाइनेन्स को देखने वाले आला अफसर भी बैठे हुए हैं और मंत्री भी बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके सेलस टैक्स की जितनी भी राजस्थान के बोर्डर की चौकियां है, उन पर ऐसे अफसर लगाइये और ऐसे कर्मचारी लगाइये जिनको कि व्यक्तिगत रूप से आप जानते हों, जिनकी इण्टिग्रिटी, जिनकी ईमानदारी और जिनकी कार्यकुशलता पर आपको भरोसा हो। क्योंकि जो सारी की सारी चोरी सेलसटैक्स की होती है उसमें से कम से कम 30 या 40 प्रतिशत चोरी बोर्डर पर होती है।

एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाह रहा था, आदरणीय चतुर्वेदी जी साहब, आप यह देखिये कि अगर एक फार्मर अपने यहां पर ट्रैक्टर लेने के लिये, ट्रैक्टर परचेज करने के लिए लोन लेने जाता है तो चाहे वह सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक में जाए, चाहे भूमि विकास बैंक में जाएं, उसकी टोटल लैंड होल्डिंग को मोर्गेज कराया जाता है और इसके विपरीत आप देखें सीधी-सीधी बात। अगर एक बिजनेस मैन कोई मशीन लेने के लिये जाता है या कोई इंजन के लिये बैंक में जाता है तो वह पर्टीकूलर मशीन और पर्टीकूलर इंजन ही उसका मोर्गेज होता है। यानि कि मेरे पास अगर 100 बीघा जमीन है और मैं 100 बीघे का खातेदार हूं और मेरी जमीन की मार्केट वैल्यू कम से कम 40 लाख रुपये है तो 40 लाख रुपये की जमीन मुझे सिर्फ दो या ढाई लाख रुपये के ट्रैक्टर के लिए गिरवी रखनी पड़ेगी लेकिन अगर मैं एक एयरकंडीशन मशीन लेता हूं और उसकी कीमत मान लीजिए 10 लाख है तो सिर्फ वह 10 लाख की मशीन ट्रैक्टर के लिए मोर्गेज रखनी पड़ेगी। इस कानून में परिवर्तन कीजिए। दो लाख रुपये के ट्रैक्टर के लिए मेरी आप 40 लाख रुपये की जमीन गिरवी रख लेते हो। वहां गिरवी रखने की वजह से वह कोई दूसरा ऋण नहीं ले पाता, लैण्ड का डवलपमेन्ट नहीं कर पाता। यह किसानों के हित की बात है। जरा इसको गौर से देखकर इसमें तबदीली करवाइये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, साहब, एक बात और रह गयी।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने काफी कंसेशन दिये। मुख्य मंत्री महोदय, आप पधार ही गये हैं, एक बात आपने पैरा 153 में लिखी है कि थर्मल प्लांट से निकलने वाली फ्लाई एश भी भारी प्रदूषण का कारण बनी हुई है। हम लोग उससे पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित हैं और वह समस्या आपके वक्त से नहीं है, कांग्रेस के जमाने से है। न कांग्रेस कुछ कर पाई और न आपकी सरकार कुछ कर पाई ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आप पीड़ित हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और न आशा है कि आप कुछ कर पाएंगे। मेरा सुझाव है कि ईंट बनाने के लिए यह फ्लाई एश काम आती है पर जब तक आप ईंट बनाने वाले कारखानों को फ्री आफ चार्ज लेण्ड नहीं देंगे और बिजली भी फ्री आफ चार्ज नहीं देंगे तब तक उनको पड़ता नहीं खाता और दूसरा कोई इस फ्लाई एश को उठाने वाला नहीं है। आपने वह एरिया अभी तक देखा नहीं हैं, जब कभी आप कोटा पधारें तो उस एरिया को आप जरूर देखें। जो बड़े बड़े तालाब थे मीलों वाले, वे सब भर गये हैं पूरी तरह से और आज हालत यह हो गयी है कि फ्लाई एश को ले जाना वाला कोई नहीं है। आज आप करोड़ों रुपयों का ठेका दे दें तो भी उस फ्लाई एश को उठा कर डालने वाला नहीं है। इतनी जगह भी नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा।

जो कंसेशन आपने आज इस बजट में दिये हैं यह सोच कर ही दिये होंगे कि उनका इफेक्ट कंज़्यूमर पर पड़ेगा। कंज़्यूमर को चीजें सस्ती मिलेंगी तभी आपने कंसेशन दिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कम से कम 7-8 चीजें, ज्यादा तो नहीं क्योंकि वक्त मुझे कम देंगे....

श्री अध्यक्ष : कम कहां से दूंगा, आपने तो वैसे ही ज्यादा ले लिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कल भी बुलवाएंगे ना मुझे। जैसे ट्रैक्टर के टायर ट्यूब पर आपने 6 पर्सेण्ट से 4 पर्सेण्ट किये। मुख्य मंत्री महोदय, 6 पर्सेण्ट से 4 पर्सेण्ट ट्रैक्टर के टायर ट्यूब पर किये। किन्तु एक पैसा कम नहीं हुआ। 6 पर्सेण्ट जो टैक्स आप लिया करते थे अब आपने 4 पर्सेण्ट कर दिया टायर ट्यूब्स पर लेकिन कंज़्यूमर को एक नये पैसे का भी बेनिफिट नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से डीजल इंजन और पानी के पम्प पर, और उसके पार्ट्स पर भी आपने 10 से 2 पर्सेण्ट किये। आप मालुम करवा लीजिए मार्केट में भेज कर, कंज़्यूमर को कोई फायदा उससे नहीं हुआ। ट्रेडर्स को फायदा हुआ। आज ट्रेडर उतने के उतने ही दामों पर बेचता जा रहा है। कंज़्यूमर को यह भी पता नहीं कि वाकई यह कम कर दिया ताकि वह आग्र्यूमेंट कर सके ट्रेडर से व बिजनेसमैन से कि कम हुआ तो मुझे कम में दो। ठीक इसी तरीके से डिजिटल घड़ियों की बात है।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

75 रुपये से नीचे की घड़ियों पर आपने 6 पर्सेण्ट से 4 पर्सेण्ट किया लेकिन कोई राहत नहीं । और बर्फ का मामला तो राठौड़ साहब को मालूम है, भाटी साहब के यहां परसों पार्टी थी, पांच रुपये किलो में बर्फ आई है । पांच रुपये किलो में ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी थे उसमें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, मैं नहीं था, मैंने आपसे ही सुना है । कत्था को ले लीजिए, पोस्त-दाना को लीजिए, उपभोक्ता आज यह शिकायत करता है कि साहब, पहले से पैसा दो पैसा हमें ज्यादा ही देना पड़ रहा है, कहां का टैक्स कंसेशन हुआ है । ठीक इसी तरह से लोहे की कई चीजों पर, जैसे कड़े व खूंटियों पर 10 पर्सेण्ट से टोटल कर मुक्त कर दिया आपने आपकी तरफ से लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है कि लोहे के भाव में उनको तोल से बेचता है साढ़े पन्द्रह रुपये किलो के हिसाब से । उपभोक्ता को कोई फायदा नहीं हुआ । आपकी मंशा थी, आपने उपभोक्ता को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की लेकिन इस तरह का कोई प्रयास आपकी तरफ से नहीं हुआ कि यह देखे कि वाकई में उपभोक्ताओं को फायदा पहुंच रहा है या बीच में ही कोई बिचौलिया इस फायदे को उठा रहा है । आप सिनेमा घर का ले लीजिए ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिन्दु तो आपके समझ में आ गया ना ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह आपके समझ में आ गया, बजट का मामला है; यह वही समझेंगे । आपके समझ में नहीं आएगा । देखिये, सरकार को सुझाव दे रहा हूं, मुझे समझा लेने दो । जो बात मुझे आपको समझानी थी वह मैंने सुबह बोल दी थी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक बात पूछना चाहता हूं । धारीवालजी, एक बात जो आप कह रहे हैं कि नीचे तक परकोलेट नहीं हुआ, कंजूमर को उससे लाभ नहीं हुआ, मैं ऐसा समझता हूं जब तक प्राइस कंट्रोल नहीं होगा तब तक कैसे कर सकते हैं । इस बारे में आप भी विचार करो, आप सुझाव दो, मैं मानने के लिए तैयार हूं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बात आपने अब फरमायी है, आइन्दा में इस बारे में जो भी विचार मेरे आएंगे तो मैं लिख कर दूंगा आपको लेकिन जो बात मेरी नजर में आई, ध्यान में लाना उचित समझता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही है यह बात, मैं इसका कोई विरोध नहीं करता वास्तव में गवर्नमेंट ने जो टैक्स में रिडक्शन किया है that should go to the consumers. तो वह कंजूमर को नहीं मिल रहा है तो टैक्स रिडक्शन का कोई लाभ नहीं है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर फायदा क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस स्थिति में क्या प्रस्ताव है जिस प्रस्ताव के आधार पर हम कंजूमर को रिलीफ दे सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पिक्चर हाल का ले लीजिए। आपने कहा कि 31 मार्च, सन् 2000 तक जो भी नये पिक्चर हाल बनेंगे उन पर पांच वर्ष तक मनोरंजन टैक्स नहीं लगेगा। आपके इस अनाउंसमेंट के बाद में जयपुर के दो तीन पिक्चर हाल की रेट बढ़ गयी। जो पहले 20 लेते थे बालकोनी के वे 25 रुपये लेने लग गये। यह जयपुर की बात है। अब यहीं देख लीजिए कि यहां पर यह क्या हो रहा है। आपके सामने कुछ एक्जाम्पल इसलिए रखे हैं कि जिस टैक्स कंसेशन को आप सही नीयत से और वाकई उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए देना चाहते थे वह उन तक पहुंचा ही नहीं है। इसलिए मेरा फर्ज यह बनता था कि मैं इन बातों को आपके नोटिस में लाऊं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखिरी निवेदन यह कर रहा हूं। एक तो सरकार ने अपने खर्चे के बाबत कोई भी उच्च स्तरीय, उच्च शक्तिवाला खर्च आयोग नहीं बनाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : चतुर्वेदीजी की अध्यक्षता में बनाया था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चतुर्वेदीजी का बनाया पर उसका नतीजा क्या निकला। आपने तो क्या किया, आपने तो यह खाना-पूर्ति की है। गलत, बिलकुल गलत, कुछ नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय चुन्नीलालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं एक बात यह निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो आपने पेश किया बजट की दार्शनिक प्रणाली के बारे में मैं आपको चुनौती वाली बात कहता हूं और भाषण यहीं समाप्त करता हूं, एक दो मिनट की बात आखिर में निवेदन करूंगा, क्योंकि वह व्यक्तिगत आपसे ताल्लुक रखती है कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, गलत कहते हैं कि सही कहते हैं, इसका निर्णय आप करेंगे। बजट का दर्शन क्या है? साधारण शब्दों में मुझे इस बजट का दर्शन वर्णन करने के लिए कहा जाए, अध्यक्ष महोदय, तो मैं यही कहूंगा कि यह बजट कम से कम लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचने का बजट है। कुलमिलाकर इसका दर्शन यह है। मैं नहीं मानता इस बात को कि आपने इस बजट को पेश करके राजस्थान में बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मुख्य कारण यह है कि टालने वाली जो आपकी प्रवृत्ति है हर चीज में यूनाइटेड नेशंस में एक संगठन का नाम है यूनकटेड, यू.एन.सी.टी.ए.डी. ....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : इसको पूरा पढ़ो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + खतम कर रहा हूं फिर बाहर मिलेंगे, मिलते ही बात कर लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसको पूरा पढ़ो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : Under no circumstances मुख्य मन्त्रीजी, अखबारों में कई टाइम से पढ़ा जा रहा है लगातार मुल्तवी, मुल्तवी, मुल्तवी, मुल्तवी, छह बार तो मैं पढ़ चुका हूं। मैं नहीं मानता था यह इम्प्रेशन सचिवालय के आफिसर लेते हैं। आपको वे यूनकटेड कहते हैं और यूनकटेड कह कर वे क्या कहते हैं, इसको किस तरीके से समझाते हैं अण्डर नो सरकम्सटांसेज यू.एन.सी. अण्डर नो सरकम्सटांसेज, टेक एनी डिसीजन-टी ए.डी.यूनकटेड। छह बार विधायक दल की बैठक मुल्तबी कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। हो गयी बात। माननीय चुन्नीलालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : छह बार। और मन्त्रिमण्डल का विस्तार 100 बार कर चुके हैं। इन + + + का ध्यान रखे, साहब। यह इधर-उधर....

श्री अध्यक्ष : बिराजें। यह शब्द निकाल देना। बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो भी करना हो, कर करा कर छुट्टी करो।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज इट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, सैण्ट्रल बजट के लिए हम आज की इस सीटिंग को शार्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से साढ़े चार बजे एडजोर्न हो तो हम घर जाकर देख लें नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। सदन की कार्यवाही दिनांक 23 जुलाई, 96 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.30 बजे मंगलवार, 23 जुलाई, 1996 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

ग्राम पंडेर एवं गंधेर (भीलवाड़ा) में ड्रेनेज निर्माण

705. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार को जहाजपुर तहसील के पंडेर एवं गंधेर ग्राम में पानी के बहाव को रोकने के लिये वहां के निवासियों के वित्तीय वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कोई सुझाव प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार आस-पास के अतिक्रमण को हटवा कर तथा नाले के बहाव की रुकावट को दूर करवा कर सही निकास करने एवं बाढ़ की स्थिति को रोकने के उपायों पर विचार करेगी ?

(3) क्या सरकार पंडेर ग्राम में आने वाले पानी का जगह-जगह बहाव बदल कर तथा ड्रेनेज बना कर, उत्पन्न होने वाले खतरे तथा पानी के भराव की स्थिति को समाप्त करने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। सिंचाई विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी, हां।

(3) सिंचाई विभाग द्वारा इसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है।

बीसलपुर बांध परियोजना, टोंक के विस्थापितों को मुआवजा

706. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध परियोजना डूब क्षेत्र के गांवों में अधिकारियों द्वारा विस्थापितों से मिलीभगत कर मकानों, बाड़ों, पाइप लाइनों कुओं पेड़ों, आदि का भौतिक सत्यापन गलत निर्धारित कर सरकारी कोष से करोड़ों रुपये फर्जी तौर पर भुगतान लिये जाने के प्रकरणों की जिला कलक्टर, टोंक द्वारा जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो कब ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध परियोजना डूब क्षेत्र के विस्थापितों के प्रकरणों का निपटारा नहीं होने के कारण योजना की क्रियान्विति पर प्रतिकूल पड़ रहे प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने तथा फर्जी तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के प्रकरणों की शीघ्र जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकम्मल कार्यवाही करने

(श्री विष्णु मोदी)

का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कलक्टर टोंक द्वारा यह जांच दिनांक 17-10-94 से 22-10-94 तक करवाई गई थी। इस जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, सरकार द्वारा आदेशित जांच जारी है जो तीन माह में पूर्ण हो जाएगी तथा इस जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

(जांच प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उदयपुर सम्भाग में खाद्य सामग्री का वितरण

707. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर संभाग में भीषण अकाल की स्थिति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनाज का उत्पादन बहुत कम होने से इस क्षेत्र में खाद्य सामग्री की कमी है ?

(3) क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों से इस कमी को दूर करने के लिए राशन सामग्री की मात्रा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन सामग्री की मांग की आपूर्ति उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

ग्राम पंचायत बड़ोदिया (बांसवाड़ा) के निर्माण कार्य

708. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत बड़ोदिया, विकास अधिकारी पंचायत समिति, बागीदौरा एवं तहसीलदार बागीदौरा ने पंचायती राज अधिनियम, 269(2) व राजस्थान राज मार्ग अधिनियम, 1995 के नियमों का उल्लघंन कर स्टेट हाइवे नं. 4 की सीमा में स्वास्थ्य केन्द्र बड़ोदिया की चार दीवारी का निर्माण कार्य राहत कार्यों के अन्तर्गत कराया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि 40 श्रमिकों की स्वीकृति होने के बावजूद मौके पर दिनांक 15 फरवरी, 1996 से अब तक

(श्री भवानी जोशी)

15 श्रमिकों को ही लगा रखा है व अकाल के समय में 25 मजदूरों को मजदूरी से वंचित रखा गया ?

(3) यदि हां, तो क्यों व आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध कार्य करने वाले सरपंच, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार को निलम्बित करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों।

(5) उक्त कार्य के मस्टररोल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरपंच, ग्राम पंचायत, बड़ोदिया, विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं तहसीलदार, बागीदौरा ने पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 269(2) व राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। पूर्व के दरवाजे के पिलरों के अनुसार ही चाहर दीवारी के निर्माण का कार्य करवाया गया है।

(2) जी, नहीं। स्वीकृति के अनुसार ही श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया है।

(3) उक्त कार्य में कोई अनियमितता होना जाहिर नहीं होता है।

(4) जी नहीं। कार्य में कोई अनियमितता होना नहीं होने के कारण सरपंच, विकास अधिकारी व तहसीलदार को निलम्बित करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) उक्त कार्य के मस्टररोल की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उद्योगों हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण

709. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार औद्योगिकरण के नाम पर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृषि योग्य भूमि को छोड़कर अन्य भूमि उद्योगों के लिए अधिग्रहीत करने का विचार रखती है ?

(2) अब तक कितनी ग्रीन बैल्ट की भूमि का अधिग्रहण किया गया ?

(3) भूमि अधिग्रहण के मानदण्ड क्या हैं ?

(4) क्या सरकार इस कृषि भूमि के बदले में किसानों को अन्य जगह कृषि योग्य भूमि सस्ते दामों पर दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यथासम्भव अकृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जाता है। परन्तु जहां पर ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं हो अथवा औद्योगिक क्षेत्र के सन्तुलित विकास हेतु अकृषि भूमि के साथ कृषि भूमि को भी अवाप्त करना आवश्यक हो वहां कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण भी किया जाता है।

(2) अब तक रीको द्वारा कोई ग्रीन बैल्ट भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(3) रीको द्वारा भूमि का अधिग्रहण उद्यमियों की सम्भावित मांग तथा योजना को दृष्टिगत रखकर किया जाता है।

(4) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के उपरान्त खातेदार कृषकों को नियमानुसार मुआवजे का नगद भुगतान किया जाता है ताकि वे अपनी सुविधानुसार अन्यत्र भूमि क्रय कर सके। इसके अतिरिक्त किसानों को लाभान्वित करने हेतु दो निम्न योजनाएं लागू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है :—

ग्रामीण सुविधा विकास योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित गांवों में विकास हेतु परियोजनाएं एवं कल्याणकारी योजनायें जैसे सामुदायिक भवनों, पाठशालाओं के निर्माण, हैण्ड पम्पों का प्रावधान, जल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण बस स्टैण्ड आदि के निर्माण का प्रावधान है। विकास कार्यों में प्राथमिकता सम्बन्धित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंषा पर दी जायेगी।

जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की जाती है उनके कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा दक्षता संवर्द्धन योजना के क्रियान्वयन का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य जिन गांवों में भूमि अवाप्त की गई है उनमें प्रभावित परिवारों के पात्र सदस्यों को प्रशिक्षण और उनकी दक्षता को बढ़ावा दिया जाना है। योजना के क्रियान्वयन से वे परिवार लाभान्वित होंगे, जिनकी भूमि अवाप्त की गई हैं।

इन योजनाओं की क्रियान्विति हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजे की राशि का 1 प्रतिशत इस प्रयोजनार्थ स्थापित कोष में जमा कराने का प्रावधान किया गया है।

निगम की द्रुतगामी बसों में आरक्षण

710. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एक्सप्रेस (द्रुतगामी) बसों में आधी सवारी की सीट के आरक्षण करने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार द्रुतगामी बसों में आधी सवारी की सीट का आरक्षण करने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(195)

उत्तर

(1) जी, हां। आधी सवारी की सीट का आरक्षण किये जाने का प्रावधान है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सहायक अभियन्ता कार्यालय, उपखण्ड मेड़ता की कैश बुक निरीक्षण प्रकरण

711. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेड़ता शहर उपखण्ड के कार्यालय आदेश 219--2204 दिनांक 22 अगस्त, 1989 के तहत कनिष्ठ लेखाकार द्वारा जल योजनाओं की सबसीडरी कैश बुक निरीक्षित की गई थी ? यदि नहीं, तो उसमें हुई अनियमितता के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सहायक अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मेड़ता शहर उपखण्ड में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता जो कि ग्रामीण व शहरी जलप्रदाय योजनाओं पर जमा राजस्व को बैंक में दिनांक 01 सितम्बर, 1978 से लेकर 31 अक्टूबर, 1991 तक की अवधि की राशि समय पर जमा कराये जाने के लिए जिम्मेदार थे उनके द्वारा राजस्व समय पर बैंक में जमा नहीं कराये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित आदेश की अनुपालना में सबसीडियरी कैश बुक की जांच नहीं किये जाने के कारण जिन अधिकारियों को जिम्मेदार माना गया हैं उनके विरुद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

(2) उप खण्ड में कार्यरत तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा एवं अपील वर्गीकरण नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

ग्राम खुवाड़ा (जयपुर) में बांध का निर्माण

712. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कृषि सिंचाई हेतु कितने बांध, एनीकट हैं एवं इस वर्ष कितने नये बांध एवं एनीकट बनाये जाने प्रस्तावित हैं ?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के खुवाड़ा गांव में कोई बांध

(196)

(श्री रामचन्द्र रावत)

बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बूचारा बांध के ऊपर भी कई बांध और हैं और बूचारा बांध भी उन बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में आता है फिर भी यह बूचारा बांध बना है और कई बांध जलग्रहण क्षेत्र में बने हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कृषि सिंचाई हेतु 5 बांध व 15 एनीकट बने हैं । परिशिष्ट "अ" "ब" संलग्न है । इस वर्ष कोई भी नया बांध व एनीकट बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

(2) जी, नहीं । खुवाड़ा फतेहपुरा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में होने के कारण खुवाडा गांव में कोई बांध बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

(3) जी, हां । बूचारा बांध के ऊपर (जल ग्रहण क्षेत्र में) 9 बांध बने हुए हैं । बूचारा बांध उनके जल ग्रहण क्षेत्र में नहीं आता । बूचारा बांध वर्ष 1889 में बनाया गया था । पुराने बने बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में भी बांध बनने के उदाहरण है परन्तु इससे पुराने बांधों की जल आवक पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ।

परिशिष्ट-"अ"

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र (तहसील कोटपूतली) में बांधों की सूची :—

1. बूचारा बांध
2. बेरी बांध
3. पांचू डोला बांध
4. बनेडी बांध
5. दातिल का नाका

परिशिष्ट-"ब"

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र (तहसील कोटपूतली) में एनीकटों की सूची :—

1. बनेडी एनीकट
2. बडगांव एनीकट
3. ठाडा एनीकट
4. सारवाली
5. शुघलावास
6. मांकरी
7. पुरुषोत्तमपुरा
8. कुहाडा
9. जोधपुरा
10. बनाट एनीकट
11. मोजावास
12. मालीवास
13. रेडा
14. माज्यापुरा
15. कुचाहेडा

(197)

ग्राम पंचायत कोचरीया (भीलवाड़ा) में पदस्थापित ग्रुप सचिव

713. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति सूवाणा की ग्राम पंचायत कोचरीया में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से अब तक किस-किस को ग्रुप सचिव नियुक्त किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायत कोचरीया में इस समय कौन ग्रुप सचिव पदस्थापित है और चार्ज किसके पास है ? पूर्व ग्रुप सचिव से नये पदस्थापित ग्रुप सचिव को चार्ज क्यों नहीं दिलाया गया और अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व ग्रुप सचिव द्वारा एवं सरपंच द्वारा चार्ज नहीं देने के कारण कोचरीया पंचायत में चलाये जा रहे अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को लगातार चार माह से तीन माह तक का भुगतान नहीं हुआ है ? क्या यह भी सही है कि बाद में विकास अधिकारी, सूवाणा के हस्ताक्षर से रकम निकलवा कर भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति, सुवाणा की पंचायत कोचरीया में श्री फतेहसिंह ग्राम सेवक 1-1-96 के पूर्व से 2-3-96 तक ग्राम पंचायत के सचिव नियुक्त थे। दिनांक 22-3-96 को श्री फतेहसिंह के निलम्बन होने के पश्चात् दिनांक 20-6-96 से श्री प्रभुलाल वैष्णव ग्राम पंचायत कोचरीया का सचिव नियुक्त है।

(2) ग्राम पंचायत कोचरीया में इस समय श्री प्रभुलाल वैष्णव सचिव के पद पर कार्यरत हैं और रिकार्ड का चार्ज भी श्री प्रभुलाल वैष्णव के पास हैं। अधिकांश रिकार्ड का चार्ज दिनांक 6-7-96 को दिलाया गया है तथा दिनांक 7-7-96 को श्री फतेह सिंह पूर्व सचिव कोचरीया के खिलाफ एफ. आई. आर. भी दर्ज कराई गई है क्योंकि कुछ रिकार्ड अभी भी श्री फतेहसिंह के पास ही है।

(3) जी, नहीं। अकाल राहत कार्यों का भुगतान समय पर कराया गया है। अकाल राहत से भिन्न कार्यों का भुगतान विकास अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से विड्रा कर किया गया है।

ग्राम सारे खुर्द (अलवर) में स्थापित शराब कारखाना

714. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सारेखुर्द तहसील टपूकड़ा जिला अलवर में केडिया

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

ड्रग्स केमल्स लि. नाम से केडिया ग्रुप का शराब का कारखाना लगाया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त उद्योगों के लिए कितनी जमीन किस ग्राम में किस-किस किसान से कितनी-कितनी कीमत पर खरीदी गई ?

(3) भूमि की खरीद की रजिस्ट्रियां कितनी कब एवं कहां बैठकर की गई तथा उस अवसर पर कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे ?

(4) क्या यह सही है कि जिस दिन भूमि का पूजन किया गया उस दिन राजकीय शोक घोषित था ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि केडिया डगलस केमल्स लिमिटेड द्वारा ग्राम सारेखुर्द उप-तहसील टपूकड़ा तहसील तिजारा (अलवर) में एक अनाज पर आधारित डिस्टलरी स्थापित की जा रही है। जिसमें इकाई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रेक्टीफाईड स्प्रीट, ग्लूटान स्टार्च तथा पशु आहार आदि का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। इकाई उत्पादन में नहीं आई है। कारखाना निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य दिनांक 28-2-95 के पश्चात प्रारम्भ हुआ था।

(2) भूमि का क्षेत्रफल, ग्रामों के नाम, किसानों के नामों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) भूमि की रजिस्ट्रीयों के 74 दस्तावेज उप-पंजियक कार्यालय में एवं 59 दस्तावेज नियमानुसार मौके पर ग्राम सारेखुर्द में पंजीवृद्ध किये गये। पंजीयन के समय उप-पंजियक टपूकड़ा एवं उनके कर्मचारी उपस्थित थे।

(4) जी, हां। भूमि पूजन दिनांक 28-2-95 को किया गया था, उस दिन राजकीय शोक था।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम नुन्दड़ा (नागौर) की पेयजल योजना

715. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नुन्दड़ा में फ्लोराइड युक्त पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, जिससे वहां की जनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में शुद्ध पीने योग्य पानी के लिए दूसरा जल स्रोत बनवाकर पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उल्लेखित ग्राम क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बाकापट्टी से जुड़ा हुआ है जहां से

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्राप्त पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है। परन्तु स्रोत से उत्पादन में कमी के कारण ग्रामवासी अपनी आंशिक पेयजल की मांग स्थानीय स्त्रोत से पूरा करते हैं, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा कुछ अधिक है। परन्तु इससे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव प्रमाणित नहीं है।

(2) उचित स्रोत हेतु अन्वेषण किया जाकर योजना बनाई जा रही है, जिसे धन उपलब्धतानुसार क्रियान्वित करना सम्भव होगा।

जिला परिषद् नागौर की स्थाई समितियों के चुनाव

716. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिषद् नागौर का चुनाव कब हुआ तथा स्थायी समितियों का चुनाव कब हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित अवधि में जिला प्रमुख द्वारा स्थायी समितियों का चुनाव नहीं कराने पर बाद में जिला कलक्टर द्वारा कराया जाता है ? यदि हां, तो जिला परिषद्, नागौर के लिए अब तक इस सम्बन्ध में सी. ओ., जिला परिषद् व कलक्टर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि सी. ओ., जिला परिषद्, नागौर और जिला कलक्टर, नागौर ने इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला परिषद्, नागौर में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सदस्यों का निर्वाचन दिनांक 20-1-95 को कराया गया; तत्पश्चात् जिला प्रमुख का निर्वाचन दिनांक 13-2-95 को सम्पन्न कराया गया। जिला परिषद्, नागौर में स्थायी समितियों के चुनाव हेतु दिनांक 12-5-95 को बैठक आयोजित की गई थी किन्तु कोरम के अभाव में स्थायी समितियों के चुनाव नहीं हो सके।

(2) जी, हां। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (स्थाई समितियों का गठन) नियम, 1965 के नियम 3(5) में यह प्रावधान है कि यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो सम्बन्धित जिला कलक्टर बैठक आयोजित करेगा तथा उक्त बैठक में वे स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करेगा। पूर्व में दिनांक 12-5-95 को बैठक पीठासीन अधिकारी (सी. ई. ओ.) द्वारा

(राज्य मंत्री, ग्रामीण वि. एवं पंचा. राज)

आयोजित की गई थी जो कोरम के अभाव में स्थगित करनी पड़ी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्थायी समिति के चुनाव का विषय साधारण सभा की बैठक दिनांक 1-6-96 में एजेण्डा नं. 4 पर, विचार-विमर्श हेतु रखा किन्तु इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्थायी समितियों के चुनाव हेतु साधारण सभा की बैठक दिनांक 1-6-96 में प्रस्ताव रखा था जिस पर सदन में विचार-विमर्श बाद यह निर्णय लिया गया कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 57 (3) के अनुसार पांचवी स्थाई समिति के गठन हेतु जिला परिषद् को अधिकार निहित हैं परन्तु पांचवी स्थायी समिति का गठन किस विषय हेतु किया जावे, इस सम्बन्ध में सदन में निर्णय नहीं हो पाने से स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में जिला परिषद् की आगामी बैठक में विचार करने हेतु निर्णय लिया गया।

(4) राज्य सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर को यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि धारा 56 (2) की उपधारा (1) में उल्लेखित किसी भी समूह या समूहों में प्रमाणित नहीं किये गये किन्हीं विषयों के लिए एक पांचवी स्थायी समिति का गठन किया जाकर स्थायी समितियों के चुनाव शीघ्र कराये जायें।

ग्राम समलेटी (दौसा) का बम काण्ड

717. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले के गांव समलेटी में बम काण्ड हुआ था ? यदि हां, तो इसमें कितने लोग मारे गये ?

(2) इस बम काण्ड में मृतकों एवं घायलों के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ? दी गई सहायता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस प्रकार के बम विस्फोटों को रोकने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(4) उक्त बस बम काण्ड में टोडाभीम तहसील के कितने आदमी घायल हुए व कितने मारे गये तथा उनको सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस में बम विस्फोट हुआ था जिसमें कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें से दो की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

(2) निगम ने मृतकों के आश्रितों को देने हेतु प्रति मृतक 50 हजार रुपये कलक्टर दौसा को नोफाल्ट लायबिलिटी के

(राज्य मंत्री यातायात)

रूप में उपलब्ध करवाये हैं। इसके अलावा 28 गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को जिला प्रशासन ने 10-10 हजार रुपये की सहायता प्रदान की है। इसके अलावा सभी घायलों की निःशुल्क चिकित्सा कराई गई, जिस पर निगम ने करीब 50,000/- रुपये का खर्चा किया।

(3) समस्त पुलिस थानों व चौकियों को सतर्कता बरतने एवं गश्त बढ़ाने के निर्देश दे दिये गये हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम एवं जी. आर. पी. को बस स्टेण्डों एवं रेल्वे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था में सहायता की जा रही हैं। असामाजिक व संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर निगरानी रखी जा रही है। आम जनता में जागरुकता उत्पन्न की जा रही है कि लावारिश सामान आदि को स्वयं न छू कर पुलिस को तत्काल इत्तला दें। बसों आदि की चैंकिंग की जा रही है। एण्टीसबोटाज चैक व बम्म निस्तारण स्क्वाई गठित कर उनके लिए आधुनिक यंत्र भी क्रय किये गये हैं व किये जा रहे हैं।

(4) पुलिस अभिलेखों के अनुसार टोडाभीम तहसील का एक व्यक्ति घायल हुआ है। गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर में भर्ती किया गया था एवं इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई। शेष घायलों को उपचार के पश्चात् स्थानीय चिकित्सा केन्द्रों ने डिस्चार्ज कर दिया था, और ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई हैं। लेकिन ऐसा कोई केस सरकार के ध्यान में लाया जाता है, जिसमें गम्भीर रूप से घायल होने पर भी घायल ने स्वयं चिकित्सा करवाई हो, और अधिक खर्चा वहन किया हो, तो राज्य सरकार ऐसे मामलों में उपयुक्त वित्तीय सहायता देगी।

अजमेर रोड (जयपुर) स्थित बस्तियों की पेयजल योजना

718. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर-अजमेर रोड पर स्थित बस्तियों यथा, मोती नगर, गोविन्द नगर, भगवती नगर, हीरा नगर डी. सी.एम गोदाम, भाभा नगर बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है ? यदि हां, तो किन-किन में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इन बस्तियों में पीने के पानी का संकट है ? यदि हां, तो पीने के पानी के संकट को दूर करने हेतु क्या सरकार नल योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मोतीनगर के आंशिक भाग में पेयजल वितरण लाइनें डली हुयी है। शेष बस्तियों में हैण्ड पम्प स्थापित हैं। उल्लेखित क्षेत्र में भाभा नगर एवं भगवती नगर नामक बस्तियां नहीं पाई गई हैं।

(202)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी, नहीं। इन बस्तियों में हैण्ड पम्प स्थापित होने अथवा उपभोक्ताओं की स्वयं की पेयजल व्यवस्था होने के कारण पेयजल संकट नहीं है। जिन बस्तियों में सहभागिता योजना के अन्तर्गत कॉलोनी वासियों द्वारा आवेदन किया जायेगा, उन बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर, परन्तु धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।

ओडवाडिया बांध (चित्तौडगढ़) का निर्माण

719. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में ओडवाडिया बांध अपूर्ण है? यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम सांखल खेडा, बडकिया, सोमी व ओडवाडिया बीसलपुर कैचमेन्ट एरिये में आते हैं?

(3) यदि हां, तो ग्राम सांखल खेडा बांध, बडकिया बांध व सोमी बांध को स्वीकृति किस प्रकार दी गई?

(4) क्या सरकार इस वर्ष ओडवाडिया बांध को भी स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ओडवाडिया बांध पर अब तक कुल रुपये 9.51 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष व मदवार विवरण परिशिष्ट—"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) बीसलपुर बांध के द्रविक अध्ययन, वर्ष 1989, से पूर्व ही इन बांधों का निर्माण कार्य विभिन्न विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ करवाया जा चुका था।

(4) विचाराधीन है।

203

परिशिष्ट–"अ"

ओडवाडिया बांध पर विभिन्न वर्षों व मदों में खर्च राशि का विवरण

क्र सं.	वर्ष	खर्च राशि (लाख रुपयों में)	मद
1.	1983--84	2.59	अकाल राहत (एनआरइपी-द्वितीय)
2.	1984--85	0 02	--"--
3.	1985--86	0.10	--"--
4.	1986--87	3.39	--"--
5.	1987--88	0.47	आरएलइजीपी
6.	1988--89	1.02	--"--
7.	1990--91	1.88	जवाहर रोजगार कार्यक्रम
8.	1991--92	0.04	--"--

योग :-- 9.51 लाख रु.

ग्राम मूण्डरू (सीकर) में भूमि की नीलामी

720. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:_

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मूण्डरू तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की नीलामी की गई ? यदि हां, तो कब व कितने प्लाटों की कितनी-कितनी राशि में ?

(2) क्या नीलामी के पश्चात् पंचायत द्वारा राशि भी जमा की गई ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या इस कीमत में ग्राम पंचायत को प्लाट बेचने का अधिकार है ?

(4) क्या उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर पहले ही हरिजन काबिज हैं एवं उन्हें

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

पट्टे भी जारी किये हुये हैं ? यदि हाँ, तो क्या अब उन्हें बेदखल किया जाएगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम पंचायत मूण्डरू ने दिनांक 20.12.95 को 5 प्लाटों की नीलामी राशि क्रमशः 51,600/ 51, 200/ 60,000/ 50,100 एवं 52,600 में की गई है ।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी किये गये 5 प्लाटों के पेटे 61,000 रुपये जमा कराये गये हैं ।

(3) पंचायत के सामान्य नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत को आबादी भूमि विक्रय करने का अधिकार है, परन्तु नीलामी राशि 10,000 रुपये से अधिक होने के कारण विक्रय का अनुमोदन राज्य सरकार के स्तर पर करवाया जाना आवश्यक है । स्वीकृति हेतु पत्रावली राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ।

(4) नीलामी की कार्यवाही राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के तहत बने राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के अन्तर्गत की गई है ।

(5) जी नहीं । नीलामी की गई भूमि पर किसी हरिजन का कोई कब्जा नहीं है । ग्राम पंचायत के अनुसार उक्त भूमि पर पट्टे जारी नहीं किये गये हैं ना ही किसी का कब्जा है । अतः बेदखल किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

जिला दौसा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों हेतु यातायात व्यवस्था

721. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार यातायात सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों को यातायात सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है ?

(2) दौसा जिले में किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय को परिवहन सुविधा से जोड़ा जा चुका है एवं अब किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय को परिवहन सुविधा से जोड़ने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) किसी कस्बे, ग्राम पंचायत को परिवहन सुविधा उपलब्ध होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्थान किसी ऐसे मार्ग पर स्थित है जो वाहन आप्रेटर की दृष्टि में वायबल (viable) हो।

(2) दौसा जिले के परिवहन सेवा से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। दौसा जिले में कुल 225 ग्राम पंचायतों में से 114 ग्राम पंचायत मुख्यालय परिवहन सुविधा से जुड़े हुए हैं ।

205

परिशिष्ट "क"

दौसा पंचायत समिति क्षेत्र, परिवहन सेवा से

जुड़ी ग्राम पंचायतें

1. छारेडा
2. प्यारीवास
3. नांगलराजावतान
4. सैंथल
5. तीतरवाडाकलां
6. कुण्डल
7. कालोता
8. सिडोली
9. बिशनपुरा
10. बोरोदा
11. भांडारेज
12. भांकरी
13. कालाखो
14. गोठडा
15. चांदराना
16. नांगलबैरसी
17. जीरोताखुर्द
18. बापी
19. लवाण
20. बनियाना
21. ढिगारिया
22. खवारावजी
23. रजवास
24. हापावास
25. पापडदा
26. आलूदा
27. बडागांव
28. खानवास
29. मलवास
30. थूमडी
31. घरणवास
32. खानपुरा
33. खुरीकलां
34. कालीपहाड़ी

जयपुर विकास प्राधिकरण का भूमि अवाप्ति प्रकरण

722. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं कब-कब से क्रियान्वित की जा रही हैं तथा कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित ऐसी कौन-कौनसी योजनाएं हैं जिनके लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा चुकी है और भू-स्वामियों को मुआवजे का चुकारा कर दिया गया है ? कौन-कौनसी योजनाओं के लिए कितनी-

Page No. 207

(206)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कितनी भूमि अवाप्त की गई तथा किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अवाप्त की गई भूमियों, जिनके मुआवजे का चुकारा भू-स्वामियों को कर दिया गया है, का विधिवत् कब्जा प्राधिकरण ने ले लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण सूची "अ" तथा प्रस्तावित योजनाओं का विवरण सूची "ब" में संलग्न है।

(2) प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनायें जिनकी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा चुकी है सूची "स" संलग्न है। जिन भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया तथा जिनको मुआवजे का भुगतान किया जाना भूमि शेष है उनका पूर्ण विवरण संलग्न सूची "स" में दर्शा दिया गया है।

(3) जिन भू-स्वामियों को भूमि अवाप्त की गयी थी और मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया था, उनका विवरण सूची "स" में दर्शाया गया है। जिन भू-स्वामियों ने मुआवजे की राशि के चैक्स प्राप्त नहीं किये वे चैक नियमानुसार सिविल न्यायालय में जमा करवा दिये गये। शेष जिन भू-स्वामियों जिन्हें मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, वह स्थिति संलग्न सूची "स" से स्पष्ट है। चित्रकुट योजना पृथ्वीराज नगर योजना वृहत टर्मीनल से सम्बन्धित भूमि का कब्जा क्रमश: 30-10-83, 24-11-93 व 31-10-84 को भूमि अवाप्ति अधिकारी से लिया गया है। श्री चन्दा पुत्र महादेव हिस्सा 1/2 रामसहाय श्रीनारायण भोपाल पांचू पिता लाला हिस्सा 1/2 ख. न. 190, 119, 120 रकबा। बीघा 15 बिस्वा ग्राम चैनपुरा श्रीलालचन्द चौथू ग्यारसा पिता बोदू हिस्सा 3/5 श्री घासी मंगलाल पिता भूरझू हिस्सा 1/4 ख. नं. 121 रकबा। बीघा 13 बिस्वा ग्राम चैनपुरा तथा श्री कल्याण बाबूलाल पिता भौरिया के ख. नं. 130, 131 रकबा 2 बीघा तथा। बीघा 17 बिस्वा का कब्जा दिनांक 17-1-96 को लिया जा चुका है, जिसके मुआवजे के चैक बनाकर सिविल न्यायालय जयपुर शहर, जयपुर को भिजवा दिये गये हैं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पोटला एवं लाखोला फीडर (भीलवाड़ा) का निर्माण

723. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील की पोटला फीडर

(श्री रामपाल उपाध्याय)

तथा लाखोला फीडर का कार्य लम्बे समय से चल रहा है ? यदि हां, तो उनका कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और उन पर कितनी राशि व्यय की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दोनों फीडरों को जनहित में पूरा किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो उन पर कितनी कितनी राशि की (अलग-अलग) आवश्यकता होगी ? क्या सरकार इसी वर्ष इस अपेक्षित धन की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पोटला फीडर का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है जिस पर अब तक 13.50 लाख रुपये का व्यय हुआ है। लाखोला फीडर का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। अब तक इस पर लगभग 16.50 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

(2) जी हां। उक्त दोनों फीडरों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लाखोला फीडर पर 5.00 लाख रुपये की और स्वीकृति हुई है। यह फीडर इसी वर्ष पूर्ण हो जायेगी। अतः इस पर कोई अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं रहेगी। पोटला फीडर पर लगभग 15.00 लाख रुपये का कार्य बकाया रहेगा, जिसे आने वाले वर्षों में विशिष्ठ योजना के कार्यक्रमों जैसे जवाहर योजना, आश्वासित रोजगार योजना (ई. ए. ऐस.) आदि के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

पंचायत समिति आहोर एवं जालौर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

724. श्री भगराज चौधरी (आहोर): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, आहोर एवं जालौर की प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापकों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बे समय से रिक्त पड़े इन पदों पर शीघ्र अध्यापक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, जालौर एवं आहोर में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची निम्न प्रकार है :—

अवधि	पं. स. जालौर रिक्त पद	पं. स. आहोर रिक्त पद
7/95	27	62
9/95	38	65

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं. राज)

1	2	3
12/95	28	60
3/96	26	70
5/96	34	70

(2) जी हां। विज्ञापन जारी कर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है।

नगरपालिका कुचामन सिटी द्वारा सड़क निर्माण

725. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी में कपड़ा बाजार के सामने कोई सार्वजनिक सड़क व जमीन है ?

(2) क्या कपड़ा बाजार में सरकार ने सहभागिता योजना के तहत नगरपालिका द्वारा निजी फण्ड से रुपये जमा कराकर सड़क बनाने की कार्यवाही कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो नगरपालिका के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल सड़क है।

(2) जी नहीं। निर्माण शुरू नहीं किया है।

जिला पाली का बंडल बाढ़ बचाव कार्य

726. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 एवं अब तक सिंचाई विभाग द्वारा पाली जिले में कितने बाढ़ बचाव कार्य स्वीकृत किए गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिंचाई विभाग द्वारा बंडल बाढ़ बचाव कार्य स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उसके निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई तथा कितना कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि बंडल बाढ़ बचाव कार्य का लाभ एक व्यक्ति विशेष के फार्म हाउस की सुरक्षा के लिये किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इससे लाभान्वित क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 एवं अब तक सिंचाई खण्ड, पाली के कार्य क्षेत्र में कुल 31 बाढ़ बचाव कार्य विभिन्न मदों में स्वीकृत

(209)

(सिंचाई मंत्री)

हुए हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) जी हां। वर्ष 1994-95 में अकाल राहत 1994 (सम्वत् 20.50) के अन्तर्गत 1.00 लाख रुपये तथा वर्ष 1995-96 में अकाल राहत (सम्वत् 2052) के अन्तर्गत 3.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है तथा कार्य अपूर्ण है।

(3) जी नहीं। कार्य से खारी नदी में किनारे स्थित बैंडल ग्राम का सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र तथा ग्राम एवं नदी के मध्य स्थित सारी कृषि भूमि लाभान्वित होगी।

(210)

परिशिष्ट—"ब"

विभिन्न मदों के स्वीकृत बाढ़ बचाव कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	वि.वि
1	2	3	4	5
(अ)	वर्ष 95-96 में सुनिश्चित रोजगार में स्वीकृति कार्य			
1.	शिवसागर की ढाणी बाढ़ बचाव (बंटालिया)	मा0ज.	5.00	
(ब)	वर्ष 95-96 में जवाहर रोजगार (रक्षित) में स्वीकृत कार्य			
1.	बाढ़ से क्षतिग्रस्त बाढ़ बचाव कार्य लाम्बिया	पाली	0.489	
	वर्ष 1996-97			
1.	वरकाणा बाढ़ बचाव कार्य	रानी	2.789	
(स)	अकाल राहत में स्वीकृत कार्य (95-96)			
1.	लुहारो का बेरा बाढ़ बचाव	सोजत	5.00	
2.	जोजावर बाढ़ बचाव	मा0ज0	2.00	
3.	घनला बाढ़ बचाव	"	2.00	

1	2	3	4	5
	वर्ष 1996-97			
1.	खैरवा बाढ़ बचाव	पाली	3.50	
2.	खुटाणी बाढ़ बचाव	रोहट	3.00	
3.	माण्डावास बाढ़ बचाव	"	4.00	
4.	धीगाणा बाढ़ बचाव	"	3.00	
5.	रिसाणिया बाढ़ बचाव	मा0ज0	3.00	
6.	मुसालिया बाढ़ बचाव	"	3.00	
7.	शेखावास बाढ़ बचाव	"	3.00	
8.	राइको की ढाणी शिवपुरा बाढ बचाव	सोजत	3.00	
9.	राइकपे की ढाणी मोडावास बाढ़ बचाव	"	2.00	
10.	सेन्दड़ा बाढ़ बचाव	रायपुर	5.00	
11.	लवाचा बाढ़ बचाव	"	5.00	
12.	बाभा कुडी बाढ़ बचाव	जैतारण	5.00	
13.	निम्बेडाखुर्द बाढ़ बचाव	"	5.00	
14.	चैनपुरा बाढ़ बचाव सेवरिया	"	5.00	
15.	चावण्डिया बाढ़ बचाव	"	5.00	
16.	बरावल बाढ़ बचाव	बाली	3.00	
17.	बैडल बाढ़ बचाव	"	2.00	

1	2	3	4	5
18.	रडावा बाढ बचाव	बाली	2.00	
19.	जादरी गांव में खारेश्वर महादेव मन्दिर के पास बाढ बचाव	"	3.00	
20.	घाणेराव व भीमकुण्ड के पास बाढ़ बचाव	देसूरी	4.50	
21.	पिलोवनी बाढ़ बचाव	रानी	1.50	
22.	गुड़ारूप सिंह बाढ़ बचाव	"	2.00	
23.	गुडा ठाकुरजी बाढ़ बचाव	"	2.00	
24.	निम्बाडा बाढ बचाव	"	2.00	
25.	बूसी गांव से सोमेसर स्टेशन बाढ़ बचाव सोमेसर	"	4.30	

213

जिला परिषद् एवं पंचायतों के वाहन

727. **श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि अजमेर, जयपुर व टोंक जिलों में जिला परिषद् व पंचायत समितियों को सरकारी कार्यों को सम्पन्न करवाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाये हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिला परिषद् व किस-किस पंचायत समिति में कौन-कौन से वाहन उपलब्ध करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर, जयपुर व टोंक ये जिला परिषद्/ पंचायत समितियों में उपलब्ध करवाये गये वाहनों में से कौन-कौनसे वाहन कब से काम नहीं आ रहे हैं तथा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गैर सरकारी पार्टी के जिला प्रमुख व प्रधानों के साथ भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है तथा उनके द्वारा प्रशासन को अवगत करवाये जाने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं करके उन्हें उलझन में डाला जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जा रहा है।

जिला परिषद व पंचायत समितियों को उपलब्ध करवाये गये सरकारी वाहनों का विवरण

क्र. सं.	जिला/परिषद/पंचायत समिति का नाम	वाहन की किस्म	वाहन संख्या	वाहन का नम्बर	कब से काम नहीं आ रहा	काम में नहीं आने का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिला परिषद, जयपुर	अम्बेसडर कार	एक	आर. जे. 14-4711	काम में आ रहा है	....
		महेन्द्रा जीप	एक	आर. जे. 14-9222	काम में आ रहा है	....
		स्वपाजमाजदा ट्रक	एक	आर. जे. 14-5688	काम में आ रहा है	....
2.	पंचायत समिति आमेर	जीप	एक	आर. जे. 14-सी 664	काम में आ रही है	....
3.	,, सांगानेर	जीप	दो	आरपी आई-1820	28-5-96	कण्डम घोषित
				आर. जे.-14-2सी376	काम में आरही है	....
4.	,, जमवारामगढ़	जीप	दो	आरपी आई-6661	28-5-96	कण्डम घोषित
				आरएसएल 2175	लगभग 1975	चलने योग्य
5.	,, झोटवाड़ा	जीप	दो	आरएसडी-2832	दिसम्बर, 91	चलने योग्य नहीं है।
				आर जे.-14-सी3356	काम में आ रही है।	....

(215)

(215)

1	2	3	4	5	6	7
6. पंचायत समिति	बस्सी	जिप्सी	एक	आरएनवी–1024	काम में आ रही है।	....
7 ,,	शाहपुरा	जीप	एक	आर जे. 14-8298	काम में आ रहा है।	....
8. ,,	कोटपूतली	जीप	दो	आरएनआई 4856 आरजे-14-184	.... काम में आ रहा है।	कण्डम कार्य-वाही जारी
9. ,,	विराटनगर	जीप	एक	आरपीएफ 1492	काम में आ रहा है।	....
10. ,,	गोविन्दगढ़	जीप	एक	आर-जे-14-4872	काम में आ रहा है।	....
11. ,,	दूदू	जीप	दो	आर जे-14-1672 आरजे14-1 सी6758	दि. 18-10-95 काम में आ रहा है।	कण्डम कार्य-वाही जारी
12. ,,	चाकसू	जीप	दो	आरपीआई-4091 आरजे-14-2 सी 378	28-5-96 काम में आ रहा है।	कण्डम घोषित ....

[redacted]

216

1	2	3	4	5	6	7
13.	पंचायत समिति फागी	जीप	एक	आरजे-14 सी 7658	काम में आ रहा है	—
14.	,, सांभरलेक	जीप	दो	आरपीआं 2166	28-5-96	कण्डम घोषित
				आरजे-14-2 सी-431	काम में आ रहा है	—
1.	जिला परिषद-टोंक	कार	दो	आरएनबी-7753	25-8-82 से चल रही है।	—
				आरजे-2626	5/95 से खराब होने के कारण बन्द पड़ी है, जिसे बजट के अभाव में ठीक नहीं कराई गई।	—
		जीप	दो	आरजे 26-सी-288	चालू हालत में है।	—
				आरजे 20-666	,, ,, ,,	—
2.	पंचायत समिति टोंक	जीप	एक	आरजे 14/464	13-6-96 को आवंटित हुई	

1	2	3	4	5	6	7
		मोटरसाइकिल	एक	आरजेएक्स 7180	चालू हालत में है	
		जीप	एक	आरजेएक्स 7180	3/95 से बन्द है।	कण्डम घोषित
3.	पंचायत समिति निवाई	जीप	दो	आरजे-26-056	29-12-94 से बन्द है।	कण्डम घोषित
				आरजे-14-2सी-0925	8-7-96 को आवंटित की कार्यवाही जारी है।	
4.	,, देवल	जीप	एक	आरजे-14 सी 7623	दोनों वाहन काम में आ रहे हैं।	
		मोटरसाइकिल	एक	आरजेएक्स 7515	,,	
5.	,, मालपुरा	जीप	एक	आरजे-14-सी 6535	12/94 से उपयोग में नहीं आ रही है।	
		मोटरसाइकिल	दो	आरजेएक्स 6713	मरम्मत के अभाव में बंद।	
				आरजे-26-एम-4079	चालू है	
6.	,, उनियारा	जीप	एक	आरजे-14-2 सी-463	6/96 को आवंटित हुई।	

Page No. 219

218

1	2	3	4	5	6	7
7.	पंचायत समिति टोडारायसिंह	जीप	तीन	आरजेई--0027	26-6-91 | से उपलब्ध है	दो जीप व एक
				आरएनडी-2759	23-7-95 |	मोटरसाईकिल
				आरजे-14 सी-086	10-2-94 |	खराब पड़ी है।
		मोटरसाइकिल	तीन	आर-जे-एक्स 6712	18-11-87 |	
				आरजे 26-4821	22-9-93 | से उपलब्ध है	
				आरजे-26-7037	16-1-95 |	

1	2	3	4	5	6	7
1.	जिला परिषद अजमेर	जीप	एक	वर्ष 1989	-- 17869 कि.मी	
		कार	एक	वर्ष 1989	185711 कि.मी	एक वर्ष से खराब पड़ा है ।
		मिनि ट्रक	एक	वर्ष 1989	--93000 कि.मी	
2.	" अंराई	जीप	एक	वर्ष 1996	10000	
3.	" भिनाय	जीप	एक	वर्ष 1991	201439	
4.	" जवाजा	जीप	एक	वर्ष 1992	106286	
5.	" केकड़ी	जीप	एक	वर्ष 1993	–	
6.	" मसूदा	जीप	एक	वर्ष 1992	156039	
		टेक्ट्रर	एक			
7.	" पीसांगन	जीप	एक	वर्ष 1991	235000	
8.	" सिलोरा	जीप	एक	वर्ष 1992	–	
9.	" श्रीनगर	जीप	एक	वर्ष 1989	221000	

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की पेयजल योजनाएं

728. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे :--

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के पेयजल अभाव ग्रसित ग्रामों में से किन-किन ग्रामों की पेयजल योजनाएं 1 अप्रेल, 1995 से 31 मई, 1996 की अवधि में अधिशाषी अभियन्ता, भरतपुर ने स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों को भेजीं ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? और यह कब तक स्वीकृत हो जायेगी ?

उत्तर

सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में उल्लेखित अवधि में 97 ग्रामों एवं हैबीटेशन्स हेतु 92 प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित किये गये थे। इनमें से 53 ग्रामों के 48 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष हेतु स्वीकृति की कार्यवाही तकनीकी परीक्षण आवश्यकतानुसार एवं धन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर की जा सकेगी। वांछित विवरण परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) की ग्राम पंचायतें

729. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) तहसील शेरगढ़ में नवम्बर, 1993 से अब तक कितनी नई ग्राम पंचायतें स्वीकृत की गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के किस-किस ग्राम सेवक के अधीन कितनी ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ में नवम्बर, 1993 से अब तक कोई नई ग्राम पंचायत गठित नहीं की गई है।

(2) तहसील शेरगढ़ क्षेत्र में कुल 65 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

शेरगढ़ तहसील में जिन ग्राम सेवकों के पास जिन-जिन ग्राम पंचायतों का चार्ज है सूची निम्न प्रकार हैं :—

(i) पं. समिति–शेरगढ़

क्रमांक	नाम पंचायत	नाम ग्राम सेवक	पद
1	2	3	4
1.	शेरगढ़	श्री दौलतसिंह	ग्राम सेवक
2.	तेना	श्री उदयसिंह	,,
3.	गडा	श्री उदयसिंह	,,
4.	गिरजाखास	श्री उदयसिंह	,,
5.	साई	श्री उदयसिंह	,,
6.	साबरसर	श्री उदयसिंह	,,
7.	तिबना	श्री रामनिवास	,,
8.	माण्डूजाटी	श्री रामनिवास	,,
9.	संतरावा	श्री सांगसिंह	,,
10.	सोमसर	श्री अमृतसिंह	,,
11.	जेठानिया	श्री राम	,,
12.	चांदसमा	श्री नंदकिशोर	,,
13.	मूंगरा	श्री हरीसिंह	,,

(ii) पं. समिति बालेसर

बालेसर में जिन ग्राम सेवकों के पास जिन-जिन ग्राम पंचायतों का चार्ज है, सूची निम्न हैं :—

क्र. सं. 1	नाम पंचायत 2	नाम ग्राम सेवक 3	पद 4
1.	गिलाकोर	श्री माधोसिंह	ग्राम सेवक
2.	बालेसर दुर्गावता	श्री पारसमल	,,
3.	खारीबेरी	श्री पारसमल	,,
4.	देहा	श्री पारसमल	,,
5.	आगालाई	श्री डूंगरसिंह	,,
6.	बावरली	श्री डूंगरसिंह	,,
7.	दूगर	श्री शंकरलाल	,,
8.	उटाम्बर	श्री सोहनलाल	,,
9.	बेलवा	श्री सोहनलाल	,,
10.	केतुकलां	श्री किशोरसिंह	,,
11.	मालुराजवा	श्री किशोरसिंह	,,
12.	बारनाऊ	श्री किशोरसिंह	,,
13.	बिराई	श्री दौलतसिंह	,,

नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा भूमि का नियमितिकरण

730. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982 में सरकार ने राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण करने वालों का सर्वे करवाया था ?

(2) यदि हां, तो डूंगरपुर नगरपालिका द्वारा कराये गये सर्वे में अतिक्रमण के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ?

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा उक्त प्रकरणों को नियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) सरकार द्वारा नियमितिकरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार ने सर्वे के निर्देश दिये थे ।

(2) नगरपालिका, डूंगरपुर द्वारा वर्ष 1982 में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे नहीं कराया गया था ।

(3) जी नहीं । अतिक्रमण के प्रकरणों का सर्वे ही नहीं हुआ था तो कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

सोजत (पाली) की पेयजल योजना

731. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत जिला पाली को पीने का पानी पाली शहर में जवाई नहर से प्राप्त हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उसमें स्थान-स्थान पर पानी लीक हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इस रिसाव (लीकेज) को रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सोजत शहर का पूरा पानी मिले इसके लिए सोजत में नल टेंक की ऊंचाई बढ़ाने तथा अन्य कार्यों के लिये तखमीने बनाकर स्वीकृति हेतु भेजे हुए हैं ? यदि हां, तो कितनों के तथा इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सोजत शहर को पाली में स्थित

(२२५)

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जवाई नहर एवं जाडन, मंडला व सोजत में स्थित नलकूपों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है।

(2) पाली से सोजत शहर तक की पाइप लाइनों में लीकेज हो जाता है जिसे समय-समय पर ठीक करवा दिया जाता है।

(3) सोजत शहर की वितरण पाइप लाइनों में सुधार हेतु 10 लाख रु. के अनुमान स्वीकृत किये जाकर कार्य प्रगति में हैं। उच्च जलाशय की ऊंचाई बढ़ाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 703 की सूची

ग्राम तिजारा में स्थित मस्जिदों की सूची।

क्र. सं.	मस्जिद का नाम
1.	मस्जिद मय कुंआ।
2.	मस्जिद सल्ला-मुल्ला वाली।
3.	मस्जिद बधु फकीर, भूमि व कुंआ।
4.	मस्जिद लतीफ खां मय कुंआ।
5.	मस्जिद जमाती।
6.	मस्जिद सिलब-इवाली मय कुआ, दुकान तिबारा एक।
7.	मस्जिद पुरानी तहसील।
8.	मस्जिद हाफीज जमाल मय कोठरी।
9.	मस्जिद फजर हुसैन मय कुआ।
10.	मस्जिद पल्लेदारान मय कुआ।

Page No. 226

1	2
11.	मस्जिद दीवान के कुएं के पास ।
12.	मस्जिद काजी मय कुएं ।
13.	मस्जिद महरान ।
14.	मस्जिद बाग चौधरी ।
15.	ईदगाह मय कुएं ।
16.	लाल मस्जिद मय कुएं ।
17.	मस्दि पक्की व छल्ला मदार ।
18.	मस्जिद कागजी वाड़ा ।
19.	मस्जिद कलन्दर शाह ।
20.	मस्जिद कुंजरान मय कुएं ।
21.	मस्जिद जुलाहान वाली मय कुएं व मकान एक
22.	मस्जिद पक्की करबला ।
23.	मस्जिद गाजी गजन ।
24.	जामा मस्जिद मय एक कुंआ तथा छः दुकान ।
25.	(97) रडंवाली मस्जिद शिया ।

परिशिष्ट–"क"

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 659 का विवरण

वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में अप्रवासी भारतीयों एवं व्यापारिक घरानों के प्रदेश में उद्योगवार विदेशी पूंजी निवेश का विवरण

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	उद्योग का विवरण	उत्पादन	परियोजना लागत	विदेशी पूंजी निवेश
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स अजय स्पीनर्स, भीलवाड़ा	स्पीनिंग यार्न	240.11	55.63
2.	,, फ्लोरिडा फुड लि., अलवर	ब्रेड	250.00	25.00
3.	,, गलूंडिया टैक्स. प्रा. लि., जयपुर	ब्लेन्डेड फैब्रिक्स	2702.00	945.70
4.	,, राजस्थान रबर्स, सांगानेर (जयपुर)	माईक्रो सैल्यूलर रबर सीट्स	40.05	3.70
5.	,, सिद्धी स्टोन्स एण्ड ग्रेनाईट्स लि., जयपुर	पालिस्ड ग्रेनाइट स्लेब	282.47	105.00
6.	,, एच. पी. एम. इंडिया लि., अलवर	पेस्टीसाईड्स	1500.00	225.00
7.	,, मेनसल लेबोर्टैक्स लि., भिवाड़ी	टैक्सटाईल लेबल प्रोजेक्ट	259.36	99.00

1	2	3	4	5
8.	मैसर्स माऊन्ट माल्ट ब्रू प्रा. लि., श्रीमाधोपुर	बारले माल्ट	279.00	111.60
9.	,, रूईया कोटेक्स लि., भिवाड़ी	होजरी फैब्रिक्स	479.29	53.72
10.	,, सोलर टैंक इंडिया लि, बगरू, जयपुर	सिलिकान वेफर्स	250.00	22.40
11.	,, ऐरियक्शन टेली कम्यूनिकेशन लि., कूकस, जयपुर	ई. एस. एस. स्विचिंग सिस्टम	2000.00	1040.00
12.	,, अक्स इंडिया लि, भिवाडी अलवर	आप्टिकल फाइबर केबल्स एवं आप्टिकल फाइबर	1700.00	460.00
13.	,, जीनत ओवरसीज इलेक्ट्रोनिक्स लि., सीतापुरा, जयपुर	हाईब्रिड माईक्रो सर्किट्स	1580.00	25.00
14.	,, कम्प्यूकोम टेक्नोलिविस (प्रा.) लि., कनकपुरा, जयपुर	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	150.00	4.00
15.	,, कान्टीनेन्टल ब्रेक्स प्रा. लि., भिवाड़ी	आटोमोबाईल कम्पोनेंट	394.80	67.50
16.	,, विपिन होटल्स, आबूरोड	होटल व्यवसाय	109.19	24.50
17.	,, न्यूएन फैब्रिक्स प्रा. लि., भिवाड़ी	टैक्सटाईल	112.50	45.00

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 665 का विवरण

नगरपालिका राजसमन्द चुंगी से आय मासिक विवरण पत्र

वर्ष 93-94 से 95-96 तक

क्र. सं.	माह का नाम	वर्ष 93-94	वर्ष 94-95	वर्ष 95-96
1.	2	3	4	5
1.	अप्रैल	414506.40	546115.35	562246.95
2.	मई	404685.50	497595.70	675709.15
3.	जून	460488.65	615896.85	530032.20
4.	जुलाई	415939.60	549522.05	944697.90
5.	अगस्त	457643.95	539704.70	562394.20
6.	सितम्बर	474940.75	535147.65	663082.10
7.	अक्टूबर	437685.95	565546.35	689364.80

1	2	3	4	5
8.	नवम्बर	478800.00	597878.65	992200,65
9.	दिसम्बर	505097.95	658538.55	641624.75
10.	जनवरी	527606.70	589534.70	560014.60
11.	फरवरी	490058.75	526054.10	625252.55
12.	मार्च	520454.35	653174.60	732736.35
	योग:—	55,87,908.55	68,74,709.25	81,79,356.20

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 671 का विवरण

जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था का विवरण।

क्र. सं.	जोन का नाम	सी. एस. आई.	एस. आई.	सफाई कर्मचारी
1.	सिविल लाइन जोन	2	11	1089
2.	हवामहल जोन (पश्चिम)	2	12	1674
3.	सांगानेर जोन	1	8	303
4.	मोती डूंगरी जोन	1	14	1340
5.	विद्याधर नगर जोन	2	16	1064
6.	हवामहल जोन (पूर्व)	2	12	1173
		10	73	6643

इसके अतिरिक्त समय-समय पर ठेकेदार के माध्यम से भी सफाई का कार्य कराया जाता है।

जयपुर शहर में शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, रामनगर, हाउसिंग बोर्ड में सफाई व्यवस्था का विवरण (नियुक्त एवं कार्यरत)

क्षेत्र का नाम	फावड़ेवाला	झाडूवाली
शास्त्री नगर	123	170
विद्याधर नगर	28	34
रामनगर	10	21
हाउसिंग बोर्ड	31	41
कुल योग :-	192	266

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 683 की सूची

परिशिष्ट—"क"

विधान सभा क्षेत्र मकराना में ग्रामवार हैण्डपम्पों की स्थिति

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	हैण्डपम्पों की वर्तमान स्थिति			
			कार्यरत	अस्थाई रूप से खराब	परित्यक्त/सूखे	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	चांदपुरा	नांवा	1	—	3	4
2.	भंवरपुरा	"	1	—	—	1
3.	आसनपुरा	"	3	—	—	3
4.	ज़िलिया	"	1	—	—	1
5.	निमडी	परबतसर	2	—	4	6
6.	लोरोली	"	—	—	3	3
7.	डाबडिया	"	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7
8.	चकरानीगांव	परबतसर	1	—	1	2
9.	खारडिया	"	1	—	—	1
10.	इन्द्रोखा	"	1	—	—	1
11.	बिन्जारी	"	1	—	—	1
12.	गुणावती	"	6	—	—	6
13.	बोरावड़	"	—	—	6	6
14.	कुकडोद	"	1	—	4	5
15.	कच्चोलिया	"	—	2	2	4
16.	बरवाला	"	—	2	3	5
17.	देवरी	"	—	—	5	5
18.	डोडावाडी	"	—	—	3	3
19.	पलाडा	मांवा	1	—	1	2
20.	नारायणपुरा	"	1	—	—	1
21.	हरियाजून	"	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7
22.	उलाना	तांवा	—	1	2	3
23.	सवाईपुरा	,,	—	3	—	3
24.	पालडी	,,	2	—	—	2
25.	कसारी	,,	3	1	1	5
	योग :—		27	10	38	75

परिशिष्ट —7

अतारांकित प्रश्न संख्या 685 का विवरण

मै0 सरस्वती टेक्निकल सर्विसेज प्रा0लि0 व सरस्वती कम्प्यूटर सर्विसेज, जयपुर को विगत चार वर्षों में दिये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	वर्ष	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	कार्यालय राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	94--95	जिला ग्रामीण खण्ड-- II, जयपुर	चौमूं उच्च जलाशय हेतु मिट्टी की जांच का कार्य ।	9,500	जांच करवाई जायेगी
2.	" "	" " " "	डिस्ट्रीब्यूशन नेट वर्क्स बनाने का कार्य, चौमूं ।	20,500/-	" "
3.	92-93	खण्ड टौंक	पाइप लाइन टोडारायसिंह	9,400	" "
4.	" "	" "	इन्टैक वैल निवाई ।	2,000/-	" "
5.	94--95	" " " "	सर्वे कार्य जलयोजना टोडारायसिंह	9,819.20	" "
					" "

1	2	3	4	5	6
			के डिजाइन का कार्य ।		
7.	94-95	खण्ड दौसा	पम्प हाऊस दौसा में राहुवास का एल.सैक्सन एवं सर्वे कार्य ।	8,000/--	जांच करवाई जायेगी
8.	94-95	खण्ड डीग	अमोनिया प्रिंटिंग एवं ट्रेसिंग का कार्य जलयोजना नगर ।	844/-	" " " "
9.	95-96	पी.एम.सी.खण्ड III, चुरू	सर्वेक्षण कार्य चुरू परियोजना कलस्टर्स तथा रा वाटर टैंक के कार्य ।	123,147/-	" " " "
10.	94-95	खण्ड नोहर	स्लोसैण्ड फिल्टर जलयोजना मादरा का डिजाइन कार्य ।	9,100/--	" " " "
11.	" "	" "	नोहर कस्बे की वितरण प्रणाली की डिजाइन ।	17,100/-	" " " "
12.	94-95	खण्ड नोहर	सी. डब्ल्यू. आर. 650 कि.ली. जलयोजना मादरा की डिजाईन ।	6,100/-	" "

1	2	3	4	5	6
13.	94-95	खण्ड नोहर	उच्च जलाशय मादरा हेतु एस. वी.सी. टैस्टिंग का कार्य ।	4,700/-	जांच करवाई जायेगी
14.	,, ,,	,, ,,	उपरोक्तानुसार जलयोजना नोहर केम्पस में ।	4,700/-	,, ,,
15.	,, ,,	,, ,,	उपरोक्तानुसार जलयोजना नोहर गांधीनगर हेतु ।	4,700/-	,, ,,
16.	95-96	खण्ड गंगानगर	जलयोजना गंगानगर हेतु राइजिंग मेन, सी. डब्ल्यू. आर.व पम्प हाऊस के डिजाइन का कार्य ।	8,600/-	,, ,,
17.	,, ,, ,,	,, ,,	गंगानगर टाउन प्लान के नक्शों की ट्रेसिंग इत्यादि का कार्य ।	9,700/-	,, ,,
18.	,, ,,	खण्ड हनुमानगढ़	हुडको हनुमानगढ़ योजना के दो स्थानों पर उच्च जलाशयों हेतु	10,000/-	,, ,,

238

1	2	3	4	5	6
			एस.बी.सी. टैस्ट का कार्य।		
19.	95-96	खण्ड हनुमानगढ़	उपरोक्तानुसार मुख्य मंडी क्षेत्र	24.000/-	जांच करवाई जायेगी
20	" "	" "	उपरोक्तानुसार कल्याण भूमि के पास।	5.000/-	" "
21.	" "	" " "	दो आर.सी.सी.सी.डब्ल्यू. आर. की स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि का कार्य	24,000/-	" "
22.	96-97	खण्ड अनूपगढ़	जलयोजना रायसिंहनगर हेतु शहरी क्षेत्र के वितरण प्रणाली एवं राइजिंग मेन का कार्य।	10,400/-	" "
23.	95-96	खण्ड भीलवाड़ा	आर.सी.सी.एस.आर की सेफ बियरिंग केपेसिटी हेतु सोइल टैस्ट का कार्य	15,300/-	" "
24.	92-93	खण्ड अलवर	एन.ई.बी. एक्सटेंशन योजना का कार्य	3,000/-	" "
25.	92-93	खण्ड नीमकाथाना	पुनर्गठित जलयोजना श्रीमाधोपुर की डिजाईन का कार्य	9,900/-	" "
29.	95-96	" "	श्रीमाधोपुर में मृदा परीक्षण	11,000/-	" "
27.	95-96		श्रीमाधोपुर योजना हेतु क्वार्टर	980/-	" "

1	2	3	4	5	6
			एवं पम्प हाऊस के एस्टीमेट टाइप ।		
28.	91-92	खण्ड सीकर	सीकर योजना में पाइप लाइन वितरण की डिजाइन 4 जोन	8,900/-	जांच करवाई जायेगी
29.	91-92	"	सीकर योजना में पाइप लाइन वितरण की डिजाइन 6 जोन	9,800/-	" "
30.	94-95	"	सीकर योजना में डिस्ट्रीब्यूशन एनेलेसिन देवीपुरा जोन मय टाईपिंग एवं बाईन्डिंग ।	9,800/-	" "

परिशिष्ट—8

परिशिष्ट—1

अतारांकित प्रश्न संख्या 688 का विवरण

अन्तर्राज्यीय जल समझौतों में आवंटित जल, प्राप्त पानी की मात्रा, प्रस्तावित सिंचाई व वास्तविक सिंचाई का विवरण

क्र. सं.	नदी जिस पर समझौता हुआ	आवंटित जल की मात्रा (एम. ए. एफ.)	प्राप्त पानी की मात्रा व उपयोग (एम. ए. एफ.)	प्रस्तावित सिंचाई (लाख हैक्टर)	वास्तविक सिंचाई (लाख हैक्टर)	लाभान्वित जिलों के नाम	अपेक्षा से कम सिंचाई होने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सतलुज नदी (प्रोपार्टीशन) गंगा नहर द्वारा (1920)	1.11	1.60	3.08	3.73	श्री गंगानगर	—
2.	सतलुज नदी भाखरा नहर द्वारा (1959)	1.41	1.55	3.66	3.63	श्री गंगानगर हनुमानगढ़	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	रावी ब्यास नदियां (अधिशेष जल) (1981)	8.60	6.72	18.69	7.93	श्री गंगानगर/हनुमानगढ़ बीकानेर/चूरू/जोधपुर/ जैसलमेर बाड़मेर।	इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के क्षेत्र में पूरा विकास न होने के कारण एवं आबादियों के न बसने के कारण
	योग :—	11.12	9.87				
4.	चम्बल नदी कोटा बैराज तक	1.60	1.308	1.74	2.52	कोटा, बारां	—
5.	माही नदी (1966)	0.37	16.00	1.23	0.55	बांसवाड़ा, डूंगरपुर	नहरों का पूर्ण विकास न होने के कारण
6.	नर्मदा नदी (1979)	0.50	—	1.35	—	जालोर, बाड़मेर	जल 1999 में मिलना प्रस्तावित है।
7.	यमुना नदी (1994)	0.91	प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं			भरतपुर, चूरू	—

(242)

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 692 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र केकडी — अकाल राहत कार्य 2052 — लाख रु. में

क्र सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कुल व्यय 5/96 तक			विवरण
			श्रम	सामग्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	भवानी सागर भगवानपुरा	2.00	1.130	0.69	1.82	कार्य प्रगति पर है।
2.	गोपाल सागर जालिया	2.50	0.78	0.49	1.27	,, ,,
3.	बांके सागर सांपला	1.50	0.53	0.23	0.81	,, ,,
4.	मेला सागर ताजपुर	1.80	0.55	0.28	0.83	,, ,,
5.	एनीकट मरम्मत मीणा (नया)	1.00	0.85	0.20	0.25	1-7-96 से बंद है।
6.	काला तालाब के रियाघुट	2.80	0.45	0.05	0.50	,, ,,
7.	देवी सागर जैतपुरा	2.50	0.94	....	0.94	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
8	बावड़ा तालाब बडगांव	2.00	0.19	....	0.19	कार्य 1-7-96 से बंद है।
9.	केसोलाव तालाब मोलकिया	2.00	0.02	...	0.02	,, ,,
10.	छोटा तालाब मोलकिया	2.00	1.06	0.18	1.24	,, ,,
11.	बड़ा तालाब मोलकिया	2.00	1.44	0.20	1.64	,, ,,
12.	बड़ा तालाब आलोली	1.50	0.06	0.20	1.34	,, ,,
13.	माटोलाव टैंक	4 00	1.15	0.53	1.68	कार्य प्रगति पर है।
14.	रणजीत सागर प्रान्हेड़ा	2.00	1.11	0.43	1.54	कार्य 1-7-96 से बद है।
15.	नया तालाब सदारा	3.00	0.51	....	0.51	,, ,,
16.	मेहरूकला एनीकट	2.00	0.31	....	0 31	,, ,,
17.	देवपुरा दिवमण्डा एनीकट	9.78	0.71	2.22	2.93	,, ,,
18.	जड़ जोड़ला टैंक कादेडा	2.00	0.46	0.20	0.66	,, ,,
19.	देवलिया माईनर देवलिया	2.00	0.68	0.60	1.20	,, ,,
20.	खुर्द चिचला टैंक निमोद	2.00	0.73	0.42	1.15	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
21,	बसुन्दनी बांध नहर	6.40	1.41	0.06	1.47	कार्य प्रगति पर है।
22.	मांरोलाप सागर	2.00	0.98	0.30	1-20	,, ,,
23.	उम्मेद सागर पटियाली	2,50	0.62	....	0.62	,, ,,
24.	बड़ा तालाब चीतिवास	4.00	0.86	0.02	0,88	,, ,,
25.	सगत सागर वास	2.00	0.72	0.01	0.73	,, ,,
26.	बनेड़िया में समेला एनिकट	3.00	0.41.	....	0.41	,, ,,
27.	बालापुरा एनिकट	7.00	0.29	0.03	0.32	,, ,,
28.	बण्डीवाला तालाब की आव का कार्य	5.00	....	....	....	कार्य बन्द है।
29.	शिब सागर तालाब	3.50	8.25	8.25	0.50	कार्य प्रगति पर है।
30.	रातादेह एनिकट	2.20	....	0.01	0.01	कार्य 1-7-96 से बन्द है।
31.	शिव सागर मिट्टी	3.00	0.21	0.02	0.23	कार्य प्रगति पर है।
32.	तालाब की आव हेतु नाले पर एनिकट निर्माण मेहरून कला	0.80	....	....	....	कार्य 1-7-96 से बन्द है।

2.44

1	2	3	4	5	6	7
33.	खाल व अपूर्ण एनिकट	5.00	0.44	0.01	0.45	कार्य प्रगति पर है।
	योग :	95.98	19.96	7.69	27.65	
	माह जून, 96 की देनदारियां		17.00	4.00	21.00	
	कुल योग :-		36.94	11.69	48.65	

परिशिष्ट-'ब'

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी बाढ़ कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	माह 6/95 तक व्यय लाख रु. में	विवरण
1	2	3	4	6
1.	देवा सागर देवगांव	2.54	2.19	कार्य 1-7-96 से बंद है।
2.	लसाड़िया नहर	1.75	0.94	,, ,,
	योग :		3.13	
	माह जून, 96 तक देनदारियां		0.50	
	कुल योग :	4.29	3.63	

परिशिष्ट-"स"

विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विभिन्न योजना के तहत लघु सिचाई योजना का कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	माह 3/96 तक व्यय	वर्ष 96–97 माह 6/96 तक व्यय	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	पीपलाव सिचाई योजना (एफ.आर.जी.) (एडेड)	481.40	340.18	39.00	कार्य प्रगति पर है।

(248)

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 701 का विवरण

परिशिष्ट—1

पंचायत समिति, सुवाणा (भीलवाड़ा)

श्री फतहसिंह चुण्डावत निलम्बित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत कोचरिया द्वारा दिनांक 1-1-95 से 20-3-96 तक पंचायत समिति द्वारा आयोजित मिटिंगों में उपस्थिति/अनुपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0स0	माह	अनुपस्थिति दिनांक	उपस्थिति दिनांक
1	2	3	4
1.	जनवरी, 95	4-1-95, 31-195	3-1 95
2.	फरवरी, 95	6-2-95, 15-2-95	—
3.	मार्च, 95	1-3-95, 6-3-95, 10-3-95	—
4.	अप्रेल, 95	7-4-95	—
5.	मई, 95	24-5-95	—
6.	जून, 95	15-6-95	—
7.	जुलाई,95	1-7-95	12-6-95
8.	अगस्त, 95	7-8-95	—
9.	सितम्बर, 95	1-9-95, 23-9-95, 30-9-95	—
10.	अक्टुम्बर,95	6-10-95	26-10-95

1	2	3	4
11.	नवम्बर, 95	25-11-95, 28-11-95	—
12.	दिसम्बर,95	2-12-95. 5-21-95,7-12-95, 26-12-95	—
13.	जनवरी, 96	2-1-96, 3-1-96, 18-1-96, 27-1-96	—
14.	फरवरी, 96	3-2-96, 29-2-96	—
15.	मार्च, 96	2-3-96, 6-3-96, 7-3-96, 15-3-96	—

कुल 35 बैठकें हुई

250

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 702 की सूची

पंचायत समिति झाड़ोल व कोटड़ी में रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कबसे	कारण
1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति झाड़ोल					
1.	विकास अधिकारी	1	1	5	—
2.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	3	1	11/94	विभाग से आवंटित नहीं होने के कारण।
3.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	....	....	,, ,,
4.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	1	12/94	,, ,,
5.	लेखापाल	1	....	....	....

1	2	3	4	5	6
6.	कनिष्ठ लेखाकार	1	....	....	विभाग से ग्राबंटित नहीं होने के कारण
7.	कनिष्ठ ग्रभियन्ता	1	....	....	....
8.	वरिष्ठ लिपिक	2	1	10/95	....
9.	कनिष्ठ लिपिक	3	1	4/95	,, ,,
10.	ग्राम सेवक पदेन सचिव	23	7	....	,, ,,
11.	ग्रध्यापक	495	99	....	जिला परिषद् द्वारा चयन प्रक्रिया जारी है।
12.	जीप चालक	1	....	....	
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	....	....	
14.	शिक्षा कर्मी सहयोगी	2	....	....	
पंचायत समिति कोटड़ा					
1.	विकास ग्रधिकारी	1	....	....	....

1	2	3	4	5	6
2.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	3	3	....	ज्वाइन नहीं करने के कारण
3.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	....	....	....
4.	सहकार प्रसार अधिकारी	1	....	....	....
5.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	....	....	....
6.	लेखाकार	1	1	6/95	प्रशिक्षण के कारण
7.	कनिष्ठ लेखाकार	1	—	....	....
8.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	....	....	....
9.	वरिष्ठ लिपिक	2	2	1/96 8/95	स्थानान्तरण के कारण मृत्यु होने के कारण
10.	कनिष्ठ लिपिक	1	....	....	...

1	2	3	4	5	6
11.	ग्राम सेवक	19	9	4/94	सेवा निवृत्त होने के कारण
12.	अध्यापक	414	250	178 पद 1995-95 80 पद 96-97	चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने के कारण
13.	वाहन चालक	1	1	7/95	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने से
14.	च0श्रेणी कर्मचारी	4	....	....	....
15.	हैंड पम्प मिस्त्री	28	....	....	....
16.	शिक्षा कर्मी सहयोगी	2	2	4/94 5/95	प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाने के कारण स्थानान्तरण के कारण

(254)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 703 की प्रतियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (साक्षरता प्रकोष्ठ) झाडोल

क्रमांक/एफ/साक्षरता/95/43-46 दिनांक 21-2-95

वास्ते :—श्री रमाकान्त शर्मा,
अध्यापक, प्रा. विद्यालय
कोल्यारी

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को सफल बनाने के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष महोदय, साक्षरता प्रकोष्ठ, उदयपुर के निर्देशानुसार आपको आदेशित किया जाता है कि आप तुरन्त प्रभाव से अपनी उपस्थिति साक्षरता प्रकोष्ठ, झाडोल (तहसील कार्यालय झाडोल) में देवें ।

ह.
उप खण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष
साक्षरता समिति, झाडोल

—×—

कार्यालय पंचायत समिति, झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक-पं. स. झा./स./शिक्षा/0/95-96/1072-77 दिनांक 25-4-95

कार्यालय-आदेश

श्री रमाकांत शर्मा, अध्यापक प्राथमिक शाला कोल्यारी को आज दिनांक 25-4-95 को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है निलम्बन काल में इनका

(255)

मुख्यालय पंचायत समिति, झाडोल रहेगा ।

अतः श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थित होवें ।

ह.
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, झाडोल

कार्यालय पंचायत समिति--झाडोल, जिला--उदयपुर (राज.)

क्रमांक :--पं.स.झा /शिक्षा/95-96/3473-81 दिनांक 22-7-95

कार्यालय--आदेश

श्री रमाकान्त शर्मा अध्यापक प्रा. वि. कोल्यारी कोगइस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1072-77 दिनांक 25-4-95 द्वारा निलम्बित किया गया था को भविष्य में अपने आचरण एवं अपने नियुक्ति अधिकारी के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सख्त चेतावनी दी जाती है तथा इन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाकर इनका पद स्थापन प्रा. वि. फलासिया में किया जाता है । ये अपनी उपस्थिति प्रा. वि. फलासिया में देकर सूचना कार्यालय को प्रेषित करें । चेतावनी सेवा रेकार्ड में दर्ज की जाय ।

ह.
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, झाडोल

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 705 की प्रति

आरोप पत्र विरुद्ध श्रीमति लता देवी जैन सरपंच ग्राम पंचायत मोजमाबाद
पंचायत समिति दूदू, जिला—जयपुर

1. आपने रा. प. सा. नियम 1961 के नियम 164 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र संख्या 24 में पंचायत मिटिंग दिनांक 19-4-95 को कार्यवाही का इन्द्राज नहीं कर, मिटिंग दिनांक 19-9-95 के स्थान का इन्द्राज नहीं कर, विधिवत पंचों को मिटिंग की सूचना नहीं देकर एवम् पंचों के हस्ताक्षर नहीं कराकर रा. प. सा. नियम 1961 के नियम 55, 56, 64, 164 की अवहेलना की जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

2. आपने दिनांक 10-10-95 की मिटिंग कार्यवाही रा. प. सा. नियम 1961 के नियम 56, 58, 64, 164 के अनुसार नहीं कर रुदन ग्राम पंचायत की मिटिंग दिनांक 24-2-95 के प्रस्ताव सं. 7 के निर्णय की अवहेलना कर पंचायत कोष को नुकसान पहुंचाया जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

3. आपने पंचायत कार्यवाही रजिस्टर में विभिन्न दिनांकों व विभिन्न प्रस्तावों में बाद में कार्यवाही जोड़कर पद का दुरुपयोग किया है।

4. आपने श्री कन्हैयालाल S/o तेजाराम खाती निवासी मोजमाबाद की एन. ओ. सी. जारी कर निशुल्क भू आवंटन 150 वर्ग गज भूमि के बेचान का अधिकार कर राजस्थान निशुल्क भूमि आवंटन नियम 1982 की अवहेलना की है जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

5. आपने बा. स. 16 दिनांक 21-3-95 (बिल नं. 5694) के द्वारा ईंट खरीद में

(257)

कांट-छांट कर 375/- का स्पष्ट अपहरण किया है जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

6. आपने मीटिंग कार्यवाही रजिस्टर अपने आवास पर रखकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 78(2) एवम् रा. प. सा. नियम 1961 के नियम 88(2) की अवहेलना की है जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

7. आपने रा. प. सा. नियम 1961 के नियम 269(1) व 255 से 265 तक की अवहेलना कर श्री कन्हैयालाल S/o तेजाराम खाती निवासी मोजमाबाद की 352 वर्ग गज आबादी भूमि का विक्रय कर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया हैं जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

8. आपने पंचायत कार्य संचालन में अपने पति श्री अशोक कुमार जैन का हस्तक्षेप कराकर अपने पद का दुरुपयोग किया है।

9. आपने दिनांक 25-2-95 को विधिवत पंचायत की मिटिंग नहीं कर रा. प. सा. नियम 1961 के नियम 56, 64 की अवहेलना की है जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

10. आपने दिनांक 6-4-95 को बा. स. 6 के द्वारा 2800/- अग्रिम पंचायत कोष से उठाकर उसका समायोजन नहीं करा कर पद का दुरुपयोग किया है।

11. आपके द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों (कच्चे, पक्के) में किये गये व्यय में अनियमिततायें की गई जिसमें आपने रा. प. सा. नियम, 1961 के नियम 279 से 281 व 91, 92 की अवहेलना की है जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

12. आपने बा. स. 21 दिनांक 8-4-95 के द्वारा 320/- का भुगतान 10 दिन की मजदूरी किया, जबकि कार्य वास्तव में 5 दिन + 3 दिन = 8 दिन

258

किया जाना बा. स. 21 से प्रतीत होता है अतः दो दिन की मजदूरी 64/- का आहरण आप द्वारा किया गया है। जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

13. आपने बा. स. 22 दिनांक 10-4-95 के द्वारा 80/- का भुगतान 2½ दिन की मजदूरी का किया जबकि बा. स. 22 में कांट-छांट कर 2 दिन के बजाय 2½ दिन कर 161 का आहरण किया है जिसके लिये आप दोषी पाई जाती है।

ह.
अध्यक्ष एवं पंचायत
प्रसार अधिकारी, कलक्टर,
जयपुर

—×—

(260)

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 708 की प्रति

OFFICE OF THE COLLECTOR, JAIPUR
DISTT., JAIPUR

No./80/ P&D/74/ . Dated 13th Dec.,74

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) (b) of rule 269 of the Rajasthan Panchayat and Naya Panchayat (General) Rule 196, I, R. Ramakarishana, Collector, District Jaipur hereby delegate the powers for disposal of abadi lands conferred upon me vide Government Notification No. F. 4/ LS/P&S/AR/5/74/157 dated 6-12-74 to all the Tehsildars, Naib-Tehsildars, Inspectors Land Records & Vikas Adhikaris within their respective jurisdiction in this district.

This Order shall have effect up to the 26th day of Jan. 1975.

Sd/-
(R. Ramakrishana)
Colltor, Jaipur.

क्र. सं.	नाम मय पद प्रावंटन प्रधिकारी	नाम पंचायते कार्य क्षेत्र
1.	श्री हरिशंकर मानव, विकास अधिकारी पं. सं. गोबिन्दगढ़	1. मलिकपुर 2. घोबोलाई 3. लोरवाड़ा 4. गोविन्दगढ़ 5. निवाणा 6. नांगल कोजी 7. खेजरोली
2.	श्री सुबोध बिहारी गुप्ता, भू-प्रभिलेख निरीक्षक गोबिन्दगढ़	1. किशनपुरा 2. नांगल गोबिन्द 3. प्राष्टीकल 4. भूतिया 5. ढोढसर 6. सिगोर
3.	श्री चिमनलाल जैन, नायब तहसीलदार, गोबिन्दगढ़	1. हरतेड़ा 2. प्रालेसर 3. घिनोई 4. मण्ढा भोण्डा 5. कालाडेरा 6. साजसर 7. टाकलड़ा
4.	श्री सज्जनसिंह नायब; तहसीदार, प्रामेर	1. प्रणतपुरा 2. जैतपुरा 3. मोरीजा 4. हाड 5. उदयपुरिया 6. नांगलबरहा 7. इटावा
5.	श्री रामजीलाल जोशी, भू-प्रभिलेख निरीक्षक, चौमू	1. तीगरा 2. प्रमरपुरा 3. महारकला 4. साम 5. कुशलपुरा 6. फतेपुर 7. चीथवाड़ी
6.	श्री विजयसिंह, वि0प्र0पं0स0, प्रामेर	1. जाहोता 2. रामपुरा 3. नांगलपुरोहित 4. खोराश्यामदास
7.	श्री चिरंजीलाल, भू-प्रभिलेख निरीक्षक, प्रामेर	1. दौलतपुरा 2. सेवापुरा 3. प्रखेपुरा 4. नांगल सुसावतान
8.	श्री चांदमल जैन, भू-प्रभिलेख निरीक्षक, जैरामपुरा	1. देवगुढ़ा 2. प्रनोपपुरा 3. खनीपुरा 4. जालसू 5. जैरामपुरा 6. खोराबिसल

9. श्री प्रणवीर प्रसाद गुप्ता तहसीलदार आमेर — 1. सिरसी 2. रायथल 3. मुण्डोता 4. जेसिंहपुरा 5. राधाकिशनपुरा 6. रोजदा

ह0
(एस0 डी0 ओ0, आमेर)

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 710 की सूची

वाहन चालकों के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	रिक्त पद
1.	अजमेर	1
2.	अलवर	1
3.	बांरा	2
4.	बांसवाड़ा	—
5.	बाड़मेर	3
6.	भरतपुर	1
7.	भीलवाड़ा	3
8.	बीकानेर	—
9.	बून्दी	—
10.	चित्तौड़गढ़	1
11.	चूरू	1
12.	दौसा	—
13.	धौलपुर	1
14.	डूंगरपुर	—
15.	गंगानगर	—

1	2	3
16.	हनुमानगढ़	1
17.	जयपुर	—
18.	जैसलमेर	—
19.	जालौर	—
20.	झालावाड़	2
21.	झुंझुनू	1
22.	जोधपुर	—
23.	कोटा	1
24.	नागौर	—
25.	पाली	1
26.	राजसमन्द	—
27.	सवाईमाधोपुर	—
28.	सिरोही	1
29.	टोंक	1
30.	उदयपुर	1
31.	सीकर	—
	योग :	23

—×—

परिशिष्ट 16

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रूपवास विधान सभा क्षेत्र के उचेन्न कस्बे में पेयजल समस्या

[श्री मोतीलाल (रूपवास)]

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रूपवास में कस्बा उच्चैन की टंकी की सप्लाई करीब 4 वर्ष से बंद पड़ी है, और पी. एच. ई. डी के कर्मचारियों ने पानी की

(२६४)

(श्री मोतीलाल)

सप्लाई हौद से डायरेक्ट कर रखी है और जब बिजली होती है तो कस्बे को पानी मिलता है। तथा वहां की जनता त्राहि-त्राहि करती है जब बिजली आती है। तो जिनके मकान पहले पड़ते हैं वहां पर पानी पहुंच जाता है तथा आधा कस्बा पानी के बिना रह जाता है। इसलिये मैं मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि कस्बे उच्चैन की टंकी को स्वीकृत करने की अनुमति दे। उस टंकी का स्टीमेट करीब दो वर्ष पहले ही जयपुर भिजवा दिया गया है तथा उसी प्रकार रूपवास की टंकी का भी स्टीमेट आये दो तीन वर्ष हो गये हैं। लेकिन अभी तक रूपवास की टंकी भी स्वीकृत नहीं हुई है और आज की जनसंख्या को देखते हुए मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र को दोनों टंकियां बनवाने के लिये स्वीकृति देने की कृपा करें।

—×—

इटावा कोटा कस्बे में ए. सी. एम. कोर्ट की स्थापना

[श्री राम गोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

मान्यवरजी, कोटा जिले की विभिन्न तहसीलों में तहसील पीपल्दा राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है तथा यह पूरा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। राजस्व से सम्बन्धित अन्य मामले कोटा के न्यायालय में काफी समय से लम्बित है तथा प्रकरण अधिक संख्या में होने के कारण किसान काफी समय तक वहां पर चक्कर लगाते रहते हैं जिससे किसानों की समय की व धन की बर्बादी होती है। इस कार्य हेतु यहां के नागरिकों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय-समय पर ए. सी. एम. न्यायालय खोलने की मांग भी करते आ रहे हैं। समय-समय पर इस कार्य हेतु आश्वासन भी दिया गया है तथा वर्तमान में इटावा में ए. सी. एम. निवास हेतु भवन भी बनाया जा चुका है।

अतः क्षेत्र की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुये इटावा में ए. सी. एम. न्यायालय खोलने का कष्ट करें।

—×—

(265)

निवाई विधान सभा क्षेत्र के गांवों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

[श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)]

महोदय; निवाई विधान सभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर प्राथमिक शालाओं की बहुत कमी हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति की अनेक बस्तियां खड़ी हो गयी हैं, जहां प्राथमिक शालाओं के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं।

(1) नाहरडो की ढाणी पंचायत दतवास जनसंख्या 253

(2) ग्राम कुवाड़ा बैरवाओं की ढाणी पंचायत कुवाड़ा जनसंख्या 400

(3) नांगल इसर पंचायत दतवास जनसंख्या 257

(4) राजदानपुरा पंचायत दतवास जनसंख्या 254

(5) कोठियावाली ढाणी पंचायत मुण्डिया जनसंख्या 250

(6) करनपुरा पंचायत वनस्थली जनसंख्या 225

(7) रामजीपुरा पंचायत वनस्थली जनसंख्या 250

(8) त्रिलोकपुरा पंचायत बनस्थली जनसंख्या 255

(9) बैरवा बस्ती पंचायत पहाड़ी जनसंख्या 256

(10) जुगुलपुरा खुर्द पंचायत पलेई जनसंख्या 280

(11) भैरूगंज पंचायत सिरस जनसंख्या 347

(11) सौभागपुरा पंचायत सुनारा जनसंख्या 325

ग्रामीण क्षेत्रों में अब ऊंचे पैमाने पर मांग उठ रही है कि बच्चे अनपढ़ नहीं रखे जा सकते। अतः उपरोक्त गांवों में प्राथमिक शालाएं खोले जाने का सरकार से अनुरोध है।

—x—

खण्डार विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का अभाव

[श्री हरिनारायण (खण्डार)]

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र खण्डार, जिला सवाई माधोपुर विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, सड़कों व आवागमन के साधनों का पूर्णतया अभाव है। अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शिवाड़ को सीधा जिला मुख्यालय से सड़क द्वारा जोड़ा जावे जिससे 10 ग्राम पंचायतों के 40 गांवों को सुविधा मिलेगी। ग्राम भगवतगढ़ को चौथका बरवाड़ा से सड़क द्वारा जोड़ा जावे जिससे 6 ग्राम पंचायतें सीधे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ग्राम जाजेड़ाव कुमारिया को रजवाना से जोड़ा जावे तथा जाजेड़ा से बामनिया। (जिला टोंक) को मात्र 2 किलोमीटर जोड़ने से जाजेड़ा को पूरा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार सन् 1991 में एक हजार की आबादी के गांव (1) गरडवांश, (2) नोमती कला, (3) अमुनकला, (4) अमुन खुर्द, (5) देवली, (6) भोली, (7) ऐकड़ा, (8) बिलोया, (9) रंवाजना डूंगर, (10) दोलाड़ा, (11) डांगरवाड़ा, (12) सोनकच्छ, (13) बयारदा खुर्द, (14) बाढपुरबेरना, (15) डाबिच, (16) सावटा, (17) खिदरपुर जादौन, (18) खिरखड़ी, (19) आंकोदिया (सिगोर) (20) बन्देडिया, (22) षगीना, (22) जगमोदा, (23) गिदरपुरा आदि गांवों को सड़कों से जोड़ा जावें।

रामेश्वर घाट व कमलेश्वर महादेव को सड़कों से जोड़ा जावें। कमलेश्वर महादेव कोटा व बून्दी से जुड़ा हुआ है। अतः मात्र 12 किलोमीटर सड़क बनाने से कोटा, बून्दी का पूरा हाड़ौती क्षेत्र सीधा सवाई माधोपुर—खण्डार करणपुर, सपोटरा, करौली, धौलपुर व मध्य प्रदेश से जुड़ा जायेगा। सम्बल के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाये। चौरू से चौथका बरवाडा तक सड़क को चौड़ा करवाया जाये क्योंकि इस सड़क पर दिन भर यात्रियों की भीड़ व वाहनों की भारी भीड़ रहती है। बहरावण्डा खुर्द से खण्डार तक सड़क को चौड़ा करवाया जाये तथा सड़क के दोनों ओर झाड़ियों को काटकर सफाई करवाई जायें।

(श्री हरिनारायण)

पहले बनी हुई सड़कों पर पुलिया निर्माण करवाये जावें, जैसे मेई कला में, लहसोड़ा सड़क पर, खण्डार रोड पर, पावाडेरा रोड पर आदि स्थानों पर। ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़कें ग्राम पंचायत सुनारी, झोपड़ा, डिडायच, टापुर, बलरिया, बनजारी, मेडोला, आदलवाडा, रामडी, गम्भीर जुवाड डेहकवा, पांचोलास, दूमोदा, रवेडी, रामपुरा, चितारा, लहसोडा, गोढडा, अनिमाला भूरी पहाडी, डूंगरी, रोजवद, कुरेडी, सिमोर कला आदि को पूरा करवाया जावे तथा स्वीकृत सड़कों को पूरा करवाया जायें।

जिन गांवों की आबादी एक हजार के लगभग है और दो किलोमीटर तक की दूरी है तो ऐसे गांव जैसे तालड़ा, धीरोती सेवती कला एवं खुर्द, खेडली, करेला, घुडासी इटावा, बिलोपा, ऐकडा आडावाग, देवली, धोली, बगावदा, दोलाडा, जाखोदा, बोरीफ डांगरवाडा, झोपडी, त्रिलोकपुरा, तेन्दू, सोलपुर, बाडोदा जगमोदा आदि गांवों को जोड़ा जायें।

पुरानी सड़कें, भगवतगढ़, चौथ का बरवाड़ा, महापुरा, ईसरदा सारसोप, सिवाड़, खण्डार, बालेर, फलौदी क्वारी, लहसोडा नायपुर, मण्डावर आदि की मरम्मत करवाई जाये। सड़क के दोनों ओर किनारों पर मिट्टी डाली जाये तथा ज्यादा खराब हो गई सड़कों का पुन डामरीकरण करवाया जायें।

शिवाड़ और सवाई माधोपुर को जोड़ने के लिए बनास नदी व माजव नदी पर पुलिया निर्माण करवायी जायें।

धन्यवाद।

छोटी सादड़ी के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में कला संकाय की स्थापना

[श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा)]

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मुख्य कस्बा छोटी सादड़ी है जहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल (छात्र) है। स्कूल में विज्ञान और वाणिज्य संकाय तो है परन्तु कला संकाय नहीं होने से यहां के छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। छात्रा की संख्या भी लगभग 1000 है। इस समस्या से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को छोटी सादड़ी बस स्टेण्ड के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आगमन पर गत वर्ष यहां के नागरिकों ने एवं मैंने मांग की थी इस पर शिक्षा मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि एक माह के अन्दर यहां कला संकाय आरम्भ हो जाएगा, परन्तु यह दूसरा वर्ष आरम्भ हो गया है किन्तु अभी तक कला संकाय खोलने के आदेश नहीं होने से इस सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों का अपनी पढ़ाई बन्द करनी पड़ रही है।

अतः निवेदन है कि छोटी सादड़ी के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में कला संकाय तुरन्त खोला जाये।

सधन्यवाद।

—×—

भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों में लगे श्रमिकों में कमी

[श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

महोदय, भीलवाड़ा जिले में वर्षा नहीं होने के बावजूद पहले से 60 हजार श्रमिक कम स्वीकृत कर जनता को पर्याप्त राहत नहीं दी गई और फिर 1 जुलाई से मात्र 30 हजार श्रमिक कर दिये हैं जिससे सारे कार्य ठप्प हो गये। श्रमिक एवं सामग्री के अनुपात को इस स्थिति से प्रभावित किया गया है और जहाजपुर तथा कोटड़ी तहसील के अनेक कार्यों के पंचायतों तथा विभागों को भुगतान नहीं करने से रुकने की स्थिति पैदा हो गई है।

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये मांग करना चाहता हूं कि वर्षा न होने के कारण तत्काल श्रमिक पुनः बढ़ाकर कार्य को पूरा करवाया जाय तथा रोजगार उपलब्ध कराया जाय ताकि गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे किये जा सकें और सामग्री राशि भी तत्काल ही जिला कलक्टर तथा विभिन्न अधिकारियों को भिजवाई जाय।

——

खाजूवाला (बीकानेर) में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास की स्वीकृति

[श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)]

महोदय, जिले के सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला, घोषित राजस्व तहसील क्षेत्र, में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की 40 प्रतिशत जनता निवास करती है। इस क्षेत्र के इन जातियों के बच्चों के लिये सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग ने अभी तक छात्रावास की व्यवस्था नहीं की है। पिछले दो वर्षों में राजस्थान राज्य के अनेक क्षेत्रों में नये छात्रावास, अनुदानित छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं लेकिन यह सीमान्त क्षेत्र अभी तक इस सुविधा से वंचित है। खाजूवाला में उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

अतः मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख के जरिये इस समस्या की ओर माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

गुढ़ाचन्द्र जी (नादौती) में आवागमन के साधनों का अभाव

[श्री रामस्वरूप (टोड़ाभीम)]

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती के कस्बा गुढा चन्द्राजी जो राजा मोरध्वज की पावन नगरी है जहां पहाड़ पर किला बना हुआ है एवं पहाड़ की तलहटी में गर्म पानी के पावन कुंड बने हुए हैं जिनमें स्नान करने पर लोगों के कोढ, चर्मरोग एवं विकलांगता भी ठीक हुई है, यहाँ पर आकर जो मंदिर के दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्थान इतना रमणीक है कि यहां पर चारों तरफ पहाड़ हैं और सुन्दर पेड़ लगे हुए हैं। यहां के लोग पहाडों पर हजारों की संख्या में रहते हैं। यहां पर मकर संक्रान्ति के दिन विशाल मेला लगता है एवं विदेशी लोग यहां पर आते हैं।

बड़े दुख की बात है कि यद्यपि पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और इसे आदर्श ग्राम भी घोषित कर रखा है परन्तु यहां पर आवागमन का साधन नहीं हैं। सड़कें चारों तरफ से अधूरी हैं और बरसात में कोई भी आवागमन का साधन नहीं है। नादौती से गढ़मोरा जाने वाली सड़क मात्र 1 किलोमीटर अधूरी अलूदा के पास पड़ी है। अगर उसे बना दिया जावे तो यहां पर यात्री एवं विदेशी लोग आ जा सकते हैं। इसी प्रकार नेशनल हाइवे नं. 11 जयपुर से आगरा, से आने वाली सड़क मात्र 4 किलोमीटर बंद है अधूरी है अगर उसके लिए डामर ठेकेदार से कहा जावे तो सरकार उसे पूरी कर सकती है। लावसर तक पक्की डामर है, लावसर से विरोवडा तक और बनानी है जो अधूरी है। अगर यह सड़क बन जाती है तो यह पर्यटन स्थल सरकार के लिए आय का मुख्य स्त्रोत बन सकता है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय पर्यटन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हिण्डौन महुआ रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की स्थापना

[श्री कमल (हिण्डौन)]

महोदय, हिण्डौन में स्थित हिण्डौन-महुआ रोड पर जो रेलवे क्रासिंग है आज राजस्थान का सबसे अधिक व्यस्त रहने वाला रेलवे क्रासिंग है। यह क्रासिंग मुम्बई से दिल्ली रेलवे लाइन पर हिण्डौन स्टेशन के पास में एस.एच. 22 पर स्थित है। रेलवे ट्रैक दोहरा है तथा पूर्ण विद्युतिकृत किया हुआ है तथा देश के कई बड़े व महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है जिसके कारण इस ट्रैक पर ट्रैनों का आवागमन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अतः क्रोसिंग सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिये अधिकतर बन्द रहता है। दूसरी तरफ, हिण्डौन से महुआ सड़क भी अतिव्यस्तता सड़कों में से एक है तथा क्रासिंग शहर में होने के कारण बड़े व छोटे वाहनों की संख्या सड़क पर बहुत बढ़ जाती है। जब एक बार फाटक बन्द हो जाता है तब फाटक के दोनों तरफ लम्बी लाइनें वाहनों की लग जाती है। ट्रैक पर माल व सवारी गाड़ियां अधिक संख्या में चलने के कारण साधारणतया एक बार में दो-तीन गाड़ियां गुजरने के बाद में फाटक को खोला जाना संभव रहता है। फाटक के खुलते ही दोनों तरफ के वाहनों में शीघ्र से शीघ्र फाटक क्रोस करने की होड़ लग जाती है। इसके कारण भी वाहन आड़े-तिरछे फंस जाते हैं तथा परेशानी खड़ी कर देते हैं क्योंकि वाहन चालकों को इस बात का संदेह रहता है कि कहीं फाटक बन्द न हो जाये। कई बार तो फाटक दो बार खुल कर बन्द हो जाता है और वाहन निकल नहीं पाते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यस्ततम फाटक पर ओवर ब्रिज बनाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे यात्रियों को हिण्डौन आते जाते वक्त परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और सुविधापूर्वक वाहन रेल पटरी को पार कर सके।

भरतपुर जिला परिषद द्वारा रिक्त पदों की जानकारी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति

[श्री गोपी चन्द (नगर)]

महोदय, भरतपुर जिले की जिला परिषद् द्वारा तथ्यों की स्पष्ट जानकारी नहीं देने के कारण अन्य जिलों से भरतपुर जिले में स्थानान्तरण नहीं किये जा रहे है। व वास्तविक तथ्यों की जानकारी के अभाव न तो अन्य जिलों से स्थानान्तरण किये जा रहे हैं, न ही यह जानकारी है कि भरतपुर जिला परिषद् में कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं। माननीय पंचायत राज्य मन्त्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि भरतपुर जिला परिषद् के अधीन कुल कितने पद रिक्त हैं।

कानोता से अचलपुरा (सामरिया होकर) तक सड़क का निर्माण

[श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)]

महोदय, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से पिछले दो वर्ष से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के ग्राम सामरिया से अचलपुरा तक सड़क बनाने के बारे में निवेदन करती रही हूं किन्तु इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस सड़क को कानोता से सामरिया होकर अचलपुरा तक ले जाने का प्रस्ताव था क्योंकि अचलपुरा को जोड़ने से इस सड़क पर चलने वाले वाहनों एवं जनता को कानोता से सीधे चाकसू पहुंचने का लाभ हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण सड़क को बिना राजनीतिक भेदभाव के पूरा किया जाना चाहिए ताकि, विशेषकर, मजदूर वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग को इससे कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ हो सके।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय एवं सरकार का इस ओर पुनः इस विशेष उल्लेख के जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की समस्या

[श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़)]

महोदय, मैं उक्त नियम के अन्तर्गत सदन का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की विद्युत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के बड़े ग्राम सांवतसर, बाना, लिखमादेशर, बिग्गा, बिग्गावास रामसरा तथा तेनदेशर में करीब एक साल पूर्व 33/11 के. वी. की विद्युत लाइन स्वीकृत हुई थी। बड़े खेद एवं दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन ग्रामों में लाइनें अभी तक केवल कागजों में ही स्वीकृत हैं। मौके पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। कागजों में यह भी संभव हो सकता है कि इन लाइनों के नाम पर कुछ सामान या यंत्र आदि दिये गये हों, परन्तु मौके पर अभी तक कोई सामान नहीं पहुंचा है।

मेरे क्षेत्र में पानी पर्याप्त, मीठा व मूंगफली की फसल के लिए श्रेष्ठ होने के कारण काश्तकारों में सिंचाई के कुएं बनाने की होड़ लगी हुई है और विद्युत कनेक्शनों के लिए हजारों प्रार्थना पत्र विद्युत विभाग के पास प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं। जो कनेक्शन अब तक दिये गये हैं उन पर भी इन स्वीकृत लाइनों के पूरे होने के अभाव में वोल्टेज नहीं रहता है, जिससे कुएं नहीं चलते हैं। यहां तक कि आटा चक्की तक नहीं चलती है। विद्युत के अभाव में काश्तकार भारी आर्थिक संकट में हैं और परेशान हैं। इसी कारण से गत लम्बे समय से काश्तकार आन्दोलन कर रहे हैं। इन स्वीकृत लाइनों पर खंभों के अलावा कोई सामान व यंत्र आदि नहीं आया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इन लाइनों में विद्युत पावर कराने और वोल्टेज बढ़ाने के लिए कस्बा श्रीडूंगरगढ में 132 के. वी. का सब ग्रिड स्टेशन लगाया गया है, परन्तु उक्त लाइनों का कार्य नहीं होने के कारण यह नया सब ग्रिड स्टेशन बेकार व असफल साबित हो रहा है, जिसमें सरकार के करोड़ों रुपये व्यय हुए हैं। अतः मैं उक्त नियमों के अन्तर्गत माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उक्त 33/11 के. वी. की स्वीकृत लाइनों को शीघ्र पूरा करवाएं ताकि क्षेत्र के काश्तकार अपने कुओं पर कनेक्शन व विद्युत वोल्टेज प्राप्त कर प्रतिवर्ष लाखों क्विटल मूंगफली व अनाज और सब्जियां उत्पादन कर क्षेत्र को हरा-भरा एवं स्वयं को खुशहाल बना सकें। धन्यवाद।

जोधपुर स्थित बरकतुल्ला खां स्टेडियम के अधूरे पड़े निर्माण कार्य

[श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)]

राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में खेलों के विकास हेतु एक बहुत ही बडे स्टेडियम का निर्माण 1985 से शुरू हुआ, जो आज भी अधूरा पड़ा है। 30 एकड़ क्षेत्र में फैले इस स्टेडियम की क्षमता 30 हजार दर्शक बैठने की है तथा इस पर सरकार ने लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च कर दिये। लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तत्कालीन नगर सुधार न्यास अध्यक्ष द्वारा इस स्टेडियम निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं के कारण लोकायुक्त द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी। वर्तमान स्थित यह है कि स्टेडियम में बैठक व्यवस्था धंस रही है तथा दीवारों पर न तो कोपिंग हो सकी न ही टीपे। फलस्वरूप निर्माणाधीन दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही हैं तथा नुकसान होने का अंदेशा है। जो कुर्सियां लगी थीं वे भी टूट गयी हैं तथा घास भी सम्पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। खिलाड़ियों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और न ही स्टेडियम में कोई शैड लगा है जिससे छाया मिल सके।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं की जांच तो जारी रहे लेकिन निर्माण कार्य नये सिरे से आरम्भ हो ताकि अधूरा कार्य पूरा हो सके।

महोदयजी, इसके साथ ही तरणताल, फुटबाल मैदान, इनडोर स्टेडियम, खो-खो तथा कब्डडी मैदान भी बनवाने के आदेश जनहित में कराएं। बरकतुल्लाह स्टेडियम के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाकर मुझे ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान को उपहार प्रदान करेंगे। महोदय, मैं विशेष उल्लेख के जरिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस स्टेडियम का तुरन्त निर्माण शुरू किया जाये।

————

जोधपुर के अजनेश्वर जी महाराज के आस-पास अतिक्रमण की समस्या

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

महोदय, जोधपुर सिवान्ची गेट क्षेत्र में अजनेश्वर मार्ग, (न्यू चांदपोल रोड) पर श्री अजनेश्वर जी महाराज का आश्रम (बाई जी महाराज के आश्रम से लोकप्रिय) लगभग एक सौ वर्ष से पहाड़ी पर अवस्थित है। महान सिद्ध साधक सन्त की प्रेरणा ने हजारों नर-नारियों को अध्यात्मकी धारा से अनुप्रमाणित किया है। इस आश्रम में प्रतिदिन सैंकड़ों महिलाएं गुरुजी महाराज के दर्शन हेतु पहुंचती हैं तथा प्रत्येक गुरुवार को विशेष सत्संग का आयोजन होता है। अजनेश्वर आश्रम के चारों ओर अन्य आश्रम भी बने हुए हैं और पीछे ही सन्त अजनेश्वर जी महाराज की समाधि, (पवन दाग) गनेश गढ़ी, रामऋषि सन्त का आश्रम, जबरनाथ महादेव, भूतनाथ महादेव, कल्लजी महाराज का आश्रम, ऊंभेश्वर महादेव, (फिल्टर हाऊस तारबन्दी) गणेश गढ़, गंगलाब आदि पवित्र एवं धार्मिक स्थान स्थापित हैं।

इन धार्मिक एवं पवित्र स्थानों के चारों ओर हो रहे अवैध अतिक्रमण को नगर परिषद्, जोधपुर (हाल नगर निगम) द्वारा बाई जी महाराज का आश्रम के आस-पास और चारों ओर हो रहे अतिक्रमण और मकानों को जो कि अतिक्रमण कर बनाए गये एवं जो पूर्ण रूप से अवैध थे, ऐसे ही लगभग 81 अनाधिकृत अतिक्रमणों को दिनांक 24-12-1981 को हटाया गया। सचिव नगर परिषद्द, जोधपुर ने जिलाधीश, जोधपुर को अपने पत्र क्रमांक 9471 दिनांक 27-01-1982 के जरिये सूचित किया कि श्री अजनेश्वर जी महाराज के आश्रम के आसपास जितने भी अवैध कब्जे किये हुये थे, उन सबको नगर परिषद्, जोधपुर ने पिछले कुछ समय पहले पूर्ण रूप से हटा दिया है तथा भविष्य में किसी प्रकार के अवैध कब्जे वहां नहीं करने दिये जाएंगे।

इस सम्बन्ध में जिलाधीश, जोधपुर व नगर निगम जोधपुर को समय-समय पर ज्ञापन के रूप में आश्रम के आस-पास अवैध कब्जों के साथ-साथ यहां के वातावरण को भी दूषित करने के प्रयास करने के बाबत अवगत करवाया जाता रहा है। तेजी से बढ़ते अतिक्रमण से बाईजी महाराज आश्रम जाने वाली महिलाओं को परेशानी

होने के साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाओं को तो ठेस लगती ही है, श्रद्धालुओं को भी अध्यात्मिक क्षेत्र में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जोधपुर का गंगलाव तालाब एक ऐसा प्राचीन जलाशय है जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस पारम्परिक जलस्रोत की हमारी विरासत की वर्तमान में स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। इस तालाब पर निरन्तर अवैध कब्जों और बढ़ते अतिक्रमण से यह जलाशय अपनी महत्ता प्रायः खो चुका है और ऐसे महत्ती स्थल की उपयोगिता नहीं के बराबर रह गयी है।

गंगलाव तालाब जहां शहर के भीतरी भाग का प्रमुख जलाशय था, वहीं आज जलकुम्भी ने भी अपना साम्राज्य कर लिया है। एक ओर जलकुम्भी, तो दूसरी तरफ तालाब में ही अनेक अतिक्रमण की वजह से कई मकानों का निर्माण हो चुका है। जलाशय के अन्दर ही बढ़ते अतिक्रमणों से इस पारम्परिक जलस्रोत के संरक्षण की दिशा में एक चिन्ताजनक स्थिति हो गई है।

मेरा अनुरोध है कि गंगलाव तालाब के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने एवं जलाशय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस तालाब से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही तुरन्त करवाने के साथ इस जलाशय में व्याप्त जलकुम्भी को दूर करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए। मानसून की वर्षा का जोर है और इस तालाब के भीतर मकान निर्मित होने से जान-माल की हानि की भी प्रबल सम्भावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में समय रहते इन नाजायज कब्जों को हटाकर रहने वालों की अन्य स्थानों पर रहने की व्यवस्था कर सावधानी के तौर पर कार्यवाही किया जाना जरूरी हो गया है। वर्तमान में सतर्कता एवं सजगता से कार्य नहीं किया गया तो इस तालाब में अनहोनी घटनाए घटित हो जाएंगी।

मेरा अनुरोध है कि प्राचीन धरोहरों के संरक्षण एवं परम्परागत जल स्रोतों के रख-रखाव के लिए इंटेक की ओर से सार्थक पहल की जानी चाहिए और प्रशासन के सहयोग से हम ऐतिहासिक विरासत-गंगलाव तालाब के संरक्षण के लिये आवश्यक कदम उठाकर जलाशय के भीतर हो रहे अतिक्रमणों को हटाकर सम्भावित जान माल की हानि को रोकने तथा जलकुम्भी को हटाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। इस

दिशा में प्रभावी कार्य करके हम इस पारम्परिक जलाशय को पुनः मूल स्वरूप में ला सकेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस पारम्परिक एवं ऐतिहासिक जलाशय के संरक्षण के लिये हर सम्भव सहयोग दिया जायेगा।

अतः इन अतिक्रमणों को तुरन्त प्रभाव से हटाने की जरूरत है। इस प्रकरण में आपसे निवेदन है कि त्वरित गति से बढते जा रहे अतिक्रमणों को शीघ्र ही हटवाने के आदेश प्रसारित करवाने का श्रम कर इस दिशा में उचित कार्यवाही कराएं।

———

जयपुर की अपोलो नगर हाउसिंग सोसायटी द्वारा मकानों का कब्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति

[श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)]

वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लालबहादुर नगर स्कीम में, क्लार्क आमेर होटल के पीछे जमीन मालिक श्रीमती पी. एल. अग्रवाल के ससुर श्री सुवालाल गर्ग, जो जमीन का क्रय-विक्रय करता है, द्वारा भूखण्ड खरीदे। भूखण्डों का आबंटन-पत्र अपोलो नगर हाउसिंग सोसायटी लि. का अध्यक्ष मदन गोपाल फतेहपुरिया एवं सचिव अशोक अग्रवाल के हस्ताक्षरों से जारी किया गया। भूखण्ड क्रय करने से पूर्व क्रेताओं के पूछने पर श्री सुवालाल गर्ग नें स्पष्ट कर दिया था कि उक्त ज़मीन में किसी प्रकार का टन्टा-फसाद नहीं है।

वर्तमान समय में जमीन के भाव बढ जाने के कारण श्री गर्ग के मन में खोट पैदा हो गया। लालच के मोह में आकर अपोलो नगर हाउसिंग सोसायटी के पूर्व मंत्री सूरज मल अग्रवाल व सचिव अशोक अग्रवाल आपसी सांठ-गांठ करके पूर्व में जारी किये गये आबंटन पत्रों को फर्जी बताकर आबंटन धारियो को न तो कब्जा देते हैं और न ही निर्माण कार्य करने देते हैं। उक्त भू-माफियों को पुलिस और गुण्डों-बदमाशों को बहुत बड़ी रकम देने से उनको संरक्षण प्राप्त है, जिससे आबंटन-धारियों को आतंकित कर रखा है। बजाज नगर थाने में हमारे द्वारा दर्ज रिपोर्ट

पर कोई कार्यवाही नहीं होती, बल्कि भू-माफियों के पक्ष में कार्यवाही होती है।

उक्त जमीन दी अरबन को-आपरेटिव बैंक में रहन थी। बैंक की कुर्कशुदा जमीन होने के बावजूद श्री गर्ग ने तहसीलदार, सांगानेर एवं हल्का पटवारी दुर्गापुरा की मिलीभगत से भू-राजस्व रिकार्ड के खसरा नम्बरों को बदल कर तरूण सहकारी उद्योग लि., जयपुर के खातों में दर्ज करना बहुत बडी धोखाधडी एवं हेराफेरी का कार्य किया।

उक्त भूमि पर वर्तमान समय में परिवार सहित निवास कर रहा प्रभुनारायण मीणा को जमीन खाली करने के लिए पुलिस एवं गुण्डों से भय एवं आतंकित करने की कोशिश विफल होती देख श्री गर्ग ने तहसीलदार, सांगानेर को बहुत बडी घूस देने पर दिनांक 4-2-96 को रिसीवरी के आदेश जारी कर भू-राजस्व के रिकार्ड में भारी अनियमितता करके प्रभुनारायण मीणा की बाउन्ड्री-वॉल तोड दी गई, जिससे यहां के निवासीयों में भारी रोष व्याप्त हैं।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सदन में चर्चा करना चाहता हूं जिसकी मुझे अनुमति प्रदान करने का श्रम करें।

जोधपुर की रेलवे कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि का नियमन

[श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)]

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में रेलवे कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड कार्यरत है। कर्मचारी अपना मकान बनाने की स्थिति में नहीं है। उक्त समिति की भूमि खसरा नं. 775/37 और 775/44 को सरकार ने गलती से राजपत्र दिनांक 13-6-91 में अधिसूचित किया, जबकि उक्त सूची अधिकतम सीमा एवं विनियम 1976 20 (1) की छूट 1985 में राज्य सरकार

द्वारा दी गई और 194 भूखण्डों आवासीय का मानचित्र स्वीकृत होने पर दिनांक 20.6.88 को रूपान्तरण हो गया। "अधिसूचित होने की वजह से नगर सुधार न्यास, जोधपुर भूमि जोन विभाजन नहीं कर पा रहा है और भूमि को डी-नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव 10.11.89 को उप सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को भेजा जा चुका है। डी-नोटोफिकेशन हेतु 20-11-89 से बराबर पत्राचार होने पर भी डी-नोटिफिकेशन के आदेशों की प्रतीत में रेलवे कर्मचारी जोधपुर में मकान बनाने की स्थति में नहीं है। अतः इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान कराए।

——

श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति के आवासीय भूखण्ड का पुनः रूपान्तरण

[डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)]

संबंधी प्रकरण में भूखण्ड संख्या 8 के मूल आबंटी चोथमल यादव गत 13 वर्षों से राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्रियों एवं मुख्यमन्त्री से न्याय की गुहार करता आ रहा है। परन्तु इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी राज्य सरकार ने न कोई न्याय दिया है और न ही न्याय देने की प्रक्रिया अपनाई है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमन्त्री माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत ने भी 24 अक्टूबर, 1985 में विधान सभा में विपक्ष के नेता होने की हैसियत से उक्त सहकारी समिति के कुछ मूल भूखण्ड धारियों द्वारा भूखण्डों को 1981 तक सम्पूर्ण रूपान्तरण राशि जमा करवाए जाने के बाद पुनः फर्जी आबंटन दुबारा रूपान्तरण व बिना आदेश जारी किए गये पट्टों व इस सारे प्रकरण में सी.डी. देवल के लिप्त होने के प्रकरण को पुरजोर से उठाया था। जबकि आज इतने समय से शोषित एवं पीड़ित भूखण्ड संख्या 8 के मूल भूखण्ड धारी चोथमल यादव के बार-बार आग्रह के बाद भी बेनामी भारत सिंह के नाम गलत तरीके से जारी करवाए पट्टे को निरस्त करने के आदेश फरमाकर माननीय राजस्व मन्त्री महोदय न्याय करें। यादव ने

01-11.1973 को उक्त भूखण्ड का आवंटन करवाकर 1976 में 800।- रुपये व जनवरी, 1981 में सम्पूर्ण रूपान्तरण राशि जमा करवा दी थी तथा तभी से मय परिवार उक्त भूखण्ड में आवास कर रहा है तथा भारत सिंह के नाम पुनः पट्टा जारी करने की कार्यवाही 1983 अगस्त में समयावधि निकलने के बाद की गई है जो स्वतः ही फर्जी साबित होती है। अतः उक्त फर्जी पट्टे को निरस्त करने के आदे माननीय राजस्व मन्त्री जारी करें ।